Thursday, 03 August, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवां सत्र / Fifth Session]

Preservation Unit
Fumigated
01/5.2.84
Parliament Library

[खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol.XVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 3 अगस्त, 1972/12 श्रावण, 1894 (शक)

No. 4, Thursday, August 3, 1972/Sravana 12, 1894 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			1—2
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
61. ठेका मजदूर प्रणाली	Contract Labour System	...	1—3
62. दण्डकारण्य परियोजना कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Dandakaranya Project Employees	...	2—6
63. दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed in Delhi		6—10
64. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल करने के लिये बोनस अधिनियम में संशोधन	Amendment of Bonus Act to Include Central Government Employees	...	10—13
65. सिंध से आए शरणार्थी	Refugees from Sind		13—16
66. दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र का स्टेनलैस स्टील क्षमता का सेलम स्थित नये इस्पात संयंत्र में स्थानान्तरण	Shifting of Stainless Steel Capacity of Durgapur Alloy Steel Plant to New Steel Plant at Salem	...	16—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			23—134
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
67. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा	Security of Employees working in Durgapur Steel Plant	...	23—24

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
68. पाकिस्तानी सेना द्वारा अपहृत भारतीय पत्रकार, दीपक बनर्जी की रिहाई	Release of Indian Journalist, Deepak Banerjee Kidnapped by Pak Army ...	24
69. केरल में इस्पात का वितरण	Distribution of Steel in Kerala	25
70. भारत-अमरीका सम्बन्ध	Indo-United States Relations	25
71. कलकत्ता में रूस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता	Talks with Soviet President at Calcutta ...	26
72. झारखण्ड और राउरकेला की खानों में कोयले के निक्षेप	Deposits of Coal in Jharkhand and Rourkela Mines ...	26
73. कुछ विदेशों के साथ नान बीजा करार	Non Visa Agreements with some Foreign Countries ...	26—27
74. बोनस पुनरीक्षण समिति	Bonus Review Committee	27
75. बीड़ी कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय मजूरी ढांचा	National wage Structure for Bidi Workers	27—28
76. कम्प्यूटरों का उद्योगों पर प्रभाव	Impact of Computers in Industries	28—29
77. पुनर्वास विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताएं	Alleged Irregularities and lapses Committed by Officers of Department of Rehabilitation ...	29
78. इस्पात के लिये नियंत्रक कम्पनी	Holding Company for Steel	29—30
79. मानवीय पर्यावरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	U. N. Conference on Human Enviroment	30
80. पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में बागान श्रमिक अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Plantation Labour Act in Tea Gardens of West Bengal ...	30—31
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
601. कम्पनियों में नियुक्त सेवा-निवृत्त अधिकारी	Retired Officers employed with Companies	31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
602. नीलेश्वर में नमूनों से बाक्साइट अंश का अनुमान लगाने के तरीके का पुर्नविलोकन	Review of Method of Assessment of Bauxite from Samples at Nileshwar ...	31—32
603. विवाचकों के लिये राष्ट्रीय विवाचन आर्बिट्रेशन संवर्धन मंडल के मार्गदर्शी सिद्धान्त	National Arbitration Promotion Board Guide Lines for Arbitrators ...	32
604. राष्ट्रीय मध्यस्थता संवर्धन बोर्ड की बैठक	Meeting of National Arbitration Promotion Board ...	32—33
605. दंडकारण्य परियोजना के अन्तर्गत बसाये गये शरणार्थियों को भूमि का स्वामित्व देना	Ownership of Land to Refugees Settled under Dandakaranya Project ...	33—34
606. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के उत्पादन में कमी	Loss of Production in Hindustan Copper Limited ...	34
607. घाटसिला स्थित हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में भर्ती	Recruitment in Hindustan Copper Limited Ghatsila ...	35
608. कर्मचारी राज्य बीमा डाक्टरों की मांगें	Demands of ESI Doctors	35—36
609. उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में खानों के लिये लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences for Mines under Industries (Development of Regulations) Act in Maharashtra ...	36
610. विश्व बैंक ऋण विस्तार कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य की कोयला खानों द्वारा भाग लेना	Participation of Colleries of Maharashtra State in World Bank Loan Expansion Programme ...	37
611. मध्य प्रदेश में इमारतें और ईंटें बनाने के लिये मिट्टी खोदने के लिये लाइसेंस देना	Licence for digging out earth for Building and Brick making purposes in Madhya Pradesh ...	37
612. मध्य प्रदेश में तांबे का खनन	Mining of Copper in Madhya Pradesh	37—38
614. आसाम के चाय बागानों में ठेके के श्रमिक	Contract Labour in Assam Tea Gardens ...	38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
615. लेडो बोरगोल्ला और मारघेरिटा के कोयला खान श्रमिक संघ से अभ्यावेदन	Representation from Coal Field Workers Union of Ledo Borgolla and Margherita	38
616. भारतीय दूतावासों पर व्यय में कमी करना	Economy in Expenditure in Indian Embassies ...	39
617. विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र	Indian Cultural Centres in Foreign Countries ...	39—40
618. खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण	Revision of Minimum Wages of Agricultural Labour ...	40
619. पूर्व पश्चिम राजपथ के भुखाल नेपालगंज सैक्टर का निर्माण	Construction of Butwal-Nepalgunj Sector of East West Highway ...	40—41
620. भारत जर्मन सम्बन्धों के बारे में गोष्ठी	Seminar in Indo German Relations	41
621. उर्वरक का आयात	Import of Fertilisers	41—42
622. त्रिपुरा में लोहे की छड़ों का मूल्य	Price of Iron Rods in Tripura	42
623. भारत हंगरी आर्थिक आयोग	Indo-Hungarian Economic Commission ...	42
624. भारतीय पत्तनों के माध्यम से सीधे निर्यात के लिये सिक्किम सरकार की मांग	Sikkim Government's demand for direct Export through Indian Ports ...	42—43
626. चेकोस्लोवाकिया के साथ करार	Agreements with Czechoslovakia	43
627. एल्यूमिनियम की नयी उत्पादन क्षमता के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of licences for fresh capacity of aluminium production ...	43—44
628. कोरिया का पुन:एकीकरण	Re-unification of Korea	44
629. गुजरात में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना	Setting up of aluminium plant in Gujarat	44
630. कोयना से एल्यूमिनियम संयंत्र का स्थानान्तरण	Shifting of aluminium plant from Koyan...	44—45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
631. बोकारो इस्पात संयंत्र	Bokaro Steel Plant	45
632. हिन्दुस्तान तांबा परियोजना के मुख्यालय को खेतड़ी से कलकत्ता ले जाने के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding shifting of Hindustan Copper project from Khetri to Calcutta ...	45—46
633. मजदूर संघ और हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि० के मध्य हुए समझौते का क्रियान्वयन	Implementation of Agreement between the Union and the Hindustan Construction Co. Ltd. ...	46
634. चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाना	Normalisation of Relations with China ...	46—47
635. वियतनाम में बमबारी बन्द करने के लिये अमरीकी सरकार को सहमत करना	Persuasion of Us Government to stop Bombing in Vietnam ...	47
636. जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता	Recognition of GDR	47
637. लोहे और इस्पात की आवश्यकता तथा उत्पादन	Requirement and Production of Iron and Steel ...	48
638. बेरोजगारी भत्ता	Unemployment Allowance	48
639. पश्चिम बंगाल में दमोद पटमोहन, वैस्टर्न कजोरा कोयला खानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न किया जाना	Non Deposit of EPF by Damoda Patmohana and Western Kajora Coal Mines in West Bengal ...	48—50
640. भारी इंजीनियरी कारपोरेशन रांची द्वारा आई० बी० एम० मशीनों के लिये अदा किया गया किराया	Rent paid for IBM Machines by HEC Ranchi ...	50
642. पुरुलिया (पश्चिमी बंगाल) में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Steel Plant in Purulia (West Bengal) ...	51
643. अवन्तिका और मेहता प्रिन्टिंग प्रेस, उज्जैन के कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि	Employees Provident Fund of Employees of Avantika and Mehta Printing Press, Ujjain ...	51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
644. केरल में लोहे तथा इस्पात का वितरण	Distribution of Iron and Steel in Kerala ...	51—52
645. गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन	Conference of Non Aligned Nations.	52
646. नियत आयु से अधिक आयु वाले बेरोजगार स्नातक	Over Age Jobless Graduates	52—53
647. हनोई द्वारा कतिपय शर्तें न मान लिये जाने तक वियतनाम पर बमवर्षा जारी रखना	Continuance of bombing of Vietnam until certain conditions are accepted by Hanoi	53
648. उत्तर प्रदेश में पर्वतीय जिलों में तांबे की खानें	Copper Mines in Hilly Districts of Up ...	54
649. युद्ध अपराधियों को बंगला देश को सौंपा जाना	Handing over of war Criminals in Bangla-desh ...	54—55
650. भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये भारत-रूस सहयोग करार	Indo Russian Collaboration Agreement for Expansion of Bhilai Steel Plant ...	55
651. भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant	55
653. पाकिस्तान में गुरुद्वारों का उचित रख-रखाव	Proper maintenance of Gurdwaras in Pa-kistan ...	55—56
654. पंच निर्णय सम्बन्धी लागत वहन करना	Bearing of Arbitration Costs	56
655. अमरीका से विरोध प्रकट करना	Protest to USA	56
656. डाक तथा दूर संचार खाते के सम्बन्ध में पाकिस्तान से बकाया राशि की वसूली	Recovery of arrears from Pakistan Regar-ding Postal and Telecommunication Account ...	57
657. बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के सुझाव	Suggestions by Expert Committee on unemployment ...	57
659. बेलाडिला खान समूह में काम बन्द होना	Closure of work in Bailadilla Group of Mines ...	57—58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
660. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का बहिष्कार	Boycott of Indian Delegation on the ILO Conference ...	58—59
661. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में उत्पादन	Production in HEC Ranchi	59
662. बेरोजगारी में वृद्धि	Growth of Unemployment	59—60
663. सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कोयला खानों में उत्पादन	Production in Collieries taken over by Government ...	60—61
664. भारत स्वीडन संयुक्त आयोग	Indo Swedish Joint Commission	61
665. नेपाल में भारतीय मिशन द्वारा चलाये जा रहे पुस्तकालयों तथा वाचनालयों का बन्द किया जाना	Closure of Libraries and Reading Rooms run by Indian Mission in Nepal ...	61—62
666. औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी विधि	Industrial Relations Law	62
667. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से रोजगार उत्पन्न करने के लिये वर्कशाप	Workshop on Employment Generation in Collaboration with ILO ...	62—63
668. सिंगापुर जहाज निर्माण कारखाने के लिये दक्ष कर्मचारी	Skilled workers for Singapore Shipyard ...	63
669. जावा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में किया गया निर्णय	Decisions taken at ILO Conference in Geneva ...	63—64
670. इस्पात का वितरण	Distribution of Steel	64—65
671. बिना पहुंचे माल के लिये भुगतान	Payment made for non delivered Supplies	66
672. लघु इस्पात संयंत्र लगाने के लिये बीमा लाइसेंस	Insurance licences for setting up of Mini Steel Plants ...	66—67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
673. सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों में धातु पिण्डों तथा विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन	Production of Ingots and saleable Steel in Public Sector Steel Plants ...	67—68
674. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये अतिरिक्त पुर्जों की खरीद	Purchase of Spares for Durgapur Steel Plant ...	68
675. अभ्रक की खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Mica Mines	68
676 बंगला देश से आये शरणार्थियों की वापसी	Return of Bangladesh Refugees ...	68—69
677. मंजूरशुदा ठेकेदारों के रूप में पंजीकरण के नामों के बारे में विज्ञापन	Advertisement Regarding Benefits of Registration as approved Contractors ...	69
678. विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन के लिये 'चेयर्स' और केन्द्रों की स्थापना	Establishment of Centres and Chairs of Indian Studies in Foreign Universities ...	69—70
679. भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का अन्य देशों में विस्तार	Extension of Indian Technical and Economic Cooperation Programme to other Countries ...	70
680. भारत चीन सम्बन्ध	Sino Indian Relations	70—71
681. युद्धबन्दियों पर मुकदमा चलाने हेतु स्थापित किये जाने वाले न्यायाधिकरण में भारत का प्रतिनिधित्व	Representation of India on the Tribunal to be set up for Trial of P.O.Ws. ...	71
682. नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन में उत्पादन	Production in Neyveli Lignite Corporation	71—72
683. दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देना	Recognition of PRG of South Vietnam ...	73
684. रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कारीगरों द्वारा हड़ताल	Strike by Artisans of HEC Ranchi ...	73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
685. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन संयंत्रों के कर्मचारियों को मजूरी और समयोपरि भत्ते का भुगतान	Wages and Overtime Allowance paid to Employees of Plants under Hindustan Steel Ltd. ...	74
686. रायगढ़ जूट मिल्स में हड़ताल	Strike in Raigarh Jute Mills ...	74
687. पश्चिम बंगाल में कार्मिक संघ के अधिकारी का दमन करने के बारे में सी० आई० टी० यू० द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को की गई शिकायत	C.I.T.U. complaint to I.L.O. regarding Suppression of Trade Union Rights in West Bengal ...	74--75
688. मजदूर संघ की राष्ट्रीय परिषद्	National Council of Trade Unions ...	75
689. ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन	Amendment of Trade Union Act ...	76
690. कच्चे माल की कमी के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र को चालू करने में विलम्ब	Delay in Commissioning of Bokaro Steel Plant due to Shortage of Raw Materials	76
691. खानों में निजी ठेकेदारी प्रणाली समाप्त करना	Abolition of Private Contract System in Mines ...	76—77
692. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच सम्बन्ध	Relations between Employees and Management in EPFO ...	77
693. उर्वरक आयात कार्यक्रम	Fertilizer Import Programme	78
694. उर्वरक कारखानों द्वारा अपने उत्पादों को गैर-सरकारी वितरकों की मार्फत वितरित करना	Distribution of Products by Fertilizer Plants through Private Sector Distributors ...	78—79
695. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को भारत एल्यूमीनियम कम्पनी के साथ सम्बद्ध करना	Association of National Industrial Develoment Corporation with Bharat Aluminium Company ...	79
696. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in E.P.F.O ...	79—80
697. कर्मचारी भविष्य निधि की क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशें	Recommendations of Regional Committees of EPF ...	80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
698. कर्मचारी भविष्य निधि पूंजी निवेश का स्वरूप	Pattern of Investments of EPF ...	80—81
699. साप्ताहिक 'दि कोलफील्ड टाइम्स' में "प्रोविडेंट फंड और फंड फार आफीशियल्स" शीर्षक से प्रकाशित लेख	Article "Provident Fund or Fund for Officials" published in the Weekly "the Coalfield Times" ...	81
700. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, त्रिवेन्द्रम	EPF Office, Trivandrum	81—82
701. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात उत्पादों का वितरण	Distribution of Steel Products by Hindustan Steel Ltd. and Steel Plants in Private Sector ...	82—83
702. इस्पात पुनर्वेलन उद्योग गृहों द्वारा बिलेटों की सीधी बिक्री	Direct Sale of Billets by Steel Re Rollers	83
703. श्रीलंका में चीन का अड्डा	Chinese base in Sri Lanka	83—84
704. पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के शिविरों के रख-रखाव पर व्यय	Expenditure on maintenance of Camps for East Bengal Refugees ...	84
705. पश्चिम बंगाल स्थित दत्ता सेंट्रल कजोरा कोलयरी में तालाबन्दी	Lock out of Dutta Central Kajora Colliery, West Bengal ...	84—85
706. स्वेज नहर को फिर से खोलना	Reopening of Suez Canal	85
707. संयुक्त राष्ट्र सेवा से एक भारतीय अधिकारी का त्यागपत्र	Resignation by an Indian Officer from U.N. Service ...	85—86
708. पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के विरुद्ध ब्रिटेन से विरोध	Protest to U. K. against supply of Arms to Pakistan ...	86
709. बोनस का वार्षिक वेतन बनाना	Treating of Bonus as Annual Salary	86
710. इस्पात का आयात	Import of Steel	86—88
711. पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध	Friendly relations with Neighbouring countries ...	88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
712. रूस को पेचों की सप्लाई	Export of Screws to Russia	88—89
713. लघु उद्योगों में वितरित करने के लिये लघु उद्योग निगम को इस्पात की सप्लाई	Supply of ;Steel to Small Industry corporations for Distribution to Small Scale Industries ...	89
714. राउरकेला इस्पात संयंत्र में अतिरिक्त पूंजी निवेश	Additional Investment in Rourkela Steel Plant ...	89
715. लौह अयस्क बोर्ड की स्थापना	Setting up of Iron Ore Board	90
716. भारती स्टील मेकिंग प्रोसेस के बारे में अलटाकर समिति का प्रतिवेदन	Report of Alteakar Committee Bharati Steel making Process ...	90—91
717. श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	Labour Minister's Conference ...	91
718. न्यूनतम बोनस	Minimum Bonus ...	91
719. भवन निर्माण करने वाले श्रमिकों की दशा के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Conditions of Building Workers	91—92
720. एक रूसी इंजीनियर का दूसरे देश को पलायन	Defection of a Soviet Engineer to another Country ...	92
721. पाकिस्तान से आये विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from Pakistan	92
722. बेरोजगार युवकों के लिये शिशिक्षुता योजना	Apprenticeship Scheme for Unemployed Youth ...	93
723. लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Mini Steel Plants	93
724. औद्योगिक श्रमिकों में अनुशासन-हीनता	Indiscipline among Industrial Labours ...	93—94
725. भारत द्वारा सिक्किमी वस्तुओं का निर्यात	Export of Sikkimese goods by India	94
726. भारती की डाइरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस का पुनर्निरीक्षण	Re-examination of Bharati's Direct Reduction Process ...	94—95

विषय	Subject	पृष्ठ/Page s
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
727. संयुक्त राष्ट्र संघ की नि:शस्त्रीकरण समिति में भारत का प्रतिनिधित्व	Representation of India on U.N. Disarmament Committee ...	95
728. बोनस सूत्र	Bonus Formula ...	96—96
729. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में कम्प्यूटर प्रणाली का लगाया जाना	Installation of Computer System at Hindustan Zinc Limited, Udaipur ...	96
730. जमशेदपुर में स्पंज आयरन परियोजना की स्थापना	Setting up of a Sponge Iron Plant at Jamshedpur ...	96
731. ब्रिटेन में भारतीयों को परेशान करना	Harassment of Indians in U.K.	97
732. सेलम इस्पात संयंत्र के लिये प्रौद्योगिकी का आयात	Import of Technology for Salem Steel Plant ...	97
733. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Hindustan Zinc Limited ...	97—98
734. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को हुई हानि	Loss incurred in Durgapur Steel Plant ...	98
735. सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत कम्प्यूटर	Computers in operation in Public and Private Sector Establishments ...	98—99
736. सीमेंट उद्योग में केन्द्रीय मजदूर-संघों द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike threat by Central Trade Unions in Cement Industry ...	99
737. बिहार में धनबाद झरिया के कोयला खनिकों में श्वास संबंधी रोग	Respiratory Diseases in Coal Miners of Dhanbad Jharia in Bihar ...	99
738. गुजरात में सूती कपड़ा तथा इंजीनियरिंग श्रमिकों की समस्यायें	Problem of Textile and Engineering Labour in Gujarat ...	100
739. पाकिस्तान लौटने से भयभीत पाकिस्तानी विस्थापित	Displaced persons of Pakistan Fearful of returning to Pakistan ...	100
740. श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीय	Indians Repatriated from Ceylon	100—101

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
741. राज्य स्तर पर पंच-फैसला प्रोत्साहन बोर्डों की स्थापना	Setting up of State Arbitration Promotion Boards ...	101
742. पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों को पुनर्वास के लिये पश्चिम, बंगाल की पंचवर्षीय योजना	West Bengal Five Year Plan for Rehabilitation of refugees from East Pakistan...	101—102
743. कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Coking Coal Collieries	102
744. हिन्द महासागर के बारे में चीन के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त विचार	Chinese Prime Minister's views about Indian Ocean ...	102
745. चीन से अपना क्षेत्र वापस लेना	Getting back the Territory from China...	103
746. पश्चिम बंगाल के कोयला खान संघों की मांगें	Demands of West Bengal Coal Mine Unions	103
747. लाभदायक गैर-कोकिंग कोयला खानों का अधिग्रहण	Taking over of non-coking profitable coal Mines ...	103—104
748. उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र का स्थापित किया जाना	Setting up of Second Steel Plant in Orissa	104
749. रानीगंज तथा झरिया की कोयला खानों से गैर बिहारियों का हटाया जाना	Removal of non-Biharis from Coal Mines of Raniganj and Jharia ...	104
750. न्यायालयों द्वारा रिहा किये गये राउरकेला इस्पात संयंत्र के श्रमिकों को बहाल करना	Reinstatement of Rourkela Steel Plant Workers Acquitted by Courts ...	104—105
751. इस्पात संयंत्रों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी	Deputationists in Steel Plants	105
752. उड़ीसा में सीसा परियोजना की आर्थिक क्षमता	Economic viability of Lead Project in Orissa ...	105—106
753. मजदूर संघों की राष्ट्रीय परिषद् को विस्तृत करना	Broadised National Council of Trade Unions ...	106
754. अलौह धातुओं का आयात	Import of non ferrous Metals	106—109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

755. पंजाब में खनिज सम्पत्ति के लिये सर्वेक्षण	Survey for Mineral Wealth in Punjab	110
756. जापान द्वारा अयस्क के न उठाये जाने के कारण गोआ खनिज अयस्क उद्योग में संकट	Crisis in Goa Mineral Ore Industry due to drop in off take of ore by Japan ...	110
757. गोआ में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करना	Setting up of a Steel Plant in Goa	111
758. अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का सम्मेलन	ILO Conference	111
759. पतन तथा गोदी मजदूरों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Report of Central Wage Board for Port and Workers ...	111
760. भारत-पाक युद्ध-विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों को तैनात करना	Posting of U.N. Observers on Indo Pakistan Cease-Fire Line ...	111—112
761. पश्चिम बंगाल के नियोजकों पर भविष्य निधि की देय राशि	Provident Fund dues from west Bengal Employees ...	112
762. बंगला देश को सहायता	Assistance to Bangladesh	112—114
763. भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Geological Survey of India ...	114—115
764. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन में गिरावट	Decline in Production in Durgapur Steel Plant ...	115—116
765. पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयला खानों का विकास	Development of Coal Mines by NCDC in West Bengal ...	116
766. शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed ...	116—117
767. राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट का क्रियान्वित न किया जाना	Non implementation of NIT Award	117—118

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

768. राष्ट्रीय श्रम संगठन का मांग पत्र	Charter of Demands by National Labour Organisation ...	118
769. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को सहकारी समितियों पर लागू करना	Extension of EPF Act to Cooperative Societies ...	118—119
770. कर्मचारी भविष्य निधि लेखों में कार्ड खातों को वार्षिक रूप में दर्ज करने की योजना	Scheme of Annual Posting of Ledger Cards in EPF Accounts ...	119
771. राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अंशदान की दर को बढ़ाने का सुझाव	Suggestion by NCL to raise rate of contribution under EPF Act ...	119
772. छूट प्राप्त दोषी संस्थानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत चलाए गये मुकदमे	Prosecutions launched against defaulting exempted establishments under EPF Act, 1952 ...	119—120
773. भारत में अमरीकी एजेन्सियों के भारतीय कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Indian Employees in US Agencies in India ...	120
774. तस्करों और सीमावर्ती अपराधों को रोकने के लिये भारत-बंगलादेश वार्ता	Indo Bangladesh discussions to prevent Smugglers and Border Crimes ...	120—121
775. लापता भारतीय पत्रकारों को बंगला देश में गोली मारा जाना	Missing Indian Journalists Shot down in Bangladesh by Pakistan Forces ...	121
776. 25 मार्च, 1971 से पूर्व पहले के पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की वापसी	Return of Refugees from erstwhile East Pakistan who came before 25th March, 1971 ...	121—122
777. चिटागांग बन्दरगाह में भारतीय जहाज	Indian Ships in Chittagong Port	122
778. हिन्द महासागर में विदेशी नौसैनिक जहाज	Foreign Naval Ships in Indian Ocean ...	122—123

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

779. भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत में आये बंगला देश के शरणार्थी	Bangladesh Refugees in India During Indo Pak War ...	123
780. आन्ध्र प्रदेश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	Geological survey in Andhra Pradesh	123
781. सरकारी तथा गैर सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्मित इस्पात की उत्पादन लागत	Cost of Production of Steel Manufactured by Public and Private Undertakings ...	123—124
782. दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि को आठ वर्षों तक जमा न करना	Failure by DTC to deposit EPF for eight years ...	124
783. पुरानी रेलों का इस्पात मंत्रालय को दिया जाना	Transfer of Used Rails to Steel Ministry ...	124—125
784. त्रिपुरा में पंजीकृत बेरोजगार आदिवासी	Registered Unemployed Tribals in Tripura	125
785. बिहार में गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of coal Mines is Private Sector in Bihar ...	125
786. बुन्देलखण्ड में वैमानिक भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण	Aerial Geological Survey in Bundelkhand	126
787. मध्य प्रदेश में सीसे का पाया जाना	Discovery of lead in Madhya Pradesh ...	126—127
788. मध्य प्रदेश से तांबे का निर्यात	Export of Copper from Madhya Pradesh...	127
789 मध्य प्रदेश में तांबा संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Copper Plant in Madhya Pradesh ...	127
790. भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीय उत्पादों का उपयोग	Use of India Products by Indian Embassies	127—128
791. भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिये मध्यस्थता का प्रस्ताव	Offer of Good Offices for Normalisation of Sino India Relations ...	128
792. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा केरल में खनिजों का पता लगाना	Mineral Investigations in Kerala by GSI ...	128

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
793. केरल में लौह अयस्क के लिये सर्वेक्षण	Survey of Iron Ore in Kerala ...	128—129
794. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में वृद्धि	Increase in House Rent Allowance of Employees in EPFO ...	129
795. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के रख-रखाव का ठीक न होना	Lack of Maintenance in Durgapur Steel Plant ...	129—130
796. खानों में हड़तालें तथा ताला-बन्दियां	Strikes and Lock Outs in Mines	130—131
797. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हैदराबाद के कर्मचारियों के लिये आवास	Accommodation for Exployees of National Mineral Development Corporation at Hyderabad ...	132
798. धातुकर्मिक कोक के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Metallurgical Coke ...	132
799. सरकारी क्षेत्र के इस्पात कार-खानों में श्रमिक गड़बड़ी	Labour trouble in Public Sector Steel Plants ...	133
800. स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगाठ मनाने के सम्बन्ध में सुझाव	Suggestions regarding Celebration of 25th Year of Independence ...	134
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	134—135
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ...	135—136
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक :	Bills as Passed by Rajya Sabha	136
(एक) भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1972	Indian Telegraph (Amendment) Bill ...	137
(दो) धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1972	Rice Milling Industry (Regulation) Amendment Bill ...	137
दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय परिषदों के गठन के विषय में मंत्री के वक्तव्य के बारे में	Re : Statement by Minister on formation of College Councils under Delhi University ...	137—138

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
खान (संशोधन) विधेयक	Mines (Amendment) Bill	138
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee ...	138—139
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक	Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill ...	139
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee ...	139
नियम 377 के अधीन मामला	Matter Under Rule 377	140
समाचार पत्र कम्पनी विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार	Press Report Re. Newspaper Companies Bill, 1972 ...	140—142
उपदान संदाय विधेयक	Payment of Gratuity Bill	142
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair ...	142—144
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao ...	144—145
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	146
श्री रामसिंह वर्मा	Shri R. Verma ...	146—147
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe ...	147—149
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	149
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar ...	149—152
खंड 2 से 15 और खंड 1	Clauses 2 to 15 and 1	152
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	152
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	153—154
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	154
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	154—155
कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972	Coking Coal Mines (Nationalisation) Bill...	155

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
खंड 2 से 17	Clauses 2 to 17	155—158
सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion Re. Drought Situation	159
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ...	159—160
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	160—161
श्री एम० कल्याणसुन्दरम्	Shri M. Kalyanasundaram ...	161—162
श्री अनादि चरण दास	Shri Anadi Charan Das	162
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder ...	162—164
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	164
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ...	164—165
श्री शंकरराव सावन्त	Shri Shanker Rao Savant	165
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo ...	165—167
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ...	167—168
श्री शिवनाथ सिंह	Shri S. N. Singh ...	168
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Rana Banadur Singh ...	168—169
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra ...	169—170
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh ...	170
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	170
श्री कमल मिश्र 'मधुकर'	Shri K. M. "Madhukar"	171
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabhai Rao ...	171—172
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	172
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	172
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai ...	173
श्री सी० डी० गौतम	Shri C. D. Gautam ...	173

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री नटवरलाल पटेल	Shri Natwarlal Patel	173—174
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma	174
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe ...	174—175
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana ...	175—176
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman	176
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	176—177
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	177
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad ...	177—178
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. R. Gopal Reddy	178
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ram Shekhar Prasad Singh	178
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	179
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur ...	179
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik ...	17[illegible]
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	179—180
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	Shri R. P. Yadav ...	180
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	180
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh ...	180
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar ...	180
श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव	Shri N. P. Yadav ...	180—181
प्रो० एस० एल० सक्सैना	Shri S. L. Saksena	181
श्री अम्बेश	Shri Chhatrapati Ambesh	181
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	181
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi ...	181—182
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ...	182—183

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 3 अगस्त, 1972/12 श्रावण, 1894 (शक)
Thursday, August 3, 1972/Sravana 12, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ठेका मजदूर प्रणाली

+
*61. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में ठेका मजदूर प्रणाली में हुई चिन्ताजनक वृद्धि की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या ठेके के मजदूरों की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस प्रणाली के व्यापक प्रयोग को बन्द करने का है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि ठेका मजदूर (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 अब तक इस हानिकारक पद्धति को रोकने में अपर्याप्त सिद्ध हुआ है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) क्या ठेका श्रम अभि-वृद्धि पर है, इसके बारे में पूरी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। तो भी, ठेका श्रम प्रणाली की कोई विशिष्ट मिसाल सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले विशिष्ट प्रतिष्ठानों में ठेका-श्रमिको, जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिक शामिल हैं, के नियोजन को प्रतिबद्ध करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार, जहां कहीं आवश्यक हो, ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड से परामर्श करके विचार कर सकती है।

(ग) ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और उसके अधीन बनाई गई केन्द्रीय नियमावली हाल ही में लागू हुई। कुछ राज्यों को अधिनियम के अधीन अभी नियम बनाने हैं और उन्हें लागू करना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उच्च न्यायालयों में और, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में काफी संख्या में याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिनमें इस अधिनियम के अधिकार को चुनौती दी गई है। परिणामस्वरूप इस अधिनियम और इस नियमावली के प्रवर्तन में काफी सीमा तक बाधा पड़ी है। तो भी, किसी भी नए कानून का यह एक सामान्य लक्षण है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें इन याचिकाओं का मुकाबला कर रही हैं। न्यायालयों में दाखिल की गई याचिकाओं का निर्णय हो जाने के बाद ही इस अधिनियम के प्रभाव का सही मूल्यांकन किया जा सकता है तथा क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारी इस अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों का प्रवर्तन आरम्भ कर सकते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस समय सीधे केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत संस्थानों में और केन्द्रीय सरकार की देखरेख में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने ठेका मजदूर काम कर रहे हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : ये आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कम से कम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में तो उन्हें उत्तर देने की स्थिति में होना चाहिए।

श्री बालगोविन्द वर्मा : वे आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस अधिनियम के पास होने के बाद क्या श्रम मंत्रालय ने इस प्रकार मजदूरों की भरती को रोकने के लिए कहीं भी कोई कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जैसा कि मूल उत्तर में बताया गया है, हमने अभी-अभी इस अधिनियम के अन्तर्गत ठेका मजदूरों को नियमित करना आरम्भ किया है। हमारी अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत उन्हें एकदम समाप्त करना सम्भव नहीं है। यह पता लगाना भी बड़ा कठिन है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने ठेका मजदूर काम कर रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस अधिनियम के अन्तर्गत क्या श्रम मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र में ठेका मजदूरों की और भरती को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हमने इसे हाल ही में विनियमित करना प्रारम्भ किया है। ठेका मज़दूरों की भरती बन्द करने की कार्यवाही बाद में की जायेगी। इस समय वह नहीं की जा रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस अधिनियम के अतिरिक्त भारतीय श्रम सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया था कि ठेका मजदूर प्रणाली समाप्त कर दी जाये। क्या रेलवे तथा रक्षा मंत्रालय ने भी

इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को लागू नहीं किया है ? कम से कम क्या रेलवे तथा अन्य सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में ठेका मजदूर प्रणाली को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इस समय रेलवे, रक्षा अथवा अन्य सरकारी उपक्रमों में ठेका मजदूरों को बिलकुल समाप्त करना सम्भव नहीं है । हम यह देख रहे हैं कि रोजगार को सुचारु रूप से विनियमित किया जाये तथा कर्मचारियों को अपने प्राप्तव्य से बरी न रखा जाये ।

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय उपमंत्री ने कहा कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और वह उन्हें सभा को उपलब्ध कराएंगे । पर श्रम मंत्री कहते हैं कि इस प्रकार के आंकड़े रखना सम्भव नहीं है । जब स्थायी रूप से खपाने का प्रश्न आता है तो सामान्यतः ठेका मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है । यदि आंकड़े रखना सम्भव नहीं है, तो खपाने के समय यह तय करना कैसे सम्भव है कि कौन-सा ठेका मजदूर है और कौन-सा नैमित्तिक मजदूर है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मेरे सहयोगी का आंकड़े देने के प्रयत्न करने से अर्थ यह था कि नैमित्तिक अथवा ठेका मजदूरों को स्थायी रूप से खपाने के लिए किस सीमा तक काम पर लगाया जाये ।

दण्डकारण्य परियोजना कर्मचारियों की शिकायतें

*62. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों की उनके वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी शिकायतों के बारे में पता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन मांगों को तय करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) सरकार के पास दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों की उनके वेतनमानों आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायत निर्णय के लिए नहीं पड़ी हुई है ।

(ख) परियोजना प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की उचित कठिनाइयों को, जब कभी भी उन्हें परियोजना अधिकारियों के नोटिस में लाया जाता है, दूर करने के हमेशा प्रयत्न किए जाते हैं ।

श्री समर मुखर्जी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि उनके प्रतिनिधि मण्डल से मिलने और उनकी मांगों को पूरा करने से मना करने पर कर्मचारियों ने भूख हड़ताल का नोटिस दिया है ? क्या उन्हें उनकी मांगों की जानकारी है ? यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी एक मांग हलवाहों को तथा अन्य लोगों को, जिन्हें एक मुश्त प्रतिमाह 75 रुपये वेतन मिलता है सममान वेतन देने की है । यह उनकी एक बहुत पुरानी शिकायत है जबकि मंत्री महोदय का कहना है कि उनकी कोई भी शिकायत बहुत दिनों से बिना दूर किए नहीं पड़ी है । दूसरी बात

कार्य प्रभारित कर्मचारियों की छंटनी करने से सम्बन्धित है। इतने अधिक कर्मचारियों की छंटनी करना एक गम्भीर समस्या है। क्या मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने से मना कर दिया था ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमें इन दो मुद्दों पर भूख हड़ताल का नोटिस मिला है। वे दो हलवाहे, जिन्हें प्रति मास 75 रुपये दिए जा रहे हैं, न तो दण्डकारण्य परियोजना के नियमित कर्मचारी हैं और न ही कार्यप्रभारी कर्मचारी। वे नैमित्तिक कर्मचारी हैं। अतः उनका वेतन बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक कार्यप्रभारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है दण्डकारण्य परियोजना एक क्षेत्रीय संगठन है। जब किसी जगह काम समाप्त हो जाता है, तो कार्यप्रभारी कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ती है। चूंकि कुछ परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, इसलिए 257 कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी। मैं नहीं जानता कि सरकार उनकी नियमित नियुक्ति के लिए किस सीमा तक राजी हो सकती है।

श्री समर मुखर्जी : क्या सरकार उनको कोई वैकल्पिक रोजगार देने का प्रयत्न करेगी ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह कहना बहुत कठिन है क्योंकि वे कार्यप्रभारी कर्मचारी हैं नियमित कर्मचारी नहीं। यदि वे नियमित कर्मचारी होते तो वे किसी अन्य विभाग में चले जाते।

श्री एस० एम० बनर्जी : कार्यप्रभारी कर्मचारी भी मंत्रियों की तरह कर्मचारी हैं, कोई भी मंत्री स्थायी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों की तरह भी क्यों नहीं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : एक बात स्पष्ट है कि 257 कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। सभी 257 कर्मचारी स्थानीय हैं। आप स्थानीय लोगों की स्थिति से परिचित हैं। उनमें अधिकतर जनजातियों के हैं। दण्डकारण्य परियोजना पिछले 15-20 साल से चल रही है। मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि उन्हें देने के लिए उनके पास कोई वैकल्पिक काम नहीं है। उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जैसा मैंने बताया ये 257 कर्मचारी कार्यप्रभारी कर्मचारी थे। उन्हें किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अस्थायी तौर पर काम पर लगाया गया था। क्योंकि काम पूरा हो गया है, इसलिए उनकी छंटनी करनी पड़ेगी। जहां तक उन्हें दूसरा काम देने का प्रश्न है, उसके लिए रोजगार कार्यालय है। वे वहां अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, वे उनकी इसमें मदद करेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वे वहां कितने समय से काम कर रहे थे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या दण्डकारण्य कर्मचारी संघ ने, जो मान्यताप्राप्त है, यह मामला उठाया था कि इन कार्यप्रभारी कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को औद्योगिक या गैर-औद्योगिक कर्मचारी के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाये और क्या यह श्रेणी-विभाजन अभी तक नहीं किया गया है, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या उन्होंने भूख हड़ताल के अपने नोटिस में यह कहा है कि यह जानने के लिए कि क्या ये लोग फालतू हैं या नहीं उन्होंने प्रशासक से मिलकर चर्चा करने के लिए

10 या 12 बार प्रयत्न किया पर उन्होंने उनसे एक बार भी मिलने से मना कर दिया। इसी कारण उन्हें भूख हड़ताल का मार्ग अपनाना पड़ा। एक मान्यताप्राप्त मजदूर संघ के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने और कर्मचारियों को ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य करने पर वे प्रशासक जवाब-देही क्यों नहीं मांग रहे हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि क्या प्रशासक ने मिलने से मना किया था। मुझे स्थिति का पता लगाना पड़ेगा। यदि उसने मिलने से मना किया है तो निश्चय उसे मिलकर इन बातों पर चर्चा करने के निर्देश दिए जायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : औद्योगिक और गैर-औद्योगिक श्रेणीकरण के बारे में उनका क्या कहना है? इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है।

श्री आर० के० खाडिलकर : इन सब मामलों पर स्थानीय स्तर पर विचार किया जायेगा।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया दो लाइन का मूल उत्तर बड़ा अजीब और नौकरशाही की बू लिये है। यह बड़ा ही हृदयहीन है। पहले तो उन्होंने बताया कि कोई मामला विचाराधीन नहीं है, दूसरे उन्होने कहा कि यदि कोई मामला होता है तो परियोजना अधिकारी सामान्यत: उस सम्बन्ध में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात करते हैं। वे लोग शरणार्थी हैं। क्या 75 रुपये उनके और उनके परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त हैं? इसी कारण मैंने उत्तर को हृदय-हीन बताया है।

क्या 25 दिन की भूख हड़ताल के बाद उन्होंने मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया और उस अभ्यावेदन के आधार पर मंत्रालय ने मामला प्रशासक के पास भेजा और यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने मिलने और मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रशासक को 10-15 बार पत्र लिखा और क्या उसने उनसे मिलने और संयुक्त बैठक करने से मना कर दिया? उसने मामले को दबाना चाहा। क्या संयुक्त बैठक करने से मना करने पर कर्मचारियों ने अपने वेतन तथा अन्य सुविधाओं के लिए भूख हड़ताल का मार्ग अपनाया? क्या प्रशासक ने स्वयं दो बार इस बात को माना है कि उन्हें गलती से छोड़ दिया गया?

श्री बालगोविन्द वर्मा : दण्डकारण्य किसी न किसी रूप में एक स्वायत्तशासी अधिकरण है, हम उसमें हर समय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मामले पर प्रशासक को विचार करना है। जब प्रमुख प्रशासक मामले को सरकार के पास भेजता है तब वह हमारे हाथ में आता है। **(व्यवधान)**

श्री समर गुह : वहां तीन लाख से अधिक शरणार्थी हैं। यह क्या उत्तर हुआ कि जब तक प्रमुख प्रशासक उनके ध्यान में मामले को नहीं लाता? कमांडेन्टों के विरुद्ध शिकायतें हैं, बहुत से हटा दिए गये हैं। यह कौन-सा उत्तर हुआ?

अध्यक्ष महोदय : यह कैसा प्रश्न हुआ? आप भी अपने प्रश्न में खो गये हैं। मैं तो आपके प्रश्न में खो गया हूं।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने सभी तथ्यों को दबाया है। जब तक वे तथ्यों का तारतम्य नहीं बैठाते मैं उन्हें समझा नहीं सकता।

श्री बालगोविन्द वर्मा : मैं केवल इतना जान पाया कि वे यह पूछना चाहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करके मामले को तय क्यों नहीं करती है। दण्डकारण्य परियोजना एक स्वायत्तशासी अधिकरण है । उन्हें ही इस सम्बन्ध में विचार करना है । यदि वे हमें मामले को भेजेंगे, तो हम उस पर विचार करेंगे (**व्यवधान**) ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह आपकी नीति है कि मान्यताप्राप्त मजदूर संघों से बात न की जाये, जब तक कि मामला आपको भेजा न जाये ? यहां बड़ी अजीब बातें कही जा रही हैं। (**व्यवधान**)

श्री आर० के० खाडिलकर : स्वायत्तशासी अधिकरणों के सम्बन्ध में हमारा सामान्यतः यही व्यवहार रहता है । क्योंकि हमारे पास कुछ जानकारी है इसलिए हम भी प्रशासक से इस सम्बन्ध में बात कर रहे हैं । हम देखते हैं कि इससे भविष्य में क्या हो सकता है ।

दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार

*63. **डा० सरदीश राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या द्रुत गति से बढ़ रही है;

(ख) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में इस समय पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस बढ़ती हुई समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में (या समस्त देश में) शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी के आंकड़ों सहित बेरोजगारी के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । दिल्ली में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों (यह अनिवार्य नहीं कि सभी बेरोजगार हों) की संख्या से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष के अन्त में	रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1968	69,649
1969	85,062
1970	82,424
1971	76,582

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों की कार्यान्विति के फलस्वरूप सृजित रोजगार अवसरों के अतिरिक्त, वर्ष 1971-72 के दौरान शिक्षित व्यक्तियों के लाभ के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रमों सहित वर्ष 1970-71 से चलाई गई विशेष रोजगारोन्मुख परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों से अधिक संख्या में रोजगार अवसरों के सृजित होने की आशा है।

1972-73 के केन्द्रीय बजट में प्रारम्भिक शिक्षा, गन्दी बस्तियों का सुधार, देहाती आवास स्थल, ग्राम जल पूर्ति आदि जैसी विशिष्ट कल्याण परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि में विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए 60 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जो 1971-72 में शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को जारी रखने तथा देहाती एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नए कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए होंगे। इन परियोजनाओं से दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र सहित देश में शिक्षित बेरोजगारों को लाभ होगा। 1972-73 के दौरान दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए 30.55 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा परियोजनायें बनाई जा रही हैं।

डा० सरदीश राय : विवरण इस प्रकार दिया गया है, जिससे पता चलता है कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या घटी है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। रोजगार दफ्तरों में कितने स्नातकोत्तरों, स्नातकों, अवर स्नातकों और हाईस्कूल पास व्यक्तियों ने अपने नाम रजिस्टर कराए और पिछले वर्ष उनमें से कितने लोगों को काम दिया गया तथा वर्ष 1970 की तुलना में यह संख्या कितनी है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह एक बड़ी सूची है। क्या मैं इसे पढ़ूं या सभा-पटल रख दूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मात्र संख्या ही बता दीजिए।

श्री बालगोविन्द वर्मा : 1968 में 66,325 नाम दर्ज हुए। **(व्यवधान)**

श्री जगन्नाथ राव : पर विवरण में 69,000 दिया हुआ है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह आंकड़े वर्ष 1968-71 के हैं। 1971 में 80,790 नाम दर्ज हुए और 5516 को रोजगार दिलाया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पर ये आंकड़े विवरण दिए आंकड़ों से नहीं मिलते। **(व्यवधान)**

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : आंकड़ों में कोई गलती नहीं है। वे स्नातकों की संख्या जानना चाहते हैं। 1970 में कला स्नातक 5799··· **(व्यवधान)** मैं सभी की संख्या बतला रहा हूं। यह बहुत ही लम्बी सूची है। क्या सभी आंकड़े बताए जायें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाए।

श्री आर० के० खाडिलकर : हमारे पास पृथक्-पृथक् आंकड़े मौजूद हैं।

श्री सेझियान : मंत्री महोदय ने अभी जो आंकड़े दिये हैं वे विवरण में दिये गए आंकड़ों के साथ नहीं मिलते हैं। विवरण में वर्ष 1968 के आंकड़े 69,649 बताए गए हैं जबकि उन्होंने यहां

66,000 की संख्या बताई है, विवरण में 1971 के आंकड़े 76,582 हैं और वे इसे 80,000 बता रहे हैं। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं, कौन-से आंकड़े सही हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संभवत इस बीच बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई हो।

श्री आर० के० खाडिलकर : यहां बताए गये आंकड़े वर्तमान रजिस्टरों से लिए गए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यही बात आंकड़ों पर लागू होती है।

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई औचित्य नहीं है, आपको सदस्यों को दिये गए आंकड़ों का उद्धरण देना चाहिए, ऐसा स्पष्टीकरण क्यों दिया जा रहा है।

श्री आर० के० खाडिलकर : वर्तमान रजिस्टर में बहुत-सी श्रेणियां हैं जिससे कभी-कभी भ्रांति पैदा हो जाती है, मैं समूचे आंकड़े तथा उसका ब्यौरा सभा-पटल पर रखने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनको सभा-पटल पर रखा जा सकता है।

श्री पीलू मोदी : वे आंकड़ों में कमजोर हैं।

डा० सरदीश राय : मैं जानना चाहता था कि गत दो वर्षों में कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, उसी से मैं बेरोजगारी की स्थिति के बारे में जान सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था ? क्या आप उसे दुबारा पढ़ सकते हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : माननीय सदस्य जिन आंकड़ों की मांग कर रहे हैं वे हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : अभी आपने आंकड़ों की संख्या 5,000 बताई है··· (**व्यवधान**) यही वे चाहते हैं।

श्री बालगोविन्द वर्मा : यदि माननीय सदस्य वस्तुतः यह जानना चाहते हैं कि कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, तो मैं उन्हें बता सकता हूं। वर्ष 1971 में 5516 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

डा० सरदीश राय : क्या यह सत्य है कि बेरोजगार इंजीनियरों, स्नातकों तथा पूर्वस्नातकों के लिए रोजगार के अवसर गत तीन वर्षों में तुलनात्मक रूप से कम हो गए हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : वे अपना प्रश्न दुबारा पूछ सकते हैं। यदि वे इंजीनियरों, स्नातकों आदि के बारे में ब्यौरा चाहते हैं तो इसके लिए हमें पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी। इस समय इनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

डा० सरदीश राय : इस समय जो शिक्षित इंजीनियर, डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी बेरोजगार, हैं, गत तीन वर्षों में उनके लिए रोजगार के अवसरों में कमी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : रोजगार के अवसरों में कमी हुई है परन्तु इस विषय पर स्पष्ट वक्तव्य देना कठिन है। मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। एक विशेष समय पर इंजीनियरों की मांग होती है, उदाहरण के लिए इस समय सिविल इंजीनियरों की अधिक मांग है तथा मैकेनिकल और

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की कम है, इसलिए किसी एक समय पर इनकी मांग निर्धारित करना कठिन है ।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या यह सच है कि दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में नाम पंजीकृत कराने में, वहां के अधिकारियों द्वारा रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने में प्राथमिकता सूची के बिना रोजगार केन्द्रों में नाम भेजने आदि में भारी भ्रष्टाचार होता है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हमें इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं और हम उसकी जांच कर रहे हैं । कतिपय स्थानों पर ऐसी बातें हो सकती हैं, परन्तु सामान्य रूप से ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 1970 में कुल 82,424 बेरोजगार व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये थे, 1971 में इन आंकड़ों में कमी हुई है, इसका रहस्य क्या है ? क्या हम यह समझें कि दिल्ली में उनकी संख्या में कमी हुई है ? बेरोजगारों को रोजगार देने का क्या लक्ष्य था और क्या गत वर्ष उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : श्री वाजपेयी का प्रश्न युक्तिसंगत है, उन्होंने पूछा है कि इनकी संख्या में क्यों कमी हुई है, मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे हुई है ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न 'क्यों' न होकर 'कैसे' हुई है के बारे में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं कहते हैं कि यह कम हुई है ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : जी हां, उन्होंने पूछा है कि इसकी संख्या क्यों कम हुई है । प्रत्येक वर्ष कुछ व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है । प्रत्येक वर्ष या उससे भी कुछ कम अवधि में बेरोजगार व्यक्ति को अपने दर्ज नाम का नवीकरण कराना पड़ता है जिससे हमें पता चले कि उसे रोजगार नहीं मिला है । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसे रोजगार प्राप्त हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इतना लम्बा उत्तर देंगे तो इससे भी अनुपूरक प्रश्न पैदा हो जायेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं जानना चाहता था कि क्या रोजगार के अवसरों में कमी हुई है ? इस बारे में लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था तथा क्या उपलब्धि हुई है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : शिक्षित बेरोजगारों के विषय में यह कहना है कि हमने उपलब्ध आंकड़े दिये हैं, इस बारे में कोई आंकड़े अथवा लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं । आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है परन्तु यथासंभव अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है, कोई भी नहीं कह सकता है कि सबको रोजगार मिलेगा, यह संभव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब, अगला प्रश्न ।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं इस पर एक महत्त्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है, पहले ही आधा घंटे से अधिक समय समाप्त हो गया है, परन्तु हम बहुत थोड़े प्रश्नों पर विचार नहीं कर सके हैं ।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरा एक अति महत्त्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न है, गत वर्ष के बजट में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए 1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी···

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री पीलू मोदी : 5000 रोजगारों की व्यवस्था करने के लिए 50 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई थी । आप समझते हैं कि यह लाभप्रद संगठन है ।

श्री के० एस० चावड़ा : वर्ष 1971-72 में 1.50 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, मैंने उनको अनुमति नहीं दी है ।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या प्रत्येक प्रश्न के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठने में कितना समय लेंगे ।

श्री के० एस० चावड़ा : जानकारी के आधार पर···

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें ।

श्री के एस० चावड़ा : मैं जानकारी हेतु जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक प्रश्न के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि मैं उसी के अनुसार अपना प्रश्न पूछूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अध्यक्ष को डराने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे उसको डांट रहे हैं, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष क्या करे···

श्री पीलू मोदी : इसका अर्थ दूसरा भी हो सकता है ।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री पीलू मोदी चुप होकर नहीं बैठ सकते हैं ।

श्री पीलू मोदी : मैं केवल यही शिकायत कर रहा हूं कि मुझे कई अवसर पर डांटा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई ऐसे विशालकाय व्यक्ति को डांट सकता है ?

श्री पीलू मोदी : केवल लोक-सभा का अध्यक्ष ऐसा कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल करने के लिए बोनस अधिनियम में संशोधन

+
*64. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री ए० पी० शर्मा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा, रेलवे, डाक व तार तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के नेताओं ने

बोनस की अदायगी के लिये इन विभागों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल करने के लिए बोनस अधिनियम में संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या बोनस समिति भी इस प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) और (घ) अभी तक सरकारें मांग को स्वीकार करने में असमर्थ रही हैं। तथापि, श्रम और रोजगार विभाग की संसद सलाहकार समिति की एक सिफारिश के प्रत्युत्तर में, सरकार, इस मामले पर आगे विचार करने जा रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : 24 मार्च, 1972 को हुई संयुक्त परामर्शदात्री समिति की गत बैठक में परिषद के अध्यक्ष ने कहा था कि यदि समिति नियुक्त की गई तो रेलवे कर्मचारी और सीधे सरकार के अन्तर्गत विभागीय उपक्रमों में कार्य कर रहे अन्य औद्योगिक कर्मचारियों का मामला समिति को सौंपा जायेगा। अब चूंकि समिति की नियुक्ति की गई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि संयुक्त परामर्शदात्री समिति, जिसकी बैठक 24 जुलाई को हुई थी, कि सर्वसम्मति से की गई सिफारिश समिति को विचारार्थ भेजी जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : बोनस की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है जिसे स्पष्ट विषय विचारार्थ सौंपे गये हैं। परामर्शदात्री समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिश को, जैसा कि मैंने उनको आश्वासन दिया है, सरकार के ध्यान में लाया जायेगा ताकि वे जो निर्णय करना चाहें, उसको कर सकते हैं, मैंने ऐसा एकदम कभी नहीं कहा कि यह बोनस की समीक्षा करने वाली समिति को सौंपा जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कहा है कि सर्वसम्मति से की गई सिफारिश सरकार को भेजी जायगी। मुझे आशा है कि यह पहले ही सरकार को भेज दी गई है। परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि 28 अथवा 29 जुलाई को संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके नेता श्री ए० पी० शर्मा ने इस विरोध मामले पर बहिर्गमन किया था ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि रक्षा, रेलवे तथा अन्य कर्मचारियों में यह असंतोष बढ़ रहा है तथा उनका यह विचार है कि इसको बोनस अधिनियम में शामिल किया जाये और बोनस की समीक्षा की जाये और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है कि सरकार समिति को, जिसकी नियुक्ति की गई है, यह मामला भेजेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने समाचारपत्रों में श्री ए० पी० शर्मा द्वारा बहिर्गमन किये जाने का समाचार पढ़ा है। मैं जानता हूं कि कई स्थानों पर इस मामले पर असंतोष भड़का है और हमने इस बात को ध्यान में रखा है।

श्री ए० पी० शर्मा : भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ ने सबसे पहले श्रम मंत्री द्वारा आयोजित बम्बई त्रिपक्षीय सम्मेलन में रेलवे कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस देने की मांग की थी, तद्द्वारान्त सरकारी प्रतिनिधि ने संयुक्त परामर्शदात्री समिति से यह कहा था कि :

> "बोनस भुगतान करने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के औद्योगिक कर्मचारियों को लाने तथा अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम बोनस को बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और सरकार इन मामलों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने पर विचार कर रही है ।"

सरकार द्वारा श्रमिक विवादों को हल करने हेतु नियुक्त किये गये इस उच्चतम कोरम में सरकार ने यह वचन दिया था । इस सभा में प्रश्न 882 का उत्तर देते समय श्रममंत्री ने कहा था कि वेतन आयोग इसको ध्यान में रखेगा । अब वे श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सर्व-सम्मति से की गई सिफारिश की बात कर रहे हैं, यह सब बातें, क्रमवार, कही जा रही हैं परन्तु मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इस प्रश्न को बोनस आयोग को भेजने को तैयार है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस मामले में सर्वसम्मति से मांग की गई थी और मुझे सरकार को यह मांग भेजने का अनुरोध किया गया था जो मैंने कर दिया है, मैं स्वयं ऐसा नहीं कर सकता हूँ । सरकार ने विचारार्थ विषय तैयार किये हैं और सरकार को निर्णय करना पड़ेगा ।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में कि हम यह स्पष्ट कहने की स्थिति में क्यों नहीं हैं कि क्या हम इसको अभी भेजेंगे तो इस समय हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें समूची अर्थ-व्यवस्था और इसको सौंपने से होने वाले भार को ध्यान में रखना है । इस बारे में कोई स्पष्ट उत्तर देने से पूर्व इन सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि किसी मधु दंडवते ने इसी विषय पर पहले ही इस सभा में गैर-सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किया था और क्या सरकार इसका समर्थन करेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इस सम्बन्ध में उपयुक्त समय पर निर्णय किया जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The people and the Government are concerned with the continuous increase in prices. Keeping this increase in prices in mind the subject of Bonus has assumed much importance. But the Government have not taken any appropriate decision in this matter for the last many days and neither legislation has been enacted. I want to know whether the Government is going to take decision on this matter in the near future so that all sections of labours of the country get immediate benefit.

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य का कहना सही है कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के बारे में उनकी चिन्ता से हम सहमत हैं । परन्तु जहां

तक बोनस का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि यह इससे कैसे सम्बन्धित है। ऐसे उपाय निकालने पड़ेंगे जिससे कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके, मैं ऐसे सुझाव का स्वागत कर सकता हूं।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस मामले पर निर्णय न लेने से औद्योगिक तथा व्यापारिक सेवाओं के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बोनस समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अन्तरिम सिफारिशों का लाभ नहीं मिलेगा ?

श्री आर० के० खाडिल्कर : बोनस समीक्षा समिति इस विषय पर जो भी निर्णय लेगी उसकी सिफारिशों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वे अन्तरिम प्रतिवेदन भेजेंगे अथवा नहीं।

Refugees From Sind

+

*65. **Shri Hari Singh :**

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of refugees who crossed over to India from Sind during the recent Indo-Pak conflict and thereafter and the names of the places where they are staying along with their number at each place;

(b) the steps taken or proposed to be taken for their timely rehabilitation;

(c) whether they apprehend danger to their life and property in Pakistan in case they return to Pakistan; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma) : (a) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(b) The question of rehabilitating the refugees from Sind in India does not arise.

(c) It is understood from the State Governments that some of the refugees are apprehending danger to their life on return to Pakistan.

(d) Being Pakistani nationals they have a right to go back to their hearths and homes in Pakistan.

Statement to be Laid on the Table of the Lok Sabha in Reply to Part (a) of Starred Question No. 65 Due for Answer on 3-8-1972

(i) No. of refugees who have so far crossed over to India in Rajasthan/Gujarat	52,619
(ii) No. of refugees out of (i) above	

		Name of the place	No. of refugees
(a) who have been admitted in camps	15,390		
		Rajasthan	
		(a) Barmer	8,717
		(b) Jaisalmer	60
		Gujarat	
		(c) Zura	1,899
		(d) Suigam	3,396
		(e) Tarad	1,318
		Total :—	15,390
(b) who are residing with their friends and relatives in villages	24,039	**Rajasthan**	
		(a) Barmer	18,918
		(b) Jaisalmer	169
		Gujarat	
		(c) Kutch (d) Banaskantha	4,952
(c) who have been sent back	13,190		

श्री हरीसिंह : क्या कुछ शरणार्थियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे भारत में बसना चाहते हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा उसने क्या निर्णय किये हैं ? इसी संदर्भ में मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान को वापिस जाने के इच्छुक शरणार्थियों के प्रश्न के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रश्न के पहले भाग को नहीं समझा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनमें से कुछ ने यहां रहने की इच्छा व्यक्त की है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : उनके यहां ठहरने की इच्छा व्यक्त करने का प्रश्न नहीं है, तथ्य यह है कि उनका नाम विदेशी नागरिकों के रूप में पंजीकृत है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह पिछली बार बता दिया गया था कि इन मामलों में हमारी सरकार ने राष्ट्रपति भुट्टो के साथ क्या बातचीत की थी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The figures of refugees pertaining to Rajasthan are not correct and I am sorry to say that the Rajasthan Government submitted different figures to the Assembly and to the Central Government. According to figures submitted in Assembly

the total number of refugees who came in Rajasthan is 15780 and according to your statement their total number is 8717 and the number in Barmer and Jaisalmer is 60. Why there is discrepency in the figures ? Further, whether the Hon. Minister is aware of the sad plight of the refugees residing in Camps ? The Central Government have allotted Rs. 4 lakhs and 82 thousands but out of it only Rs. 1 lakhs and 22 thousand have been spent which means the expenditure per refugee is 7 paise in four months. I have just visited refugee camps (**interruption**)......May I know whether the Hon. Minister will depute an official of the Centre to see the refugee Camps in Rajasthan and whether he would ensure that until the issue is resolved, they will not be allowed to die of diseases, they would get ration in time and their need of expenses would be met ? The Rajasthan Government is not performing its duties and, therefore, whether the Central Government would take up this responsibility ?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य दो दिन पूर्व मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे राजस्थान के उन क्षेत्रों में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में बताया जहां शरणार्थी शिविरों में ठहरे हुए हैं। आंकड़ों में भिन्नता के बारे में पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हमने आंकड़े दे दिये हैं। उनका नाम दर्ज किया हुआ है और वे शिविरों में हैं, कई शरणार्थी अपने निकट सम्बन्धियों के साथ ठहरे हुए हैं।

जहां तक प्रश्न के राशन तथा अन्य शिकायतों वाले भाग का सम्बन्ध है, हमने उनके दल के एक सदस्य से समाचार मिलते ही तुरन्त उसके साथ एक अधिकारी भेजा है। मैंने माननीय सदस्य को स्वयं अपनी रिपोर्ट और रिकार्ड से आश्वस्त किया है कि हमने राजस्थान सरकार को अर्थात् राज्य सरकार को राशन, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं के बारे में उपयुक्त उपाय अपनाने के लिए पूरे अधिकार दिये हैं। यदि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और यदि वह मामला मेरे ध्यान में लाया गया तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री विश्वनाथ राय : शिमला समझौते को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने शरणार्थियों को सुरक्षित रूप से पाकिस्तान वापिस जाने के बारे में कोई प्रस्ताव रखा है अथवा सुझाव दिया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : पिछले दिन सभा में यह कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ समझौता तथा अन्य बातचीत जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री के बीच हुई थी, को देखते हुए वे यह विचार कर रहे हैं कि शरणार्थियों को वापिस ले लिया जाना चाहिए तथा उन्हें पुनः बसाना चाहिए परन्तु जहां तक हमारा संबंध है, मैं यहां स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता हूं। स्थिति यही है। इस प्रश्न को उठाने से, अनावश्यक रूप से कभी-कभी भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। हमारा प्रयास यही है कि वे शरणार्थी वापस चले जाएं और सुरक्षा की भावना के साथ वहां पर बस जायें।

श्री के० एस० चावड़ा : विवरण में यह कहा गया है कि 13190 शरणार्थियों को पाकिस्तान में वापस भेज दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें पाकिस्तान में कब वापस भेजा गया है।

श्री आर० के० खाडिलकर : दुर्भाग्य से, माननीय सदस्य सम्पूर्ण स्थिति का गलत अध्ययन कर रहे हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : यह विवरण में दिया गया है।

श्री आर० के० खाडिलकर : कब्जे में किये गये प्रदेश में हमने शरणार्थी शिविर स्थापित किये थे और ये शरणार्थी लोग वहां भेजे गये थे। स्थिति यही है।

आपकी अनुमति से मैं एक उत्तर को शुद्ध करना चाहता हूं। श्री वाजपेयी ने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया था।

अध्यक्ष महोदय : आपको सदैव ही एक-दूसरे को माननीय सदस्य कहकर ही सम्बोधित करना चाहिए; यह एक अच्छी परम्परा होगी।

श्री आर० के० खाडिलकर : हमने 24.82 लाख रुपये की राशि मंजूर की है और राजस्थान सरकार ने अब तक 15.29 लाख रुपये खर्च किये थे।

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र की स्टेनलेस स्टील-क्षमता का सेलम स्थित नये इस्पात संयंत्र में स्थानान्तरण

*66. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र की स्टेनलेस स्टील क्षमता का सेलम के प्रस्तावित नये संयंत्र में स्थानान्तरण किया जायेगा।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या इस समय मिश्रित इस्पात उत्पादन में स्टेनलेस स्टील सबसे अधिक लाभदायक मद है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या दुर्गापुर संयंत्र के उत्पाद-मिश्र में प्रस्तावित इस परिवर्तन से दुर्गापुर संयंत्र के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि ठण्डी बेलित बेदाग इस्पात की चादरों का कुल उत्पादन कुल मांग का केवल बहुत थोड़ा भाग है और चूंकि इसके मूल्य पर नियंत्रण नहीं है अत: इस समय मिश्र-इस्पात की मदों में इसका उत्पादन सबसे अधिक लाभदायक है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इसका मैं यह निष्कर्ष निकाल लूं कि मूल परियोजना में दिये गये उत्पाद-मिश्र के सन्दर्भ में दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र की निर्धारित क्षमता में इस समय किसी तरह का कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : दुर्गापुर में मिश्रित इस्पात संयंत्र के उत्पादन में विस्तार करने का एक प्रस्ताव है जिसमें अनिवार्यत: उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन लाने, कुछ बातों में सुधार लाने और कुछ क्षेत्रों को जोड़ना भी शामिल है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं इसका यह अर्थ लगा लूं कि दुर्गापुर में अधिष्ठापित बेदाग इस्पात के उत्पादन संयंत्र को वहां से स्थानान्तरण करने का कुछ समय पूर्व जो प्रस्ताव था वह अब नहीं है ? उन्होंने पहले ही कहा है कि इसे सेलम में स्थानान्तरित नहीं किया गया है। क्या दुर्गापुर के संयंत्र में बेदाग इस्पात की अप्रयुक्त क्षमता का इसकी निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्योंकि दुर्गापुर से संयंत्र स्थानान्तरण नहीं हो रहा है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेलम संयंत्र के निर्माण कार्य में तेजी लाई जायेगी और यदि हां, तो इसमें उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मुझे इस समय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार चलना है और मैं यह जानकारी दे सकता हूं वस्तुतः जिसकी सम्बद्धता श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा किये गये प्रश्न से नहीं है··· **(अन्तर्बाधाएं)** माननीय सदस्य को इतना बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। सेलम इस्पात संयंत्र के निर्माण में तेजी लाने के लिये प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से पता चलता है कि से सेलम संयंत्र को अब दुर्गापुर से बेदाग इस्पात संयंत्र उपलब्ध नहीं होगा, अतः मिश्रित इस्पात अथवा बेदाग इस्पात की, दक्षिण में विशेष रूप से जहां इस इस्पात की उत्पादन क्षमता नहीं है, कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? दुर्गापुर उत्तर के काफी पास है और दक्षिण से बहुत दूरी पर है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे मैं नहीं ग्रहण कर पाया हूं क्योंकि दिये गये उत्तर को उन्होंने ठीक तरह से नहीं समझा है। उत्तर में यह नहीं कहा गया है कि सेलम में बेदाग इस्पात का उत्पादन नहीं होगा। अपितु यह कहा गया है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की वर्तमान क्षमता को सेलम में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा जिसका आशय यह नहीं है कि सेलम में अतिरिक्त बेदाग इस्पात की क्षमता नहीं होगी। सेलम में बेदाग इस्पात की क्षमता, मेरी स्मरण-शक्ति के अनुसार, 70,000 मीट्रिक टन की है।

श्री समर गुह उठे···

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ आधा मिनट ही लीजिये क्योंकि हमने अभी तक केवल 5 प्रश्न ही निपटाये हैं।

श्री समर गुह : यह प्रश्न सेलम में क्षमता के स्थानान्तरण का नहीं है। यह प्रश्न सीमलेस स्टील के बारे में है···

एक माननीय सदस्य : शेमलेस स्टील ? **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कार्यकारी संघ ने 12 जून को मंत्री महोदय को एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा गया

है कि सेलम के हित को संकट में डाले बिना ही दुर्गापुर संयंत्र में बेदाग इस्पात की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना सम्भव है और यह बेदाग इस्पात किस्म और मूल्य को देखते हुए वाणिज्यिक स्तर का होगा और यदि हां, तो इस ज्ञापन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, मैं उनके प्रश्न को संकेतों और सभी मुद्राओं के द्वारा पूरी तरह समझने में असफल रहा हूं। लेकिन अपनी पूरी योग्यता के आधार पर मैं इसका उत्तर दूंगा। मिश्रित इस्पात संयंत्र के वर्तमान उत्पादन को, जो 100,000 पिण्ड मीट्रिक टन का है, बढ़ाकर 300,000 पिण्ड मीट्रिक टन करने का एक प्रस्ताव है। इसमें मिश्रित संरचनात्मक इस्पात के उत्पादन को 29,000 पिण्ड मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1,61,850 पिण्ड मीट्रिक टन करना भी शामिल होगा। इसमें सीमलेस ट्यूब संयंत्र स्थापित करना भी शामिल है जिसमें 74,500 मीट्रिक टन सीमलेस ट्यूब का उत्पादन होगा। मेरी जानकारी में स्टील की कोई ऐसी किस्म नहीं है जिसे शेमलेस स्टील कहते हैं। इसे सीमलेस स्टील अथवा स्टेनलेस स्टील कहते है। जो अनुमान हमने लगाया है, उसके अनुसार दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र में उत्पाद-मिश्र की यह सबसे अधिक लाभदायक मद है क्योंकि यदि हम बेदाग इस्पात के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो दुर्गापुर की वर्तमान ब्लूमिंग मिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जब कि दूसरी ओर यदि हम कार्बन कंस्ट्रक्शनल स्टील के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो इसका उपयोग किया जा सकता है और किया जायेगा।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता है।

श्री समर गुह : मैंने कहा है कि मंत्री महोदय को दिये गये विस्तृत ज्ञापन में यह बताया गया है कि सीमलेस स्टील की अपेक्षा 60,000 मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जा सकता है और यह अधिक लाभदायक होगा। इसके लिए इसमें पूरे तर्क दिये गये थे।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : अत्यधिक विनम्रता और अत्यन्त आदर के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि मैंने जो उत्तर दिया है उसे वह समझने की कोशिश करें। मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि दुर्गापुर में मिश्रित संरचनात्मक इस्पात और कार्बन संरचनात्मक इस्पात का विस्तार और सीमलेस ट्यूब संयंत्र की स्थापना करना उत्पाद-मिश्र की सबसे लाभदायक मद है। हम वहां पर स्थित ब्लूमिंग मिल का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। कागजों को हाथ में लेकर दिखाने से यह जरूरी नहीं है कि मामला स्पष्ट हो जाये···

श्री समर गुह : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री समर गुह : मैंने ज्ञापन का उल्लेख किया है। लेकिन उन्होंने अपने उत्तर में···

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। यदि वह इसी तरह बोलते रहेंगे तो मैं किसी बात को रिकार्ड पर जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री समर गुह : मैंने अपने प्रश्न में ज्ञापन का उल्लेख किया है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में उत्तर देने के लिये मैं मंत्री महोदय से नहीं कहूंगा। कृपया वह बैठ जायें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

कुछ माननीय सदस्य : प्रश्न काल के दौरान ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जी हां, प्रश्न काल के दौरान ही। श्रीमान्, प्रश्न काल के दौरान आप कोई टीका-टिप्पणी करने अथवा व्यंग्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिये सदस्यों को मना करते हैं। तो क्या यह मंत्रियों के लिये लाजिमी नहीं है कि वे किये गये प्रश्नों पर कोई टीका-टिप्पणी न करें अथवा किन्हीं व्यंग्यात्मक कथनों को न कहें। आप देख रहे हैं कि मंत्री महोदय ने बहुत ही अशिष्ट उत्तर दिया है··· (अन्तर्बाधाएं) जैसे आप सदस्यों की प्रताड़ना करते हैं, वैसी ही प्रताड़ना आपको मंत्री महोदय के लिये करनी चाहिये। मंत्री महोदय को इस तरह से अशिष्ट उत्तर नहीं देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अत्यन्त भावुक हैं।

श्री समर गुह : मैं सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूं कि मेरे प्रश्न का संबंध ज्ञापन से है··· (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिये बार-बार कहना पड़ता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्रीमान्, मंत्री महोदय को इस तरह के कथन नहीं कहने चाहिये। इस तरह के अशिष्ट उत्तर के लिये आपको मंत्री महोदय की प्रताड़ना करनी चाहिये। जब आप सदस्यों को अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हैं तो क्या आप मंत्रियों को भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिये नहीं कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध करता हूं। कृपया अपनी सीमा में रहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सीमा क्या है ? आप मंत्रियों को तो सीमा में रहने के लिए नहीं कहते हैं लेकिन हमें ऐसा करने के लिये कहते हैं। इसके लिए हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन वह इसी तरह का व्यवहार करते हैं। उन्हें प्रतिदिन ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय की ओर से कहे गये अत्यन्त अशिष्ट कथन के बारे में आप क्या कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप हमसे शान्त रहने की आशा नहीं कर सकते हैं···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहुत अशिष्ट हो रहे हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री को उनके कथनों के लिए प्रताड़ना करनी चाहिए। मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आप अपना निर्णय क्यों नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या कृपया आप बैठ जाएंगे ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपको इसका अवलोकन करना चाहिये। अध्यक्ष से हम इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं करते हैं··· (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : सदस्य द्वारा पीठासीन अधिकारी की अवज्ञा की जा रही है। इसे मैं सहन नहीं करूंगा··· (**अन्तर्बाधा**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष द्वारा अपनाये गये इस रवैये को हम भी सहन नहीं करेंगे··· (**अन्तर्बाधा**) मंत्री महोदय द्वारा दिये गये अशिष्ट उत्तर के प्रति हम विरोध प्रकट करते हैं··· (**अन्तर्बाधा**)

श्री के० एस० चावड़ा : श्रीमान्, आपका कार्य यहां पर सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा करने का है··· (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मेरे पास उनका नाम लेने के सिवाए और कोई वैकल्प नहीं है··· (**अन्तर्बाधा**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप मंत्री महोदय की प्रताड़ना क्यों नहीं करते हैं··· (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन यह सज्जन पुरुष अपनी सीट से उठकर मुझे डराने का प्रयास करते हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं—(**अन्तर्बाधा**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : किस प्रकार की चेतावनी ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन वह ऐसा कर रहे हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल के दौरान उठाया गया था।

श्री के० एस० चावड़ा : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें निर्णय देने का अधिकार नहीं है··· (**अन्तर्बाधा**) निर्णय देना अध्यक्ष का कार्य है। प्रतिदिन वह इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आखिर, इसकी भी तो कोई सीमा है।

श्री पीलू मोदी : क्या आप इस बात को जानते हैं कि प्रतिनिधि ऐसा क्यों हो रहा है··· (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री पीलू मोदी : मैं जानता हूं कि क्या आप संसद का कार्य संचालन बिना विरोधी दलों के करना चाहते हैं। लेकिन देश में चाहे आप पसन्द करें या नहीं, विरोधी दल बने रहेंगे। (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो यह मान लें··· (**अन्तर्बाधा**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम इसे सहन नहीं करेंगे··· (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : क्या 5 अथवा 6 अथवा 8 सदस्यों से प्रतिदिन आप इस प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं ? (**अन्तर्बाधा**) मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं। प्रत्येक बात की सीमा होती है। हम केवल पांच प्रश्नों को ही निपटा सके हैं। प्रतिदिन अवज्ञा की जाती है। क्या आप समझते हैं कि 5 अथवा 6 अथवा 8 सदस्य प्रतिदिन उठकर सदन में अशान्ति का वातावरण उत्पन्न कर दें ? (**अन्तर्बाधा**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप सदा ही पुलिस की भाषा में बात करते हैं। यह अध्यक्ष की भाषा नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे विचार से जिस तरह श्री मोहन कुमारमंगलम् ने उत्तर दिया है शायद, उस उत्तर देने के ढंग को श्री मिश्रजी ने ठीक नहीं माना है। आप श्री मोहन कुमारमंगलम् को श्री मिश्रजी को संतुष्ट करने के लिए कह सकते थे। किसी प्रकार की अवज्ञा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपने कहा है कि हम प्रतिदिन उठते हैं। हम यहां पर प्रतिनिधि उठने के लिए ही तो आते हैं। आप विरोधी दलों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : किसी निर्णय को देने के बारे में अथवा किसी विशेष बात को करने के बारे में आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते हैं··· **(अन्तर्बाधा)** प्रत्येक बात की कुछ तो सीमा होनी चाहिए।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : क्या माननीय सदस्य मुझे बोलने का अवसर प्रदान करेंगे ? पिछले 10 मिनटों से मैं बोलने का अवसर खोज रहा हूं··· **(अन्तर्बाधा)**

श्री पी० एम० मेहता : माननीय मंत्री महोदय की इस सदन में इस ढंग से बोलने की आदत बन चुकी है। उन्हें यह भली-भांति समझ लेना चाहिए कि वह सदस्यों को इस तरह से उत्तर नहीं दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय तीन बार उठे हैं··· **(अन्तर्बाधा)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सदन में 54 मंत्री हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री मोहन कुमारमंगलम् के कहने के ढंग से कभी-कभी प्रसन्नता के स्थान पर दुःख की अनुभूति होती है। मामले की सच्चाई पर नहीं अपितु जिस ढंग से वह इसका उत्तर देते हैं, उस पर रोष की भावना पैदा हो जाती है। उन्होंने श्री समर गुह को कुछ ऐसी बात कही है··· **(अन्तर्बाधा)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, आपको मंत्री महोदय की भी प्रताड़ना करनी चाहिये। आप उनका बचाव कर रहे हैं··· **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : किस बात के लिए उनकी प्रताड़ना करूं ? **(अन्तर्बाधा)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप श्री समर गुह के साथ उलझ रहे थे क्योंकि आपके विचार से उनका प्रश्न बहुत विस्तृत था। जिस समय श्री मोहन कुमारमंगलम् उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, उस समय व्यवस्था के प्रश्न पर श्री मिश्रजी उठे। कुछ समय के लिए हम इस बारीकी को भूल जायें कि प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है अथवा नहीं। **(अन्तर्बाधा)** मंत्री महोदय द्वारा अपने उत्तर के अन्त में श्री समर गुह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने जो यह टिप्पणी की थी कि 'कागजों को हाथ में लेकर ऊपर उठा देने से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है' उसकी ओर वह आपका ध्यान दिला रहे थे। मंत्री महोदय द्वारा कहे गये इस कथन को सदस्यों ने निस्सन्देह अपवाद के रूप में लिया है। इसी बात की ओर वह आपका ध्यान दिला रहे थे। आपको मंत्रियों की भी प्रताड़ना करनी चाहिये। मुझे नहीं मालूम है कि यहां पर इस तरह का हंगामा क्यों खड़ा हो

गया है। एक सही बात की ओर वह आपका ध्यान दिला रहे थे। शोर के कारण, उन्होंने जो कुछ कहा था, उसे मेरे विचार से आप समझ नहीं पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को अवसर दिया था। वह अभी भी बोल रहे थे। उसी समय व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर श्री मिश्रजी उठे। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा··· **(अन्तर्बाधा)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं उनके उत्तर देने के बाद उठा··· **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्रियों के प्रति भी इससे दस गुना कठोर रुख अपनाया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप सदा ही सदस्यों की प्रताड़ना करते हैं।

श्री समर गुह : मैं आधे मिनट के लिये ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जब मैंने 'सीमलेस' शब्द का प्रयोग किया था तो मुझे 'सीमलेस स्टील' और 'स्टेनलेस स्टील' के मध्य अन्तर के बारे में पता था। मुझ इसका इतना प्रारंभिक ज्ञान तो है। लेकिन, श्रीमान् उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है—'शेमलेस का क्या अर्थ है ?' जैसा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं आपसे बैठने के लिये कहता हूं तो आप क्यों नहीं बैठते हैं ? जब आपने प्रश्न को पूछ लिया है तो आप बार-बार क्यों उठते हैं। **(अन्तर्बाधा)**

श्री समर गुह : मंत्री महोदय द्वारा इस तरह की टिप्पणी करने पर क्या आप क्रोधित नहीं होंगे ? मैं रसायन विज्ञान का छात्र रहा हूं और वह मेरा इस तरह से उपहास कर रहे हैं मानों मुझे 'सीमलेस' शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब भी मैं आपको बोलने का समय देता हूं तो मुझे सोचना पड़ता है कि आपको बैठाने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप हमेशा इधर-उधर की बातें करने लगते हैं। कोई भी इस बात पर खीझ सकता है।

श्री समर गुह : मैंने एक अथवा दो प्रश्नों से अधिक प्रश्न नहीं पूछे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपने पंजाब सरकार से अनेक प्रश्न नहीं पूछे थे ?

अध्यक्ष महोदय : हम विरोधी दल में होते हुए भी बहुत अच्छा व्यवहार करते थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे मालूम है कि पंजाब विधान सभा में किस तरह का विरोध होता था। इस तरह की आम टिप्पणी करना अच्छा नहीं है **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : मैं विरोधी दल में रहा हूं। हमने इस तरह का व्यवहार नहीं किया था।

श्री पी० एम० मेहता : श्री मोहन कुमारमंगलम् की आदत सदस्यों का मजाक उड़ाने की है। आप कृपया उनसे सदन में समुचित व्यवहार करने के लिये कहें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निष्पक्षता से, आप उन्हें माफी मांगने के लिए कहें··· **(अन्तर्बाधा)**

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं इसके लिये खेद व्यक्त करता हूं क्योंकि मेरा आशय माननीय सदस्य की भावना को चोट पहुँचाना नहीं था। चर्चा के दौरान हम इन बातों को कह और सुन लेते हैं और पिछले बीस मिनटों के दौरान इस बात को कहने के लिये मैं अवसर की ताक में हूं। सभी माननीय सदस्यों के प्रति अत्यन्त सम्मान प्रकट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कोई अपमानजनक बात नहीं कही है। सामान्य चर्चा के दौरान प्रायः हम एक दूसरे के साथ मजाक करते

हैं। मेरा आशय मजाक उड़ाना नहीं था और मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है और मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं। मेरी केवल यह इच्छा है कि प्रश्न के उत्तर की चर्चा के दौरान जब इसमें कुछ सजीवता आ सकती है तो हमें बहुत भावुक नहीं होना चाहिये। इस ओर हम भावुक न होने का प्रयत्न करते हैं और दूसरी ओर के माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे बहुत भावुक मत हों। मुझे इतना ही कहना है **(अन्तर्बाधा)**

Shri Hukam Chand Kachwai : You should ask to the Minister to apologise. Why you are afraid of him ?

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे को सदन की भावनाओं के अनुसार चलना होगा। यदि वे संक्षेप में नहीं कहना चाहते हैं और किसी बात को पसन्द न करने पर वे अपने ढंग से इसे तोड़-मरोड़ करके कहते जाते हैं। मैं दोनों पक्षों से ऐसा न करने का अनुरोध करूंगा।

श्री पीलू मोदी : हम किसी के भाषा के उच्चारण का मजाक नहीं उड़ाते हैं जैसा शेमलेस और सीमलेस को लेकर किया गया है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : किसी बात का मजाक उड़ाने के बारे में मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। माननीय सदस्य को ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है **(अन्तर्बाधा)** मेरा अनुरोध है कि जब इस तरह की टिप्पणी अगली बार की जाये तो हास्य का ऐसा वातावरण फिर हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे इस तरह की टिप्पणी न करने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस खलबली के कारण, हम अगले प्रश्न को पूछने का अवसर प्राप्त नहीं कर सके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, अब मेरी बारी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, नहीं अब सभापटल पर पत्र रखे जाएंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TQ QUESTION

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा

*67. **श्री रोबिन सेन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कार्य करते हुए कर्मचारियों पर उपद्रवी तत्वों द्वारा बहुधा हमला किया जाता और उन्हें डराया-धमकाया जाता है; और

(ख) कारखाने के बाहर और कारखाने के अन्दर कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रबन्धकों ने क्या उपाय किए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं। यद्यपि हाल ही में कारखाने के अन्दर छुरेबाजी तथा हमले की कुछ घटनाएं हुई हैं तथापि यह कहना ठीक नहीं है कि कार्य-समय में कर्मचारियों पर उपद्रवी तत्वों द्वारा बहुधा हमले किये जाते हैं तथा उन्हें डराया-धमकाया जाता है।

(ख) सामान्यत: सारे कारखाने में राज्य सशस्त्र पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा गश्त आरम्भ कर दी गयी है। कारखाने के दरवाजों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों का पहरा रहता है जो इस बात की जांच करते हैं कि केवल प्राधिकृत कर्मचारी ही कारखाने में प्रवेश कर सकें। जहां तक बस्ती का सम्बन्ध है कानून और व्यवस्था बनाये रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथा जब भी आवश्यक होता है प्रबन्धक राज्य सरकार की सहायता लेते हैं।

Release of Indian Journalist, Deepak Banerjee, Kidnapped by Pak Army

*68. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Government of India have ascertained facts about Shri Deepak Banerjee, an Indian journalist, who was kidnapped by the Pakistani soldiers from Indian territory; and

(b) if so, the nature thereof and the steps taken for his release ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b) The question of the release of Deepak Banerjee was taken up with Pakistan a number of times during the months of April to July, 1971. However, there was no reply from Pakistan to our notes on the subject. In November, the Government of India proposed to the Government of Paklstan that there should be an exchange of civilians of either country held in the other. Deepak Banerjee's name was included in the list we forwarded to Pakistan in pursuance of this proposal.

Consequent on the emergence of Bangladesh as a Sovereign Independent Republic the Indian High Commission in Dacca was requested to ascertain the whereabouts of Deepak Banerjee. However, no information could be obtained.

The Government has since seen the news report in the Times of India of June 11th stating that Deepak Benerjee was shot dead by Pakistanis soon after his kidnapping. The Government has requested the High Commission of India, Dacca, to enquire about the veracity of the contents of the Times of India article and has also requested Shri Kolpe, President of the Indian Federation of Working Journalists, who has been quoted by the Times of India as the source of information, for further details.

केरल में इस्पात का वितरण

*69. श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :

श्री एन० श्रीकान्तर नायर :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कृषि उपकरण निर्माताओं को, अपरीक्षित सरियों तथा हाई कार्बन स्टील की सप्लाई न मिलने के कारण महीनों तक मजदूरों को जबरन छुट्टी देनी पड़ी; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इन वस्तुओं की नियमित सप्लाई के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) इस्पात की आम कमी है और यह कमी कुछ हद तक केरल राज्य में भी अनुभव की जा रही है। जहां तक मजदूरों की जबरन छुट्टी का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अपरीक्षित रेल की पटरी और हाई कार्बन इस्पात की अनुपलब्धि के कारण कुछ कृषि उपस्कर तैयार करने वाली इकाइयों ने कुछ मजदूरों की ज़बरन छुट्टी करने की घोषणा की है।

(ख) इस मामले में सामग्री की कमी मुख्यत: उपलब्ध अपरीक्षित रेल की पटरी को अन्य उच्च प्राथमिकता-प्राप्त उपयोक्ताओं, जैसे राज्य-विद्युत् बोर्डों को उनके ग्राम विद्युतीकरण और सिचाई की छोटी योजनाओं के कार्यक्रम के लिये, देने के कारण हुई। फिर भी, प्रयुक्त रेल की पटरी, जो न्यायालय के आदेश से हाल में मुक्त की गयी है, की कुछ मात्रा कृषि-उपस्कर तैयार करने वाली इकाइयों में वितरित की जा रही है। वास्तव में केरल की तुरन्त प्रार्थना पर केरल को 1000 टन प्रयुक्त रेल की पटरी पहले ही आवंटित की जा चुकी है जो यथासमय उनके हिस्से में से काट ली जायेगी।

Indo-United States Relations

*70. **Shri Dhan Shah Pradhan :**

Shri H. M. Patel :

Will the Minister or External Affairs be pleased to state:

(a) whether the personal emissary of Mr. Nixon met the Prime Minister in the first week of July, 1972;

(b) if so, whether any talks were held for strengthening Indo-United States relations or in regard to assistance from United States of America; and

(c) if so, the results thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Mr. John B. Connally, Special Emissary of President Nixon, met the Prime Minister on July 5, 1972 at Simla.

(b) & (c) Talks covering a wide range of topics, were held. The discussions were of a 'Confidential' nature. It is not customary to reveal the results or nature of such confidential talks.

कलकत्ता में रूस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता

*71 **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनोई जाते हुए रूस के राष्ट्रपति ने उनसे 14 जून, 1972 को कलकत्ता में बातचीत की थी और यदि हां, तो उनसे हुई बातचीत का स्वरूप क्या था;

(ख) क्या वियतनाम की स्थिति के बारे में भी कुछ बातचीत हुई थी और उस क्षेत्र में शान्ति के लिए भारत ने अपनी सेवाओं की पेशकश की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री श्री स्वर्णसिंह : (क) और (ख) जी हां। वियतनाम का मसला उन विषयों में से एक था जिस पर बातचीत हुई।

(ग) यह बातचीत गोपनीय थी और इस तरह की बातचीत की मुख्य-मुख्य बातें अथवा उसका ब्यौरा नहीं बताया जाया करता है।

Deposits of Coal in Jharkhand and Rourkela Mines.

*72. **Shri M. S. Purrty :** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether there are rich deposits of coal in the Mines of Jharkhand and Rourkela but the said deposits of coal are given to contractors and many unauthorised small contractors for distribution in an arbitrary manner as a result of which Government suffer huge loss; and

(b) if so, whether Government have paid attention towards it and conducted any survey and if not, whether Government would conduct any survey and make efforts to explore coal deposits in the country ?

The Minister of Steel and Mines (Shri S. Mohan Kumaramangalam) : (a) and (b) It is presumed that the reference relates to Kodla and Jharkhand Mines located in west Bokaro Coalfield. Presently the Bihar Government has been appointed as a Receiver by the Subordinate Court, Hazaribagh and they are reported to have appointed several private parties as coal raising contractors. The N. C. D. C. has carried out detailed drilling and prospecting in this area and proved reserves of about 607 million tonnes, some of which has coking properties. As a result of discussions held with the Chief Minister of Bihar, the N. C. D. C. has been entrusted with the task of preparation of a project report for integrated coal mining in this area so that the Corporation can ultimately work these areas.

कुछ विदेशों के साथ नान-वीजा करार

*73. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके हाल के विदेश यात्रा मिशन में कितनी सफलता प्राप्त हुई ;

(ख) क्या पोलैंड के साथ-साथ कुछ अन्य देशों के साथ भी 'नान-वीजा' करार होने की सम्भावना है ; और

(ग) सहमत होने वाले देशों को 'नान-वीजा' समझौते के अतिरिक्त और क्या लाभ होंगे ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हाल की 18 दिन की यात्रा में पोलैंड, सेनेगल, सियरा लिओन, गिनी, लाइबेरिया, नाइजीरिया और यू० के० का दौरा किया था। इस बीच लंदन और काहिरा के नेताओं से भी बातचीत करने का मौका मिला था। इन सभी देशों की सरकारों के साथ परस्पर हित के अनेक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इस यात्रा के फलस्वरूप इस उपमहाद्वीप की स्थिति के बुनियादी पहलुओं को ज्यादा अच्छी तरह समझा है तथा शिमला शिखर सम्मेलन में हुए समझौते का स्वागत किया गया है और उप-महाद्वीप में स्थायी शांति की दिशा में एक सुदृढ़ कदम कहा गया है। इन देशों में से प्रत्येक के साथ भारत के औद्योगिक और आर्थिक सहयोग की नई सम्भावनाओं पर भी विचार हुआ था।

(ख) पोलैंड के साथ समझौता, वीजा समाप्ति के लिए नहीं है अपितु पारस्परिक आधार पर वीजा शुल्क समाप्ति के लिए है। वीजा शुल्क समाप्ति के लिए सोवियत संघ, हंगरी, ग्रीस, ईरान सहित कई अन्य देशों के साथ भी भारत के ऐसे ही समझौते हैं। अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर वीजा और या वीजा शुल्क समाप्ति का प्रश्न सरकार द्वारा निरन्तर विचाराधीन है।

(ग) वीजा और या वीजा शुल्क की समाप्ति के द्विपक्षीय समझौतों से सद्भाव पैदा होता है, मित्रता के संबंध दृढ़ होते हैं और इससे दुतरफा पर्यटन में भी वृद्धि होने की आशा है।

बोनस पुनरीक्षण समिति

*74. **श्री सी० जनार्दनन् :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस पुनरीक्षण समिति के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या समिति द्वारा कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 28 अप्रैल, 1972 को समिति गठित की गई थी। श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को सुनने के लिए इसने बैठकें की थीं और 31 जुलाई, 1972 से 2 अगस्त, 1972 तक मालिकों के प्रतिनिधियों से मिलना नियत हुआ था।

(ख) और (ग) एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रश्न का निर्णय लेने के लिए समिति की 10 और 11 अगस्त, 1972 को बैठक नियत हुई है।

बीड़ी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय मजूरी ढांचा

*75. **श्री बनमाली पटनायक :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून के अन्त में मैसूर में हुए छः राज्यों के श्रम मंत्रियों के द्विव-दिवसीय सम्मेलन

में सरकार से यह मांग की गई थी कि देश के बीड़ी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय मजूरी ढांचा निर्धारित करने के लिए शीघ्र अखिल भारतीय श्रम मंत्री सम्मेलन आयोजित किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजूरी के विषय में मैसूर में 24 और 25 जून, 1972 को हुई छः राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) इस सम्मेलन के निर्णयों को देश के शेष राज्यों, जहां बीड़ी उद्योग विद्यमान है, के ध्यान में लाया गया है । उनकी स्वीकृति ले लेने के पश्चात्, इस उद्योग के लिए मजूरी ढांचा तैयार करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कार्यवाही की जाएगी ।

विवरण

सम्मेलन निम्नलिखित पर सर्वसम्मति से सहमत हुआ :—

(I) (क) बीड़ी उद्योग के संबंध में मजूरी की न्यूनतम दरें देश के सारे राज्यों में एकसम होनी चाहिएं, जिसमें विभिन्न राज्यों और हरेक राज्य के बीच में 1000 बीड़ियों को बेलने में, 10-20 पैसे से अधिक के अन्तर की अनुमति न हो, इन दरों को सभी राज्यों में एक ही तारीख से लागू करना चाहिए और इनको समय-समय पर एक ही तारीख को संशोधित किया जाना चाहिए ।

(ख) भारत सरकार से यह निवेदन किया जाय कि इन मामलों को, जिनकी इस सम्मेलन में सहमति हुई है, बाकी राज्यों के साथ, जो कि सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे के बारे में बातचीत करे ताकि बीड़ी उद्योग के बारे में समान मजूरी की दरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक समझौते पर पहुंचा जाय ।

(ग) उपरोक्त बातों पर अखिल भारत आधार पर समझौता हो जाने के बाद, जिस उद्देश्य के लिए भारत सरकार इस समझौते को यथा शीघ्र पूर्ण करने की दृष्टि से शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर सकती है, मजूरी की असली दरों को उद्भूत करने के लिए सरकारी स्तर पर ब्यौरेवार बातचीत की जानी होगी ।

(II) सम्मेलन सर्वसम्मति से इससे भी सहमत हुआ कि निश्चित की जाने वाली मजूरी की अन्तिम दरों में संबंधित श्रमिकों के लिए जिन्हें 1000 बीड़ियां प्रतिदिन बेलनी होती हैं, मालिक द्वारा कच्चे माल की कम पूर्ति की अवस्था में गुजारे लायक मजूरी के भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

कम्प्यूटरों का उद्योगों पर प्रभाव

*76. **श्री सरोज मुखर्जी :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरों के उपयोग से उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गठित समिति से केन्द्रीय सरकार को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदन में कहा गया है कि कम्प्यूटरों के उपयोग के परिणामस्वरूप रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में कमी हो सकती है; और

(ग) क्या सरकार उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करेगी और उद्योगों में कम्प्यूटरों के उपयोग पर रोक लगायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने यह टिप्पणी की है कि "यद्यपि कम्प्यूटरों के रायज किए जाने के कारण कोई सीधी छंटनी नहीं हुई, तथापि फर्मों में तुरन्त रूप से उपलब्ध नौकरियों की संख्या में कमी हुई क्योंकि प्राकृतिक हानि के परिणामस्वरूप रिक्त हुए स्थानों को कम्प्यूटरकृत विभागों के फालतू कर्मचारियों को संयोजित करके भरा गया ।"

(ग) समिति की रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

पुनर्वास विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताएं

*77. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कथित अनियमितताओं और गलतियों के लिए पुनर्वास विभाग के सात अधिकारियों से जवाब-तलब किया था;

(ख) क्या तीन वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी आयोग को कोई उत्तर नहीं भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर भेजने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के स्पष्टीकरणों को अब केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है ।

(ग) यह विलम्ब कुछ सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने स्पष्टीकरण देरी से देने तथा कुछ विभाग द्वारा उनके स्पष्टीकरण की सम्बन्धित फाइलों के सन्दर्भ में छानबीन करने के कारण हुआ है ।

इस्पात के लिए नियंत्रक कम्पनी

*78. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाली नियन्त्रक कम्पनी के प्रस्ताव को ठोस रूप प्रदान करने हेतु किन्हीं आधारभूत बातों के बारे में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) इस्पात और सम्बद्ध अन्तर्गामी उद्योगों के लिये होल्डिंग कम्पनी को ठोस रूप देने के लिये सरकार ने कई आधार-

भूत बातों पर निर्णय ले लिये हैं। यह फैसला कर लिया गया है कि इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन कौन-कौन से सरकारी संस्थान होल्डिंग कम्पनी में शामिल किये जायेंगे। यह भी फैसला किया गया है कि जहां तक कम्पनी को सौंपे गये कार्यों का सम्बन्ध होगा होल्डिंग कम्पनी का अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य करेगा। कम्पनी के लिए उपयुक्ततम प्रबन्धात्मक ढांचा कैसा हो और इसके एक ओर सरकार के साथ तथा दूसरी ओर इसकी सहायक कम्पनियों और सरकारी वित्तीय संस्थानों जिनके निजी क्षेत्र के लोहा और इस्पात सेक्टर और सम्बद्ध अन्तर्गामी उद्योगों में हिस्से हैं, के साथ सही-सही क्या सम्बन्ध हों आदि कुछ अन्य विषयों पर अभी निर्णय लेने बाकी हैं।

मानवीय पर्यावरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

*79. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सीधे नियंत्रण में पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रम चलाने के लिये एक नियंत्रण परिषद् बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री श्री स्वर्णसिंह : (क) जी हां।

(ख) इस परिषद् में 54 सदस्य होंगे जो समुचित भौगोलिक विभाजन के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे। यह परिषद् आम सभा को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के माध्यम से हर वर्ष रिपोर्ट देगी।

शासी-परिषद् के प्रमुख कार्य एवं दायित्व निम्नांकित होंगे :—

पर्यावरण के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना तथा आम नीति निर्देश करना, समय-समय पर पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मंगवाना और उनकी समीक्षा करना, विश्व-पर्यावरण की परिस्थितियों को समीक्षाधीन रखना, पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने तथा उनके मूल्यांकन एवं आदान-प्रदान में सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अन्य व्यावसायिक समुदायों के बीच सहयोग बढ़ाना, विकासशील देशों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्बन्धी नीतियों एवं उपायों के प्रभावों को निरन्तर समीक्षाधीन रखना तथा प्रस्तावित मानवीय पर्यावरण निधि के साधनों के उपयोग के कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा करना और उस पर स्वीकृति देना।

(ग) भारत सरकार इन सुझावों का स्वागत करती है।

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में बागान श्रमिक अधिनियम का उल्लंघन

*80. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान कई मजदूर संघों द्वारा पश्चिम बंगाल और आसाम के चाय बागानों में बागान श्रमिक अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतों की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) बागान श्रम अधिनियम, 1951 राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है। असम सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें (1) असम चाय मजदूर संघ और (2) कछार चाय श्रमिक संघ से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन्होंने शिकायतों की जांच कर ली है और कुछ चाय बागानों के बारे में अनियमितताओं को ठीक कर लिया गया। अन्य मामलों में अभियोजन दायर कर दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल से सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

कम्पनियों में नियुक्त सेवा निवृत्त अधिकारी

601. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय सेवा, इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन और लन्दन स्टोर डिपार्टमेंट से निदेशकों और उनसे ऊंचे पद के सेवा निवृत्त हुए उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विभिन्न कम्पनियों में रोजगार प्राप्त किया है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और क्या सेवा निवृत्ति से पूर्व ये अधिकारी इन कम्पनियों से किसी न किसी रूप में सरकारी तौर पर लेन-देन करते थे; और

(ग) इन कम्पनियों में इस प्रकार रोजगार प्राप्त करने के लिये किन-किन मामलों में सरकार की अनुमति ली गई थी ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) निदेशक और उनसे ऊंचे पद के किसी भी अधिकारी ने, जो पिछले 2 वर्षों के दौरान सेवा निवृत्त हुए थे, गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी स्वीकार करने की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है और इसलिए सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनमें से किसी ने सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना किसी कम्पनी में नौकरी प्राप्त की हो।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नीलेश्वर में नमूनों से बाक्साइट अंश का अनुमान लगाने के तरीके का पुनर्विलोकन

602. **श्री वयालार रवि** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलेश्वर में नमूनों में बाक्साइट की प्रतिशतता का अनुमान लगाने का वर्तमान तरीका दोषपूर्ण है और 40 प्रतिशत बाक्साइट वाले नमूनों को उनमें बाक्साइट की मात्रा वाणिज्यिक दृष्टि से अपर्याप्त बनाकर, नामंजूर किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार अर्हता प्राप्त रसायनज्ञों की समिति द्वारा बाक्साइट की मात्रा का पता लगाने के तरीके का पुनर्विलोकन करवाने और इस संबंध में उनकी इस आशय की स्पष्ट सिफारिश प्राप्त करने का है कि बाक्साइट निकालने के लिये उचित प्रतिशतता क्या हो।

(ग) क्या अनुमान लगाने के दोषपूर्ण तरीके के कारण अनेक नमूने पहले ही इस आधार पर रद्द कर दिये गये हैं कि उनमें बाक्साइट की अपेक्षित मात्रा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मतभेद होने के कारण क्या सरकार का विचार अब तक किये गये विश्लेषण का पुनर्विलोकन करने का आदेश देने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। नीलेश्वर के बाक्साइट नमूनों के मूल्यांकन की वर्तमान पद्धति दोषपूर्ण नहीं है। भारतीय मानक संस्थान की विनिर्दिष्टताओं के अनुसार, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बाक्साइट का औचित्य निर्धारण करने हेतु न्यूनतम ऐलूमिना अंश 45% और 48% के मध्य होना चाहिए। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण नीलेश्वर क्षेत्र में 40% ऐलूमिना अंश के बाक्साइट नमूनों का मूल्यांकन कर रहा है जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम 5% कम है। 4% ऐलूमिना अंश से कम की सामग्री भारतीय मानक संस्थान की विनिर्दिष्टताओं के अनुसार अस्वीकार की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवाचकों के लिय राष्ट्रीय विवाचन (आर्बिट्रेशन) संवर्धन मंडल के मार्गदर्शी सिद्धान्त

603. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विवाचन (आर्बिट्रेशन) संवर्धन मंडल ने नई दिल्ली में जुलाई के प्रथम सप्ताह में हुई अपनी हाल की बैठक में विवाचकों के लिये नये मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये थे और 300 विवाचकों से अधिक नामों की एक तालिका का अनुमोदन किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विवाचन संवर्धन द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति और अनुमोदित विवाचकों के नामों की तालिका की एक प्रति सभापटल पर रखी जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) नई दिल्ली में 3 जुलाई, 1972 को हुई राष्ट्रीय विवाचन उन्नयन मंडल की पांचवीं बैठक में मध्यस्थों के लिए मार्गदर्शनों के मसौदे पर बातचीत की गई थी। मंडल ने यह तय किया कि स्मरण पत्र के मसौदे को विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए पुनः बनाया जाना चाहिए और संशोधित मसौदे को मंडल की अगली बैठक में उसके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाए।

मंडल ने 324 मध्यस्थों की एक नामिका भी जारी की है, जिसकी प्रतियां संसद की लाइब्रेरी को पहले ही भेज दी गई हैं।

राष्ट्रीय मध्यस्थता संवर्धन बोर्ड की बैठक

604. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मध्यस्थता संवर्धन बोर्ड की जुलाई, 1972 के पहले सप्ताह में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई थी और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने राष्ट्रीय मध्यस्थता संवर्धन बोर्ड की बैठक में भाग लिया था;

(ग) उसमें क्या अन्तिम निर्णय लिये थे; और

(घ) क्या उन निर्णयों का सारांश सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां; इस बोर्ड की पांचवीं बैठक नई दिल्ली में 3 जुलाई, 1972 को हुई।

(ख) से (घ) उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही की प्रतियां, जिनमें केन्द्रीय श्रममन्त्री का उद्घाटन भाषण, स्वेच्छिक मध्यस्थ-निर्णय के विभिन्न पहलुओं पर हुआ सामान्य विचार-विमर्श, बैठक में लिए गये विशिष्ट निर्णय, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के नाम, इत्यादि दिये गये हैं, संसद के पुस्तकालय में भेजी जा चुकी है।

दंडकारण्य परियोजना के अन्तर्गत बसाये गये शरणार्थियों को भूमि का स्वामित्व देना

605. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंडकारण्य परियोजना के अन्तर्गत बसाये गये शरणार्थियों में से बहुत सों को अभी भू तकम का स्वामित्व नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) स्वामित्व का अधिकार (पट्टा) उड़ीसा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना है। पट्टों के आवेदन-पत्र तैयार करने की पद्धति यह थी कि दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारी नक्शे और अलग-अलग एलाटमेंट के रजिस्टर तैयार करते हैं तथा उन्हें राज्य सरकार के राजस्व कर्मचारियों को सौंप देते हैं जो उक्त नक्शों और रिकार्ड के आधार पर पट्टे तैयार करते हैं। फिर भी पट्टों के अन्तिम निपटान में निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हो गया :—

(i) भूमि में सुधार करने के लिए भूमि समतल करने तथा भूमि पर मेंढे बांधने की योजना पर लाभ पाने वाले परिवारों द्वारा एक एकड़ भूमि छोड़नी पड़ती है और इस प्रकार इन परिवारों की कृषि भूमि में परिवर्तन हो गया ;

(ii) उन क्षेत्रों में कृषि भूमि के कुछ पुनर्समायोजन पर प्रभाव पड़ेगा जो परियोजना द्वारा शुरू की गई माध्यमिक तथा लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत आते हैं। उन परिवारों की भूमि को कुछ कम कर दिया गया जिनके पास सिंचाई वाली भूमि है ;

(iii) समय-समय पर प्रवासियों के भाग जाने के परिणामस्वरूप भागने वाले परिवारों द्वारा छोड़ी गई भूमि नए बसने वालों को फिर से वितरित करनी पड़ती है।

(iv) तकनीकी सलाह के आधार पर भूमि की उपयुक्तता की पद्धति में परिवर्तन हो गया है और यहां तक कि 12 इंच गहरी मिट्टी वाली भूमि को भी अब कृषि के लिए उपयुक्त समझा गया है। संशोधित पद्धति से वर्तमान गांवों में और कृषि भूमि खोजना

जरूरी हो गया है और इससे बसने वालों की वर्तमान कुछ भूमि में पुनर्समायोजन करना जरूरी हो गया है ;

(v) बंगला देश के बन जाने से परियोजना क्षेत्र से परिवारों का बहुत बड़ी संख्या में भागना शुरू हो गया और मार्च 1972 के अन्त तक इस प्रकार की भगदड़ से अनिश्चितता की स्थिति जारी रही। परिवारों के फिर आ जाने और भागने वाले परिवारों की भूमि के पुर्नवितरण के कारण तैयार किए गए प्रारम्भिक रिकार्ड और नक्शों में अब काफी परिवर्तन करने होंगे।

उपर्युक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप दण्डकारण्य परियोजना कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए रिकार्ड और पट्टों के आवेदन-पत्र अशुद्ध हो गए हैं और फिर से सर्वेक्षण करना आवश्यक हो गया है। दण्डकारण्य प्रशासन परियोजना कृषि भूमि तथा नये रिकार्ड और पट्टे के आवेदन-पत्र तैयार करने के लिए पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही कर रहा है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के उत्पादन में कमी

606. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बत ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा बिहार में इण्डियन कॉपर कारपोरेशन घाटसिला संयंत्र का नियंत्रण अपने हाथ में लिये जाने के बाद तांबे के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) क्या उत्पादन में कमी के लिये उच्च अधिकारी और प्रबंधक कर्मचारी जिम्मेदार हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। दिसम्बर, 1971 में घाटसिला में एक नया स्फुरण प्रद्रावक चालू किया गया था। प्रद्रावक में प्रारम्भिक कठिनाइयां हो जाने के कारण जनवरी और फरवरी, 1972 के दौरान विस्फोट ताम्र का उत्पादन केवल 111 टन और 273 टन क्रमशः हुआ। भारतीय ताम्र निगम के उपक्रम का प्रबन्ध सरकार द्वारा 10 मार्च, 1972 को ग्रहण किया गया था। मार्च 1972 और अप्रैल 1972 के दौरान विस्फोट ताम्र का उत्पादन क्रमशः 624 टन और 614 टन था। मई के दौरान विस्फोट ताम्र का उत्पादन 753 टन था और जून, 1972 के दौरान यह 1114 टन तक बर्धित हुआ। इस प्रकार हिन्दुस्तान ताम्र निगम के उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के पश्चात् ताम्र के उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई है। वास्तव में प्रबन्ध ग्रहण करने के पश्चात् उत्पादन में सुधार हुआ है।

यद्यपि नए स्फुरण प्रद्रावक की संचलनात्मक त्रुटियां पूर्णतः दूर नहीं हुई हैं, यह सुनिश्चित करने हेतु कि संयन्त्र अपनी निर्धारित क्षमता शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर ले, हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड ने प्रभावात्मक कदम उठाए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

घाटसिला स्थित हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में भर्ती

607. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 जून, 1972 को हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटसिला में रोजगार देने के लिये बाहर के लोग लाये जाने के क्या कारण थे जबकि स्थानीय अर्हताप्राप्त लोग 500 रुपये से कम के मासिक वेतन पर काम करने के लिये काफी अर्से से रोजगार प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते रहे ;

(ख) क्या 12 जून, 1972 को प्रबन्धकों द्वारा बाहर से लाये गये लोगों और स्थानीय उम्मीदवारों के बीच मुठभेड़ हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय ताम्र निगम लिमिटेड के उपक्रम में भर्ती अधिकरण के पंचाट के अनुसार की जा रही है। इस पंचाट के अनुसार, भर्ती के संबंध में प्रथम अधिमान, उपक्रम के वर्तमान कर्मचारियों के सम्बन्धियों को प्राप्त है और केवल इस श्रेणी में उपयुक्त अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बिहार राज्य के निवासियों को तदनन्तर अधिमान दिया जाता है। उपक्रम के पिछले प्रबन्ध द्वारा इसी पंचाट का अनुसरण किया जा रहा था और हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड भी इसी पंचाट का अनुसरण कर रहा है।

(ख) जी हां, हाथापाई हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को मामूली-सी चोट आई।

(ग) चूंकि हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड घाटसिला में नियुक्तियां, अधिकरण के पंचाट के निबन्धनों के अनुसार कर रहा है अतः सरकार द्वारा मामले में आगे कार्रवाई किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, खान के राष्ट्रीयकृत किए जाने के पश्चात् प्रश्न की पुनः जांच की जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा डाक्टरों की मांगें

608. **श्री शशिभूषण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टरों ने अपनी कुछ मांगें पेश की हैं तथा उनके समर्थन में आन्दोलन किया था ; और

(ख) इन डाक्टरों की मांगें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा अधिकारी एसोसिएशन, दिल्ली ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन 26.5.1972 को निगम को भेजा है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भेजा गया एक विवरण जिसमें मांगें और उन पर की गई कार्यवाही दर्शाई गई है, संलग्न है।

विवरण

चिकित्सा अधिकारी एसोसिएशन, दिल्ली, की मांगें और उन पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

मांग	की गई कार्यवाही
(1) कर्मचारी राज्य बीमा भत्ते का 100/- रुपये से 200/- रुपये प्रति मास तक बढ़ाया जाना।	कर्मचारी राज्य बीमा भत्ते को जारी रखने / बढ़ाने के प्रश्न पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उसकी अगली बैठक में विचार किया जाना है जिसके शीघ्र ही बुलाए जाने की संभावना है।
(2) घरों में जाने का भत्ते का 50 रुपये प्रति मास से 200 रुपये प्रति मास तक बढ़ाया जाना।	इस मामले पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा लाभ परिषद् द्वारा उसकी अगली बैठक में विचार किया जाएगा।
(3) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में चिकित्सा अधिकारियों की संख्या का बढ़ाया जाना।	चिकित्सा अधिकारियों की संख्या में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने हेतु कार्यभार का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में खानों के लिए लाइसेंसों का जारी किया जाना

609. **श्री प्रताप सिंह नेगी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के कम विकसित विदर्भ क्षेत्र की खानों के नाम क्या हैं ; उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता क्या है तथा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें किस-किस तिथि को लाइसेंस दिये गये ;

(ख) गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) उनमें से प्रत्येक खान को पर्याप्त विस्तार के लिये पिछली बार मंजूरी कब दी गई ; और

(घ) क्या उत्पादन में कमी हुई है ? यदि हां, तो प्रत्येक खान के उत्पादन में कितनी-कितनी कमी हुई है तथा इसके यदि कोई कारण हैं, तो क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी अभिदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3239/72]

विश्व बैंक ऋण विस्तार कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य की कोयला खानों द्वारा भाग लेना

610. **श्री प्रताप सिंह नेगी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 के विश्व बैंक ऋण विस्तार कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य की कितनी कोयला खानों ने भाग लिया ;

(ख) उनमें से प्रत्येक खान तथा उनके मालिकों के नाम क्या हैं तथा उत्पादन में कितनी वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया ;

(ग) उनमें से प्रत्येक ने कितनी मशीनों तथा उपकरणों का आयात किया है तथा शेयर पूंजी में कितनी वृद्धि की ; और

(घ) उनमें से प्रत्येक ने कितना उत्पादन किया और यदि उत्पादन में कमी हुई तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) छ: कोयला खानें।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3240/72]

Licence for Digging out Earth for Building and Brick Making Purposes In Madhya Pradesh

611. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether it is necessary to obtain a licence from Government for digging out earth for building and brick making purposes in Madhya Pradesh;

(b) if so, whether this earth-sand has also been included in the category of mines; and

(c) whether an ordinary person has to face difficulty in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Mining of Copper in Madhya Pradesh

612. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the progress made so far in regard to the mining of copper in Balaghat area of Madhya Pradesh; and

(b) the action proposed to be taken to expedite the implementation of this important scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) & (b) At present Geological Survey of India is carrying out intensive exploratory programme in collaboration with Hindustan Copper Limited at Malanjkhand in Balaghat District

in Madhya Pradesh. Geological Survey of India has already proved 23 million tonnes of ore reserves with average Copper content of 1.16%.

At present, 9 drills have been deployed in this area so that more ore reserves can be proved as early as possible.

Hindustan Copper Limited have set up a base-camp at Malanjkhand. An experienced Mining Engineer has also been posted. Hindustan Copper Limited have recently submitted a Preliminary Feasibility Report which is under the active consideration of the Government.

आसाम के चाय बागानों में ठेके के श्रमिक

614. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के चाय बागानों के मालिक स्थायी श्रमिकों के स्थान पर अधिक से अधिक केदारों के श्रमिक लगा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) असम सरकार ने सूचित किया है कि स्थायी श्रमिकों के रोजगार के बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात् स्थायी श्रमिकों के स्थान पर ठेकेदारों के श्रमिक नहीं रखे जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लेडो बोरगोल्ला और मारघेरिटा के कोयला खान श्रमिक संघ से अभ्यावेदन

615. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों की शिकायतों के बारे में लेडो-बोरगोल्ला और मारघेरिटा के कोयला खान श्रमिक संघों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) असम कोलियरी मजदूर कांग्रेस और असम कोल माइन्स वर्कर्स यूनियन ने निम्नलिखित मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल के नोटिस दिए थे :—

(1) असम रेलवेज और ट्रेडिंग कम्पनी कोलियरियों के बारे में कोयला खनन उद्योग में केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन ।

(2) 19 दिसम्बर, 1966 से खाद्यान्नों की रियायती सप्लाई के उन्मूलन के कारण नकद प्रतिकर की तुरन्त अदायगी ।

केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तन्त्र के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप 1-7-72 को पक्षों के बीच एक समझौता हो गया ।

Economy in Expenditure in Indian Embassies

616. **Shrimati V. R. Scindia** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the nature of the steps taken for effecting economy, increasing efficiency in all the Indian Embassies and for making them responsive and sympathetic towards Indians living in foreign countries and the results thereof; and

(b) the future plan in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Economy in the working of Indian Missions abroad is effected by tight budgetary control and reduction of posts wherever possible, with due regard to efficiency. In connection with the present emergency, a number of economy measures had been imposed such as a 5% cut in Travelling Allowances, Foreign Allowance and contingent expenditure and a 10% cut on Representational Grant. As a result of the economy-measures taken, it has been possible to keep the estimated expenditure for 1972-73 at the same level as the expenditure in 1971-72 (Rs. 12.8 crores), in spite of a universal rise in the cost of living which has led to higher rentals, higher salaries to our locally-recruited staff and an overall increased rate of expenditures abroad, the opening of four new Missions at Abu Dhabi, Cheingmai, Penang and Qatar, and the upgradation of the Missions at Bahrein and Muscat. The expenditure on Missions abroad constitutes about .63% of the civil expenditure of the Government of India—one of the lowest rates of expenditure on Missions abroad by any country in the world.

Efficiency in Missions abroad is increased by careful training of personnel posted to Missions abroad, rationalisation of staffing-patterns, work method and procedures, on-the-spot inspections by Foreign Service Inspectors, and by careful supervision from Headquarters of the work done by Missions. All promotions are based on merit and Government have taken the power to retire officials over the age of 50 who are inefficient.

Indian Missions abroad are generally responsive and sympathetic towards Indians abroad. Guidelines have been issued to all Missions abroad regarding the assistance to be given to them. Individual complaints, if any, are looked into, and remedial measures are taken when required.

(b) Future plans in this regard are on the same lines as the present day arrangements outlined above. It is, however, intended to ensure their strict observance in future.

विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

617. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों में सांस्कृतिक केन्द्र खोले गये तथा देशवार उनकी संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोई सांस्कृतिक केन्द्र बन्द भी किया गया ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) फिजी में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोला गया है ;

(ख) जी नहीं ।

खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण

618. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री सी० टी० दण्डपाणी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्र शासित क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजूरी के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) एक अधिसूचना की जो वर्तमान मजूरियों के दर के पुनरीक्षण के मसौदा प्रस्तावों की रूपरेखा दर्शाती है, शीघ्र ही भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना है ।

पूर्व-पश्चिम राजपथ के भुखाल-नेपालगंज सेक्टर का निर्माण

619. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भारत-नेपाल सीमा पर पूर्व-पश्चिम राजपथ के 300 किलोमीटर लम्बे भुखाल-नेपालगंज सेक्टर का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) क्या इस बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग का नाम अब 'महेन्द्र राजमार्ग' कर दिया गया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में 15 जून, 1972 को जो समझौता हुआ था, उसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) भारत सरकार ने इस परियोजना के निर्माण के लिए भारतीय मुद्रा में 25.82 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है ।

(2) नेपाल सरकार ने पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के पूर्वी खण्ड का काम करवाने के लिए जो बोर्ड बनाया था वही बोर्ड इस काम को भी करायेगा ।

(3) इस परियोजना को 31 मार्च, 1976 तक पूरा करने की हर कोशिश की जाएगी।

(4) इस परियोजना में नेपालगंज को मिलाने वाली 21 किलोमीटर लम्बी सड़क और कृष्ण नगर को मिलाने वाली 19 किलोमीटर लम्बी सड़क भी शामिल है।

(5) नेपाल की सरकार इस परियोजना के लिए भूमि देगी जिस पर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं होगी।

(6) इस परियोजना के लिए जो भी संयंत्र या मशीनरी विदेश से मंगानी होगी उसके लिए नेपाल की सरकार जरूरत के मुताबिक रुपये के बदले में विदेशी मुद्रा देगी।

(7) नेपाली इंजीनियरों और ओवरसीयरों को इस परियोजना पर प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी और उनकी योग्यता तथा अनुभव के अनुरूप पदों पर उन्हें रोजगार की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

भारत-जर्मन संबंधों के बारे में गोष्ठी

620. **श्री पुरषोत्तम काकोडकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और भारत-जर्मन सम्बन्धों के बारे में इस वर्ष जर्मनी और भारत दोनों देशों में भी गोष्ठो आयोजित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ये गोष्ठियां किस-किस तारीख को और किस-किस स्थान पर होंगी और उनमें किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। भारत तथा संघीय जर्मन गणराज्य के 1972-73 के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत संघीय जर्मन गणराज्य में भारत तथा भारत-जर्मन सम्बन्धों पर एक संगोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव है। लेकिन इसके निश्चित समय के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

उर्वरक का आयात

621. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आई० एफ० एफ० सी० ओ० तथा अन्य ऐजेंसियों के बीज सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये अमरीका तथा अन्य देशों से विभिन्न किस्मों के एन० पी० के० मिश्रित उर्वरक का आयात किया गया है ;

(ख) क्या उसकी तुलना में कम मूल्यों पर डी० ए० पी० तथा एम० ओ० पी० का अलग-अलग आयात करना तकनीकी दृष्टि से सम्भव था जिससे देश में एन० पी० के० मिश्र उर्वरक बनाया जा सकता था ; और

(ग) क्या सरकार विदेशी मुद्रा की बचत की उपेक्षा करते हुए इस वर्ष भी इतने महंगे एन० पी० के० मिश्र धातु उर्वरक का आयात करेगी ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या तैयार एन० पी० के० मिश्रित उर्वरकों का

आयात करने के बजाय डी० ए० पी० तथा एम० ओ० पी० उर्वरकों का आयात किया जा सकता है और उन्हें देश में ही एन० पी० के० के दानों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ।

(ग) उपर्युक्त जांच पर ही यह निर्णय निर्भर होगा कि क्या एन० पी० के० मिश्रित ग्रेडों का आयात जारी रखा जाए ।

त्रिपुरा में लोहे की छड़ों का मूल्य

622. **श्री दशरथ देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में लोहे की छड़ों का मूल्य 245 रुपये से 250 रुपये प्रति क्विंटल है ?

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे पड़ोसी राज्यों में लोहे की छड़ों का क्या मूल्य था, और

(ग) त्रिपुरा में लोहे की छड़ों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय इस्पात की छड़ों और गोल छड़ों से है । इनकी सप्लाई मुख्य इस्पात कारखानों द्वारा रेल तक निष्प्रभार मूल्यों, जो सारे देश में (त्रिपुरा भी शामिल है) एक समान है, के आधार पर की जाती है । सीधी लम्बाई की 14 मिलीमीटर और उससे कम की छड़ों और गोल छड़ों (चपटे उत्पाद शामिल नहीं हैं) की कीमत 1081-00 रुपये प्रति टन है । छड़ों और गोल छड़ों की बड़ी मात्रा बिलेट री-रोलरों द्वारा विनियमित मूल्यों पर बेची जाती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-हंगरी आर्थिक आयोग

623. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**
श्री हरी किशोर सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगरी ने दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापित करना स्वीकार किया था; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । 20 से 23 जून 1972 तक प्रधानमंत्री की हंगरी यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी एक अन्तसंरकारी आयोग स्थापित करने के लिए समझौता हुआ था ।

(ख) समझौते का ब्यौरा तैयार होने पर आयोग की स्थापना की जायेगी ।

भारतीय पत्तनों के माध्यम से सीधे निर्यात के लिए सिक्किम सरकार की मांग

624. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री हरीसिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने भारत से मांग की है कि उसे अपने उत्पादों के भारतीय

पत्तनों के माध्यम से सीधे निर्यात की सुविधायें दी जायें तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया में अलग विदेशी मुद्रा लेखा खोलने दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सिक्किम में बने सामान के निर्यात की सुविधा के लिए सीमाकर तथा विदेशी मुद्रा से सम्बन्ध प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए सिक्किम ने अनुरोध किया है ।

(ख) भारत सरकार ने सिक्किम दरबार को सूचित किया है कि किसी भी प्रकार के विलम्ब से बचने के लिए भारत विद्यमान प्रक्रिया में संशोधन करने पर विचार के लिए हमेशा तैयार है ।

चेकोस्लावाकिया के साथ करार

626. **श्री के० लकप्पा :**

श्री श्रीकृष्ण मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के चेकोस्लावाकिया के दौरे के समय भारत और चेकोस्लावाकिया के बीच बढ़ते हुए परस्पर परामर्श पर आधारित दीर्घावधि योजना के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था;

(ख) क्या चेकोस्लावाकिया सरकार विशेष लेखा प्रणाली को समाप्त करने पर सहमत हो गई थी जिसके कारण भारत के लिये कई समस्यायें पैदा हो गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह प्रस्ताव है कि भारत और चेकोस्लावाकिया के योजना आयोग परस्पर लाभ के लिए आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक सहयोग की दीर्घावधि सम्भावनाएं तैयार करने के लिए समय-समय पर बैठकें बुलाएंगे । विशेष खातों की समाप्ति पर विस्तार से परस्पर बातचीत होनी है और व्यापार वार्ता के दूसरे दौर में इन्हें निपटाया जाएगा ।

एल्यूमिनियम की नयी उत्पादन क्षमता के लिये लाइसेंस जारी करना

627. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम की नई उत्पादन क्षमता के लिये सरकार का लाइसेंस जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना की शेष अवधि के दौरान एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के लिए किसी नई क्षमता को अनुज्ञप्त करना प्रस्तावित नहीं है । तथापि, बेलगांव प्रद्रावक को 40,000 से 60,000 टन प्रतिवर्ष तक

विस्तारित करने के लिए, भारतीय एल्यूमिनियम कम्पनी को जारी किए गए आशय पत्र को नियमित औद्योगिक अनुज्ञप्ति में परिवर्तित किया जाएगा।

कोरिया के एकीकरण के बारे में

628. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी और दक्षिणी कोरिया ने हाल ही में फिर से एक होने का प्रण किया है;

(ख) संयुक्त कोरिया के साथ उचित राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 4 जुलाई, 1972 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी जिस पर लोक जनवादी कोरियाई गणतंत्र के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर थे, इसमें उत्तर-दक्षिण के सम्बन्ध सुधारने एवं विभाजित देश को एक बनाने का संकेत था।

(ख) संयुक्त कोरिया से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रश्न इनके एकीकरण के बाद उठेगा।

गुजरात में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

629. **श्री रामप्रकाश :**

डा० महीपत राय मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भुज के स्थान पर एक एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा उन पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इस समय, यद्यपि गुजरात के भुज में एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि गुजरात में निर्यातोन्मुखी ऐलूमिना संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

कई विदेशी राष्ट्रों द्वारा भारत से दीर्घावधिक आधार पर ऐलूमिना के क्रय से सम्बन्धित पूछताछ किए जाने के फलस्वरूप, गुजरात में निर्यातोन्मुखी ऐलूमिना संयंत्र के लिए विस्तृत प्रौद्योग आर्थित सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। चूंकि 1969 में तैयार की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट में दर्शित लागत प्राक्कलन पुराने हो गए हैं अत: लागत प्राक्कलनों और देशीय तथा विदेशी मार्किट की वर्तमान मांग का पुन: परीक्षण किया जा रहा है।

कोयना से एल्यूमिनियम संयंत्र का स्थानान्तरण

630. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री रोबिन सेन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एल्यूमिनियम परियोजना को कोयना से स्थानान्तरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को पहले कोयना में स्थापित करने के क्या कारण थे तथा इस सम्बन्ध में पुनः विचार करने के लिए बाध्य करने वाले क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) कोयना एल्यूमिनियम प्रायोजना की प्रस्तावित अवस्थिति रत्नगिरि (महाराष्ट्र) है और इसे परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Bokaro Steel Plant

631. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Shrikishan Modi :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether work on large sca'e is being carried out in Bokaro Steel Plant for its expeditious completion;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) the time by which the construction work is likely to be completed and

(d) total expenditure likely to be incurred thereon and the stage at which the work stands at present ?

Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) At present 60,000 people are working round the clock to complete the project according to schedule. First blast furnace complex comprising of one Blast Furnace with four stoves and Gas cleaning plant, one battery of coke oven together with by-products recovery units, one sinter band, raw materials handling plant and one Generator of 55 mw in the Thermal Power plant with two boilers are in the finishing stage and undergoing trial runs. Work on the 2.5 million tonnes crash programme and 4 million tonnes expansion have also been undertaken concurrently with Stage I construction. First Blast Furnace is likely to be commissioned in the next few weeks. Stage I of the plant of 1.7 million tonnes steel ingots is scheduled to be completed by March, 1973. The intermediate stage of 2.5 million tonnes is expected to be completed by March, 1974. The first stage is likely to cost Rs. 758 crores. The cost estimates for 2nd stage have not yet been worked out.

हिन्दुस्तान तांबा परियोजना के मुख्यालय को खेत्री से कलकत्ता ले जाने के बारे में अभ्यावेदन

632. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने हिन्दुस्तान तांबा परियोजना के मुख्यालय को खेत्री से कलकत्ता ले जाने के केन्द्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के अधीन खेतड़ी ताम्र प्रायोजना और राजस्थान में दरीबा तथा चान्दमारी जैसे अन्य लघु निक्षेपों के अतिरिक्त, बिहार में राखा ताम्र प्रायोजना, आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडला सीसा ताम्र प्रायोजना और मध्यप्रदेश के जिला बालाघाट में मालंजखण्ड ताम्र निक्षेप भी हैं। मार्च, 1972 में सरकार ने भारतीय ताम्र निगम, घाटसिला, बिहार के उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण किया। इस तथ्य को कि हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड का कार्य देश के व्यापक क्षेत्र में विस्तृत हो जाएगा और मामलों के सम्बन्धित वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल ने सरकार को इस बात की सिफारिश की कि कम्पनी के मुख्यालय को दिल्ली या अनुकल्पतः कलकत्ता स्थानान्तरित किया जाए। सरकार ने कम्पनी के मुख्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित किए जाने का विनिश्चय लिया चूंकि यह मध्य में स्थित है और पीतल एवं ताम्र के बेल्लित उत्पादों के विक्रय तथा अतिरिक्त पुर्जों और खनन मशीनरी के क्रय के लिए भी यह एक बृहद् वाणिज्यिक केन्द्र है। राजस्थान सरकार को तदनुसार सूचित किया गया था।

मजदूर संघ और हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि० के मध्य हुए समझौते का क्रियान्वयन

633. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि० और मजदूर संघ के मध्य हुए समझौते को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) क्या मुख्य श्रम आयुक्त ने उनको अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) यह मामला अनिवार्यतः राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। फिर भी, सिंचाई और विद्युत् और केन्द्रीय श्रम मंत्री अपने आपसी समझौता कराने के लिए प्रयास करते रहे हैं। शायद भाग (क) में आशय अप्रैल 1972 में सम्बन्धित पक्षों में हुए प्रतिवेदित समझौते से है, जिसके अनुसार प्रबन्धकों द्वारा जून 1972 में, 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस के अतिरिक्त 1970-71 सम्बन्धी 6 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अनुग्रहपूर्वक अदायगी की राशि का भुगतान किया जाना था। यह सूचना मिली है कि प्रबन्धकों ने इस राशि की अदायगी कर दी है।

(ख) मुख्य श्रमायुक्त इस प्रतिष्ठान से सम्बन्धित स्थिति के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहे हैं।

(ग) मजूरियों में वृद्धि सम्बन्धी मांग को तय करने के लिए भी प्रयास जारी हैं।

चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाना

634. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री रामसहाय पाण्डेय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए कोई नई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में चीन की सरकार से कोई संकेत प्राप्त हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) भारत इस सम्बन्ध में अपने पूर्व प्रस्ताव पर चीन के उत्तर की अब भी प्रतीक्षा कर रहा है।

वियतनाम में बमबारी बन्द करने के लिए अमरीकी सरकार को सहमत करना

635. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका सरकार को वियतनाम में बमबारी बन्द करने और अपनी सेनाएं वहां से हटाने के लिये तैयार करने के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विश्व मत तैयार करने के लिये कोई कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने इस सदन में और अन्य मंचों पर भी यह बराबर कहा है कि वह वियतनाम में अमरीकी बमबारी के विरुद्ध है और इस बात पर जोर दिया है कि वियतनाम से सभी विदेशी फौजें हटा ली जानी चाहिएं।

(ख) भारत सरकार के विचार को इस तरह दोहराना विश्वजनमत को जाग्रत करने में स्वयं सहायक है।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता

636. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री नारायण चन्द पाराशर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सभी राजनैतिक दलों के 300 से अधिक संसद सदस्यों ने जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को बिना और विलम्ब के मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। इस प्रश्न पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है तथा सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर शीघ्र निर्णय किया जायगा।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों तथा विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन की जानकारी है। आशा है कि निकट भविष्य में इस बारे में निर्णय ले लिया जायगा।

Requirement and Production of Iron and Steel

637. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the requirement of iron and steel and the production thereof in the country at present; and

(b) the scheme to meet the shortage thereof and the extent to which the shortage is likely to be met ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) On the basis of a recent study by the National Council of Applied Economic Research, it is estimated that the requirement of finished mild steel and pig iron in 1972-73 would be about 6.1 to 6.2 million tonnes of finished mild steel and about 1 million tonnes for pig iron. In 1971-72 production of finished mild steel was about 4.4 million tonnes and production of saleable pig iron was about a million tonnes.

(b) There is no shortage for pig iron in the country. As regards steel, steps taken to meet the shortage include measures to step up domestic production, liberalisation of imports, regulation of exports and streamlining of distribution. If the production in 1972-73 reaches the target of 5.5 million tonnes, this, along with the net imports, should roughly cover the estimated requirement.

Unemployment Allowance

638. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to give Unemployment Allowance after the completion of 25 years of India's Independence; and

(b) the annual expenditure likely to be incurred by way of Unemployment Allowance ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No.

(b) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में दमोद पटमोहन, वैस्टर्न कजोरा कोयला खानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न किया जाना

639. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दमोद पटमोहन, वैस्टर्न कजोरा, कोयला खानों के प्रबन्धकों ने भविष्य निधि में लगभग एक करोड़ रुपये का अंशदान जमा नहीं किया और श्रमिकों के अंशदान का दुर्विनियोग भी किया है;

(ख) उक्त दोनों कोयला खानों के प्रबन्धकों ने कितनी-कितनी राशि का भुगतान नहीं किया है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बकाया राशि के वसूल करने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भविष्य निधि का दुर्विनियोग करने के लिये प्रबन्धकों के विरुद्ध भारतीय रक्षा नियमों को लागू करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कोयला खान भविष्यनिधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) इन कोयला खानों ने मार्च 1972 तक की अवधि तक भविष्य निधि की देय राशियों के भुगतान में 30.8 लाख रुपयों की राशि की चूक की। सदस्यों की मजदूरियों से उनके भाग का वसूल किया गया अंशदान अदा न करना विश्वासघात है।

(ख) बकाया राशियों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

कोयला खान का नाम	भविष्य निधि अंशदान सम्बन्धी देय राशियां और प्रशासनिक व्यय	क्षति सम्बन्धी देय राशियां	कुल
	रुपये	रुपये	रुपये
पात मोहाना	4,32,742.57	75,480.48	5,08,223.05
दामोदा	17,79,114.36	2,19,615.58	19,98,729.94
पश्चिमी कजोरा	4,85,188.93	87,782.93	5,72,971.86
कुल	26,97,045.86	3,82,878.99	30,79,924.85

(ग) पात मोहाना : अगस्त, 1967 तक की अवधि के लिए सर्टीफिकेट मामले दायर कर दिये गए हैं। कोयला खान को न्यायालय ने अंशदानों के कारण मुख्य देय राशियों तथा प्रशासनिक व्यय का भुगतान 15,000 रुपये मासिक किश्त से करने की अनुमति दे दी है। कोयलाखान ने क्षति के कारण मांग की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालयों में रिट-याचिकाएं दायर की हैं। ये न्यायाधीन हैं। अगस्त, 1971 से दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिए चूक के बारे में नोटिस जारी कर दिये गए हैं। इस कोयला खान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत एक मामला दायर किया गया है जो कि न्यायाधीन है।

दामोदा : दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के लिए सर्टीफिकेट मामले दायर किए गए हैं और कोयला खान को न्यायालय ने बकाया राशि का 25,000 रुपये की मासिक

किश्तों द्वारा भुगतान करने की अनुमति दे दी है। मई और जून 1970 और नवम्बर, 1970 से अगस्त 1971 की अवधि के लिए सर्टीफिकेट मामले दायर किए जा रहे हैं।

पश्चिमी कजोरा : मई, 1968 से नवम्बर 1968 और दिसम्बर, 1968 से दिसम्बर, 1970 तक की अवधि के लिए सर्टीफिकेट मामले दायर कर दिए गए हैं। ये मामले न्यायाधीन हैं। जनवरी 1971 से जनवरी 1972 की चूक के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

(घ) भविष्य निधि की देय राशियों का भुगतान न करना कोयला खान भविष्य निधि परिवार पेंशन और बोनस योजना अधिनियम, 1948 और उसके अन्तर्गत निर्मित कोयला खान भविष्य निधि योजना का उल्लंघन है। चूंकि इस अधिनियम के अपने दंडनीय उपबन्ध हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी है। तथापि, पश्चिम बंगाल के आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के चूक करने वाले मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

भारी इंजीनियरी कारपोरेशन रांची द्वारा आई० बी० एम० मशीनों के लिये अदा किया गया किराया

640. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी नियम रांची ने कुछ आई० बी० एम० मशीनों के किराये के रूप में कई लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारी इंजीनियरी निगम द्वारा आई० बी० एम० मशीनों को खरीदने के बजाय किराये पर लिये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मार्च, 1972 तक भारी इंजीनियरी निगम ने आई० बी० एम० की मशीनों के किराये के रूप में 17.20 लाख रुपये का भुगतान किया था।

(ख) इस समय भारी इंजीनियरी निगम में 41 आई० बी० एम० मशीनें लगी हुई हैं। इनका वार्षिक किराया (रख-रखाव खर्च, फालतू पुर्जों पर लागत तथा मशीनों के रख-रखाव के लिए रखे गये एक स्थायी इंजीनियर का खर्च सम्मिलित है) 3.67 लाख रुपये है।

(ग) मशीनों को किराये पर लेने में यह लाभ है कि बिना किसी अधिक लागत के इनके बदले में आधुनिकतम मशीनें ली जा सकती हैं तथा अप्रचलित मशीनों को बेचने की समस्या नहीं होती है।

पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में इस्पात संयंत्र की स्थापना

642. **श्री रोबिन सेन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार पुरुलिया में कोई बड़ा सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में विचार नहीं कर रही है परन्तु विद्युत भट्टी पर आधारित मिश्र-इस्पात का एक छोटा कारखाना लगाने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए किया गया एक आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) यदि मंजूरी मिल गई तो यह कारखाना बेदाग इस्पात और ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात के स्ट्रिप्स और तार छड़ को छोड़कर मिश्र-इस्पात के स्ट्रिप्स और तार छड़ का उत्पादन करेगा और बिलेट के रूप में इसकी क्षमता लगभग 25,000 टन होगी ।

Employees Provident Fund of Employees of 'Avantika' and Mehta Printing Press, Ujjain

643. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of employees working in the daily 'Avantika' and Mehta Printing Press Ujjain and the number of permanent employees among them ; and

(b) the amount of Provident Fund deposited with Government in respect of each of those employees during the last three years and the amount yet to be deposited ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) The daily 'Avantika' and the Mehta Printing Press are not covered under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952. Hence the information sought for is not available.

(b) Does not arise.

केरल में लोहे तथा इस्पात का वितरण

644. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री एन० श्रीकांतन नायर :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को उनके अपने कार्यों के लिये लोहे और इस्पात के वितरण के लिये क्या मुख्य सिद्धांत अपनाए गए हैं;

(ख) क्या केरल में लोहे और इस्पात का पर्याप्त सामान न मिलने के कारण उस राज्य में निर्माण कार्यों में बहुत देरी होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल राज्य के लिये कोटे में वृद्धि करने तथा आवंटित कोटे को समय पर सप्लाई करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ग) वर्तमान वितरण योजना के अधीन कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है । इस्पात का आवंटन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात के अन्तिम उपयोग (जिसके लिए इस्पात की आवश्यकता है) उपलब्धि तथा प्रतिस्पर्धी मांगों को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

इस समय समस्त देश में लघु उद्योगों को इस्पात की सप्लाई अधिकतर सम्बन्धित राज्यों के लघु उद्योग निगमों के माध्यम से की जाती है । निगम अपने राज्यों की इकाइयों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती है और अपनी कुल मांग संयुक्त संयंत्र समिति को भेजती है । प्राप्त हुआ माल निगमों द्वारा अपने डिपुओं की मार्फत वितरित किया जाता है । लघु उद्योगों को राज्यों के उद्योग निदेशकों की सिफारिश पर भी मुख्य इस्पात उत्पादकों के स्टाकयार्डों से इस्पात सप्लाई किया जाता है ।

(ख) इस्पात की आम कमी है और यह कमी कुछ हद तक केरल राज्य में भी अनुभव की जा रही है ।

Conference of Non-Aligned Nations

645. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of India have proposed to hold a Summit conference of non-aligned countries ; and

(b) if so, the main features thereof and the names of the non-aligned countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नियत आयु से अधिक आयु वाले बेरोजगार स्नातक

646. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के एक चौथाई से अधिक स्नातक बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बेरोजगार स्नातकों में वे स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त

व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करने पर भी नौकरियां नहीं पा सके और जिन्होंने अब नियत आयु से अधिक आयु प्राप्त कर लेने के कारण प्रयत्न करना छोड़ दिया है;

(ग) क्या सरकार उन्हें आयु आदि के मामले में कोई रियायत दे रही है ताकि इन्हें नौकरियां मिल सकें; और

(घ) इन बेरोजगार व्यक्तियों को पांचवीं योजना अवधि में कितनी नौकरियां दिए जाने की आशा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1971 की जनगणना में तैयार की गई विशेष अनुसूची पर आधारित अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार कुल 19,82,685 स्नातकों और स्नातकोत्तरों में से जिन्होंने इतिवृत्त दिया, 2,60,942 (13.16%) बेरोजगार थे और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। इनमें से 5.48% ऐसे व्यक्ति थे जो बेरोजगार थे, किन्तु नौकरी के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे। इन आंकड़ों का आयु के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया गया है अतः यह कहना संभव नहीं है कि अब तक कितने स्नातक और स्नातकोत्तर अधिकवय हैं।

(ग) सरकार ने श्रेणी-III (लिपिक वर्गीय) अराजपत्रित पदों की भरती के लिए आयु की अधिकतम सीमा बढ़ा कर 25 वर्ष कर दी है। सभी सेवाओं (श्रेणी—II सेवा सहित) के लिए, जिनके लिए भरती आई० ए० एस० आदि जैसे संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है, अधिकतम आयु सीमा बढ़ा कर 26 वर्ष कर दी गई है।

(घ) यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है।

हनोई द्वारा कतिपय शर्तें न मान लिये जाने तक वियतनाम पर बमवर्षा जारी रखना

647. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका के राष्ट्रपति निक्सन द्वारा हाल ही में की गई इस आशय की घोषणा की ओर आकर्षित किया गया है कि अमरीका वियतनाम शांति वार्ता में पुनः भाग तो लेगा परन्तु जब तक हनोई कतिपय शर्तों को पूरा नहीं करता, बमवर्षा जारी रहेगी; और

(ख) यदि हां, तो वियतनाम पर बमवर्षा रोकने तथा हनोई के पतनों से सेना हटाने के लिए अमरीका ने क्या शर्तें रखी थीं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 8 मई, 1972 के प्रेसीडेंट निक्सन के वक्तव्य के अनुसार शर्तें ये थीं कि अमरीकी युद्ध-बन्दी लौटाए जाएं तथा पूरे हिन्द-चीन में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में युद्ध-विराम हो।

लेकिन प्रेसीडेंट निक्सन ने अपने 29 जून के प्रेस सम्मेलन में बमबारी रोकने की तीन शर्तों का उल्लेख किया। ये शर्तें थीं : दक्षिण वियतनाम पर साम्यवादी सरकार थोपने को रोकना, दक्षिण वियतनाम में शेष अमरीकी फौज की रक्षा; और इसके साथ-साथ अमरीकी युद्ध-बन्दियों की रिहाई।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में तांबे की खानें

648. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और अलमोड़ा के पर्वतीय जिलों में हाल ही में तांबे की बड़ी खानों तथा अन्य खानों का पता चला है;

(ख) इस क्षेत्र में मिलने वाले तांबे और अन्य धातुओं की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या अन्य धातुओं, जैसे सोने, जस्ते, सीसे आदि की खानों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पिथौरागढ़ जिले के असकोट क्षेत्र में आधार-धातुओं के लिए किए गए अन्वेषणों के फलस्वरूप ताम्र और सीसे के प्राप्ति-स्थल पाए गए हैं परन्तु इन प्राप्ति-स्थलों की अर्थक्षमता के बारे में कुछ भी कहना समय-पूर्व की बात है। इन जिलों में आधार-धातुओं के अतिरिक्त मैग्नेसाइट, चूना पत्थर और टाल्क के पर्याप्त निपेक्ष भी विद्यमान हैं।

(ख) ताम्र और अन्य आधार-धातुओं के सम्बन्ध में अन्वेषण प्रगति पर है और इस अवस्था में कोई भी प्राक्कलन उपदर्शित नहीं किए जा सकते हैं। अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में अन्य खनिजों की प्राक्कलित उपलभ्य राशियां निम्नलिखित हैं।

(क) मैग्नेसाइट	540 लाख टन
(ख) चूना पत्थर	370 लाख टन

(तेजम और पिथौरागढ़ के काल्कजोन से सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर)

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश के असकोट क्षेत्र में ताम्र, सीसा और जस्ता, थल और देवथल में मैग्नेसाइट; पिथौरागढ़ के गेगोलीहाट क्षेत्र में चूना पत्थर और अलमोड़ा जिले के कांडा-मसौली क्षेत्र में मैग्नेसाइट और सोप-स्टीम, तथा जिला पिथौरागढ़ में फास्फोराइट की अवस्थापना के लिए सर्वेक्षणों में व्यस्त हैं।

युद्ध अपराधियों को बंगलादेश को सौंपा जाना

649. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल नियाजी को मुकदमे के लिए बंगला देश को सौंपने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जनरल फरमान अली सहित अन्य युद्धबन्दियों को भी उनको सौंपा जायेगा;

(ग) यदि हां, तो इन बन्दियों को कब तक बंगला देश भेजा जायेगा; और

(घ) ये बन्दी भारतीय सेना की अभिरक्षा में रहेंगे अथवा बंगलादेश की ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) युद्ध-बन्दियों पर मुकदमा चलाने अथवा इस तरह के मुकदमे के लिये उन्हें सौंप देने के बारे में भारत सरकार को बंगला देश की सरकार से अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है।

Indo-Russian Collaboration Agreement for Expansion of Bhilai Steel Plant

650. **Shri M. S. Purty :**
Shri Banamali Patnaik :

Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether an agreement regarding the Indian and Russian collaboration for expansion of the Bhilai Steel Plant has recently been concluded in Moscow ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) Yes, Sir. The protocol signed in Moscow on 3rd July, 1972, provide for collaboration with the USSR in the expansion of the Bhilai Steel Plant from 2.5 to 4 million tonne ingot capacity per year. The payment of the expenses for the services rendered by Soviet Organisations will be paid out of the Soviet Credit.

Expansion of Bhilai Steel Plant

651. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether the detailed project report in regard the expansion of Bhilai Steel Plant has since been received and is under consideration of Government;

(b) if so, its production capacity after expansion; and

(c) the additional expenditure to be incurred by Government on this scheme as also its field of expansion ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) to (c) The Detailed Project Report for expansion of Bhilai Steel Plant from its present capacity of 2.5 million tonne ingot steel to 4 million tonne ignot steel is under preparation by the Central Engineering & Design Bureau, Ranchi. The additional expenditure on the scheme can be reliably assessed only on receipt of the Detailed Project Report.

पाकिस्तान में गुरुद्वारों का उचित रखरखाव

653. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने सरकार को अभ्यावेदन भेज कर अनुरोध किया था कि वह पाकिस्तान सरकार से गुरुद्वारों के उचित रखरखाव तथा परिरक्षण के लिये कार्यवाही

करने के लिये कहे और वह सिख उपासकों की समय-समय पर निर्बाध यात्रा की व्यवस्था करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पवित्र मंदिर और तीर्थ स्थानों के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार से पुनः भविष्य में बातचीत की जाएगी।

पंच निर्णय सम्बन्धी लागत वहन करना

654. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या श्रम और **पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पंच-निर्णय संवर्धन बोर्ड की हाल की बैठक में एक सुझाव दिया गया था कि औद्योगिक विवाद निपटाने के द्रुत उपाय के तौर पर स्वेच्छा से पंच निर्णय स्वीकार करना सहज बनाने के लिये पंच-निर्णय की लागत सरकार को स्वयं वहन करनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) बोर्ड में मालिकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने सरकार से मध्यस्थ-निर्णय का खर्च वहन करने की प्रार्थना की थी ताकि सम्बन्धित पक्षों को स्वैच्छिक मध्यस्थ निर्णय का अधिकाधिक सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तथापि बोर्ड में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकारों द्वारा इस मामले के सभी पहलुओं की अच्छी तरह से छानबीन किए बिना उनके प्रस्ताव का समर्थन करने में कठिनाई का अनुभव किया। तब यह निर्णय किया गया कि इस मामले की केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्तृत रूप से जांच की जायेगी और इस सम्बन्ध में एक कागज तैयार करके उसे बोर्ड के सामने रखा जायेगा।

अमरीका से विरोध प्रकट करना

655. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निक्सन प्रशासन को एशियाई मामलों के अमरीकी विशेषज्ञ की इस चेतावनी की जानकारी है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिए जाने पर एक जागरूक और शक्तिशाली भारत के संकोच में आने को बढ़ावा मिलेगा ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में निक्सन प्रशासन से कोई विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार के पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अमरीका सरकार ने पाकिस्तान को हथियार देना फिर शुरू कर दिया है। सरकार को हाल ही में अमरीकी सरकार से ऐसे संकेत भी मिले हैं कि पाकिस्तान को हथियार देने का प्रश्न इस समय उनके विचाराधीन नहीं है। अतः अमरीकी सरकार से इस बात पर विरोध प्रकट करने का प्रश्न नहीं उठता।

डाक तथा दूर संचार खाते के सम्बन्ध में पाकिस्तान से बकाया राशि की वसूली

656. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा दूर संचार खाते के मामले में पाकिस्तान द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस मामले में तथा अन्य मामलों में पाकिस्तान से वसूल की जाने वाली राशि अनुमानतः कितनी है ; और

(ग) इन राशियों को कब तक वसूल कर लिया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस विषय पर पाकिस्तान सरकार से राजनयिक एवं अन्य सारणियों के माध्यम से अतीत में बातचीत हुई थी और भविष्य में उचित अवसर आने पर पुनः इसे लिया जाएगा ।

(ख) डाक खाते में 1,61,22,169.44 रुपया और दूर संचार खाते में 63,55,300 रुपया लेना बाकी है ।

(ग) इस मामले को निपटाने में कितना समय लगेगा इसका संकेत देना संभव नहीं है ।

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के सुझाव

657. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा नियुक्त की गई बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने अधिक नौकरियों के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 361, दिनांक 16-3-1972 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट वित्ररण की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है ।

बेलाडिला खान समूह में काम बन्द होना

659. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडिला खान समूह की खान नं० 5 और 14 में काम बन्द हो गया है ;

(ख) क्या आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इन्टक दोनों ने ही, ज्वलंत प्रश्नों में से कुछ माँगों को मनवाने के लिए प्रबन्धकों से अनुरोध किया है, परन्तु प्रबन्धकों ने उनकी मांगें मानने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां। संयुक्त खादान मजदूर संघ (आ० इ० ट्रे० यू० कां०), बेलाडिला शाखा और खान कर्मकार संघ (इ० नें० ट्रे० यू० का०), बेलाडिला शाखा ने बेलाडिला में क्रमशः 13 से 18 जून, 1972 तक और 15 से 18 जून, 1972 तक अवैध हड़ताल की।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 18-6-1972 को करार हस्ताक्षरित करते हुए विवाद सौहार्दपूर्वक तय किया गया। दोनों प्रायोजनाओं में कर्मकारों ने 19-6-1972 से कार्य पुनः आरम्भ किया।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का बहिष्कार

660. **डा० रानेन सेन :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा द्वारा भारतीय प्रतिनिधि मंडल का बहिष्कार किन परिस्थितियों में किया गया; और

(ग) ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जून, 1972 में जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 57 वें सत्र में भेजा गया प्रतिनिधिमंडल दो प्रतिनिधि सरकार के, एक-एक प्रतिनिधि नियोजकों और कर्मकारों की ओर से और इनके साथ ही प्रत्येक प्रतिनिधि के साथ दो-दो सलाहकारों को मिलाकर बनाया गया था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय श्रम और पुनर्वास मंत्री आतिथ्य मंत्री के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुए। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की पूरी सूची संलग्न विवरण में शामिल है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० *3241/72***]

(ख) जैसा कि 1971 में हुए सम्मेलन के 56वें सत्र के अवसर पर किया गया था, अखिल भारत मजदूर संघ कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा को आमंत्रित किया गया कि, वे अपना एक-एक सलाहकार नियुक्त करके प्रतिनिधि मंडल में शामिल हों। तो भी उन्होंने यह मांग की कि तीनों संगठन अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, अखिल भारत राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधियों की कर्मकारों के ग्रुप में केवल संख्या ही बराबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक संगठन को समता के आधार पर बारी-बारी एक प्रतिनिधि नामित करने की स्थिति में होना चाहिए। ये तीनों संगठन इस आधार पर किसी समझौते पर न पहुंच सके और इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के अनुसार कर्मकारों के प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस की सहमति से चुने गए जो इस देश में मजदूरों का सब से अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है।

(ग) कर्मकारों के तीनों केन्द्रीय संगठनों के साथ विचार विमर्श किया गया था ताकि संयुक्त

प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए एक प्रणाली बनाई जा सके जिससे विभिन्न मजदूर संघ केन्द्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, परन्तु सम्बन्धित पक्षों को सन्तुष्ट करने वाला कोई हल न निकल सका।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, में उत्पादन

661. **डा० रानेन सेन :**
श्री हरीसिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को उत्पादन में अत्यधिक कमी के कारण इस वर्ष अप्रैल से जून तक भारी हानि उठानी पड़ी;

(ख) इन महीनों में इसकी स्थापित क्षमता का कितना उपयोग किया गया; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अप्रैल-जून, 1971 की अवधि के उत्पादन की तुलना में 1972 की इसी अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस अवधि की वित्तीय समीक्षा अगस्त 1972 के अन्त तक उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) इस अवधि में भारी इंजीनियरी निगम के तीन कारखानों की कुल स्थापित क्षमता का 22.5 प्रतिशत उपयोग हुआ है।

(ग) भारी इंजीनियरी निगम की क्षमता के कम उपयोग के कई कारण हैं जिनमें आरम्भिक वर्षों में परिचालन अवस्था के साथ-साथ निर्माण कार्यों का चलना, इस आकार की प्रायोजना में उत्पादिता को बढ़ाने के लिए लम्बी जेस्टेशन अवधि का होना, पिछले वर्षों की प्रबन्धात्मक त्रुटियां और मालिक-मजदूर सम्बन्धों का सन्तोषजनक न होना शामिल है। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के शिल्पियों की हड़ताल तथा प्रायः बिजली बन्द होने की घटनाओं के कारण अप्रैल-जून, 1972 की तिमाही में क्षमता के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

बेरोजगारी में वृद्धि

662. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों के आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान बेरोजगारी में किस दर से वृद्धि हुई है;

(ख) शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में किस दर से वृद्धि हो रही है; और

(ग) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को किस दर पर रोजगार मिल रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख)

वर्ष	वर्ष के अन्त में चालू रजिस्टर पर काम चाहने वालों की संख्या		पिछले वर्ष के मुकाबले में प्रतिशत वृद्धि	
	सभी वर्ग	स्तम्भ 2 में शामिल शिक्षित*	सभी वर्ग	स्तम्भ 2 में शामिल शिक्षित*
1	2	3	4	5
1969	34,23,885	15,26,250	+13.7	+16.6
1970	40,68,554	18,21,616	+18.8	+19.4
1971	50,99,919	22,95,564	+25.3	+26.0

(ग) वर्ष	वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियुक्तियों की संख्या	पिछले वर्ष के मुकाबले में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3
1969	1,58,287	+ 5.1
1970	1,77,049	+11.9
1971	2,08,512	+17.8

सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कोयला खानों में उत्पादन

663. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कोयला खानों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है, जिनका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा।

(ख) क्या सरकारी नियंतण के बाद कोयले की खुदाई में कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

*मैट्रिक पास तथा अधिक योग्यता रखने वाले।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) उन कोयला खानों के जिनका सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण किया गया है, कार्यकरण की हाल ही में समीक्षा की गई है। इससे यह प्रकट हुआ कि प्रत्येक माह के उत्पादन में सीमान्तक भिन्नता पाई गई है। मुख्यत: कोयले के संचलन के लिए रेलवे वैगनों की कमी, कोककर कोयले के लिए अपर्याप्त मांग, विद्युत् आपूर्ति में बारम्बार रुकावटें और भरण के लिए रेत की कमी के कारण उत्पादन में कोई ज्ञेय अभिवृद्धि नहीं हुई है। उत्पादन को नियमित किए जाने पर भी, पिछले 9 महीनों के दौरान स्टाक में 5 लाख टन की वृद्धि हुई है। इससे यह भी प्रकट हुआ कि 17-10-71 से 31-3-72 तक की कालावधि के लिए कोयला खानों की सक्रिय लागत में निम्नलिखित के कारण वृद्धि हुई है :—

(i) कर्मकारों को पूर्ण परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का संदाय;

(ii) संविदाकारों के कई कर्मकारों का विभागीय श्रमिकों के रूप में सपरिवर्तन और उन्हें मजदूरी बोर्ड के वेतनमानों का संदाय; और

(iii) कुछ उन श्रेणियों को, जो पहले मजदूरी बोर्ड के बाहर थीं, मजदूरी बोर्ड पंचाट में सम्मिलित किया जाना।

ग्रहीत खानों का पोलैंड के सहयोग से पुनर्गठन और पुन: निर्माण, नई प्रायोजनाएं चालू करना और वर्तमान खानों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करना प्रस्तावित है। यह आशा की जाती है कि इन कदमों की परिणति उत्पादन अभिवृद्धि में होगी।

भारत-स्वीडन संयुक्त आयोग

664. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्वीडन आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी मामलों पर एक संयुक्त आयोग नियुक्त करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की शर्तें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। जून 1972, में जब प्रधान मंत्री स्वीडन गई थीं तो आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी एक संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए सहमति प्रकट की गई थी।

(ख) इस संयुक्त आयोग के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नेपाल में भारतीय मिशन द्वारा चलाये जा रहे पुस्तकालयों तथा वाचनालयों का बन्द किया जाना

665. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री पी० के० देव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने नेपाल में विदेशी मिशनों द्वारा चलाए जा रहे पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को बन्द करने के आदेश दिए हैं;

(ख) क्या इस आदेश का भारतीय दूतावास द्वारा चलाए जा रहे वाचनालयों पर भी प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) नेपाल सरकार ने आदेश दिया है कि विदेशी मिशनों के काठमांडू के बाहर जितने भी पुस्तकालय और वाचनालय हैं वे सभी बन्द कर दिए जाएं । इस वर्ग में आने वाले अपने पुस्तकालय और वाचनालय बन्द कर दिए गए हैं। काठमांडू में राजदूतावास द्वारा संचालित वाचनालय और पुस्तकालय चल रहे हैं ।

औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी विधि

666. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी विधि को नया रूप देने का मामला विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार का यथाशीघ्र एक आवश्यक विधान लाने का इरादा है । चूंकि इस योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतएव उसकी मुख्य-मुख्य बातों को बताना सम्भव नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से रोजगार उत्पन्न करने के लिए वर्कशाप

667. **श्री निहार लास्कर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बेरोजगारी के बारे में नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से रोजगार उत्पन्न करने के लिए एक वर्कशाप का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या दीर्घावधि और अल्पावधि कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं जिससे रोजगार की बिगड़ी हुई स्थिति को रोका जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) वर्कशाप की व्यवस्था मुख्य रूप से विशेषज्ञ समिति की, जिसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों योजनाओं के सुझाव देना सम्मिलित है, सहायता करने की दृष्टि से की जा रही है । वर्कशाप की सिफारिशों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जाएगा । इस बीच में सरकार न केवल चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा अपितु 1970-71 से आरम्भ की गई अनेक विशेष परियोजनाओं के माध्यम से भी अधिकाधिक

संख्या में रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए सभी सम्भव प्रयास करती रही है। विशेषकर शिक्षित बेरोजगारों के जिनमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं, लाभ के लिए 1971-72 के बजट में 25 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई थी। 1972-73 के केन्द्रीय बजट में विशिष्ट कल्याण परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है।

सिंगापुर जहाज निर्माण कारखाने के लिये दक्ष कर्मचारी

668. **श्री निहार लास्कर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दक्ष कर्मचारियों को सिंगापुर के एक स्थानीय जहाज निर्माण कारखाने में काम करने के लिए जाने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सूरत की दो भारतीय फर्मों ने सिंगापुर की एक जहाज निर्माता कम्पनी से काम का ठेका लिया है। 128 'वेल्डरों' और टेक्नीशियनों को, जो भारतीय फर्मों के नियमित कर्मचारी हैं, पासपोर्ट जारी किए गए हैं जो एक वर्ष के लिए वैध हैं। इनमें से 6 कुशल कामगर सिंगापुर की जहाज-निर्माता कम्पनी के यहां ठेके का काम करने के लिए सिंगापुर रवाना हो चुके हैं।

Decision Taken at I. L. O. Conference in Geneva

669. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the nature of decisions taken in the I. L. O. Conference held at Geneva in June, 1972; and

(b) the decisions which would be implemented by the Central Government; and

(c) the time by which these would be implemented fully ?

The Minister of Labour And Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) Apart from routine matters, the agenda of the 57th Session of the International Labour Conference held at Geneva in June 1972 comprised the following items :—

(i) Minimum age for admission to employment

(ii) Social repercussions of new methods of cargo handling (docks)

(iii) Labour and Social implications of automation and other technological developments.

(iv) Substi'ution in the provisions of the constitution of the International Labour Organisation relating to the membership of the Governing Body of the figures "fifty six" "twenty eight" "eighteen" and "fourteen" for the figures "forty eight", "twenty-four", "fourteen" and "twelve".

The items at (i) and (ii) above were considered in the first or preliminary discussion as a part of the double discussion procedure. On both, the Conference adopted 'proposed conclusions' which would form the basis of further discussion with a view to the adoption of a Convention and a Recommendation in each case at the next (1972) Session. The item at (iii) above was considered by way of a general discussion and the Conference adopted a Resolution on the subject. This Resolution, along with others adopted by the Conference, would first be examined by the Governing Body before transmission to member States for appropriate action.

As regards the item mentioned at (iv) above, the Conference adopted an amendment to the I.L.O. Constitution raising the membership of the Governing Body from 48 (24 Government, 12 employers and 12 workers) to 56 (28 Government, 14 employers and 14 workers). The amendment, before it comes into force, has to be ratified by a least two-thirds of the member Governments including Governments of at least 5 of the 10 countries of Chief Industrial importance. The Government of India supported the amendment and action to ratify the Instrument of Amendment will be taken after the required formalities have been gone through.

Distribution of Steel

670. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the new steps taken to make the policy of steel distribution consumer oriented and whether it has enabled the consumers to get steel directly and if/so, how;

(a) whether the steel for small-scale industries is supplied to the Small Scale Industries Corporation of the different States and the steel is distributed to the small scale industries by these Corporations; and

(c) if so, the quantity of steel supplied to each State during 1971-72 and 1972-73 so far separately and whether a list in this regard will be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) To ensure that the Steel available in the country reaches the actual consumers as far as possible, the distribution procedure was streamlined and made consumer oriented. About 80 to 90% of the availability is taken for supply to actual users against their individual orders in accordance with priorities accorded by the Steel Priority Committee. Measures have also been taken to ensure speedy processing of indents and sale orders. The rolling programmes of the main steel producers are being regulated in accordance with national priorities and urgency of requirements. The production of billet rerollers is also regulated and supplied mostly direct to consumers. A uniform system of consumer oriented distribution policy is also being followed by the stockyards of the main producers. About 95% of the available supplies of steel goes to the actual users, either direct or through the stockyards.

Steel supplies to Small Scale Industries all over the country are at present mostly routed through the respective State Small Scale Industries Corporations. The Corporation make their assessment of the requirements of the units in their States and place their consolidated demands on the Joint Plant Committee. The material received is distributed by the Corporations through their depots.

(b) Yes, Sir, except West Bengal, Meghalaya, Nagaland, Arunachal, Goa, Mizoram and Pondicherry for the present.

(c) Despatches of steel materials to various States for the year 1971-72 are given below :—

State	(In Tonnes)
1. Andhra Pradesh	1,91,255
2. Assam	33,966
3. Bihar	5,96,280
4. Delhi	1,63,211
5. Gujrat	2,09,503
6. Himachal Pradesh	3,518
7. Jammu and Kashmir	12,211
8. Kerala	55,703
9. Madhya Pradesh	1,52,802
10. Tamil Nadu	2.43,657
11. Maharashtra	5,23,321
12. Mysore	68,536
13. Nagaland	5,282
14. Nefa	154
15. Orissa	76,889
16. Punjab	2,61,811
17. Rajasthan	93,322
18. Uttar Pradesh	3,41,493
19. West Bengal	6,33,246
20. Manipur	2,143
21. Tripura	847
22. Pondicherry	3,414
23. Andaman and Nicober Island	21
24. Goa	6,240
25. Haryana	88,006

Similar figures for the year 1972-73 to the extent available are being collected and will be laid on the Table of the House.

Payment Made for Non-Delivered Supplies

671. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Supply be pleased to state :

(a) the number of such cases where the material purchased was not received by Government but money for which was withdrawn from the Government Treasury by fraud or by some other means during the past three years;

(b) whether Government have so far paid more than rupees two crores and 33 lakhs without receiving the purchased material; if so, the names of the firms which were paid the said money alongwith the amount thereof;

(c) the action taken so far against them and the amount which Government have been able to realise from them; and

(d) whether some Government servants have also been found quilty for such irregularities; if so, the names thereof and the action taken by Government against them ?

The Minister of Supply (Shri D. R. Chavan) : (a) & (b) During the past three years (1969-70, 1970-71 and 1971-72) there has been only one case where the firm fraudulently secured payment of Rs. 62,996.63 without supplying the store.

(c) An amount of Rs. 21,244.77 has already been recovered from the firm by fore feiting their security deposit and by adjustment of their pending bills. Recovery of balance amount has not been possible as the Police Authorities have not been able to trace their whereabouts so far.

(d) No Government servant is involved in this case.

लघु इस्पात संयंत्र लगाने के लिए बीमा लाइसेंस

672. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में लघु इस्पात संयंत्र लगाने के लिए बीमा लाइसेंसों का आवेदन करने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ख) किन-किन पार्टियों को ये लाइसेंस दिये गये हैं और वे कहां-कहां ये संयंत्र लगायेंगी; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठायेगी कि इन लघु संयंत्रों के सभी उत्पाद उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध हों ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय इस्पात पिण्ड/बिलेट उत्पादन के लिए विद्युत् भट्टियों एवं लगातार ढलाई के कारखाने स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिए सरकार को प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों से है। फरवरी, 1970 में संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति लागू होने के बाद प्राप्त हो ऐसे प्रार्थनापत्रों की एक सूची संलग्न है (अनुलग्नक-1)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3242/72**]

(ख) उपरोक्त में से जिन पार्टियों को आशय पत्र / औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं उनके नाम तथा स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं (अनुलग्नक-2)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3242/72**]

(ग) ऐसे कारखानों द्वारा पिण्ड/बिलेट के उत्पादन और उनकी बिक्री पर सरकार का इस समय कोई नियंत्रण नहीं है।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों में धातु-पिण्डों तथा विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन

673. **श्री के० बालदन्डायुतम :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल से जून तक देश के तीन नए इस्पात कारखानों में धातु-पिण्डों तथा विक्रय योग्य इस्पात के कुल उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारखानों में धातु-पिण्डों तथा विक्रय योग्य इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० के भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों में अप्रैल से जून, 1972 की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन अधिक हुआ है परन्तु इस्पात पिण्ड का उत्पादन कम रहा है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :—

(हजार टन)

	अप्रैल-जून, 1972	अप्रैल-जून, 1971
इस्पात पिण्ड	873.9	892.1
विक्रेय इस्पात	626.9	619 6

(ख) इन महीनों में अत्यधिक गर्मी अधिक अनुपस्थिति तथा कोक ओवन गैस की कमी के कारण सभी कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। पावर की सप्लाई पर प्रतिबन्ध के कारण पावर की कमी से राउरकेला तथा दुर्गापुर में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे के होने के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मुख्य बाधा आई और इसका प्रभाव कुछ हद तक राउरकेला इस्पात कारखाने पर भी पड़ा।

(ग) मालिक-मजदूर सम्बन्धों, विशेष रूप से दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मालिक-मजदूर सम्बन्धों की कठिनाइयों के बावजूद भी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक उत्पादन को यथाशीघ्र बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रयत्नों में कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि बढ़ाने के लिए वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग, ईंधन के साधनों में वृद्धि करने के लिए कुछ भट्टियों में आयल पायरिंग, उपकरणों की अच्छी उपलब्धि के उद्देश्य से रख-रखाव में सुधार,

उत्पादन सुविधाओं में असंतुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमों को पूरा करने में तेजी लाना, फालतू पुर्जों, ऊष्मसह तथा अन्य आवश्यक माल की योजनाबद्ध ढंग से प्राप्ति शामिल है। श्रमिकों के झगड़ों और उनकी शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन को अधिकाधिक करने में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु दुर्गापुर में हाल में एक त्रिपक्षीय सलाहकार मशीनरी स्थापित की गई है। उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई पुरस्कार योजना शुरू की गई है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये अतिरिक्त पुर्जों की खरीद

674. **श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए विभिन्न स्रोतों से, जिनमें ब्रिटिश फर्म में शामिल हैं, कितनी कीमत के अतिरिक्त पुर्जे खरीदे गये ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Nationalisation of Mica Mines

675. **Shri Shankar Dayal Singh**
Shri Birender Singh Rao :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to nationalise certain mica mines as in the case of coal mines;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) whether Government have received complaints regarding irregularities prevailing in mica mines ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawas Khan) : (a) There is no proposal to nationalise Mica Mines.

(b) Does not arise.

(c) Government have received a few complaints about the working of Mica Mines which are being looked into.

Return of Bangladesh Refugees

676. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether all the refugees from Bangladesh have gone back to their country; and

(b) if not, the time by which the remaining refugees would be sent back to their country,

The Minister of Labour And Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) All camp refugees, except only 533 persons who will be sent back to their country as soon as possible, have been repatriated to Bangladesh.

As regards the non-camp refugees, that is those who were staying with their friends and relatives, most of them also have returned to Bangladesh on their own. Isolated cases, as and when detected, are dealt with by the State Governments concerned in accordance with the provisions of Foreigners' Act, 1946.

मंजूरशुदा ठेकेदारों के रूप में पंजीकरण के नामों के बारे में विज्ञापन

677. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 78 समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं जिनमें 1971 में पूर्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरशुदा ठेकेदारों के रूप में पंजीकरण के लाभों तथा पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे ;

(ख) ये समाचार-पत्र किस-किस भाषा के थे और उनके प्रकाशन-स्थान कौन से हैं;

(ग) ऐसे विज्ञापनों के लिए इन समाचार-पत्रों को कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) इन समाचार-पत्रों का चयन किस आधार पर किया गया ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। (अनुबन्ध-1) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3243/72]

(ग) 17,737.89 रुपये (शुद्ध)।

(घ) एक नोट संलग्न है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है (अनुबन्ध-2)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 3243/72]

विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन के लिए 'चेयर्स' और केन्द्रों की स्थापना

678. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन के लिए 'चेयर्स' और केन्द्रों की स्थापना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 1972-73 के दौरान ऐसे केन्द्रों और 'चेयर्स' को स्थापित करने का विचार है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले देशों और विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां,

(ख) भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद द्वारा निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन के सात पीठ स्थापित किए जा चुके हैं :—तेहरान(ईरान), ल' इकोल सुपिरिअर(लाओस)

वारसा (पोलैंड), बुखारेस्ट (रूमानिया), जान यांग (सिंगापुर), वेस्ट इण्डीज (ट्रिनीडाड) तथा जागरेब (यूगोस्लाविया)।

1972-73 के चालू वर्ष में भारतीय सांसारिक सम्पर्क परिषद द्वारा इन स्थानों में केन्द्र अथवा/और भारतीय अध्ययन के पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

काबुल (अफगानिस्तान), ब्रासिलिया सोफिया (बल्गारिया), जार्ज टाउन (गुय ना) जकार्ता, बेरूत, मेक्सिको, डकार च्येंगमाई (थाईलैंड) तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ।

(ग) इस कार्यक्रम को 25 देशों के 25 विश्वविद्यालयों में चलाने की योजना है।

भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का अन्य देशों में विस्तार

679. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा नियंत्रित भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का विस्तार अन्य ऐसे देशों में भी करने का प्रस्ताव है जिनका नाम इस समय कार्यक्रम सूची में शामिल नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सार्वदेशिक है किन्हीं विशिष्ट देशों के समूह तक सीमित नहीं है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, अपने वित्तीय साधनों के अनुसार, हम आपसी सहमति और समझ बूझ से विभिन्न देशों को सहायता देते हैं। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत हम अधिकाधिक देशों को तकनीकी सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-चीन सम्बन्ध

680. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चेकोस्लोवाकिया स्थित चीनी राजदूत ने कहा है कि भारत और चीन शीघ्र ही दोनों देशों में अपने-अपने राजदूत नियुक्त करेंगे;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत और चीन के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित कराने के लिए अपनी सेवायें उपलब्ध करने का प्रस्ताव रखा था; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने 20 जून, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में छपे इस समाचार को देख लिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार की यह नीति है कि द्विपक्षीय मसलों को द्विपक्षीय तौर पर हल किया जाए।

युद्ध-बन्दियों पर मुकदमा चलाने हेतु स्थापित किये जाने वाले न्यायाधिकरण में भारत का प्रतिनिधित्व

681. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार से इस बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि कुछ युद्ध-बन्दियों पर युद्ध-अपराधियों के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उन्हें बंगला देश को सौंप दिया जाये; और यदि हां, तो उनकी संख्या तथा रैंक क्या हैं;

(ख) बंगला देश में युद्ध-बन्दियों पर मुकदमा चलाये जाने के लिए स्थापित किए जाने वाले न्यायाधिकरण में प्रतिनिधित्व के लिए भारत से अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में उत्पादन

682. **श्री नरेन्द्रकुमार सांघी**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन में प्रतिवर्ष कमी होने के परिणामस्वरूप नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन उत्तरोत्तर घाटे में चल रहा है।

(ख) समेकित परियोजना में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और उसे अब तक कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने प्रो० सुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को लाभ में चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1969-70 से उत्पादन में कमी के कारण नैवेली लिग्नाइट निगम द्वारा उपगत की जा रही हानियां जारी हैं।

विगत चार वर्षों के उत्पादन के आँकड़े और इन वर्षों के दौरान उपगत हानियां निम्नलिखित हैं :—

	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
लिग्नाइट (टन)	3.98	4.28	3.3	3.72
विद्युत् (एम० यू०)	2070	2242	1801	2168
यूरिया (टन)	89,924	88,166	68,583	43,079
लेको (टन)	1,30,753	1,36,233	72,328	72,911
हानि (लाख रुपयों में)	227.97	204.73	1073.24	1238 (अनन्तिम)

(ख) 31-3-72 को एकीकृत प्रायोजना में कुल विनिधान निम्न प्रकार से हैं :—

साम्या 8000 लाख रुपए

ऋण 9848.74 लाख रुपए

(पुन: संदाय के पश्चात् शुद्ध)

31-3-72 तक उपगत संचित हानि 4490.72 लाख रुपए है (जिसमें 1971-72 के लिए अनन्तिम आंकड़ों की 1237.83 लाख रुपए की राशि भी सम्मिलित है) ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार द्वारा प्रायोजना को आर्थिकोपयोग्य बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(i) लिग्नाइट के 36.00 लाख टन के वर्तमान उत्पादन स्तर को बढ़ाकर 1973-74 में 42.00 लाख टन और 74-75 से आगे 45.00 लाख टन तक वर्धित करने के लिए निगम अतिरिक्त खनन उपकरण उपाप्त कर रहा है ।

(ii) लिग्नाइट के उत्पादन को और अधिक वर्धित कर, 65 लाख टन प्रतिवर्ष करने के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है ।

(iii) प्रोफेसर सुब्रामनियम समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, खानों में से अतिभार उत्पादन को सुधारने के लिए वर्धित विस्फोटो द्वारा भूमि की अग्रिम तैयारी को गहन किया जा रहा है । इस हेतु 2 व्यधनयन्त्रों के लिए आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और 2 अतिरिक्त व्यधन यन्त्र भी उपाप्त किए जा रहे हैं ।

(iv) खनन उपकरणों की उपयोगिता को और अधिक प्रयोग में लाने और व्यय के स्तर में कमी करने के लिए खानों को पुनर्गठित किया जा रहा है ।

(v) सरकार ने, नैवेली लिग्नाइट निगम के तापीय बिजली घर में कुछ एककों को कोयला या तेल ईन्धन में परिवर्तित करने की साध्यता की जांच करने के लिए, एक समिति गठित की है ।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देना

683. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मान्यता कब तक दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने इस प्रश्न पर 16 मार्च, 1972 को तारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर में जो विचार व्यक्त किए थे, वे दक्षिण वियतनाम की अस्थिर स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब भी वैसे ही हैं।

रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कारीगरों द्वारा हड़ताल

684. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री हरीसिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कारीगरों ने मई में कामरोको हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्थानीय प्राधिकारियों ने कारीगरों को फैक्टरी में प्रवेश करने से रोका था; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) कारीगरों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मई में केवल केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित शिल्पियों ने ही टूल डाउन हड़ताल की थी।

(ख) चूंकि भारी इंजीनियरी निगम के प्रबन्धकों के विचार में इन शिल्पियों की सेवाशर्तों सम्बन्धी कुछ मांगें अनुचित थीं अतः प्रबन्धकों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने टूल डाउन हड़ताल कर दी।

(ग) जी, हां। हड़ताली शिल्पी काम में गम्भीर बाधाएं पैदा कर रहे थे और काम करने के इच्छुक दूसरे कर्मचारियों को मशीनें नहीं चलाने दे रहे थे।

(घ) ऐसे मामलों में सरकार प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों को आपस में बातचीत करके समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिहार सरकार के श्रम आयुक्त द्वारा समझौता कार्यवाही करने के फलस्वरूप एक समझौता हो गया है और हड़ताली शिल्पियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और 11 जुलाई, 1972 से वे काम पर लौट आए हैं। तब से लेकर भारी इंजीनियरी निगम के प्रबन्धकों और एच० ई० सी० आर्टिसन्ज एसोशिएशन में एक बार वार्ता हो चुकी है। कुछ मांगों के बारे में समझौता हो गया है। शेष मांगों पर समझौता करने के लिए प्रबन्धकों ने बिहार सरकार के श्रम विभाग से सहायता मांगी है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन संयंत्रों के कर्मचारियों को मजूरी और समयोपरि भत्ते का भुगतान

685 **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन तीन संयंत्रों के कर्मचारियों को मजूरी और समयोपरि भत्ते के रूप में वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 में वर्षवार कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों के कर्मचारियों को मजदूरी और समयोपरि भत्ते के रूप में 1969, 1970 और 1971 के वर्षों में प्रत्येक वर्ष में दी गई कुल राशि इस प्रकार है :—

मजदूरी तथा समयोपरि भत्ते के रूप में दी गई कुल राशि

(लाख रुपये)

	भिलाई इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	राउरकेला इस्पात संयंत्र
1969	16,68.18	10,51.34	11,60.70
1970	19,72.67	12,06.95	13,82.00
1971	23,81.60	14,59.86	15,81.82

रायगढ़ जूट मिल्स में हड़ताल

686. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रायगढ़ जूट मिल्स में 8 मई, 1972 से हड़ताल चल रही है;

(ख) इस हड़ताल के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के कारण हड़ताल लम्बे समय तक चलती रही; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) यह मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के हस्तक्षेप के फलस्वरूप पक्षों के बीच एक समझौते के पश्चात्, 7 जून, 1972 से हड़ताल वापस ले ली गई थी।

पश्चिम बंगाल में कार्मिक संघ के अधिकारी का दमन करने के बारे में सी० आई० टी० यू० द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को की गई शिकायत

687. **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में कार्मिक संघ के अधिकारियों का दमन किए

जाने के बारे में सी० आई० टी० यू० की पश्चिम बंगाल राज्य समिति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को की गई शिकायत की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायत की गई है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री० आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) शिकायत में मुख्य आरोप यह लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (सत्तारूढ़) दल कई साधनों से सी० आई० टी० यू० से सम्बद्ध यूनियनों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और पश्चिम बंगाल की पुलिस तथा असैनिक प्रशासन इस प्रयत्न में कांग्रेस (सत्तारूढ़) दल की सहायता कर रहे हैं।

(ग) इस शिकायत में ऐसे कई प्रश्न उठे जो यथार्थतः ट्रेड यूनियन अधिकारों से सम्बन्धित नहीं थे। ऐसे मामलों में पहले जो रीति अपनाई गई, उसके अनुसार, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रशासकीय निकाय समिति से प्रार्थना की गई है कि वे ऐसे विषयों को स्पष्ट कर दें जो ट्रेड यूनियन अधिकारों का उल्लंघन माने जाते हैं और जिनके बारे में यह समिति भारत सरकार के विचार जानना चाहेगी। फिर भी इसी बीच, पश्चिम बंगाल की सरकार से इन मामलों से सम्बन्धित सभी तथ्यों को भेजने की प्रार्थना की गई है।

National Council of Trade Unions

688. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :—

(a) whether National Council of Trade Unions has been set up on the basis of unity of purpose among the All India Trade Union Congress, Indian National Trade Union Congress and Hind Mazdoor Sabha;

(b) if so, the extent to which the said unity has been given practical shape and if there is any obstacle therein;

(c) whether Government have formulated a scheme to extend the said unity based on the principle of having only one Union in one industry; and

(d) if so, the main features thereof any by what time Government propose to implement the same ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir.

(b) The Council was set up by the three Central Workers' Organisations themselves. Government are not aware of any obstacle in the way of the Council achieving unity.

(c) and (d) The unity among the Central Workers' Organisations and the principle of one union for one industry are two separate issues. The Scheme for statutory recognition of one union for one industry or establishment is under Government's consideration. It is not possible to state, at this stage, the time by which the scheme would be implemented.

Amendment of Trade Union Act

689. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have drafted a bill for amending the Trade Union Act;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the time by which Government propose to introduce the Bill in the House ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is proposed to introduc as early as possible, a comprehensive Bill on Industrial Relation.

Delay in commissioning of Bokaro Steel Plant due to shortage of Raw Materials

690. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item published at page 5 of the English daily 'Indian Nation' dated the 23rd June, 1972, Patna, that the commissioning of first stage of Bokaro Steel Plant is likely to be delayed due to the shortage of raw material:

(b) if so, the reasons for the shortage of raw material; and

(c) the action taken by Government to meet this shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) There have been certain shortfalls in the supply of raw-materials, such as, iron ore, limestone, manganese, coal etc., for the Bokaro Steel Plant mainly due to movement bottlenecks. The matter has been taken up by the Ministry with all concerned and the supplies are now gradually improving. However, the commissioning of first blast furnace will not be delayed on this account.

Abolition of Private Contract System in Mines

691. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Legislators of Bihar have submitted a memorandum to the Prime Minister demanding the abolition of private contract system in mines;

(b) if so, the number of legislators who submitted memorandum and the main particulars thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (**Shri R. K. Khadilkar**) : (a) & (b) 54 Legislators of Bihar submitted a memorandum to Prime Minister complaining, inter alia, against a method of contract known as 'supervision of wagon loading' allegedly resorted to by the Bharat Coking Coal Ltd., a public sector undertaking of the Department of Mines. The points raised in the memorandum relate to :

(i) the conduct of some employees of the undertaking; and

(ii) non-taking over of some collieries of the same seam of coal situated in the midst of the taken-over areas.

(c) The allegation was enquired into. All the casual labour engaged in the wagon loading is now being paid directly by the managements at the pay counters and an officer is specially deputed to witness payment.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच सम्बन्ध

692. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान केन्द्रीय आयुक्त की सेवा-अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि-संगठन में कर्मचारियों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध बहुत अधिक बिगड़ गए हैं तथा सरकार और कर्मचारियों में बहुत रोष व्याप्त है और इस सम्बन्ध में अनेक स्थानीय संघों से आयुक्त को सैकड़ों अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच चल रहे विवाद को, जिससे कार्यक्षमता और इस योजना के अन्तर्गत आने वाले 55 लाख अंशदाताओं के भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है, सुलझाने हेतु कुछ गम्भीर प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) संगठन में मान्यता-प्राप्त कर्मचारी वर्ग संघ नहीं हैं। मान्यता न प्राप्त संघों में से एक ने अर्थात्, दी आल इंडिया एम्पलाइज़ प्रावीडेन्ट फंड स्टाफ फेडरेशन ने 21 मांगों का एक चार्टर पेश किया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने, जिसने चार्टर पर विचार किया, वेतन और भत्तों से सम्बन्धित मांग पर केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों से सम्बन्धित तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उस पर केन्द्रीय सरकार के निर्णयों की प्राप्ति के पश्चात् विचार करना उचित महसूस किया, कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधियों की मंडलियों को मान्यता देने के प्रश्न के सम्बन्ध में, मान्यता प्रदान करना ठीक उन्हीं नियमों व सिद्धान्तों पर नियमित किया जाएगा जो कि मान्यता के लिए डाक व तार विभाग में चालू हैं। केन्द्रीय न्यासी मंडल ने यह विचार व्यक्त किया कि कुछ अन्य मांगें उनके निर्णय लेने के क्षेत्र में नहीं थी और इसलिए उन्होंने उन पर विचार न करने का निर्णय लिया। बाकी मांगों पर एक समिति द्वारा, जिसमें तीन न्यासी सम्मिलित हैं और केन्द्रीय आयुक्त सदस्य हैं, विचार किया जा रहा है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

उर्वरक आयात कार्यक्रम

693. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विभाग द्वारा तैयार किये गये उर्वरक आयात कार्यक्रम की उनके मंत्रालय ने जांच की है;

(ख) क्या एन० पी० और पोटाश का अलग-अलग आयात करने के बजाय अमरीका से महंगे एन० पी० के० समूह उर्वरक का आयात किया जाना आवश्यक है; और

(ग) क्या यूरोप के ए० एन० पी० का मूल्य अमरीका के डी० ए० पी० से अधिक है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। आयात सम्बन्धी कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए जाते हैं।

(ख) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या तैयार एन० पी० के मिश्रित उर्वरकों का आयात करने के बजाय एन० पी० तथा पोटाश का अलग-अलग आयात किया जा सकता है और उन्हें देश में एन० पी० के दामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं। ए० एन० पी० पिछली बार यूरोप से 64.25 अमरीकी डालर पोत पर्यन्त नि:शुल्क (थैलों में) प्रति मीट्रिक टन की दर से जनवरी, 1972 में खरीदा गया था। डी० ए० पी० अमेरिका से पिछली बार मार्च, 1972 में 78.17 से 85.98 अमरीकी डालर (थोक) प्रति मी० टन की दर से खरीदा गया था। परन्तु ए० एन० पी० का पोषक तत्व डी० ए० पी० की अपेक्षा 50 प्रतिशत कम था।

उर्वरक कारखानों द्वारा अपने उत्पादों को गैर सरकारी वितरकों की मार्फत वितरित करना

694. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत उर्वरक कारखाने अपने उत्पादों का वितरण बड़े गैर-सरकारी वितरकों की मार्फत कर रहे हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में डा० मैथ्यू कुरिया, संसद सदस्य को दिये गये उनके उत्तर की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और नैवेली लिग्नाइट निगम पुरानी अथवा नई सार्वजनिक क्षेत्र-पद्धति से लाभदायक वितरण करने से आनाकानी क्यों कर रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन अपने उत्पादन का 40 प्रतिशत किन्तु प्रति वर्ष कम से कम 40,000 टन यूरिया (उनके द्वारा उत्पादित एकमात्र उर्वरक) का वितरण मैसर्स रैलिस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कर रही है। उनके उत्पादन का शेष भाग तमिलनाडू सरकार तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित किया जाता है।

हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अपने उर्वरक के वितरण हेतु बहुत से वितरक नियुक्त किये हैं इनमें सहकारी संस्थाओं और राज्य विपणन अभिकरणों के अलावा निजी क्षेत्र के संगठन भी शामिल हैं।

(ख) एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3244/72**]

(ग) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने मैसर्स एफ० ए० सी० टी० और भारतीय निगम के साथ समझौता करने का प्रयत्न किया था किन्तु कोई समझौता न हो सका। भारतीय खाद्य निगम ने नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से जून 1972 में लिखा-पढ़ी की जबकि वह 1972-73 के लिए पहले ही बचनबद्ध हो चुकी थी। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने वास्तव में सहकारी संस्थाओं और राज्य विपणन अधिकरणों को वितरक नियुक्त किया है। निजी क्षेत्र के बड़े पैमाने के संस्थानों के माध्यम से वह केवल अपने कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट की कुल बिक्री का लगभग 7 प्रतिशत और अमोनियम सल्फेट की कुल बिक्री का लगभग 25 प्रतिशत का वितरण ही बड़ी-बड़ी निजी फर्मों द्वारा करता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के साथ सम्बद्ध करना

695. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के हंगरी के सहयोगियों ने तकनीकी सलाहकार के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को सम्बद्ध करने के बारे में असहमति व्यक्त की है;

(ख) कोरबा के प्रथम चरण में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कार्यकरण के बारे में असंतोष का विस्तृत आधार क्या है ; और

(ग) क्या सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन ब्यूरो ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के स्तर पर अलौह धातु विज्ञान में विशेष जानकारी प्राप्त कर ली है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोरबा ऐलूमिना संयंत्र के विस्तृत इंजीनियरी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा दी गई परामर्शदात्री सेवाओं से भारत ऐलूमिनियम कम्पनी का समय सारणी का अनुपालन करने और कार्य के प्रकार, दोनों के बारे में, पूर्वतः समाधान नहीं हुआ है।

(ग) भारत ऐलूमिनियम कम्पनी द्वारा कोरबा प्रद्रावक और गढ़ाई एककों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की अधिमानता में केन्द्रीय इंजीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो को प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था क्योंकि उनके पास, विशिष्टतया, बेल्लित मिलों संदर्भ में, जो कि प्रायोजना का एक सारवान भाग है, आवश्यक विशेषज्ञता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

696. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लेखा तैयार करने वाली मशीन का प्रयोग सभी क्षेत्रों में आरम्भ हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र में यह सिद्ध हो गया है कि लेखा तैयार करने वाली मशीन ने काफी सीमा तक कुशल ढंग से लेखा संकलन का कार्य किया है तथा सदस्यों को लेखे का वार्षिक विवरण देने में भी यह काफी सहायक रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) खातों की मशीन द्वारा प्रक्रिया महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय में चालू है। अन्य क्षेत्रों में अभी यह रायज नहीं की गई। महाराष्ट्र क्षेत्र में लेखों के वार्षिक विवरणों के कुशल संकलन, और निर्गम में मशीनी प्रक्रिया ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ख) एक अन्य क्षेत्र को यह सुविधा देने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि की क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशें

697. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, मैसूर, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल स्थित क्षेत्रीय समितियों द्वारा वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान की गई मुख्य सिफारिशें कर्मचारी भविष्य निधि योजना का प्रबन्ध करने वाले केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं तथा क्रियान्वित कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान इन क्षेत्रीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का स्वरूप क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारी अपेक्षित सूचना एकत्र कर रहे हैं। इसे यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि पूंजी निवेश का स्वरूप

698. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत एकत्र हुई राशि के पूंजी निवेश का स्वरूप क्या है ;

(ख) क्या यह निधि केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप है ; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड की सिफारिशों का अनुसरण न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि में निम्नलिखित तरीका था :—

(क) 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि में निम्नलिखित तरीका था :—

(i) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में	45 प्रतिशत से कम नहीं।
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों, कर-शुल्क लघु बचत प्रतिभूतियों और डाकघरों में 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष के आवधिक जमाओं में,	शेष

(ख) 1971-72 वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने पूंजी लगाने के लिए निवेश के निम्न स्वरूप की सिफारिश की थी :—

(i) डाकघर आवधिक जमाओं को छोड़कर केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों और लघु बचतों में 35%

(ii) राज्य सरकारों/केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियों में 35%

(iii) डाक घर आवधिक जमाओं में 30%

(ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने निवेश के स्वरूप के उदारीकरण के लिए जिस सीमा तक सुझाव दिया था, उस तक भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया, मुख्यतः इन कारणों से कि पूंजी लगाने के ढंग में इस प्रकार की उदारता योजना के स्रोतों एवं आवंटनों में जैसे की सारी योजना के लिए तैयार किए गए हैं, बाधा डालेगी ।

साप्ताहिक 'दि कोलफील्ड टाइम्स' में 'प्राविडेंट फंड आर फंड फार आफीशियल्स' शीर्षक से प्रकाशित लेख

699. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री 4 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5064 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में धनबाद से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक 'दि कोलफील्ड टाइम्स' में 'प्राविडेंट फंड फार आफीशियल्स' शीर्षक से प्रकाशित लेख में शिकायतों के बारे में सरकार ने कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त के परामर्श से जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच इस समय किस स्थिति में है और इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) यदि जांच पूरी हो गई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) इस मामले की कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त से परामर्श करके जांच की गई थी और निर्णय लिया गया है कि कतिपय आरोपों की कोयला खान भविष्य निधि संगठन से बाहर किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की जाए । सम्बन्धित अधिकारी को दो महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, त्रिवेन्द्रम

700. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के कार्यकारण के बारे में सरकार को कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) इसका सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) नेल्लियमपथी एस्टेट्स लेबर कांग्रेस, केरल द्वारा भेजा गया एक अभ्यावेदन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, केरल के कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना के असन्तोषजनक कार्यचालन के बारे में सामान्य रूप से शिकायत की गई थी ।

(ख) इन शिकायतों में मामलों की इस दशा का कारण कार्यालय का अधिक भारी हो जाना बतलाया गया है और ये सुझाव दिए गए हैं (i) योजना के कार्यचालन का विकेन्द्रीकरण ; (ii) प्रत्येक क्षेत्र के लिए सलाहकार बोर्डों का गठन ; (iii) निरीक्षकों और प्रतिष्ठानों के सदस्यों के बीच अधिक निकट सम्पर्क ।

(ग) त्रिचुर में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का एक प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सामने उसकी 4 अगस्त, 1972 को होने वाली बैठक में रखा जा रहा है।

(ii) केरल राज्य में एक क्षेत्रीय समिति पहले से ही कार्य कर रही है । इसमें श्रमिकों, नियोजकों और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

(iii) ऐसे निदेश विद्यमान हैं कि अपने दौरों और निरीक्षणों के समय निरीक्षक प्रतिनिधि संघों आदि को मिलें ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात उत्पादों का वितरण

701. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा गैर सरकारी क्षेत्र के दो कारखानों ने स्टाकिस्टों तथा व्यापारियों का इस्पात उत्पादों के वितरण के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित कर रखे हैं ;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा निर्मित उत्पादों का वर्ग-वार कितने प्रतिशत भाग उत्पादकों के स्टाक थार्ड से व्यापारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही हुई है कि उत्पादकों द्वारा इस प्रकार सप्लाई किये जाने वाले इस्पात पर व्यापारी लोग चोरबाजारी न कर सकें ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कमी को देखते हुए अधिकतर उपलब्ध उत्पादन वास्तविक उपभोक्ताओं को प्रेषित कर दिया जाता है। उत्पादन का केवल कुछ प्रतिशत ही मुख्य उत्पादकों और स्टाकिस्टों को क्षेत्रीय आधार पर प्रेषित किया जाता है । बुक किये गये आर्डरों के तिथि क्रम से व्यापारियों और कुरैशी समिति की सिफारिशों के अनुसार यह निश्चय किया गया है कि आवंटन का 50 प्रतिशत व्यापारियों को नए आर्डरों पर प्रेषण के लिए अलग से रख दिया जाएगा और बाकी 50 प्रतिशत पहले आर्डरों पर प्रेषित किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए नए आर्डरों का अभिप्राय उन आर्डरों से है जो व्यापारियों को दो वर्ष तक की लेप्स क्लाज के अन्तर्गत दिए गए हैं ।

(ख) व्यापारियों को मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों से सप्लाई किए जाने वाले माल की कोई निश्चित प्रतिशत मात्रा नहीं है । यह उपलब्धि तथा प्रत्येक श्रेणी तथा मात्रा की प्राथमिक आव-

श्यकताओं आदि पर निर्भर है। उच्चतर प्राथमिक मांगों को पूरा करने के पश्चात् बचे हुए माल, तथा अन्य आवंटितों द्वारा निश्चित अवधि में नहीं उठाया गया माल संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित की गई स्टाकयार्ड वितरण प्रणाली के अनुसार व्यापारियों को बेच दिया जाता है।

(ग) व्यापारियों को पुन: बिक्री के लिए दिए गये माल के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि उपलब्ध इस्पात का बहुत थोड़ा प्रतिशत व्यापारियों को आवंटित किया जाता है।

इस्पात पुनर्बेलन-गृहों द्वारा बिलेटों की सीधी बिक्री

702. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात पुनर्बेलन उद्योगगृहों को व्यापारियों तथा स्टाकिस्टों को बिलेटों तथा अन्य उत्पादों की शीघ्र बिक्री के लिये किस प्रकार अनुमति दी जाती है; और

(ख) पुनर्बेलन उद्योग-गृहों के लिए, छीलन से तैयार इस्पात के मामले में ऐसी बिक्री के लिए क्या कोटा निश्चित किया गया है; और

(ग) सरकार ने यह निश्चित करने के लिए क्या उपाय किये हैं कि व्यापारी इस्पात को काला बाजार में न बेच सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बिलेट पुनर्बेलकों को बिलेट बेचने की अनुमति नहीं है। वे अनुमोदित बेलन कार्यक्रमों तथा बिलेट पुनर्बेलन समिति द्वारा किये गये आवंटनों के अनुसार तैयार उत्पाद बेच सकते हैं। बिलेट पुनर्बेलकों को बेलन के लिए दिये गये बिलेटों के उत्पादों को व्यापारियों को सीधे बेचने की अनुमति नहीं है। फिर भी उनके उत्पादन का 25 प्रतिशत मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों के माध्यम से बेचा जाता है। इसमें से 40 प्रतिशत मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों के माध्यम से व्यापारियों को आवंटित किया जाता है।

(ख) रेलवे द्वारा उपलब्ध की जाने वाली लगभग 2 लाख टन प्रयुक्त रेल पटरियों में से लगभग 1,50,000 टन रेल पटरियां स्क्रेप पुनर्बेलकों को इस शर्त पर दी जा रही हैं कि वे पुनर्बेलित उत्पादों को मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों को देंगे। स्क्रेप पुनर्बेलकों द्वारा स्क्रेप तथा विद्युत् भट्टी पिंडों से उत्पादित इस्पात पर नियंत्रण नहीं है।

(ग) व्यापारियों को पुन: बिक्री के लिए दिये माल की बिक्री के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है फिर भी वास्तविक उपभोक्ताओं को सीधे दी गई इस्पात की मात्रा की तुलना में व्यापारियों को दिये गये इस्पात की मात्रा बहुत कम है।

श्रीलंका में चीन का अड्डा

703. **श्री के० सूर्यनारायण :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि श्रीलंका ने हिन्दमहासागर में अपने देश के क्षेत्र में चीनियों को अड्डे बनाने की स्वीकृति दे दी है जिससे इस जोन की गुट निरपेक्षता की स्थिति के समाप्त हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ऐसा कोई समझौता सरकार के देखने में नहीं आया है । 20 जुलाई, 1972 को श्रीलंका गणराज्य के दिल्ली-स्थित हाई कमीशन द्वारा जारी किये गये प्रेस बंटन में इस बात से इंकार किया गया है कि श्रीलंका ने इस प्रकार का कोई समझौता किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के शिविरों के रख-रखाव पर व्यय

704. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए शिविरों के रख-रखाव पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सभी शरणार्थियों को वापस भेजा जा चुका है, यदि नहीं तो अभी कितने शरणार्थी स्वदेश लौटने की प्रतीक्षा में हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत-पाक समस्याओं के हल के अन्तर्गत ही पाकिस्तान से इस व्यय का कोई अंश वसूल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 31 मई, 1972 तक बंगला देश के शरणार्थियों पर कुल 302 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं ।

(ख) केवल 533 व्यक्तियों को छोड़कर शिविरों में रहने वाले सभी शरणार्थियों को बंगला देश भेज दिया गया है ।

गैर-शिविर शरणार्थियों, अर्थात् जो अपने मित्रों और सम्बन्धियों के साथ रह रहे थे, का सम्बन्ध है उनमें से अधिकांश स्वयं ही बंगला देश लौट गए हैं । जब कभी किसी इक्के-दुक्के मामले का पता चलता है तो उस पर राज्य सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में इस समय कोई सूचना देना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

पश्चिम बंगाल स्थित दत्ता सेन्ट्रल कजोरा कोलायरी में तालाबन्दी

705. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित दत्ता सेन्ट्रल कजोरा कोलायरी में तालाबन्दी घोषित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं और इस तालाबन्दी को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में दी दत्ता सेन्ट्रल काजोरा कोलियरी में 8-7-67 से तालाबन्दी कर दी गई थी, जिससे लगभग 300

श्रमिक प्रभावित हुए। सरकार के तारीख 2 अगस्त, 1967 के आदेश द्वारा कोलियरी में तालाबन्दी के जारी रहने को वर्जित किया गया था। तत्पश्चात्, वर्जन आदेश के बावजूद तालाबन्दी को जारी रखने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 24 (i) (ii) के अन्तर्गत प्रबन्धकों को अभियोजित किया गया था।

स्वेज नहर को फिर से खोलना

706. **श्री के० मालन्ना :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिये भारत सरकार ने कोई नया प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) स्वेज नहर के पुनः कब तक खुलने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) भारत स्वेज नहर को फिर से खोलने सम्बन्धी न्यायपूर्ण और उचित सुझावों का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता रहा है। अप्रैल/मई, 1972 में सान्तियागो (चिली) में अंकटाड सम्मेलन में, भारत ने "स्वेज नहर के बन्द हो जाने पर आर्थिक प्रभाव" सम्बन्धी प्रस्ताव 40 (iii) का समर्थन किया था जो कि स्वेज नहर को जल्दी से जल्दी खोलने के पक्ष में था। इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

संयुक्त राष्ट्र सेवा से एक भारतीय अधिकारी का त्याग-पत्र

707. **श्री हरी सिंह :**
श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना कार्यालय से एक भारतीय अधिकारी ने 21 जून, 1972 को त्यागपत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। श्री गोवर्धन लाल ओबराय न्यूयार्क-स्थित संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के प्रेस एवं प्रकाशन विभाग के निदेशक थे और उन्होंने 21 जून, 1972 को उस पद से त्याग-पत्र दे दिया जो 24 सितम्बर, 1972 को प्रभाव में आ जाएगा।

(ख) श्री ओबराय ने विभिन्न मसलों पर संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के साथ मतभेद होने के कारण त्याग-पत्र दिया जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें थीं : संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में नियुक्ति और स्थानांतरण से सम्बद्ध मामले, संयुक्त राष्ट्र के प्रेस एवं प्रकाशन संगठनों में प्रयुक्त होने

वाली भाषाएं; और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक सूचना परिषद में विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्व ।

(ग) मामले से सम्बद्ध सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कोई मत व्यक्त करना नहीं चाहती ।

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के विरुद्ध ब्रिटेन से विरोध

708. **श्री हरी सिंह :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के मित्र देशों द्वारा पाकिस्तान को ब्रिटेन निर्मित हथियारों की सप्लाई किये जाने के विरुद्ध जून, 1972 में ब्रिटेन से विरोध प्रकट किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, नहीं । फिर भी ब्रिटिश सरकार का ध्यान इन प्रचलित रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि इंग्लैंड के बने शस्त्रास्त्र तीसरे देशों से होकर पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं ।

(ख) ब्रिटिश सरकार इस मामले की जांच कर रही है ।

Treating of Bonus as Annual Salary

709. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the demand of the Bharatiya Mazdoor Sangh for treating bonus as annual salary;

(b) if so, the main points of the talks held with the leaders of the said Sangh and the reaction of Government thereto; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Government have received copy of a resolution passed by the Mysore State unit of the Bharatiya Mazdoor Sangh saying that bonus should be t eated as deferred wage so long as the workers are not paid a living wage and only thereafter should it be considered as a share in profits.

(b) Government has held no talks on the subject with the leaders of the Bharatiya Mazdoor Sangh.

(c) Government has already constituted a Committee to review the operation of the Payment of Bonus Act, 1965.

Import of Steel

710. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the type and value of steel imported during the last three years; and

(b) the names of the Companies which were supplied the imported steel and the purposes for which it was given to them?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan): (a) The type and value of steel imported during the last three years is givan in the table below:

Imports of Iron and Steel

(Quantity in tonnes & value in Rs. Lakhs)

	1968-69		1969-70		1970-71		1971-72*	
	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
Pig Iron/Ferro Alloys:	1,858	1,36	2,399	1,23	1,609	2,00	7980	287
Cast Iron	3,306	1,62	1,454	80	1,626	72	975	63
Mild Steel	3,66,492	58,25	3,45,292	58,10	5,51,132	1,00,10	805265	12486
High Carbon Steel.	36,088	6,58	31,836	5,88	71,454	15.45	121239	2413
Alloy Steel	35,874	15,90	28,286	12,16	64,824	25,81	74891	2789
Steel Casting and Forgings:	8,349	3,83	7,231	3,93	8,015	4,34	5532	323
Iron & Steel Scrap	13,469	1,22	6,599	91	7,428	76	13645	136
Total	14,65,436	88,76	4,23,087	83,01	7,06,088	1,49,18	10,29,527	18.497

(b) Import of steel is restricted to the items that are not available in the country in adequate quantity any qualities. Import licences/release orders are issued to Actual Users/ Canalising Agencies. The particulars for licences/release orders issued for the import of steel are published regularly in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences & Export Licences", copies of which are supplied to the Parliament Library. Hindustan Steel Limited also imports certain noncanalised items of steel in bulk from time to time to meet requirements of certain Government Departments, Public Sector undertakings, Small Scale Industries, Export Engineering Industries etc. In 1971-72, Hindustan Steel Limited was entrusted with the import of steel worth Rs. 20 crores to meet the shortfall in production at Rourkela Steel Plant due to the roof collapse of the Steel Melting Shop. These were distributed to those parties to whom the Steel Priority Committee had allotted priority, which could not materialise in view of the damage to the Plant.

*(April to December)

Besides these imports billets are also imported and supplied to the billet re-rollers through the Billet Re-rollers Committee.

Friendly Relations with Neighbouring Countries

711. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any special effort has been made to have mutual co-operation, cultural relations and common market with the neighbouring countries of India and other Eastern countries; and

(b) if so, the reaction thereto and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) India realises the need for developing close cooperation with neighbouring countries and other Eastern countries, and has been making special efforts towards this end. In the cultural field, India has cultural agreements with Indonesia, Japan and Australia and proposals for signing cultural agreements with other Asian countries are being processed. We have opened a Cultural Centre in Fiji, and the possibility of opening Cultural Centres in other Asian countries, some of which are our close neighbours, is being examined. Other cultural activities, such as exchanges of students and scholars, of cultural troupes, exhibition of Indian arts abroad and vice versa, establishment of chairs of Indian studies etc. are also being actively pursued.

In the economic sphere, constant efforts are being made to develop closer relations to mutual advantage. Joint ventures are being set up and new avenues for industrial and technological collaboration are being explored. The specific possibility of setting up of a common market with neighbouring countries and other Eastern countries is, however, not yet considered feasible.

The result of our efforts has been a further strengthening of India's bilateral relations with all these countries in the fields of political, economic, commercial and cultural affairs.

रूस को पेचों की सप्लाई

712. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस का विचार भारत को 5000 टन इस्पात सप्लाई करने का है जिससे उसके पेच बनाकर पुन: उसे निर्यात किया जा सके;

(ख) क्या इस्पात की सप्लाई चालू वर्ष के व्यापार समझौते के अन्तर्गत रूस से आयात किये जाने वाले इस्पात की मात्रा के अतिरिक्त होगी; और

(ग) क्या भारत का विचार इस वर्ष रूस से 70,000 टन रोल्ड इस्पात उत्पादों का आयात करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) व्यापार योजना पर हाल में हुए विचार-विमर्श के दौरान सोवियत पक्ष ने एक यह सुझाव दिया था कि व्यापार योजना के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अलावा वे भारत से 5000 टन पुर्जे खरीदने और भारत को 5000 टन इस्पात सप्लाई करने को तैयार है।

(ग) वर्ष 1972 की व्यापार योजना में 70,000 टन बेलित इस्पात के आयात की व्यवस्था है।

लघु उद्योगों में वितरित करने के लिये लघु उद्योग निगम को इस्पात की सप्लाई

713. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग निगमों को रियायती दर इस्पात देने का है ताकि वे लघु उद्योगों को भी उसी दर पर इस्पात वितरित करें जिस पर वे अन्य इस्पात उपभोक्ताओं को वितरित करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से लघु उद्योगों को कितनी सहायता मिलेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में अतिरिक्त पूंजी-निवेश

714. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त कार्यवाही समिति ने राउरकेला इस्पात संयंत्र में 30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजी-निवेश की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) कार्यवाही समिति के विचार में कुछ ऐसी संगठनात्मक और तकनीकी कमियां हैं जो प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के प्रयत्नों में बाधक हैं। समिति ने एक कार्यक्रम तैयार किया है जिस पर लगभग इतनी ही राशि खर्च होगी जिससे इन कमियों को दूर किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप कारखाना शीघ्र ही निर्धारित क्षमता प्राप्त कर सकेगा।

लौह अयस्क बोर्ड की स्थापना

715. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री अरविन्द नेताम :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड और नारियल जटा बोर्ड की पद्धति पर लौह अयस्क बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सरकार ने लौह अयस्क बोर्ड स्थापित करने का विनिश्चय किया है। तत्समय के लिए यह गैर-कानूनी और गैर-वाणिज्यिक संगठन होगा। बोर्ड के प्रमुख कर्त्तव्य इस प्रकार होंगे :—

(क) देश में लौह अयस्क निक्षेपों के विकास के समस्त पहलुओं पर केन्द्रीय नीति आयोजना और विकास अभिकरण के रूप में कार्य करना।

(ख) लौह अयस्क संसाधनों के विकास और संरक्षण के लिए संदर्श योजनाएं तैयार करना और प्रभावात्मक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;

(ग) देश के लौह अयस्क संसाधनों, विशिष्टतया सूक्ष्मों, नीली धूल और लौह अयस्क की निम्न श्रेणियों का ऐलेटीकरण, का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना ;

(घ) देशीय आवश्यकताओं और संसाधनों के सुसंगत, लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठाना ;

(ङ) निर्यात संभावना और भारतीय इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए, देश के लौह अयस्क निक्षेपों का सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना ;

(च) लौह अयस्क खनन और विकास के लिए समन्वित अव-संरचना सुनिश्चित करना और रेलवे, पत्तन, राज्य विभागों, खान और धातु व्यापार निगम, वित्त-प्रबंधक संस्थानों आदि जैसे अभिकरणों के साथ सुव्यवस्थित संपर्क स्थापित करना;

(छ) समग्रतः लौह अयस्क सेक्टर के लिए केन्द्रीयकृत अनुसंधान और विकास अभिकरण के रूप में कार्य करना जिसमें वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान को उद्दीपित, संपोषित और प्रोत्साहित करना सम्मिलित है ; और

(ज) उन अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

भारती स्टील मेकिंग प्रोसेस के बारे में अलटाकर समिति का प्रतिवेदन

716. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारती स्टील मेकिंग प्रोसेस के बारे में अलटाकर समिति के निष्कर्षों को उक्त प्रक्रिया के बनाने वालों द्वारा चुनौती दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) श्री आई० के० भारती को अल्टेकर समिति की रिपोर्ट दी गई थी। श्री भारती ने समिति के निष्कर्षों पर आपत्ति की थी, परन्तु उन्होंने कोई अतिरिक्त डेटा नहीं दिया है। फिर भी, श्री भारती ने कार्बन मानाक्साइड गैस के निकलने तथा गर्म स्पंज को खुले वातावरण में लाने से पुनः आक्सीडेशन होने जैसी इंजीनियरिंग समस्याओं को स्वीकार किया है। उन्होंने अल्टेकर समिति द्वारा बताई गई कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। अल्टेकर समिति ने श्री भारती के सुझावों की जांच की है और उन्होंने पाया है कि उनके पहले के निष्कर्ष अब भी सही हैं।

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

717. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन मई, 1972 में नई दिल्ली में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) :(क) और (ख) मई, 1972 में हुए राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 23वें सत्र में, प्रमुख रूप से, औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली, विशेषकर संघमान्यता, विवाद निपटारा तंत्र, हड़ताल और तालाबन्दी सम्बन्धी प्रक्रिया, अनुचित प्रणालियों, स्थायी आदेशों और शिकायत निवारण प्रक्रिया आदि को पुनःनिर्देशित करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ।

न्यूनतम बोनस

718. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कार्मिक संघ परिषद् ने सरकार से अनुरोध किया है कि न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के प्रचालन की पुनरीक्षा करने और अन्य बातों के साथ न्यूनतम बोनस में वृद्धि के बारे में विचार करने के लिए सरकार ने पहले ही एक समिति स्थापित कर दी है।

भवन निर्माण करने वाले श्रमिकों की दशा के बारे में सर्वेक्षण

719. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भवन-निर्माण करने वाले श्रमिकों की दयनीय दशा का सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) :(क) और (ख) 1959-61 के दौरान श्रम ब्यूरो द्वारा भवननिर्माण उद्योग में लगे ठेका श्रमिकों की दशाओं का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के परिणाम श्रम ब्यूरो द्वारा 1962 में "ठेका श्रम (चुने हुए उद्योगों का सर्वेक्षण) 1957-61" (डी० एल० वी० 34) शीर्षक वाली विवरणिका में प्रकाशित किए गए थे।

श्रम ब्यूरो द्वारा चुने हुए उद्योगों में ठेका श्रम समस्या के स्वरूप और क्षेत्र का पता लगाने के लिए किये गए सर्वेक्षणों से सरकार को आवश्यक सूचना प्राप्त हुई जिससे वह "ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970" नामक कानून बनाने की दिशा में अग्रसर हुई।

एक रूसी इंजीनियर का दूसरे देश को पलायन

720. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्य कर रहे रूसी इंजीनियर का किसी अज्ञात देश को पलायन करना बताया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बोकारो इस्पात कारखाने में काम करने वाला एक सोवियत इंजीनियर लापता है। सम्बद्ध अधिकारी आजकल इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

पाकिस्तान से आए विस्थापितों का पुनर्वास

721. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के युद्ध के दौरान पाकिस्तान से आए जिन विस्थापितों को बसाया गया था, उन्होंने खेती के लिए भूमि की मांग की है ;

(ख) क्या इन विस्थापितों ने पाकिस्तान जाने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या शिमला शिखर सम्मेलन में विस्थापितों के इस प्रश्न पर विचार किया गया था ; और

(घ) इन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा पता चला है कि वे वापस जाने के इच्छुक नहीं हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इस मामले पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल के साथ शिमला में चर्चा हुई थी और पाकिस्तान सरकार से अपने विस्थापित नागरिकों की उनके घरों को वापसी तथा उनके पुनर्वास को सरल बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

बेरोजगार युवकों के लिए शिशिक्षुता योजना

722. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशिक्षुता योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों में औद्योगिक दक्षता बढ़ाने के कार्यक्रम में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ग) क्या प्रशिक्षणार्थियों और उद्योग से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार का विचार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को बढ़ाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) 30-9-1971 को 47,652 ।

(ग) जी हां।

लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना

723. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अनेक स्थानों पर लघु इस्पात संयंत्र लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने हेतु स्थान निश्चित करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) संभवत: प्रश्न का संकेत विद्युत् भट्ठियों से परम्परागत/लगातार ढलाई द्वारा रद्दी इस्पात से इस्पात के पिण्ड/बिलेट तैयार करने वाले कारखानों की ओर है । सरकार का स्वयम् ऐसे कारखाने स्थापित करने का कोई प्रोग्राम नहीं है परन्तु वह राज्य औद्योगिक विकास निगमों और प्राइवेट पार्टियों से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों पर रद्दी इस्पात की उपलब्धि और ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखकर गुण-दोष के आधार पर उनकी जांच करती है ।

(ग) जी, नहीं । कारखाने के स्थल के बारे में फैसला करना उद्योगपति का काम है । परन्तु सरकार औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्रार्थना पत्रों पर विचार करते समय सभी संगत तथ्यों सहित उद्योग के बिखराव की वांछनीयता को ध्यान में रखती है ।

औद्योगिक श्रमिकों में अनुशासनहीनता

724. **श्री रामसहाय पांडे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से औद्योगिक श्रमिकों में अनुशासनहीनता बढ़ गई है जिससे देश में उद्योगों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने श्रमिकों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता पर चिन्ता व्यक्त की है तथा श्रमिक समस्याओं को हल करने के लिए कुछ उपाय सुझाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिक समस्याओं का हल करने और औद्योगिक एककों में सुचारु रूप से काम चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1270 और 1971 के दौरान अनुशासनहीनता और हिंसा के कारण हुए विवादों की संख्या, इसमें अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या और इन विवादों के कारण क्षति हुए श्रम दिनों की संख्या निम्न प्रकार थी :

वर्ष	विवादों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या	क्षति हुए श्रम दिनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1970	109(3.8)	70,960	3,145,283
1971 (अनन्तिम)	102(3.9)	53,768	2,0535,41

कालम 2 के कोष्ठकों के अंक, अविभाज्य रूप से, विभिन्न कारणों की वजह से, हुए विवादों की, कुल संख्या की प्रतिशतता के सम्बन्ध में अनुशासनहीनता और अहिंसा के कारण हुए विवादों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

(ख) और (ग) श्रम मंत्रालय इससे अवगत नहीं है । सामान्यतः विभिन्न प्रतिष्ठानों के स्थायी आदेशों में, सम्बन्धित प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की ओर से किए गए विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों से सम्बन्धित उपबन्ध सम्मिलित हैं । तथापि, सरकारें, औद्योगिक सम्बन्ध प्रथा में स्वीकृत साधन बनाने और सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए, श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों को सम्मिलित करते हुए, सम्बन्धित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रही हैं ।

भारत द्वारा सिक्किमी वस्तुओं का निर्यात

725. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत कुल कितने मूल्य की सिक्किमी वस्तुओं का प्रतिवर्ष निर्यात करता है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : आजकल सिक्किम से निर्यात का मामला भारत में लागू राजस्व एवं विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों के अधीन आता है । इन वस्तुओं के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते क्योंकि भारतीय बन्दरगाहों से इनका निर्यात होता है जो हमारे राजस्व के अधिनियमों की परिधि में आता है । लेकिन सिक्किम से अधिकांशतः दस्तकारी की वस्तुओं और इलायची का निर्यात किया जाता है जिसकी मात्रा थोड़ी ही होती है ।

भारती की डाइरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस का पुनर्निरीक्षण

726. **श्री राजदेव सिंह** :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक भारतीय वैज्ञानिक ने 'भारती डायरेक्ट रिडक्शन

प्रोसेस' के नाम से एक प्रक्रिया विकसित की है जिससे इस्पात की उत्पादन लागत को 180 रुपये प्रति टन से घटा कर पांच रुपए प्रति टन अथवा इससे कम करना सम्भव होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया की पुन: जांच करने तथा इसे अमल में लाने के लिए तैयार हैं जिससे देश को इस्पात उत्पादन में पर्याप्त आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञों की एक समिति ने लौह खनिज के डायरेक्ट रिडक्शन के भारती विकल्प की जांच की है और इस पर इस देश के कई वैज्ञानिकों और शिल्पज्ञों ने भी टिप्पणी की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तकनीकी तौर पर भारती प्रक्रिया सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र संघ की नि:शस्त्रीकरण समिति में भारत का प्रतिनिधित्व

727. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की नि:शस्त्रीकरण समिति में भारत का प्रतिनिधित्व है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्यारह गुट निरपेक्ष देशों के ग्यारह प्रतिनिधियों के साथ हमारे प्रतिनिधि ने रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण और उनको जमा करने पर रोक लगाने हेतु गत सितम्बर में एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय हो रहे जनेवा के सम्मेलन में नि:शस्त्रीकरण समिति की इस बार यदि कोई प्रतिक्रियाएं हुई हैं तो वे क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निरस्त्रीकरण समिति सम्मेलन के बारह देशों ने मिलकर—जिनमें भारत भी शामिल था—सी सी डी के समक्ष 28 सितम्बर, 1971 को रासायनिक शस्त्रों के विकास, उत्पादन और संग्रह तथा उनके नष्ट करने से सम्बन्धित एक संयुक्त-ज्ञापन प्रस्तुत किया।

(ग) सी सी डी जिसका इस समय अधिवेशन हो रहा है इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है कि अब तक रखे गए या चर्चा के समय सी सी डी के सदस्यों द्वारा रखे जाने वाले उन सभी प्रस्तावों तथा सुझावों को—जिनमें उपर्युक्त संयुक्त ज्ञापन भी शामिल है—ध्यान में रखते हुए रासायनिक शस्त्रों के विकास, उत्पादन तथा संग्रह के निषेध तथा उनके नष्ट करने के सम्बन्ध में एक अभिसमय किया जाए।

Bonus Formula

728. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the main features of the Bonus formula prescribed by his Ministry;

(b) the names of the Public Undertakings and Departments who have not implemented the said formula; and

(c) the steps being taken to get it enforced strictly in both Public and Private sector ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a), (b) and (c) Apparently the question refers to the ad hoc formula evolved at Bombay in September, 1971 for payment of graded advances ranging from 1 to 4-1/2% over the minimum bonus due under the Payment of Bonus Act, 1965. The formula was evolved to meet the demands for a higher minimum bonus pending suitable amendments to the Act. It has no statutory force, but establishments in both the public and private sector have been advised to implement it.

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में 'कम्प्यूटर' प्रणाली का लगाया जाना

729. **श्री लालजी भाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में 'कम्प्यूटर' प्रणाली लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा तथा इस उपकरण से कम्पनी को कितना लाभ होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में कम्प्यूटर प्रणाली प्रतिष्ठापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि कम्पनी ने हाल ही में अधिक अच्छा सूची नियंत्रण, स्टोर्स की समयोचित उपाप्ति और दक्ष लागत नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए छेदन-अभिलेख लेख-विधि यंत्र (पंच रिकार्ड एकाउंटिंग मशीन) प्रतिष्ठापित किया है।

जमशेदपुर में स्पंज आयरन परियोजना की स्थापना

730. **चौधरी राम प्रकाश** :
श्री झारखंडेराय :

क्या इस्पात और खान मंत्री 16 मार्च, 1972 के जमशेदपुर में स्पंज आयरन परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना में कितनी लागत आने की संभावना है ; और

(ख) क्या इसमें किसी प्रकार की विदेशी सहायता की आवश्यकता भी पड़ेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) स्पंज आयरन के उत्पादन के लिए विभिन्न कच्चे माल की उपयुक्तता की जांच के लिए एक पायलट प्लान्ट लगाने पर वर्तमान अनुमानों के अनुसार लगभग 50 लाख रुपये खर्च होंगे।

(ख) राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर ने संयंत्र तथा उपकरणों के लिए टेंडर मांगे हैं। इस समय यह बताना समय पूर्व होगा कि क्या विदेश से रूपांकन प्रलेख तथा संघटक प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी।

ब्रिटेन में भारतीयों को परेशान करना

731. **श्री राम प्रकाश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन में भारतीय आगन्तुकों को परेशान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने इस मामले को कई मौकों पर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उठाया है और वह आशा करती है कि उसकी कार्रवाई से यूनाइटेड किंगडम के प्रवेश पत्तनों पर यहां पहुंचने वाले भारतीय यात्रियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसमें सुधार होगा ।

सेलम इस्पात संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी का आयात

732. **श्री राम प्रकाश :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने नये संयंत्रों की स्थापना के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की सहायता लेने के लिए पहले वचन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो अब वचन पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार सेलम इस्पात कारखाने में बेदाग इस्पात के उत्पादन के लिए प्रक्रियात्मक जानकारी प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) सरकार की नीति यह है कि नए इस्पात कारखानों के लिए आवश्यक संयंत्र और उपकरणों के निर्माण में देशीय योगदान अधिकाधिक होना चाहिये और भारी इंजीनियरी निगम की क्षमता का यथासंभव अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Production Capacity of Hindustan Zinc Limited

733. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 888 (a) the 18th May, 1972 regarding production capacity of Hindustan Zinc Limited and state :

(a) whether the Hindustan Zinc Limited was estimated to suffer a loss of Rs. 25 lakhs during 1971-72;

(b) whether the Hindustan Zinc Limited actually suffered a loss of more than Rs. 50 lakhs during 1971-72; and

(c) if so, the reasons of this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) & (b) The accounts of the Hindustan Zinc Limited for 1971-72 have not yet been audited. The provisional accounts show a loss of about Rs. 29 lakhs for the year.

(c) The main reasons for the loss are increase in costs of production and the plants working below their capacities.

Loss incurred in Durgapur Steel Plant

734. **Dr. Laxminarayan Pandey :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Durgapur Steel Plant incurred a loss of Rupees 30 crores during 1971-72;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the measures being taken to avoid or minimise the losses in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) & (b) Durgapur Steel Plant incurred a loss of Rs. 27.4 crores (provisional) during 1971-72. The principal reasons for the loss were low production which was only 700,000 tonnes of ingot steel and increase in costs due to the impact of a number of escalatory factors such as increase in salaries and wages, higher consumption of stores and spares on account of greater maintenance requirements resulting from ageing of the plants and equipment, increase in the prices of stores and spares and raw materials and in the rate of electricity duty etc.

(c) The management of Hindustan Steel Ltd. are making concerted efforts to raise production and have taken a number of measures in this direction like repairs to coke ovens, use of alternative/auxiliary fuels to supplement coke oven gas availability, use of oxygen lancing in open hearth furnaces to the extent possible, improved maintenance aimed at better equipment availability, speeding up capital programmes and planned procurement of spares, refractories and other essential materials. In the area of industrial relations, a three-tier joint consultative machinery have been set up for speedy settlement of industrial disputes and grievances and to enlist the cooperation of workers in maximising production.

Computers in Operation in Public and Private Sector Establishments

735. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of computers in operation in the various industries at present including public sector and private sector establishments;

(b) their number in 1970-71; and

(c) the number of workers retrenched during 1971-72 on account of computerization ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) to (c) The Committee on Automation set up by the Government has, in its Report submitted to the Government on the 2nd June, 1972, indicated that upto 1970, there were 117 computers in use in the country and their number as on August 1971 was 140. The Committee has also reported that there was no direct retrenchment of workers consequent on installation of computors.

सीमेंट उद्योग में केन्द्रीय मजदूर संघों द्वारा हड़ताल की धमकी

736. **श्री अरविन्द नेताम :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग में हड़ताल के लिए केन्द्रीय मजदूर संघों द्वारा दी गई सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए हाल में मंत्री महोदय के साथ बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) श्रमिकों को अंतरिम सहायता मंजूर करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने और एक नया मजूरी ढांचा तैयार करने के लिए एक द्विपक्षीय वार्तातंत्र बनाने का निर्णय किया गया था ।

बिहार में धनबाद-झरिया के कोयला खनिकों में श्वास सम्बन्धी रोग

737. **श्री अरविन्द नेताम :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के धनबाद-झरिया क्षेत्रों में चिकित्सक दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि अधिकांश कोयला खनिकों में एक निश्चित समय तक कार्य करने के पश्चात् श्वास सम्बन्धी रोग हो जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के अन्य निष्कर्ष क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली के अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिक, कर्नल आर० विश्वानाथन के मार्ग निर्देशन में राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सायंसिज, पटना और केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद ने संयुक्त रूप से एक श्वास-प्रश्वास अस्वस्थता संबंधी सर्वेक्षण किया था । सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में सूती कपड़ा तथा इन्जीनियरिंग श्रमिकों की समस्यायें

738. **श्री बेकारिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे गुजरात में सूती कपड़ा तथा इंजीनियरिंग श्रमिकों की समस्याएं सुलझाई जा सकें ; और

(ख) वर्ष 1971-72 में उन कारखानों के बन्द हो जाने के कारण कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) यह मामला अनिवार्यतः राज्य क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

Displaced Persons of Pakistan Fearful of Returning to Pakistan

739. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of External **Affairs** be pleased to state :

(a) whether the displaced persons, who came from Sind during the Indo-Pak War, have expressed their apprehension regarding the safety of their lives and property after their return to Pakistan;

(b) if so, whether Government have contacted the Government of Pakistan to remove the said apprehension;

(e) if so, the nature thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) Government are aware that some of these Pakistani nationals entertain apprehension about their well-being after they return to Pakistan. Government regard this essentially as a human problem and have requested the Goverement of Pakistan to take suitable steps to reassure the Pakistani nationals and to facilitate their return and rehabilitation in their hearths and homes.

(d) Does not arise.

Indians Repatriated from Ceylon

740. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether five to six lakh Indians would be repatriated to India by the Government of Ceylon; and

(b) the total number of Indians so far repatriated by the Government of Ceylon and the total number of those still living there as also the number of those out of them to whom citizenship of Ceylon has been granted ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Under the Indo-Ceylon Agreement of 1964, 5.25 lakh persons of Indian origin, together with the natural increase are to be repatriated from Sri Lanka (Ceylon) to India.

(b) (i) Upto 22-7-1972, 65,578 persons have been repatriated to India under the 1964 Agreement.

(ii) According to the latest information available, there are about 1.2 million persons of Indian origin residing in Sri Lanka at present.

(iii) Upto 30th June, 1972, the Government of Sri Lanka has granted citizenship to 1,71,273 persons of Indian origin. This figure includes 1,34,276 persons who were granted citizenship under the India and Pakistani Residents Citizenship Act 1949 and 31,277 persons, together with the natural increase of 5,720, who were granted citizenship under the Indo-Ceylon Agreement of 1964.

राज्य स्तर पर पंच-फैसला प्रोत्साहन बोर्डों की स्थापना

741. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर पंच फैसला प्रोत्साहन बोर्डों की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) 10 दिसम्बर, 1972 को हुई अपनी चौथी बैठक में राष्ट्रीय विवाचन पदोन्नति बोर्ड ने यह सिफारिश की कि औद्योगिक विवादों के हल के लिए स्वैच्छिक विवाचन का एक साधन के रूप में व्यापक स्वीकृति हेतु प्रचार करने के लिए राज्य स्तर पर विवाचन पदोन्नति बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिए।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों को पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल की पंचवर्षीय योजना

742. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभाजन के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के आर्थिक पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना बनाई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी और क्या सहायता प्रदान कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की सहायता मांगी गई थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

743. **श्री अनन्त प्रसाद शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोकिंग कोयला उत्पादन करने वाली कितनी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है;

(ख) इन कोयला खानों के उन स्वामियों की संख्या कितनी है जिन्हें सोल एजेन्सियां दी गई हैं; और

(ग) ऐसे स्वामियों की संख्या कितनी है जिन्होंने सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालयों में मामले चलाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार ने केवल 214 कोककर कोयला खानों और 12 कोक भट्टी संयंत्रों के प्रबन्ध को, ऐसी खानों/संयंत्रों के राष्ट्रीयकरण तक ग्रहण किया है । इन खानों और संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए लोक सभा में 31-7-1972 को विधेयक पुर:स्थापित किया गया है ।

(ख) ग्रहीत खानों या कोक भट्टी संयंत्रों के किसी भी स्वामी को कोयला या कोक या किसी उपोत्पाद के विक्रय के लिए एकमात्र अभिकरण नहीं दिया है ।

(ग) कोककर कोयला खानों/कोक भट्टी संयंत्रों के 24 स्वामी सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण के मामले को न्यायालय में ले गए हैं ।

हिन्दमहासागर के बारे में चीन के प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त विचार

744. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के प्रधानमंत्री ने हिन्दमहासागर को तटस्थ रखने का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हिन्दमहासागर को विदेशी प्रभाव से मुक्त रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । जून-जुलाई, 1972 में जब श्रीलंका की प्रधानमंत्री चीन लोक गणराज्य की यात्रा पर गई थीं, तब चीन सरकार ने हिन्द-महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव का और इस विषय पर पिछले साल दिसम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पास किए प्रस्ताव का समर्थन व्यक्त किया था ।

(ख) इस सम्बन्ध में चीन की स्थिति को संतोषजनक माना गया है ।

(ग) सरकार का यह विचार सर्वविदित है कि हिन्दमहासागर क्षेत्र को शांति का क्षेत्र रखा जाए जो कि बड़े राष्ट्रों के दबाव, स्पर्धा और तनावों से मुक्त हो । भारत ने लुसाका घोषणा का समर्थन किया है और उसने 1 दिसम्बर, 1971 को अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव संख्या 2832 (XXVI) रखा था, जिसमें सभी राष्ट्रों से कहा गया था कि वे हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखें ।

चीन से अपना क्षेत्र वापस लेना

745. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के अधिकार से अपना क्षेत्र वापस लेने के लिये कोई नये प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में कौन से कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार की यही नीति है कि इस प्रश्न का हल शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा निकाला जाए।

पश्चिम बंगाल के कोयला खान संघों की मांगें

746. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** :

श्री समर गुह :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्ड सिफारिशों की क्रियान्विति, गैर कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण, कोयला खान श्रमिकों के लिए उपदान योजना और बन्द पड़े कोयलाखानों को खोलने सम्बन्धी पश्चिम बंगाल के कोयला खान संघों की मांगों पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल की कोयला खनन उद्योग में विभिन्न श्रमिक संगठनों की मांगों, जिनके सम्बन्ध में यूनियनों ने हड़तालों के नोटिस दिए हैं, के बारे में सम्बन्धित पक्षों के साथ विचार-विमर्श और बातचीत की गई और सम्बन्धित पक्षों के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के समक्ष कलकत्ते में पहली जुलाई, 1972 को हुए समझौते के परिणामस्वरूप, परिवर्ती महंगाई भत्ते की 15-10-71 से अदायगी और भारत कोकिंग कोल लि० की रूपरेखा पर ग्रेच्युटी योजना शुरू करने के सम्बन्ध में सहमति हुई। शेष परिवर्ती महंगाई भत्ते की अदायगी किस तारीख से की जाएगी इस प्रश्न को खुले विचार-विमर्श के लिए छोड़ दिया गया। बाद को नई दिल्ली में 4-7-72 को हुए विचार-विमर्श में यह स्वीकृत हुआ कि श्रमिकों को अन्य देय-राशियों के शीघ्र भुगतान के लिये क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रम मंत्री विचार करेंगे। इस बैठक में नियोजकों ने यह भी मान लिया कि श्रमिकों की मजूरियों तथा अन्य देय-राशियों की अदायगी भविष्य में समय पर और तुरन्त की जायेगी। ऐसी बन्द हुई खानों को जहां कहीं उनका बन्द किया जाना उचित नहीं है शीघ्र तथा यथासंभव रूप से पुनः खुलवाने के लिए प्रयास किये जाते हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और यदि कभी परिस्थितियों ने आवश्यक बनाया तो गैर-कोकिंग कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर भी विचार करेगी।

लाभदायक गैर-कोकिंग कोयला खानों का अधिग्रहण

747. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विशेषतया लाभ में चलने वाली गैर-कोकिंग कोयला खानों का अधिग्रहण करने के

विषय में गम्भीरता से विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : इस समय अकोकर कोयला खानों को ग्रहण करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र का स्थापित किया जाना

743. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के दूसरे इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में सरकार का विचार प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में इस्पात विकास कार्यक्रम तैयार करते समय अन्य सम्भव स्थलों के साथ-साथ उड़ीसा में उपयुक्त स्थलों पर भी विचार किया जाएगा।

रानीगंज तथा झारिया की कोयला खानों से गैर-बिहारियों का हटाया जाना

749. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रानीगंज झारिया की कोयला खानों के गैर-बिहारियों के हटाने का एक सुयोजित अभियान चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार इस प्रकार के किसी सुयोजित अभियान से अवगत नहीं है, लेकिन इस प्रकार की मांग के समर्थन में कभी-कभी प्रदर्शन हुए हैं।

(ख) प्रदर्शनों को विधि और व्यवस्था प्राधिकारियों द्वारा उचित रूप से चालू किया गया है।

न्यायालयों द्वारा रिहा किए गए राउरकेला इस्पात संयंत्र के श्रमिकों का बहाल करना

750. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के जिन श्रमिकों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था लेकिन बाद में जिनको रिहा कर दिया गया था, उन्हें फिर से अपने कार्य पर आने की अनुमति नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जहां श्रमिकों पर चोरी या कम्पनी की सम्पत्ति को अनधिकृत रूप से ले जाने जैसे आपराधिक दुर्व्यवहार का दोषारोपण किया जाता है, राउरकेला इस्पात कारखाने में ऐसे श्रमिकों के विरुद्ध आपराधिक

अभियोग विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की प्रथा है जो आपराधिक अभियोजन से अलग होती है। ऐसे भी मामले हैं जहां पर विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है परन्तु बाद में आपराधिक अभियोजन में बरी हो गया है, ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही पर पुनः विचार नहीं किया जाता है।

इस्पात संयंत्रों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी

751. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में अभी भी प्रतिनियुक्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक इस्पात संयंत्र में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। परन्तु सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कुल कर्मचारियों की तुलना में प्रतिनियुक्ति पर आये हुए व्यक्तियों की संख्या नगण्य है।

(ख) इस समय इस्पात कारखानों में प्रतिनियुक्ति पर आए हुए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

कारखाना	प्रतिनियुक्ति पर आये हुए व्यक्तियों की संख्या
भिलाई इस्पात कारखाना	8
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	16
राउरकेला इस्पात कारखाना	2
मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	2
बोकारो इस्पात कारखाना	21

इनमें औद्योगिक प्रबन्ध पूल के 7 अधिकारी (सरकार ने यह पूल विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा के लिए बनाया था) 4 पुलिस अधिकारी जो इस समय सुरक्षा के जिम्मेदार हैं तथा 2 व्यक्ति जिन्होंने पहले ही बोकारो इस्पात कारखाने में स्थायी रूप से जाना स्वीकार कर लिया है परन्तु जिन्हें अभी तक वहां खपाया नहीं गया है शामिल हैं।

उड़ीसा में सीसा-परियोजना की आर्थिक क्षमता

752. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सरगीपल्ली क्षेत्र में सीसा-परियोजना की आर्थिक क्षमता पर हाल ही में कोई सन्देह प्रकट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने हाल ही में क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सर्गीपल्ली (उड़ीसा) में सीसा निक्षेप अभी भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अन्वेषणाधीन है और इस पूर्वेक्षण पर आधारित प्रायोजना की अर्थक्षमता, साध्यता/प्रायोजना रिपोर्ट के तैयार करने के पश्चात् ही निर्धारित किया जा सकता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्र में अभी तक किया गया कार्य 6% सीसांश सहित 35.00 लाख टन की उपलभ्य राशियां उपदर्शित करता है।

मजदूर संघों की राष्ट्रीय परिषद् को विस्तृत करना

753. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी मांग की गई है कि वर्तमान मजदूर संघों की राष्ट्रीय परिषद् में, जिनमें इन्टक, एच० एम० एस० तथा ए० आई० टी० यू० सी० सम्मिलित हैं, अन्य राष्ट्रीय मजदूर संघ केन्द्रों को भी सम्मिलित करके और अधिक विस्तृत किया जाये;

(ख) यदि हां, तो परिषद् को और अधिक विस्तृत करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार के कुछ नज़दीकी लोगों ने सरकारी नीतियों का प्रसार करने के लिए मजदूर संघों को राष्ट्रीय परिषद् का केवल मात्र एक उपकरण बनाने तथा इसको प्रगतिशील श्रमिक नीतियों का उपकरण बनाने से रोकने का प्रयास किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रमिक संघ परिषद् तीन केन्द्रीय श्रमिक संघ केन्द्रों द्वारा गठित की गई थी। इसके आधार को विस्तारित करने का प्रश्न मूलतः उनके विचार का एक मामला है।

(ग) यह आरोप सच्चा नहीं है। अपनी ओर से सरकार चाहेगी कि श्रमिक संघ एकता पाए ताकि अन्तः संघ प्रतिद्वन्द्विता को कम किया जा सके और देश में औद्योगिक सम्पर्कों को उचित पथ पर बनाए रखा जा सके।

अलौह धातुओं का आयात

754. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश अलौह धातुओं के आयात के मामले में विदेशों पर काफी निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो इस समय अलौह धातुओं के आयात पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है;

(ग) देश में अलौह धातुओं का पता लगाने के लिय क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केवल ऐलूमिनियम धातु को छोड़कर, देश अलौह धातुओं के आयात के लिए प्रायः विदेशों पर निर्भर है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अलौह धातुओं के आयात का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपयों में
1969-70	74.51
1970-71	119.64
1971-72	79.76 (दिसम्बर 1971 तक)

(ग) अलौह धातुओं की महत्ता को देखते हुए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में विस्तृत समन्वेषण का गहन कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अभी तक बृहद् मापमान मानचित्रण, गर्तन और खान खोदना, भूरासायनिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षणों, देश के अनेक भागों में व्यधन समन्वेशी विपनन द्वारा किए गए अन्वेषणों से आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में ताम्र, सीसा, निकल और जस्ता अयस्क इत्यादि के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण पूर्वेक्षणों की जानकारी मिली है। इन अयस्कों की लघु उपलब्ध राशियां अन्य राज्यों में भी उपदर्शित हुई हैं।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में 'आपरेशन हार्ड रॉक' द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किए गए हैं। इन हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षणों द्वारा अनेक अमंगति बिन्दुओं का पता चला है।

(घ) जस्ता, सीसा, ताम्र और निकल के स्वदेशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रायोजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

(I) **जस्ता :**

(i) **जावर निक्षेप (राजस्थान)** : इस समय हिन्दुस्तान जिंक लि० जो कि केन्द्रीय सरकार की कम्पनी है, इन निक्षेपों पर आधारित जस्ता प्रद्रावक में 18000 टन प्रति वर्ष की क्षमता से कार्य कर रही है। यह प्रस्तावित है कि जावर क्षेत्र में बलारिया जस्ता-सीसा खान को विकसित कर इस प्रद्रावक की क्षमता को पंचम योजना के प्रारम्भिक चरण में 36000 टन प्रति वर्ष तक विस्तारित किया जाए।

(ii) **दरीबा राजपुर निक्षेप (राजस्थान)** : ऐसा प्रस्ताव है कि इस निक्षेप पर आधारित एक प्रद्रावक को स्थापित किया जाए जिसकी उत्पादन क्षमता 40,000 हजार टन जस्ता और 10,000 टन सीसा प्रतिवर्ष हो। साध्यता रिपोर्ट विदेशी परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की जा रही है। इस निक्षेप पर आधारित प्रद्रावक के पंचम योजना के अन्तिम चरण तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(iii) **अम्बामाता और डेरी निक्षेप (गुजरात और राजस्थान)** : इस समय अम्बामाता का अन्वेषण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा और डेरी का राजस्थान सरकार द्वारा अन्वेषण किया

जा रहा है । इस निक्षेप पर आधारित संकेन्द्रक प्रद्रावक की स्थापना की साध्यता पर विचार किया जा रहा है ।

(iv) **जावर क्षेत्र (राजस्थान) में अन्य निक्षेप** : जावर में अन्य निक्षेपों का अन्वेषण भी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसके द्वारा शीघ्र ही साध्यता रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।

(v) **आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित प्रद्रावक** : इस समय मैसर्स कोमिन्को बिनानी जिंक लि० एलवेई (केरल) में आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित 20,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले प्रद्रावक को संचालित कर रहे हैं । प्रद्रावक को 40,000 टन तक विस्तारित करने के लिए कम्पनी को आशय पत्र अनुदत्त किया गया है जिसके पंचम योजना के अन्तिम चरण तक सम्पूरित होने की सम्भावना है । यह भी विनिश्चय किया गया है कि आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित पब्लिक सेक्टर में 30,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक प्रद्रावक विभाग में स्थापित किया जाए । इस प्रद्रावक के भी पंचम योजना के अन्तिम चरण तक चालू हो जाने की सम्भावना है ।

(II) **सीसा**

(i) **जावर खानें (राजस्थान)** : हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा जावर खानों में उत्पादित सीसा संकेन्द्रक इस समय टुण्डू (बिहार) में प्रद्रावित की जा रही हैं । यह एक पुराना संयंत्र है और उसे 1972 के अन्तिम चरण तक 3600 टन प्रतिवर्ष और 1973-74 के अन्तिम चरण तक 6000 टन सीसा उत्पादित करने के लिए नवीकृत किया जा रहा है ।

(ii) **सर्गीपल्ली निक्षेप (उड़ीसा)** : इस समय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निक्षेप का अन्वेषण किया जा रहा है और 10,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले प्रद्रावक की स्थापना की साध्यता पर विचार किया जा रहा है ।

(III) **ताम्र**

(i) **घाटसिला प्रद्रावक भारतीय ताम्र निगम (अब सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण किया गया है)** 9,600 से 16,500 टन प्रतिवर्ष तक क्षमता को विस्तारित करने के लिए दिसम्बर, 1971 में एक नया स्फुरण प्रद्रावक चालू किया गया । आशा है कि नवीकरण के पश्चात् पुराने प्रद्रावक की तरह नया प्रद्रावक भी 20,000 टन से अधिक ताम्र का उत्पादक करने में समर्थ होगा ।

(ii) **खेतड़ी ताम्र प्रायोजना** : खेतड़ी में पब्लिक सेक्टर में 31,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले नए ताम्र प्रद्रावक में हिन्दुस्तान ताम्र लि० द्वारा कार्य प्रगति पर है । समय सारणी के अनुसार, प्रद्रावक और परिष्करणशाला को दिसम्बर, 1973 तक चालू हो जाना है और 1974-75 तक यह पूर्ण उत्पादन स्तर पर पहुंच जाएगी ।

(iii) **राखा ताम्र प्रायोजना** : निक्षेप तीन खण्डों अर्थात् रोआमसिद्धेश्वर, राखा और तामा पहाड़ में हैं । राखा ताम्र (प्रावस्था I) के 1000 टन प्रतिदिन के ताम्र उत्पादन के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है । राखा (प्रावस्था II) के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

(iv) **अग्निगुण्डला सीमा-ताम्र निक्षेप (आंध्रप्रदेश)** : निक्षेपों के वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बंडालामोट्टू में समन्वेषी परियोजना पर कार्य प्रगति में है। नल्लाकौण्डा निक्षेप में विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए समन्वेषी खनन परियोजना भी प्रगति में है।

(v) **दरीबा निक्षेप (राजस्थान)** : ताम्र धातु के 567 टन प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है।

(vi) **चांदमारी निक्षेप (राजस्थान)** : प्रायोजन के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट, जिसमें ताम्र धातु के 1130 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन परिकल्पित है, इस समय विचाराधीन है।

(vii) **मालंजखण्ड निक्षेप (मध्य प्रदेश)** : वर्तमान संकेतों पर यह सम्भव होगा कि ताम्र का उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 20,000 टन किया जा सके। हिन्दुस्तान ताम्र लि० इस समय इस प्रायोजना के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक आधार सामग्री को संकलित करने में व्यस्त है।

(IV) **निकल**

सुकिन्दा निकल निक्षेप के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें उपोत्पाद के रूप में प्रतिवर्ष 4800 टन निकल पाउडर, 200 टन कोबाल्ट पाउडर और 17000 टन अमोनियम सल्फेट का उत्पादन परिकल्पित है। निक्षेप के वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट बनाने से पूर्व प्रायोगिक मापमान परीक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पंजाब में खनिज सम्पत्ति के लिए सर्वेक्षण

755. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने राज्यों में खनिज सम्पत्ति का पता लगाने के लिए पंजाब में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) राज्य के कुल 50,362 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में से लगभग 37,740 वर्ग कि० मी० का क्षेत्र 1″=1 मील के पैमाने पर सुव्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण द्वारा और शेष क्षेत्र छोटे पैमानों पर भूवैज्ञानिक मानचित्रण द्वारा आवृत्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विस्तृत अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, बीरामपुर-महीन्द्रपुर में कालक-तुफा की 1.58 लाख टन, जयजौर में कांच-रेत की 200 लाख टन और होशियारपुर जिले में गार्ली मसावाल में कांच-रेत की 260 लाख टन की उपलब्ध राशियां अनुमानित की गई हैं। गुरदासपुर में लवणों के और फिरोजपुर में शोरा के समृद्ध निक्षेप और पठानकोट के निकट चक्की नदी के तल पर चूना पत्थर के लघु निक्षेप अवस्थित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, अब तक राज्य में लगभग 28,000 वर्ग कि० मी० का क्षेत्र भूतल-जल सर्वेक्षण द्वारा आवृत्त किया गया है।

जापान द्वारा अयस्क के न उठाये जाने के कारण गोआ खनिज अयस्क उद्योग में संकट

756. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ खनिज अयस्क उद्योग को 1962 से भी अधिक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जापान अब पहले की तुलना में वहां से कम अयस्क उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बार अयस्क उद्योग में संकट के क्या कारण हैं; और

(ग) तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोआ खनिज अयस्क उद्योग इस समय राज्य क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था का प्रमुख अंग है, केन्द्रीय सरकार का विचार इस उद्योग के संकट को दूर करने के लिए क्या सहायता देने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) यद्यपि 1971-72 के दौरान जापान को किए गए लौह अयस्क के निर्यात में लगभग 11% की वृद्धि हुई है, तथापि उस देश को मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी हुई है।

गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ ने अयस्क उत्पादन की लागत में वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और मांग में मंदी के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए तदनुसार अयस्क पर के निर्यात शुल्क के उन्मूलन और लौह अयस्क पिण्ड और सूक्ष्मों पर 10% के कर ऋण के पुनः प्रचलन की मांग की है।

(ग) गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ से कतिपय आधार सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि उनकी प्रार्थना का आगे परीक्षण सरल हो सके।

गोआ में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करना

757. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में एक इस्पात संयंत्र को स्थापित करने के लिए गोआ सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या गोआ सरकार ने अपनी मांग को फिर से दोहराया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) गोआ, दमन तथा दीव सरकार ने प्रार्थना की है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम तैयार करते समय गोआ में एक इस्पात कारखाना लगाने पर भी विचार किया जाए।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय अन्य संभव स्थलों के सापेक्ष लाभों के साथ-साथ गोआ पर भी ध्यान दिया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का सम्मेलन

758. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए 57वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में भारत ने प्रस्ताव रखे थे; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जून, 1972 में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सामने भारत सरकार ने कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखे थे ।

पत्तन तथा गोदी मजदूरों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

759. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन तथा गोदी मजदूरों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन से कोई असंगतियां पैदा हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन असंगतियों को किस प्रकार दूर किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) डाक श्रम बोर्डों और पत्तन प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय स्तर पर यूनियनों से विचार-विमर्श करके 31 अगस्त, 1972 तक जितने भी अपवाद सुलझा सकें, सुलझा लें । जो अपवाद इस व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं सुलझाए जा सकते, उन पर एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें जहाजरानी और परिवहन मंत्रालयों, श्रम और रोजगार विभाग, पतन और डाक श्रमिकों के महासंघों और जहां कहीं आवश्यक हो, सम्बन्धित डाक श्रम बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल होंगे । जो अपवाद फिर भी अनसुलझे रह जाएं, उन्हें दो अलग-अलग एक व्यक्ति समितियों के पास निर्देशित कर दिया जाएगा, जिनमें से एक गैर-समुद्री कर्मचारियों के लिए होगी और दूसरी समुद्री कर्मचारियों के लिए ।

भारत-पाक युद्ध-विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रेक्षकों को तैनात करना

760. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पीलू मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव ने भारत-पाक युद्ध-विराम रेखा पर पर्यवेक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रेक्षकों की नियुक्ति का सुझाव दिया है;

(ख) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव द्वारा ऐसे अवसर पर हस्तक्षेप करने के प्रयास पर कड़ा रोष प्रकट किया है जबकि दोनों देश उच्च स्तर पर अपनी द्विपक्षीय चर्चा कर रहे हैं; और

(ग) क्या भारत ने इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव से कड़ा विरोध प्रकट किया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। 12 मई, 1972 की अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सिर्फ यह कहा था कि भारत पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सन्य पर्यवेक्षक दल अपने दायित्व के क्षेत्र में युद्ध-विराम के पालन के बारे में महासचिव को रिपोर्ट देता है; उसकी सेवाएं दोनों पक्षों को, यदि वे चाहें तो, बराबर सुलभ रहती हैं। इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में 17 मई, 1972 को लोकसभा में विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल के नियोजकों पर भविष्य निधि की देय राशि

761. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1972 को पश्चिम बंगाल के नियोजकों पर भविष्य निधि की कुल कितनी देय राशि थी; और

(ख) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि के अपने अंश का भुगतान न करने के आरोपों पर गिरफ्तार किये गये प्रत्येक नियोजक के पदनाम सहित, पश्चिम बंगाल के नियोजकों के नाम क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

पहली जुलाई, 1972 को पश्चिम बंगाल क्षेत्र के नियोजकों द्वारा देय भविष्य निधि अंशदानों के बारे में आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। तो भी, 31 मार्च, 1972 को पश्चिम बंगाल क्षेत्र के छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों द्वारा भविष्य निधि अंशदानों की बाबत लगभग 386.64 लाख रुपये की राशि देय थी।

(ख) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है जो प्रतीक्षित है।

बंगला देश को सहायता

762. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक भारत बंगला देश को कितनी आर्थिक तथा अन्य सहायता दे चुका है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : वित्तीय वर्ष 1972-73 के अन्त तक बंगला देश की आर्थिक सहायता के लिए दो अरब रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। अभी तक 166.40 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। 132.80 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में और 33.60 करोड़ रुपया ऋण के रूप में। इस सहायता के स्वरूप को विवरण में तालिकाबद्ध किया गया है।

विवरण

1. अनुदान

अनुदान का नाम	अनुदान की राशि (करोड़ रु० में)	उद्देश्य	टिप्पणी
1	2	3	4
1. खाद्यान्न	80.00	7,50,000 मी० टन खाद्यान्न सप्लाई करना (एक लाख मी० टन चावल और छह लाख पचास हजार मी० टन चावल)	इसके अलावा 50,000 मी० टन गेहूं ढाका में संयुक्त राष्ट्र सहायता संगठन के माध्यम से उन्हें लौटाने / अदायगी के आधार पर दिया जाना है।
2. जिन्स अनुदान	32.00	पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक यूरिया, सीमेंट, कोयला, कपास और सूती धागा, दवाइयां एवं औषधीय आदि आवश्यक सामग्री की सप्लाई के लिए।	इस अनुदान का मूल्य 19-6-72 को 25 करोड़ रु० से बढ़ाकर 32 करोड़ रु० कर दिया था।
3. शरणार्थी सहायता अनुदान	18.58	यह राशि बंगला बैंक द्वारा कलकत्ता स्थित रिजर्व बैंक आफ इंडिया में खोले गए अपरिवर्तनीय रुपये के खाते में जमा की गई है और इसका इस्तेमाल भारत से उपभोक्ता सामान, औद्योगिक कच्चा माल, फालतू पुर्जे आदि खरीदने में किया जा रहा है।	
4. दूसरा सहायता अनुदान	0.86	दालें, माचिस और 20,000 हस्तचालित पम्पों की सप्लाई के लिए।	
5. तीसरा सहायता अनुदान	1.36	आवास सामग्री की सप्लाई के लिए।	
	कुल अनुदान : 132.30		

2. ऋण

ऋण की किस्म	ऋण की राशि (करोड़ रु० में)	ब्याज की दर	अनुग्रह अवधि	पुनर्भुगतान की अवधि
1	2	3	4	5
1. रेल पद्धति की पुनर्स्थापना तथा दूर-संचार और बिजली के साज-सामान की सप्लाई के लिए।	10.00	शून्य	7 वर्ष	10 वर्ष
2. दो जहाज और दो वायुयानों एवं इनके फालतू पुर्जों तथा इनसे सम्बन्धित सेवाओं के लिए।	6.00	2.5%	5 वर्ष	20 वर्ष
3. कच्चा तेल आयात करने के लिए ऋण।	8.10	6.5%	—	जनवरी, 1973 से 5 वर्ष
4. विदेशी मुद्रा ऋण	9.50 (50 लाख पौंड)	2.5%	5 वर्ष	15 वर्ष
कुल ऋण — 33.60				
कुल योग — 166.40 (अनुदान और ऋण)				

टिप्पणी : ऊपर दिये गए विवरण में पुनर्वास एवं सहायता सेवा विभाग के माध्यम से बंगला देश को दिया गया 17 करोड़ रुपये का सहायता सामान शामिल नहीं है।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था का विकेन्द्रीकरण

763. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग का विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस निर्णय के अनुसार भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के भूमिगत जल विभाग का केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में विलय कर दिया जायेगा, तथा तीन महीने के अन्दर केन्द्रीय खनिज खनन निगम की स्थापना कर दी जायेगी जिसका मुख्यालय नागपुर में होगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग कर्मचारी संघ की वार्षिक बैठक में पास किये गये ग्यारह सूत्री कार्यक्रम, जिसमें अन्य बातों के साथ यह मांग की

गई है कि खनिज खनन निगम की योजना को तुरन्त रोक दिया जाये ; और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी संगठन के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है, कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग का विघटन करने पर वह पुनः विचार करे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) विगत कुछ समय से सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि वह अपने कर्त्तव्य-निर्वाह में अधिक दक्ष बन सके। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के बारे में की समिति (वै० अ० स० स०) ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्य-कलापों, कर्त्तव्यों और संगठनात्मक संरचना का परीक्षण किया और इस बारे में कतिपय सिफारिशे कीं। यह सिफारिशें, जिन पर बाद में विज्ञान और प्रौद्योग पर की समिति ने विचार किया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूतल-जल स्कन्ध के कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय भूतल-जल बोर्ड में विलयन और देश में खनिजों के विस्तृत समन्वेषण का कार्य करने हेतु पब्लिक सेक्टर में खनिज समन्वेषण निगम स्थापित करने के विनिश्चय का आधार बनीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूतल-जल स्कन्ध का केन्द्रीय भूतल-जल बोर्ड के साथ विलयन 1 अगस्त, 1972 से प्रवृत्त हुआ है। खनिज समन्वेषण निगम के शीघ्र ही स्थापित किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ) इस विषय में सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर्मचारी संघ के संकल्प और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक अधिकारी संघ द्वारा जारी किए गए वक्तव्य से परिचित है। चूंकि उक्त विनिश्चय मामले के समस्त पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् लिए गये थे, अतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन में गिरावट

764. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1972 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन धीमी गति से हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या संयंत्र के मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों ने उत्पादन की कमी के कारणों को बताते हुए कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जून, 1972 में उत्पादन में कमी के मुख्य कारणों में मालिक-मजदूर सम्बन्धों का अच्छा न होना, बिजली की सप्लाई में कटौती तथा बिजली की सप्लाई के क्रम में कमीबेशी और अत्यधिक गर्मी जिससे श्रमिकों की उत्पादिता पर प्रभाव पड़ा और श्रमिकों का काम से गैर-हाजिर रहना शामिल है।

(ग) सरकार को इस प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं मिला है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयला खानों का विकास

765. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड ने बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के लिए 250 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया है जबकि पश्चिम बंगाल की कोयला खानों के विकास के लिये कोई पूंजीनिवेश नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने, पश्चिम बंगाल में पूर्वेक्षण और वेधन पर 72.40 लाख रुपयों को सम्मिलित करते हुए, समस्त देश में लगभग 200 करोड़ रुपये का कुल विनिधान किया है ।

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अनेक क्षेत्रों को अधिसूचित किया था और रानीगंज खण्ड में भूवैज्ञानिक पूर्वेक्षण किए । तथापि, कोयले के लिए मांग में स्थिरता के कारण कार्य को जारी नहीं रखा गया था । निगम समुपयोजन उस अवस्था में ही आरम्भ करेगा जबकि नई कोयला खानों को खोलने के लिए मांग का औचित्य होगा ।

शिक्षित बेरोजगार

766. **श्री सतपाल कपूर** :
श्रीमती विजयराजे सिंधिया :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के भिन्न-भिन्न रोजगार कार्यालयों में 30 जून, 1972 तक नाम दर्ज कराये हुए उन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी जो स्नातकोत्तर, स्नातक, इंजीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक तथा अन्य व्यक्ति हैं तथा उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में रोजगार के लिए नाम दर्ज करा रखे हैं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में 30 जून, 1972 तक जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है उनकी श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है तथा चालू वर्ष में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) 1. अन्तिम उपलब्ध सूचना, जिससे 31 दिसम्बर, 1971 तक स्थिति का पता चलता है, संलग्न विवरण में दी गई है ।

2. चालू वर्ष के दौरान रोजगार दिए जाने वाले संभावित व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

शैक्षिक स्तर	31-12-71 को चालू रजिस्टर में दर्ज संख्या	प्रत्येक वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या		
		1969	1970	1971
1	2	3	4	5
(1) **स्नातक**				
कुल	**3,54,460**	**26,457**	**31,438**	**42,851**
(i) इंजीनियरी	18,646	1,825	2,294	3,525
(ii) चिकित्सा-शास्त्र	3,848	377	371	649
(iii) विज्ञान	99,189	7,732	8,721	10,589
(iv) शिक्षा*	22,683	4,818	6,835	9,207
(v) अन्य	2,10,094	11,705	13,217	18,881
(2) **स्नातकोत्तर :**				
कुल	**39,081**	**4,769**	**4,924**	**5,205**
(i) इंजीनियरी	404	51	27	39
(ii) चिकित्सा-शास्त्र	105	15	13	9
(iii) विज्ञान	10,114	1,102	1,562	1,593
(iv) शिक्षा*	4,704	1,238	958	972
(v) अन्य	23,754	2,363	2,364	2,592

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट का क्रियान्वित न किया जाना

767. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री अमरनाथ विद्यालंकार :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के 4 मार्च, 1960 के पंचाट को क्रियान्वित

*स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों में से अध्यापकों के रूप में पंजीकृत ।

*नौकरी चाहने वालों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

न किए जाने के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पंचाट को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय के अनुसार, जो इस मामले से सम्बन्धित है, अखिल भारत छावनी बोर्ड कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण पंचाट दिनांक 4 मार्च, 1960 के कार्यान्वियन के लिए समय-समय पर, अभ्यावेदन भेजता रहा है, इनमें अधिकांश मामले वैयक्तिक मामलों में पंचाट के निर्वचन से सम्बन्धित थे । एक मामले को छोड़कर, जो कि विचाराधीन है, इन मामलों का अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है और जो एक मात्र विषय अनिर्णीत पड़ा है, सामान्य है और वह छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की भर्त्ती, पदोन्नति. स्थानान्तरण, और चिकित्सा हाजिरी के बारे में नियम बनाने से सम्बन्धित है । इस मामले पर तत्परता से विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय श्रम संगठन का मांग-पत्र

768. **श्री वी० मायावन :**

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यकारिणी ने औद्योगिक और व्यापारिक फर्मों के कर्मचारियों के मजूरी ढांच में परिवर्तन करने का अनुरोध करते हुए 21 मांगों का एक मांगपत्र तैयार किया है ;

(ख) क्या संघ सरकार ने इन मांगों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) राष्ट्रीय श्रम संगठन से सरकार को कोई मांग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को सहकारी समितियों पर लागू करना

769. **श्री वी० मायावन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे उद्योगों से सम्बद्ध जिनमें 20 अथवा उससे अधिक परन्तु 50 से कम व्यक्ति रोजगार पर लगे हैं तथा बिजली से न चलने वाली मशीनें लगी हैं ; सहकारी समितियों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्ध लागू करने के प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) ऐसी सहकारी समितियों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) यद्यपि कुछ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, तो भी काफी संख्या में राज्य सरकारें इससे सहमत हो गई हैं ।

न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की 4 अगस्त, 1972 को होने वाली बैठक में, इस मामले को विचारार्थ इनके सामने उठाया जा रहा। निर्णय इसके बाद होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि लेखों में क र्ड-खातों को वार्षिक रूप में दर्ज करने की योजना

770. **श्री वी० मायावन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 के अन्त तक 38 लाख लेखों में से शेष 24 लाख लेखे कार्ड-खातों को वार्षिक रूप में दर्ज करने की योजना के अन्तर्गत ले आए गए हैं ; और

(ख) इस योजना को आरम्भ करने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के लेखों का हिसाब-किताब रखने पर होने वाले प्रशासकीय व्यय में कितनी बचत हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जैसी कि स्थिति 31 मार्च, 1971 को थी उसके अनुसार, मासिक और वार्षिक खाता प्रविष्टि प्रणालियों के अनुसार रखे गए खातों की संख्या क्रमश: 23.70 लाख और 14.12 लाख थी। 31-3-72 को इसी प्रकार की संख्याएं क्रमश: 19.88 लाख और 19.68 लाख थी।

(ख) वार्षिक खाता प्रणाली से खातों को रखने का परिहार्य कार्य बच जाता है और इससे जनशक्ति का उपयोग और लाभदायक तथा उत्पादक ढंग से किया जा सकता है ताकि चन्दा देने वालों की सेवा अच्छी तरह और तुरन्त हो।

राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अंशदान की दर को बढ़ाने का सुझाव

771. **श्री वी० मायावन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान अंशदान की दर को अर्थात् सवा छ: प्रतिशत और 8 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत करने के सुझाव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश अभी भी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छूट-प्राप्त दोषी संस्थानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत चलाए गये मुकदमे

772. **श्री वी० मायावन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत छूट-प्राप्त दोषी संस्थानों के विरुद्ध कितने मुकदमे चलाए गए ;

(ख) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा धन जमा न करने वालों के लिए सुझाए गए कठोर दण्ड को सरकार ने मान लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) दण्ड उपबन्धों को और कठोर बनाने हेतु अधिनियम में समुचित संशोधन करने का मामला विचाराधीन है।

भारत में अमरीकी एजेन्सियों के भारतीय कर्मचारियों की छंटनी

773. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर फोर्ड फाउन्डेशन, अमरीकी दूतावास तथा अमरीकी सूचना सेवा में रोजगार पर लगे भारतीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी संख्या में सेवा से निकाल दिया गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार को इस संबंध में कोई ब्यौरा प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) फोर्ड फाउन्डेशन ने 1 जनवरी, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 के बीच भारतीय कर्मचारियों में से 150 को हटा देने की योजना बनाई है। बताया जाता है कि अमरीकी सूचना सेवा ने 31 मार्च 1972 को 20 भारतीय कर्मचारियों को हटा दिया है। अमरीकी राजदूतावास की अन्य शाखाओं ने चालू वर्ष में किसी भारतीय कर्मचारी को नहीं निकाला है।

(ग) इन संस्थाओं की समग्र गतिविधियों में कमी आ जाने के कारण भारतीय कर्मचारियों को निकाला गया है। ऐसा पता चला है कि उनकी सेवा-शर्तों के अधीन जो सेवान्त लाभ उन्हें देय हैं, वे दिये जा रहे हैं।

तस्करों और सीमावर्ती अपराधों को रोकने के लिए भारत-बंगलादेश-वार्ता

774. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार और भारत सरकार के बीच तस्कर व्यापार, सीमावर्ती अपराधों तथा उग्रपंथियों को सीमा पार करने से रोकने के बारे में और अधिक सहयोग देने और सीमा सेनाओं में समन्वय स्थापित करने के सम्बन्ध में वार्ता हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता किस प्रकार की रही ; और

(ग) क्या दोनों देशों के सहयोग से सीमावर्ती अपराधों को समाप्त करने में मदद मिलेगी ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। इस विषय पर दोनों सरकारों में विभिन्न स्तरों एवं अलग-अलग अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ है।

(ख) और (ग) दोनों सरकारें ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सहयोग की आवश्यकता पर पूर्णतया सहमत हैं। इससे सीमा पर होने वाले अपराधों को कम करने में सहायता मिलेगी।

दोनों क्षेत्रों में अपनी सेनाओं द्वारा अधिक सतर्कता एवं गश्त लगाना, सूचनाओं का आदान-प्रदान और दोनों पक्षों के सीमा अधिकारियों की बैठकें जैसे उपायों पर विचार किये जा रहे हैं।

लापता भारतीय पत्रकारों को बंगलादेश में गोली मारा जाना

775. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक 11 जून, 1972 के 'टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित उस लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि बंगला देश में लापता तीन भारतीय पत्रकारों को बंगला देश की मुक्ति से पूर्व पाकिस्तानी सेना ने वास्तव में गोली से मार दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। इस लेख में वस्तुत: दो भारतीय पत्रकारों का उल्लेख है।

(ख) कार्यरत पत्रकारों के भारतीय महासंघ के अध्यक्ष श्री एस० बी० कोलपे को टाइम्स आफ इंडिया के लेख में सूचना का सूत्र बताया गया था; उनसे अनुरोध किया गया है कि वह और अधिक विवरण दें; ढाका स्थित भारतीय हाई कमीशन से कहा गया है कि वह लेख में दिए गए ब्यौरे की सत्यता का पता लगाएं।

25 मार्च, 1971 से पूर्व पहले के पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की वापसी

776. **श्री पीलू मोदी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक 23 मई, 1972 के "पेट्रीयट" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि पहले के पूर्वी पाकिस्तान से 25 मार्च, 1971 से पूर्व आने वाले असंख्य आव्रजक बंगला देश वापस जाने को उत्सुक हैं; और

(ख) क्या उक्त आव्रजकों की संख्या का भारत सरकार को कोई अनुमान है और उनके इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) जैसाकि 13-4-1972 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के उत्तर में कहा गया था कि 26 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आए प्रवासी परिवारों से, जो कि विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न राहत शिविरों और पुनर्वास क्षेत्रों में रह रहे हैं, 4500 आवेदन पत्र अब तक प्राप्त हुए हैं जिन्होंने बंगला देश जाने की इच्छा व्यक्त की है।

शरणार्थियों को बंगला देश वापस भेजने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा केवल उनके लिए व्यवस्था की गई थी जो विदेशियों के रूप में पंजीकृत किए गए थे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत वे व्यक्ति नहीं आते जो 26 मार्च, 1971 से पूर्व प्रवासियों के रूप में भारत आये थे और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है या कर रहे हैं। 26 मार्च, 1971 से पूर्व आए परिवारों के बारे में वर्तमान नीति यह है कि वर्तमान आदेशों के अनुसार भारत में पुनर्वास की दृष्टि से उन्हें राहत तथा पुनर्वास सहायता मिलती रहेगी। तथापि, भारत सरकार को प्रवासियों की बंगला देश

जाने की इच्छा के बारे में जानकारी है। जब कभी अवसर प्राप्त होगा, यह मामला बंगला देश सरकार से उठाया जायेगा।

चिटागांग बन्दरगाह में भारतीय जहाज

777. **श्री पीलू मोदी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मई, 1972 के "पेट्रीयट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बंगला देश को बड़ी मात्रा में खाद्यान्न ले जा रहे अनेक भारतीय जहाज चिटागांग बंदरगाह पर रुक गये थे क्योंकि ढाका में संयुक्त राष्ट्र राहत संगठन ने बंगला देश के लोगों को खाद्यान्न उतारने की अनुमति नहीं दी; और

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह रिपोर्ट बिलकुल सही नहीं है। हमारे दो जहाज चटगांव में "लाइटरों" की कमी के कारण माल उतारने के लिए रोक लिए गए थे। ढाका में संयुक्त राष्ट्र सहायता संगठन से अनुरोध किया गया था कि वह प्राथमिकता के आधार पर जहाजों में प्रकाश करने में अपने "मिनीबल्कारों" की सेवाएं प्रदान कर दें, जो अन्यत्र लगे हुए थे। उन्होंने उनका काम रोककर कृपापूर्वक हमारा अनुरोध मान लिया। एक जहाज पर 6 दिन और दूसरे पर 5 दिन की देरी हुई। जहाजों में प्रकाश करने और घाटों पर माल उतारने का काम संतोषजनक रीति से चल रहा है।

Foreign Naval Ships in Indian Ocean

778. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the Soviet Nuclear Naval force is constantly increasing in the Indian Ocean;

(b) whether the Chinese Naval ships are also intensifying their activities in the Indian Ocean consequent upon the conclusion of the Trade Agreement between Sri Lanka and China; and

(c) whether some efforts are being made to keep the Indian Ocean free from the confrontation of big powers ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The presence in the Indian Ocean of any Soviet Nuclear Naval force has not come to the notice of Government.

(b) Government is not aware of any intensification of the Chinese Naval Ships in the Indian Ocean consequent upon the renewal of the Economic and Trade Agreement in 1968.

(c) Government's view that the Indian Ocean area should be an area of peace, free from Great Power pressures, rivalries and tensions is wellknown. India subscribed to the

Lusaka Declaration, and she was one of the Co-sponsors of the U. N. General Assembly Resolution No. 2832 (XXVI) of 1st December, 1971, calling on all powers to maintain the Indian Ocean area as a Zone of Peace.

Bangladesh Refugees in India During Indo-Pak War

779. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of those refugees who crossed over to India from Bangladesh during Indo-Pak war and have refused to go back to their country;

(b) whether Government had to make arrangements for their rehabilitation; and

(c) if so, the complete particulars in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No refugees entered India from Bangla Desh during the Indo-Pak war and as such the question of their refusal to go back to their country does not arise.

(b) & (c) Do not arise.

आंध्र प्रदेश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

780. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश में कोई क्रमबद्ध भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3245/72]

Cost of Production of Steel Manufactured by Public and Private Undertakings

781. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the cost of production of steel manufactured by the Public and private undertakings, separately; and

(b) the scheme formulated to bring down the difference in the cost of production ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The following Table shows the provisional works cost of production of steel ingots (excluding depreciation and interest) in 1971-72 as reported by the producers :

	(Rs. per tonne)
Bhilai	393
Durgapur	475
Rourkela OH	476
Rourkela LD	409
Indian Iron & Steel Co, Ltd.	493
Tata Iron & Steel Co. Ltd.	458

(b) During the year 1972-73, the targets for production of steel ingots have been set at about four-fifths of the capacity as compared to actual production of about two-thirds in 1 71-72. If the targeted production materialises, for which all possible steps are being taken, the cost of production of steel is likely to come down.

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि को आठ वर्षों तक जमा न करना

782. **मौलाना इसहाक सम्भली :**
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने पिछले आठ वर्ष से अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि भविष्य निधि आयुक्त के यहां जमा नहीं कराई है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए निगम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या निगम से बकाया राशि वसूल करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

"(क) दिल्ली परिवहन निगम (भूतपूर्व दिल्ली परिवहन उपक्रम) दिल्ली क्षेत्र में एक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है और उसके लिए भविष्य निधि की राशि अपने न्यासी बोर्ड के पास जमा करना आवश्यक है। यह मालूम किया गया है कि उसने जुलाई, 1968 से मई, 1972 की समयावधि से सम्बन्धित 112 लाख रुपये की राशि अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों में नहीं लगाई है।"

पुरानी रेलों का इस्पात मंत्रालय को दिया जाना

783. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री पुरानी रेलवे लाइनों को इस्पात मंत्रालय को दिये जाने के बारे में 9 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या री-रोलिंग एककों द्वारा, उखाड़ी गई रेल-पटरियों से तैयार किये गये री-रोल्ड उत्पादों का, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बेचे जाने के लिए, विक्रेताओं को नियतन करने के बारे में कोई मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या नियतन का यह कार्य री-रोलिंग एककों पर ही छोड़ दिया जायेगा और वे अपने-अपने विक्रेता नियुक्त करेंगे अथवा यह नियतन बिलेट री-रोलिंग समिति के माध्यम से दिया जायेगा; और

(घ) री रोलिंग एककों अथवा उनके विक्रेताओं द्वारा काला-बाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) संयुक्त संयंत्र समिति की तारीख 27 अप्रैल, 1972 की घोषणा संख्या 86 के अनुसार (जिसकी प्रतिलिपि अनुबन्ध 1 पर है) प्रयुक्त रेल पटरियों से तैयार किये गये पुनर्बेलित उत्पादों को सम्बन्धित स्टाकयार्डों को ही देना होगा जो उन्हें स्टाकयार्डों का वितरण की सामान्य नीति तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र के थोक उपभोक्ताओं तथा मकान निर्माताओं तथा लघु इकाइयों में वितरित करेंगे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3246/72]

त्रिपुरा में पंजीकृत बेरोजगार आदिवासी

784. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार आदिवासियों की एक अलग सूची रखी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है; और

(ग) 1 जनवरी, 1971 से 15 जून, 1972 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से त्रिपुरा में सरकारी सेवाओं में कितने आदिवासियों को नियुक्त किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

बिहार में गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

785. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत केडला, झारखण्ड, ढोरी सैंटा तथा अन्य कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है;

(ख) क्या उपरोक्त खानों के राष्ट्रीयकरण की मांग के सम्बन्ध में 13 अप्रैल, 1972 का एक ज्ञापन उन्हें तथा प्रधान मंत्री को दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस समय सरकार के पास, केडला-झारखण्ड और बिहार में अन्य प्राइवेट अकोककर कोयलाखानों के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। धोरी, जो कि कोककर कोयला खान है, कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972 में, पहले ही खानों के अनुसूची में सम्मिलित है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने, केडला और झारखण्ड कोयला खानों के वर्तमान संविदाकार प्रबन्धक से संविदा को पर्यवसित करने का नोटिस दिया है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कोयला खानों के उपयुक्त विकास के लिए प्रायोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है और वह राज्य खान विभाग से यह विचार विमर्श करेगा कि विद्यमान संविदाकार प्रबन्धक के पर्यवसित हो जाने के पश्चात् किस प्रकार संक्रियाएं जारी रखी जाएं।

Aerial Geological Survey in Bundelkhand

786. **Shri Nathuram Ahirwar** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether aerial geological survey of Bundelkhand area was conducted by the Central Government; and

(b) the names of minerals likely to be found as a result of the said survey indicating the names of places where these mineral are likely to be found ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) & (b) The Geological Survey of India has not conducted any aerial geological survey of Bundelkhand area. However on the request of Madhya Pradesh Government, the National Geophysical Research Institute conducted aerial survey of the parts of the Bundelkhand area during March and April, 1968.

On the basis of the report of this survey, the ground follow-up work was then undertaken by the State Government of Madhya Pradesh. Subsequently further work was taken up by the Geological Survey of India. The analysis of the samples collected during the process of investigation did not reveal any encouraging results which could warrant priority investigations.

Discovery of Lead in Madhya Pradesh

787. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether lead was discovered near Bahadurpur village of Tikamgarh district in Madhya Pradesh;

(b) whether the work relating to its survey and exploration had also been started by the Minerals Department and if so, the extent of progress made in this regard;

(c) whether the said work is being done by the Government of Madhya Pradesh or by the Central Government; and

(d) the difficulties of the Central Government in undertaking the said work ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) Occurrence of Galena (lead sulphide) near village Bahadurpur in Tikamgarh distt. has been known since 1960.

(b) The State Directorate of Geology and Mining, Government of Madhya Pradesh carried out geological mapping during the year 1970-71 on the basis of the report of the National Geophysical Research Institute which conducted aerial survey of the area. During the same year the Geological Survey of India also carried out preliminary appraisal of the area. The analytical results of soil samples collected during the investigation revealed only feeble lead mineralisation over a length of about 950 metres.

(c) & (d) The work in this area has been suspended by Geological Survey of India since the results were not encouraging.

Export of Copper from Madhya Pradesh

788. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to export copper deposits of Balaghat, Madhya Pradesh as raw material; and

(b) if so, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में तांबा संयंत्र की स्थापना

789. **श्री नाथूराम अहिरवार :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन और वहां की बेरोजगारी को देखते हुए क्या सरकार का विचार उस राज्य में एक तांबा संयंत्र स्थापित करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मध्य प्रदेश के मालंजखण्ड क्षेत्र में उदीयमान ताम्र निक्षेप पाए गए हैं। इस समय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के सहयोग से विस्तृत समन्वेषी व्यघन और खनन कार्यों में व्यस्त है। इन निक्षेपों के समुपयोजन से सम्बन्धित विनिश्चय, इन निक्षेपों के विस्तार और प्रकार का पता लगाने के लिए पर्याप्त भूवैज्ञानिक आधार-सामग्री एकत्रित होने और प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् ही लिया जाएगा।

भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीय उत्पादों का उपयोग

790. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकार :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों को भारतीय उत्पादों का उपयोग करने की वांछनीयता के बारे में अनुदेश जारी करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारतीय वेषभूषा आदि पहनने का नियम लागू करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं और विदेश स्थित भारतीय मिशन यथासंभव उनका पालन कर रहे हैं।

(ख) सरकार ने विदेश-स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले भारत-आस्थानी कर्मचारियों द्वारा समारोहों के अवसर पर पहनी जाने वाली भारतीय ढंग की पोशाक निर्धारित कर दी है। इन निर्देशों का पालन हो रहा है।

भारत-चीन सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव

791. **श्री वयालार रवि :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन को और समीप लाने के लिए किसी देश ने मध्यस्थता करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो वह मध्यस्थता किस प्रकार की है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत और चीन दोनों देशों के एक-दूसरे की राजधानियों में राजदूतावास हैं। इसलिए इस विषय में किसी तीसरे देश के सद्प्रभाव के प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा केरल में खनिजों का पता लगाना

792. **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की केरल शाखा अधिकारियों तथा मोटर-गाड़ियों के अभाव में बहुत से खनिज अन्वेषण कार्य नहीं कर पा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी, नहीं। खनिज अन्वेषण की समस्त महत्त्वपूर्ण मदें अधिकारियों और वाहनों की विद्यमान संस्था से ही की गई हैं। तथापि भूवैज्ञानिकों की कमी के कारण दो कम महत्त्व वाले अन्वेषणों का आरम्भ करना संभव नहीं हुआ है। अतिरिक्त भूवैज्ञानिकों की भर्ती के लिए सरकार ने पहले ही आवश्यक कार्रवाई की है। नई भर्ती होने से केरल सर्कल की संख्या वर्धित की जाएगी ताकि कम महत्व वाले अन्वेषणों को भी आरम्भ किया जा सके।

केरल में लौह-अयस्क के लिए सर्वेक्षण

793. **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कोजीकेड़े जिला में लौह-अयस्क की विद्यमानता के बारे में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) मार्च, 1968 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केरल के केजिकोड़ जिले के चेरुप्पा, ऐलीयट्टीमाला, नानमिंदा, नाडुवल्लूर और आलमपारा में पांच लौह अयस्क निक्षेपों का व्यधन द्वारा समन्वेषण करने में कार्यरत है। पांच निक्षेपों में से प्रथम चार निक्षेपों का समन्वेषण सम्पूरित हो चुका है। आलमपारा में अन्वेषण प्रगति पर है।

इस अन्वेषण के फलस्वरूप, चेरुप्पा, ऐलीयट्टीमाला, नानमिंदा और नाडुवल्लूर जिलों में 31

और 40 प्रतिशत कुल लौह अयस्क अंश की निम्नता वाली आक्सीकृत और अनाक्सीकृत अयस्क की 440 लाख टन उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में वृद्धि

794. **श्री बयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ाने के बारे में निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और कर्मचारियों की अन्य मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां ।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कर्मचारियों के सभी जगहों पर जहां केन्द्रीय सरकार के नियमों के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है, मकान किराया भत्ते में 1-6-1972 से वर्तमान दरों से ऊपर 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाए ।

संगठन में मान्यता प्राप्त कर्मचारी वर्ग संघ नहीं हैं । मान्यता न प्राप्त संघों में से एक ने, अर्थात्, दी आल इंडिया एम्पलाईज़ प्रावीडेन्ट फंड स्टाफ फेड्रेशन ने 21 मांगों का एक चार्टर पेश किया । केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने, जिसने चार्टर पर विचार किया, वेतन और भत्तों से सम्बन्धित मांग पर, केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों से सम्बन्धित तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उस पर केन्द्रीय सरकार के निर्णयों की प्राप्ति के पश्चात्, विचार करना उचित महसूस किया । कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधियों की मंडलियों को मान्यता देने के प्रश्न के संबंध में, मान्यता प्रदान करना ठीक उन्हीं नियमों व सिद्धान्तों पर नियमित किया जाएगा जो कि मान्यता के लिए डाक व तार विभाग में चालू हैं । केन्द्रीय न्यासी मंडल ने यह विचार व्यक्त किया कि कुछ अन्य मांगें उनके निर्णय लेने के क्षेत्र में नहीं थीं और इसलिए उन्होंने उन पर विचार न करने का निर्णय लिया । बाकी मांगों पर, एक समिति द्वारा, जिसमें तीन न्यासी सम्मिलित हैं और केन्द्रीय आयुक्त सदस्य हैं, विचार किया जा रहा है । समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के रखरखाव का ठीक न होना

795. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** :
श्री शशी भूषण :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रखरखाव ठीक न होने के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस कोक ओवन, व्हील एक्सल प्लान्ट और ब्लूमिंग तथा बिलेट मिल बहुत खराब स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो रखरखाव में कमी के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) धमन भट्टी, व्हील एक्सल प्लांट तथा ब्लूमिंग और बिलेट मिल की हालत सामान्यतः संतोषजनक है।

इस्पात कारखाने में चार कोक ओवन बैटरियां हैं। इनमें से पहली अर्थात् बैटरी संख्या 1, 13 नवम्बर, 1968 को पुनर्निर्माण के लिए बन्द कर दी गई थी क्योंकि सामान्य मरम्मत न तो पर्याप्त थी और न मितव्ययी थी। नवीनतम अनुसूची के अनुसार उप-बैटरी 1 ख अक्तूबर, 1972 तक तथा उप-बैटरी 1 क अप्रैल, 1973 तक चालू हो जायेंगी। 1967-68 में बैटरी संख्या 2 और 3 की बड़े पैमाने पर मरम्मत की गई थी तथा उसके बाद जब कभी भी आवश्यक होता है मरम्मत कर दी जाती है।

अब यह निर्णय किया गया है कि मरम्मत योजनाबद्ध निरीक्षण के आधार पर की जाए। भूत में थरमल शाक की बहुलता के कारण बैटरी संख्या 4 में भी मरम्मत की आवश्यकता महसूस होने लगी है। आवश्यक मरम्मत तथा पुनःस्थापन के कार्य हाथ में ले लिए गए हैं। भूत में बैटरियों को हुए भारी नुकसान विशेष रूप से थरमल शाक के बहुलता के कारण काम रुक जाने, काम की गति धीमी हो जाने को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है, कि बैटरियों की वर्तमान हालत बहुत खराब है।

खानों में हड़तालें तथा तालाबन्दियां

796. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1971 से 15 जुलाई, 1972 तक की अवधि में कोयला खानों तथा गैर-कोयला खानों में हुई हड़तालों तथा तालाबंदियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये हड़तालें तथा तालाबन्दियां हुईं ; और

(ग) सरकार ने इन विवादों को निपटाने के लिये क्या भूमिका निभाई तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जनवरी 1971 से जून, 1972 के दौरान कोयला और गैर-कोयला खानों में हड़तालों और तालाबन्दियों की राज्य-वार संख्या के बारे में उपलब्ध अनंतिम सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक संपर्क तन्त्र वर्तमान सांविधिक तंत्र और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार अनौपचारिक मध्यस्थता, सराधन और न्यायनिर्णयन या विवाचन द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में कामरोधों को कम से कम करने के लिए प्रयास जारी रखे हुए हैं। जनवरी, 1971 से जून, 1972 के दौरान कोयला और गैर-कोयला खानों में हड़तालों और तालाबन्दियों के 179 मामलों, जिसमें कि केन्द्रीय औद्योगिक संपर्क तन्त्र ने हस्तक्षेप किया, उनमें से 109 मामलों में समझौते कराने और 7 और मामलों में आंशिक रूप से समझौता कराने में वह सफल रहा। बहुत से अन्य मामलों में मैत्रीपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक संपर्क तन्त्र द्वार प्रयास जारी हैं।

विवरण

जनवरी, 1971 से जून, 1972 के दौरान कोयला और गैर-कोयला खानों में हड़तालों और तालाबन्दियों की राज्यवार संख्या। (अनंतिम)

राज्य/संघीय क्षेत्र		विवादों की संख्या हड़तालें	तालाबन्दियां
आन्ध्र प्रदेश	कोयला	63	—
	गैर कोयला	2	—
असम	कोयला	—	—
	गैर कोयला	2	—
बिहार	कोयला	69	7
	गैर कोयला	6	—
गुजरात	कोयला	—	—
	गैर कोयला	1	1
केरल	कोयला	—	—
	गैर कोयला	2	1
मध्य प्रदेश	कोयला	38	—
	गैर कोयला	28	—
महाराष्ट्र	कोयला	14	—
	गैर कोयला	10	—
मैसूर	कोयला	—	—
	गैर कोयला	26	—
उड़ीसा	कोयला	2	—
	गैर कोयला	4	3
राजस्थान	कोयला	1	—
	गैर कोयला	24	3
तमिलनाडु	कोयला	—	—
	गैर कोयला	8	1
पश्चिम बंगाल	कोयला	62	3
	गैर कोयला	—	—
गोआ, दमन	कोयला	—	—
और दिउ	गैर कोयला	18	—

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हैदराबाद के कर्मचारियों के लिए आवास

797. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्यालय के दिल्ली से हैदराबाद स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप निगम के कर्मचारियों को हैदराबाद में आवास प्राप्त करने में अभी तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

धातुकर्मिक कोक के मूल्य में वृद्धि

798. **श्री सरजू पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातुकर्मिक कोक की सप्लाई में कमी हो रही है ;

(ख) क्या धातुकर्मिक कोक के मूल्य खुले बाजार में हाल ही में 120 रुपये से बढ़कर 200 रुपये प्रति मीटरिक टन हो गए हैं ;

(ग) यदि हां, धातुकर्मिक कोक की कमी और इसके मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) धातुकर्मिक कोक की उचित मूल्यों पर पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला/कोक की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। धातुकर्मीय कोक की खुले बाजार की कीमतें सामान्य कोटि के लिए 125.00 रुपये से वर्धित होकर 180.00 रुपये प्रति टन और प्रीमियम कोटि के लिए 170.00 रुपये से वर्द्धित होकर 195.00 रुपये प्रति टन हो गई है।

(ग) धातुकर्मीय कोक की कमी के कारण उत्पादन का मांग से बहुत कम होना और परिवहन/वाहन की अपर्याप्तता है।

धातुकर्मीय कोक की कीमतों में वृद्धि का कारण कच्चे कोयले की लागत में वृद्धि, उच्चतर मजदूरी, अनुरक्षण और अतिरिक्त पुर्जों की उच्चतर लागत है।

(घ) इस्पात संयंत्रों और दुर्गापुर प्रायोजनाएं लिमिटेड की नई और नवीकृत कोक भट्टियों के चालू हो जाने से और अधिक कोक उपलब्ध होने की आशा है। वर्तमान कोक भट्टी संयंत्रों से धातुकर्मीय कोक का उत्पादन अधिकतम करने और उपोत्पाद हार्ड कोक के स्थान पर बी-हाइव हार्ड कोक का प्रयोग प्रतिस्थापित करने, जिसके लिए रसायनिक और सम्बद्ध उद्योगों ने मांग की है, के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। परिवहन के लिए बड़ी संख्या में बैगन प्राप्त करने हेतु भी उपाय किए जा रहे हैं और सुगमतर आपूर्ति की स्थिति से वर्तमान कीमतें सन्तुलित सीमाओं तक गिर जाएंगी ?

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में श्रमिक गड़बड़ी

799. **श्री फतेह सिंह गायकवाड़** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में श्रमिक गड़बड़ी तथा बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति के कारण उत्पादन व्यस्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस कारण होने वाली हानि को कम से कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : अप्रैल-जून, 1972 के महीनों में भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसका कारण कर्मचारियों विशेषतया महत्वपूर्ण श्रेणियों के कर्मचारियों का बड़ी संख्या में काम से गैरहाजिर रहना था।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कम उत्पादन का मुख्य कारण श्रमिक झगड़े थे। इस अवधि में श्रमिक झगड़ों के कारण उत्पादन में हुई हानि का अनुमान नीचे दिया गया है :

इस्पात पिण्ड	14,424 टन
अर्ध तैयार इस्पात	52,421 टन
तैयार इस्पात	25,018 टन

राउरकेला इस्पात कारखाने में काम से अनुपस्थिति और श्रमिक झगड़ों, दोनों कारणों से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अनुमान है कि श्रमिक झगड़ों से हुई उत्पादन की हानि इस प्रकार है :—

इस्पात पिण्ड	1,230 टन
प्लेटें	1,496 टन
ठंडे बेलित कुण्डल	15,479 टन
स्किन-पास्ड क्वायल्स	4,476 टन
जस्ती चादरें	3,500 टन

(ग) भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने अनुपस्थिति की समस्या से निपटने के लिये कई कदम उठाए हैं, जैसे अस्थायी श्रमिकों की भर्ती, अच्छी उपस्थिति के लिये वित्तीय पुरस्कार, कार्यकारी भत्ता आदि। हाल में लागू की गई उत्पादन प्रोत्साहन योजना में अनुपस्थिति को रोकने की व्यवस्था अन्तर्निहित है। मजदूरों के झगड़ों और उनकी शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु तथा अधिकाधिक उत्पादन करने के लिये मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु दुर्गापुर में हाल में एक त्री-पक्षीय सलाहकार व्यवस्था की गई है।

राउरकेला में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने और अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादिता, रख-रखाव आदि मामलों के बारे में मजदूरों को शामिल करने के लिये संयुक्त उत्पादन समितियां बनाकर संयुक्त परामर्श की प्रणाली को पुनः प्रभावी बनाया गया है। हाल में उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में एक पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है।

स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाने के सम्बन्ध में सुझाव

800. **श्री समर गुह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता की 25 वीं वर्षगांठ मानने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई विरोधी दलों के नेताओं की बैठक में यह अनुरोध किया गया था कि (i) आजाद हिन्द संघर्ष के दौरान सुभाष चन्द्र बोस द्वारा की गई प्रतिज्ञा के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के नेता बहादुर शाह की अस्थियों को बर्मा से लाल किले में लाया जाये और (ii) सिंगापुर सरकार के सहयोग से आजाद हिन्द फौज के शहीदों के स्मारक का पुनः निर्माण करने की व्यवस्था की जाए, जिसको ब्रिटिश सेना ने गिरा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस मीटिंग के रिकार्ड में कई प्रश्नों का उल्लेख है जिन पर इसमें विचार किया गया था। इनमें खास तौर से वे रेखांकित थे जिन पर आम राय थी। इस कार्यवाही के अनुसार केवल उन मुद्दों पर कार्यवाही की जानी थी जिन पर आम राय थी। अन्य उल्लिखित मुद्दों में एक यह था कि भारत के अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के अवशेषों को बर्मा-स्थित मकबरे से निकालकर दिल्ली के लाल किले में ले आने के प्रबन्ध किए जाएं। इस कार्यवाही में सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी के शहीदों के स्मारक के पुनर्निर्माण के प्रश्न का उल्लेख नहीं है।

(ख) और (ग) जैसा कि ऊपर कहा गया है केवल उन मुद्दों पर अमल करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिन पर आम राय थी।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 3 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 637 में प्रकाशित हुए थे।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-

लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) खनिज रियायत (पहला संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 319 में प्रकाशित हुए थे।

(2) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 399 में प्रकाशित हुए थे।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 242 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जिसके द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1972 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 70 (ङ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1967-68 सम्बन्धी वार्षिक लेखे (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 31 जुलाई, 1972 को हुई अपनी बैठक में जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के समय को राज्य सभा के 82वें सत्र के प्रथम दिन तक और बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 31 जुलाई, 1972 को हुई अपनी बैठक में होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1971 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 82वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 1 अगस्त, 1972 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1970 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 82वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

(चार) कि राज्य सभा ने 1 अगस्त, 1972 को हुई अपनी बैठक में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया है कि बालक दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 45 सदस्य हों, राज्य सभा से 15 अर्थात् :—

(1) श्री नागेश्वर प्रसाद शाही

(2) श्री श्यामधर मिश्र

(3) श्री मानसिंह वर्मा

(4) श्री डाह्याभाई बी० पटेल

(5) श्री एस० कुमारन

(6) श्री वी० वी० स्वामीनाथन

(7) श्री टोडक बसर

(8) श्रीमती सुशीला शंकर आदिवारेकर

(9) श्री भैयाराम मुंडा

(10) श्री एम० आर० कृष्ण

(11) श्री जोकिम अल्वा

(12) श्री मक्सूद अली खां

(13) श्री विजय चन्द्र भगवती

(14) श्री शंकर लाल तिवारी

(15) श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत

और लोक सभा से 30 सदस्य तथा सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को सूचित करें।

(पांच) कि राज्य सभा ने 31 जुलाई, 1972, को हुई अपनी बैठक में भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1972 पास किया है।

(छः) कि राज्य सभा ने 31 जुलाई, 1972 को हुई अपनी बैठक में धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1972, पास किया है।

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

1. भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1972
2. धान-कुट्टन उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1972

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय परिषदों के गठन के विषय में मंत्री के वक्तव्य के बारे में

RE. STATEMENT BY MINISTER ON FORMATION OF COLLEGE COUNCILS UNDER DELHI UNIVERSITY

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : अध्यक्ष महोदय···

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have to raise a point of order. You are permiting the Minister to make a statement on the subject about which an ordinance has already been issued. The ordinance is not before us. How can this statement be made ? We have given a Call Attention Notice about yesterday's strike by Delhi Teachers.

प्रो० एस० नूरुल हसन : यह एक विशेष स्थिति है। कुछ ऐसी बातों का प्रचार किया गया है जिनसे विश्वविद्यालय के कार्यकरण में रुकावटें आ रही हैं। सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने से यह बात साफ हो जाएगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह अभूतपूर्व बात है। सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और अब उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किये जा रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे रखी है। वह वक्तव्य कल दिया जाना चाहिये अन्यथा हम प्रश्न पूछने और स्पष्टीकरण कराने के अवसर से वंचित रह जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें वक्तव्य देने का अधिकार है। मैं मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने से नहीं रोक सकता।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं वक्तव्य देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह बात नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने असहमति के प्रस्ताव की सूचना दे रखी है। कल के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी स्वीकृत है। अतः बेहतर होगा कि आप कल वक्तव्य दें।

प्रो० एस० नूरुल हसन : जो आप कहेंगे वह स्वीकार किया जायेगा। हम तो चाहते थे कि जितना शीघ्र हो सके गलतफहमियां दूर की जाएं।

नौवहन और परिवहन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजबहादुर) : क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है ? यदि मन्त्री महोदय के वक्तव्य को आज स्थगित किया गया तो इसका यह अर्थ लिया जाएगा कि मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा बाद में हो सकती है और उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पता किया है कि कल के लिए गृहीत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय विश्वविद्यालय से भिन्न है। क्या विधेयक भी कल आ रहा है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री राजबहादुर : मंत्री महोदय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने को तैयार हैं परन्तु उन्हें आज वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय राज्य सभा में भी वक्तव्य देंगे ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : जी हां। परन्तु मैं आपका निर्णय स्वीकार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : तब कल के लिए नियत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अगले सप्ताह के प्रथम दिन लिया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को भी आज ही लिया जा सकता है। पहले भी ऐसा हुआ है कि एक दिन दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विचार हुआ है।

श्री राजबहादुर : मेरा केवल इतना अनुरोध है कि इसे परिपाटी न बनाया जाए।

श्री के० नारायण राव (बोब्रिली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह स्वीकार किया गया है कि मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का अधिकार है, परन्तु अब हम औचित्य की बात कर रहे हैं······

अध्यक्ष महोदय : यह औचित्य की बात नहीं है। यह तो केवल विरोधी पक्ष को अवसर देने के विचार से है।

श्री के० नारायण राव : आपने कहा है कि क्योंकि दूसरे सदन में वक्तव्य दिया जा रहा है अत: आज यहां वक्तव्य देना आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि दूसरे सदन में भी यही बात कही गई तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा···

अध्यक्ष महोदय : यह केवल कुछ सदस्यों का ही कहना नहीं है अपितु मेरा भी विचार है कि सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिये। परन्तु इसको 'परिपाटी' नहीं बनाया जाएगा।

खान (संशोधन) विधेयक
MINES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

श्री एम० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952, का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted.

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक

UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL.

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The reasons for demanding extension of time have not been given. Untouchability is spreading in the country but Joint Committee is asking for an extension of time for submitting its report.

Shri Shambhu Nath (Saitpur) : The extension of time is being sought, so that all the aspects of the problem could be considered in detail.

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह अनुभव है कि कोई समिति ऐसी नहीं जो समय बढ़ाये जाने की मांग न करती हो। यह अच्छी बात नहीं है। कुछ समितियां ऐसी भी हैं जो जानकारी एकत्र करने के विचार से दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति मांगती हैं। मैं प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, का संशोधन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted.

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

समाचार कम्पनी विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

समाचार भाग दो, दिनांक 24 जुलाई, 1972 पैरा 735, मद संख्या 50 में समाचारपत्र कम्पनी विधेयक 1972 के पुरःस्थापन का उल्लेख है। परन्तु कल के समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि समाचार-पत्रों के स्वामित्व के विकीर्णन सम्बन्धी विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में पुरःस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। यद्यपि उपरोक्त समाचार भाग दो में इसके विपरीत उल्लेख है।

संसद से समाचार भाग दो पैरा 735 की मद संख्या 50 को वापस लेने की अनुमति प्राप्त करने की बजाय सत्र के चलते हुए भी समाचार पत्रों में यह समाचार दिया गया है।

यह विधेयक पिछले वर्ष के मध्य से निलम्बित चला आ रहा है। यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार इसको और आगे क्यों स्थगित कर रही है। माननीय मंत्री श्री आई० के० गुजराल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यकरण का पूरा ज्ञान है। अतः इस दिशा में अधिक देरी न करके शीघ्र ही इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए।

सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य भी देना चाहिये।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि संसद का सत्र चल रहा है फिर भी इस बारे में समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाया गया है। मैं भी जानता हूं कि यह प्रक्रिया गलत है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सरकार की ओर से यह नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से समाचार-पत्रों को कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। यह ठीक है कि समाचार-पत्रों में इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हुआ है परन्तु उसमें सरकार द्वारा समाचार-पत्रों को उपलब्ध करवाई गई कोई जानकारी नहीं है।

तथापि यह भी सच है कि संसद के वर्तमान सत्र में उक्त विधेयक को पुरःस्थापित कर पाना संभव नहीं होगा। संसद में विधेयक को पुरःस्थापित करने से पूर्व कई उपाय करने आवश्यक होते हैं। यह ठीक है कि विधेयक का पहला प्रारूप तैयार हो चुका है परन्तु इसके विभिन्न उपबन्धों पर मंत्रिमण्डल द्वारा विचार किया जाना है। तत्पश्चात् सरकार द्वारा उसके लिए अनुमति दी जाएगी। यह प्रस्तावित विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है अतः इस पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु समाचार भाग 2 में इसे किस प्रकार सम्मिलित किया गया ?

श्री आई० के० गुजराल : मंत्रालयों को प्रस्तावित विधान के बारे में अग्रिम सूचना देनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि विधेयक के समय पर तैयार न हो पाने के कारण उसे

पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि इस बारे में सरकारी नीति नहीं बदली है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सरकार प्रस्तावित विधेयक को अन्तिम रूप देने से पूर्व प्रेस कौंसिल से भी विचार-विमर्श करेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं इस समय कोई आश्वासन नहीं दे सकता। प्रेस कौंसिल काफी समय से इस पर विचार कर रही है और सरकार को उससे रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या यह बेहतर नहीं था कि राजनैतिक दलबदल विषयक विधेयक की तरह सरकार इस प्रस्तावित विधेयक के बारे में भी विरोधी पक्षों के नेताओं से विचार विमर्श करती ? इस विधेयक का सम्बन्ध समाचार-पत्रों की स्वाधीनता से है।

श्री आई० के० गुजराल : मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : माननीय मंत्री का वक्तव्य बहुत ही विकल करने वाला है। सरकार ने जब अपने अभिप्राय की घोषणा की तो उसका तात्पर्य ही यह था कि सरकार ने सारी बातों का अध्ययन कर लिया है और फिर समाचार भाग 2 में उल्लेख आ जाने के पश्चात् अब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने मत के प्रति गम्भीर नहीं है। जिन मामलों के साथ बड़े पूंजीपतियों का सम्बन्ध होता है उनमें हमेशा देरी ही की जाती है। क्या सरकार इस बारे में भी यही दृष्टिकोण अपना रही है ? जनता को खुश करने के लिए घोषणाएं कर दी जाती हैं और फिर बाद में कहा जाता है कि अभी तक विधेयक का मसौदा ही तैयार नहीं हो सका है।

श्री आई० के० गुजराल : इस बारे में सरकार के विचार सुस्पष्ट हैं और सबको ज्ञात हैं। मैं इस बात के प्रति उत्सुक हूं कि जब विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उसमें कोई कानूनी दोष न रह पायें और उससे इच्छित उद्देश्य प्राप्त हो सकें। सरकार ने यह विधेयक प्रेस कौंसिल को निर्देशित नहीं किया है। कुछ वर्ष पूर्व प्रेस कौंसिल को इस पर सोचने को कहा गया था। आशा है कि प्रेस कौंसिल अब अपनी रिपोर्ट देगी। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। इसका देश में लोकतंत्रीय संस्थाओं के साथ सम्बन्ध है। अतः हमें बहुत ही निश्चिततापूर्वक चलना है जिससे कि वांछित उद्देश्य प्राप्त किये जा सकें।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि सरकार पर इस विषय में दबाव डाला जा रहा है। सरकार को इस बारे में बड़े समाचार-पत्रों के मालिकों से सतर्क रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को पुरःस्थापित करने के मन्तव्य को प्रकट करने के पश्चात्, संसद से बाहर उसके विपरीत वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री आई० के० गुजराल : सरकारी मन्तव्य के विपरीत कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। केवल विधेयक पुरःस्थापित करने के मन्तव्य की ही सूचना दी गई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब आपने समाचार-पत्रों को समाचार नहीं दिया तो यह प्रकाशित किस प्रकार हो सकता है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय को उस समाचार का खण्डन करना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को केवल उन विधेयकों को पुरःस्थापित करने की सूचना भेजनी चाहिये जो तैयार हो चुके हों। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।

श्री राजबहादुर : आपका विनिर्णय हमें स्वीकार है। परन्तु सरकार का मन्तव्य सदन को गुमराह करना नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में आपको पक्का निश्चय करके ही कदम उठाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको स्टेट बैंक के श्री मल्होत्रा के मामले के बारे में भी एक पत्र लिखा है। सरकारी क्षेत्र के एक बैंक से 60 लाख रुपये की राशि निकाल कर दे दी गई और हम उस बारे में कुछ नहीं जानते। वित्त मंत्री को वक्तव्य देकर बताना चाहिये कि स्टेट बैंक द्वारा श्री मल्होत्रा के विरुद्ध की जा रही जांच के क्या परिणाम निकले हैं। अन्यथा सूचना प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें यह आश्वासन दिया जाए कि वित्त मंत्री को वक्तव्य देने को कहा जायेगा······

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बैठने को कह रहा हूं और आप बोलते ही जा रहे हैं।

गत सत्र में हमने इस पर कई घण्टे तक चर्चा की थी। अब इस मामले को इतना शीघ्र नहीं लाया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मल्होत्रा के विरुद्ध स्टेट बैंक द्वारा विभागीय जांच-कार्य तो वित्त मंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। क्या वे सदन में स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : समाचार-पत्रों के अनुसार श्री मल्होत्रा की पदोन्नति की जा रही है। इस सम्बन्ध में हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप हैं और श्री मल्होत्रा हैं तब तक इस मामले का अन्त नहीं होगा।

उपदान संदाय विधेयक
PAYMENT OF GRATUITY BILL

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : श्रम मंत्री की ढुल-मुल नीतियों के कारण श्रम मंत्रालय के नौकरशाहों ने इस विधेयक के उपबन्धों को अनुपयोगी बना दिया है। उन्होंने इस विधेयक में से ऐसे कुछ उपयोगी खण्ड निकाल दिए हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों के सारे माननीय सदस्य

बनाये रखना चाहते थे। यह बात समझ में नहीं आती कि मंत्री महोदय परिवहन श्रमिकों को इस विधेयक के अन्तर्गत लाने का विरोध क्यों करते हैं, जबकि वह यह जानते हैं कि परिवहन श्रमिक संगठित हैं और वे अन्य अनेक प्रकार की सुविधाएं पा रहे हैं। उन्हें इस सुविधा से वंचित नहीं रखना चाहिए, विशेषकर जबकि उन्हें बहुत से राज्यों में ये सुविधाएं प्राप्त हैं।

दूसरी बात यह है कि उपदान की दर 15 दिन की बजाय 21 दिन की होनी चाहिए क्योंकि श्रमिकों को मिलने वाले बहुत से भत्ते और विशेषाधिकारों को उपदान की गणना के उद्देश्य से इसमें शामिल नहीं किया गया है इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि दर बढ़ा दी जाए। किन्तु इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया है।

श्रमिकों को किसी भी कारण से पिछली सेवा के लिए दिए जाने वाले उपदान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मालिक कह सकता है कि इससे भविष्य में सेवा में अन्तराल आ गया है। यह तो सबको विदित ही होगा कि उच्चतम न्यायालय ने 1961 में घोषणा की थी कि उपदान पिछली सेवा का पारिश्रमिक है और इसको छूना नहीं चाहिए। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या समाजवाद का पक्ष लेने वाली इस सरकार को मजदूरों को पिछली सेवाओं के लिए उपदान के रूप में दिए जाने वाले पारिश्रमिक के अधिकार से वंचित रखना चाहिए। इस सुविधा को कम नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु यह सुझाव भी मंत्री महोदय ने स्वीकार नहीं किया है।

सरकार ने सबसे अधिक हानिकारक कार्य यह किया है कि मजदूर अथवा उसके मनोनीत व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया है कि वह अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए न्यायालय में जा सके। उन्हें राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के पास जाना पड़ता है, किन्तु मालिक न्यायालय में जा सकता है। श्रमिक को उपदान प्राप्त करने हेतु मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकारियों के पास जाना पड़ता है। इस उपबन्ध से श्रमिक अथवा उसके आश्रितों को अत्यन्त कठिनाई हो रही है। इस विधेयक ने उपदान के भुगतान को रोकने के लिए नियोजकों के लिए अनेक मार्ग खोल दिए हैं। सबसे पहले तो नियोजक उपदान के भुगतान से बचने के लिए मजदूरों को 12 महीनों में 240 दिन तक काम देने से इन्कार कर सकता है, क्योंकि वे एक वर्ष की निरंतर सेवा के उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं आते। अतः नियोजक मजदूर को चार वर्ष की सेवा के उपरान्त किसी-न-किसी बहाने से निकाल सकता है और कुछ समय के बाद उसे फिर नियुक्त कर सकता है। देश में इतनी अधिक बेरोजगारी को दृष्टि में रखते हुए, नियोजक के लिए ऐसा करना बहुत सुगम है।

श्रमिक विधानों को गम्भीरता से कभी लागू नहीं किया गया है। सरकार के कार्मिक विभाग नियोजकों के ही सहायक हैं। इसलिए मजदूरों को अपना अधिकार नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त, नियोजक मजदूर पर कदाचार आदि का कोई आरोप लगाकर उसे 30 वर्ष की सेवा के बाद भी काम से निकाल सकता है। किन्तु मजदूर के लिए सीधे न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है।

यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधेयक है जिसकी इस देश के लोग बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यद्यपि इस विधेयक से देश के अन्य भागों में श्रमिकों को नवीन लाभ मिलते हैं परन्तु इसके द्वारा श्रमिकों के कुछ ऐसे लाभ समाप्त किये जा रहे हैं जो उन्हें केरल और पश्चिम बंगाल में राज्य

श्रम विधियों के अन्तर्गत प्राप्त हैं। अतः सरकार को और अधिक प्रगतिशील रुख अपनाकर अधिकाधिक मजदूरों को लाभ देना चाहिए तथा उन्हें न्यायालय में सीधे जाने की स्वतंत्रता का अधिकार भी देना चाहिए।

इतना ही नहीं है, दण्ड सम्बन्धी खण्ड इस प्रकार बनाये गये हैं कि वे पूर्णतः निरर्थक हैं। कोई भी नियोजक अपने एवज में जेल भेजने अथवा जुर्माना देने के लिए किसी भी व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में खड़ा कर सकता है और न्यायालय को गुमराह करके वह किसी भी प्रकार के दण्ड से बच सकता है। इन उपबन्धों से यह विधेयक मजाक बन गया है।

अतः मंत्री महोदय को कम से कम यह संशोधन तो स्वीकार करने ही चाहिए। इस विधेयक के क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कम से कम परिवहन श्रमिकों और निर्माण कम्पनियों तथा स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को भी शामिल किया जा सके।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : इस चिर प्रतीक्षित विधेयक को लाने में सरकार ने अपने वचन का पालन किया है। उपदान दान नहीं है। वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में उपदान के बारे में धारणा पूरी तरह से परिवर्तित हो गयी है। अतः इसे नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला दान न मानकर श्रमिक का अधिकार माना जाना चाहिए।

इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र में कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों और रेलवे कम्पनियों तथा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले लोगों को शामिल किया गया है।

एक तीसरा वर्ग भी है। केन्द्रीय सरकार भविष्य में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य प्रतिष्ठान को इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ला सकती है। तीसरे वर्ग के क्षेत्र की स्थिति समझ में नहीं आई। वह आधार एवं औचित्य क्या है, जिसके अनुसार कुछ श्रेणियों का तो यहाँ उल्लेख किया गया है और कुछ को छोड़ दिया गया है? यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है क्योंकि हो सकता है कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाए, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, रेलों को छोड़ दिया गया है जबकि रेलवे कम्पनी को इसमें शामिल किया गया है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then Adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Three Minutes past fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy SPEAKER *in the Chair*]

श्री के० नारायण राव : जब हम रेलवे कम्पनियों के कर्मचारियों को इस विधेयक में शामिल करते हैं और परिवहन कम्पनियों के कर्मचारियों को शामिल नहीं करते हैं, जबकि ये कर्मचारी लगभग एक-सा ही कार्य करते हैं, तो इसके लिए क्या कसौटी अपनाई गई है? इस

सम्बन्ध में मैं यह समझा हूं कि जिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती उनके लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् उपदान की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि सरकार ने इस सिद्धान्त को मूल सिद्धान्त के रूप में मान लिया है तो हमें इस विधेयक के अधिकार-क्षेत्र का बहुत बड़े क्षेत्र तक विस्तार करना होगा। राज्यों का ही मामला लेकर देखें। अनेक राज्यों में परिवहन संगठन कार्य कर रहे हैं और यदि उन्हें ऐसे लाभ से वंचित रखा जाये, तो हम सरकार को एक आदर्श नियोक्ता कैसे कह सकते हैं ?

महिला कर्मचारी के मामले में 'परिवार' की परिभाषा में उसके पति के आश्रित माता-पिता को लिया गया है। परन्तु पुरुष कर्मचारी के मामले में इस प्रकार का उपबन्ध नहीं है। मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

जहां तक गोद लेने के मामले का सम्बन्ध है, पुरुष कर्मचारी के लिए गोद लेने के अधिकार का उपबन्ध है, किन्तु महिला कर्मचारी के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

मजूरी में महंगाई भत्ता तो शामिल है किन्तु बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता, समयोपरि भत्ता तथा अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं। यदि मजूरी में से इन भत्तों को अलग कर दिया जाए तो बाकी रह ही क्या जाता है। नगर भत्ते के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

उपदान कुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत जब्त किया जाता है। यदि किसी कर्मचारी की सेवाओं को उसके उत्पाती अथवा उपद्रवी आचरण अथवा उसके हिंसक कार्य अथवा नैतिक चरित्र-हीनता सम्बन्धी किसी कार्य के कारण समाप्त कर दिया गया हो, तो उस कर्मचारी से समस्त उपदान की देय राशि जब्त कर ली जायेगी। किन्तु ऐसा करने से आप उसे दोहरा दण्ड देते हैं। यदि आप उपदान पर विचार करें तो आपको पता लगेगा कि उसमें 'राहत' की भावना विद्यमान है। कर्मचारी को अपने मनोनीत चुनने पड़ते हैं जिन्हें राशि का दावा करने का अधिकार होता है। इन मनोनीत व्यक्तियों को ही उपदान का लाभ मिलता है। कर्मचारी के उपद्रवी आचरण के कारण ही तो उसकी सेवा समाप्त की जाती है। यदि फिर भी उसके उपदान को जब्त किया गया तो इससे मनोनीत व्यक्ति अथवा वारिस को ही कठिनाई होगी। अतः उसे एक ही दण्ड दिया जाना चाहिए, दो दण्ड नहीं। अब प्रश्न यह आता है कि दुराचार क्या है। सेवाकाल में नैतिक चरित्रहीनता को दुराचार माना गया है। किन्तु ऐसा एकदम निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अतः इस उपबन्ध को निकाल दिया जाना चाहिए। प्रथम परिस्थिति के अतिरिक्त, अन्य किसी भी परिस्थिति में उपदान को जब्त नहीं किया जाना चाहिए।

यह सम्भव है कि कुछ समय के पश्चात् किसी कम्पनी अथवा कारखाने में काम बन्द हो जाये, तो ऐसे मामलों में कर्मचारियों को उपदान बिलकुल ही नहीं मिल सकता। इसलिए उपदान को भी सामान्य भविष्य निधि के समान किसी निधि में रख दिया जाना चाहिए। प्रतिवर्ष उस निधि के रूप में ही उपदान का भुगतान किया जाना चाहिए और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके कारण कारखाना बन्द हो जाए तो कर्मचारी अपने उपदान की देय राशि उस निधि में से निकाल सकते हैं और उन्हें किसी तरह की हानि नहीं होगी।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I support this long awaited Bill which should have been brought forward much earlier. This is not so comprehensive as it should have been. Some of the provisions have been left out of its purview. Workers employed in the fields of transport and education and in hospitals, docks, and Government offices and police personnels have been excluded from its purview.

According to a provision in this Bill an employee who is involved in an offence or who in any way causes loss to an industry and is terminated from his service, his gratuity will be forfeited and this forfeited amount shall be utilised to make up the loss done to industry. Sir, I oppose this provision. If an employee is found guilty of an offence, then his termination from service is enough punishment. It is not justified to make up the loss from his gratuity. He should not be deprived of his gratuity.

Another aspect of this Bill is the rate of gratuity. It should be 21 days. The Committee also has recommended this. But this provision is not included in this Bill. The hon. Minister has said in his statement that a worker shall get an amount of gratuity equal to 20 months salary irrespective of the length of his service. I do not agree with this view. The gratuity should be calculated at the rate of 21 days' salary in a year for whole of the service of a worker.

It has been stated that the provisions of this Bill be implemented in a limited number of organisations. This should be made applicable to all the organisations controlled and run by the Government.

A large number of people have been working as casual labours in Railways for the last 10 to 15 years but there is no guarantee of their service. The casual labour should have a right to claim gratuity. There should be a provision in this Bill to this effect, at least for the organisation where provident fund scheme is in force.

There is another provision in this Bill to the effect that in case a dispute arises in an industry or factory and the worker resorts to violence and sabotage, as a result of which that industry or factory suffers a loss, then that loss shall be made good from the money of the worker. This is not at all justified. This would have to be decided as to who committed the offence. I am sure that it is always the employers who are responsible for all this. The employers incite their workers to resort to all such activities. The worker should not be held responsible for the loss done to an industry as a result of dispute. The workers are poor and as such they have no money to go to the courts for getting justice. A commission or committee should be appointed to find out as to whether the employer or the employee is at fault in such disputes; and in case the workers' stand is found to be justified, the worker should not be held responsible for the loss.

It has been stated that a fund will be created in which the amount of gratuity will be deposited and for this a Board will be constituted. The employers who do not deposit the money of gratuity of their workers should be penalised.

Shri Ramsingh Verma (Indore) : Sir, I congratulate the members of Select Committee and the hon. Minister for labour for bringing this Bill here. Although they have done their best to make this Bill foolproof yet they have not been so much successful in their attempt. This Bill is full of complexities and the labourers will not be adequately benefited by this Bill.

It is provided in this Bill that the rate of gratuity should be 15 days salary for a completed year of service. But in some of the organisations, the workers are getting gratuity at the rate of one month's wages. In such cases, the workers would suffer a loss of 15 days' salary every year. Therefore, the hon. Minister should give a guarantee that the employees working in such establishments will not be put to a loss.

Some stringent restrictions, like strikes, have been laid down in this Bill for the purpose of payment of gratuity to workers, which have completely deprived the workers of their right to claim gratuity.

Government has laid down standing orders for misconduct. According to the standing orders, an employee can be suspended and fined or his services can be terminated for his act of misconduct while working in a factory or industry. When an employee's services are terminated full amount alongwith gratuity is paid to him within 48 hours of such termination. But according to the provision in this Bill, gratuity of the terminated employee will be forfeited. This is improper. Gratuity should be regarded as a part of wages. According to Payment of Wages Act, amount of gratuity should be given alongwith the wages to the worker within 48 hours of his leaving his service or his termination from the service, the amount of gratuity of a worker should be deposited in a Government treasury by the employers either monthly or annually so that it may remain safe.

The matter regarding gratuity and retrenchment compensation is not clear, as to whether gratuity should be paid alongwith retrenchment compensation. Though I know gratuity and retrenchment compensation are separate things but this is not mentioned in this Bill. In some factories, retrenchment compensation is paid to the workers alongwith gratuity. When a provision regarding gratuity is being made, the position of retrenchment compensation should also be clarified.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझसे अनुरोध किया गया है कि इस विधेयक पर चर्चा सायं 4 बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए। किन्तु दूसरी ओर मेरे पास वक्ताओं के नाम भेजे जा रहे हैं। मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा, किन्तु प्रत्येक माननीय सदस्य 10 मिनट से अधिक समय नहीं ले।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं इस विधेयक के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। यद्यपि इस विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं फिर भी यह एक बहुत अच्छा विधेयक है।

इस उपबन्ध को कुछ सीमित प्रतिष्ठानों पर ही लागू किया जाना है, किन्तु इसे अधिनियम को सभी प्रतिष्ठानों पर, जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम और बोनस अधिनियम लागू होते हैं, लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि उपदान आस्थगित मजूरी है जो श्रमिक को वर्षों की सेवा के पश्चात् मिलती है।

इस विधेयक में "कर्मचारी" और "मजूरी" की परिभाषाओं को संक्षिप्त कर दिया गया है। बोनस अधिनियम में "1600 रुपये" लिखे गये हैं किन्तु इस विधेयक में "1000 रुपये" कर दिए गये हैं। कल ही कहा गया था कि 1000 रुपये पाने वाले अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं। किन्तु यह ऐसी राशि है जो श्रमिक को अपनी लम्बी सेवा के पश्चात् मिलनी ही चाहिए। अतः यह भेद-भाव दूर किया जाना चाहिए।

इस विधेयक में "निरन्तर सेवा" की परिभाषा के काफी दुरुपयोग की गुंजाइश है। यह कहा गया है कि "हड़ताल, जो अवैध न हो—" बेहतर होता यदि इसमें इस प्रश्न की वैधता या अवैधता का बिल्कुल ही उल्लेख न किया जाता। यदि इसका उल्लेख करने पर जोर दिया जाए तो एक संशोधन लाया जाना चाहिए कि "जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत, किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित नहीं किया गया हो।" किन्तु इस बात का निर्णय कौन करेगा कि हड़ताल वैध है अथवा अवैध है ? इसे नियोजकों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि स्थायी आदेशों के अन्तर्गत "अवैध" और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत "वैध" में बहुत अन्तर है इसलिए जब तक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा इसे अवैध घोषित न किया जाए इसे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

"सेवानिवृत्ति" के बारे में बताया गया है कि वार्धक्य सेवा-निवृत्ति के अतिरिक्त, इसका तात्पर्य कर्मचारी को सेवा से अलग करना है। सेवा से अलग करने की सामान्य प्रक्रिया वार्धक्य सेवा-निवृत्ति है। किन्तु यहां "वार्धक्य सेवा निवृत्ति के अतिरिक्त अन्य तरीकों से" शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा खण्ड 4 में कुछ कठिनाई के कारण किया गया क्योंकि खण्ड 4 में कहा गया है कि उपदान किसी कर्मचारी को उसकी न्यूनतम 5 वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् सेवा समाप्ति पर अथवा उसकी सेवा-निवृत्ति अथवा त्यागपत्र देने पर" दिया जायेगा। यहां पर "सेवा-निवृत्ति" शब्द आया है और इसलिए इसकी नई परिभाषा की गई है। किन्तु इसे सीधे और ईमानदारी से किया जाना चाहिए।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष की सेवा करने के उपरान्त किसी कारण से उसकी सेवाओं को समाप्त किया जाता है तो उसे उपदान मिलना चाहिए जो आस्थगित मजूरी है, उपदान का विचार पेंशन के अनुरूप है, उपदान किसी व्यक्ति को जीवन भर अपने नियोक्ता की सेवा करने के कारण मिलता है, कृपया आप इसमें ऐसी बात नहीं लाइये जिससे इसमें कुछ त्रुटियों की गुंजाइश हो।

आप ऐसा क्यों कहते हैं कि उपदान का हिसाब लगाते समय पेंशन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ? बोनस को सांविधिक भुगतान होने के नाते इसमें शामिल करना चाहिए।

खण्ड 3 में इसे 20 वर्ष तक सीमित क्यों किया गया है ? इसे 15 दिन की मजदूरी तक सीमित करने के स्थान पर 1 मास की मजदूरी तक किया जाना चाहिए।

खण्ड 6 में बताया गया है कि कर्मचारी द्वारा किया गया 'किसी भी कृत्य" जिससे क्षति अथवा हानि पहुंची हो उपदान की राशि कम करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। मानव से भूल हो सकती है। इसलिये यह एक बहुत कठोर उपबन्ध है, इसलिए "किसी भी कृत्य" के स्थान पर "जान-बूझकर किया गया ऐसा कार्य जिससे क्षति पहुंचती हो" रखा जाये।

दंड सम्बन्धी खंड पर चर्चा करते समय मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसा मामला देखा है जहां कानून के अन्तर्गत अर्जित मजूरी नहीं दी गई हो ? पेंशन एक अर्जित आय होती है जो आस्थगित होती है। आप ऐसा प्रावधान क्यों ला रहे हैं जिसके अन्तर्गत किसी कर्मचारी द्वारा कदाचार करने पर, जिसके कारण उसकी सेवाओं को समाप्त किया गया हो, उसके उपदान की राशि में परि-

वर्तन किया जाये। उपदान कर्मचारी के परिवार के लिए निर्धारित किया जाता है, अब आप उसके परिवार के अंश को छीनना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का प्रावधान नहीं लाया जाना चाहिये।

हम यह जानते हैं कि नियोक्ता आसानी से भुगतान नहीं करते हैं। ऐसा हमारा अनुभव रहा है, वह तालाबन्दी आदि का सहारा ले सकते हैं। मेरा कहना है कि इसका भुगतान प्रतिमास किया जाये। नियोक्ता के पास करोड़ों रुपये की राशि भविष्य निधि के रूप में बकाया है, कर्मचारी की आय में से प्रति मास अथवा प्रति वर्ष उपदान के रूप में कुछ राशि कम करके उसे सरकारी अधिकरणों को दिया जाना चाहिये। इस प्रकार का प्रावधान बनाया जाना चाहिए।

खंड 10 पूर्णतया अनावश्यक है, विधेयक के खंड 9 में व्यवस्था है कि उपदान का भुगतान न करने की स्थिति में नियोक्ता को तीन महीने का कारावास दिया जा सकता है, परन्तु खंड 10 में नियोक्ता अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को पेश कर सकता है। इस प्रकार भ्रांति पैदा करने की कोशिश की गई है। यदि मेरे उपरोक्त सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता है तो विधेयक अधिक लाभदायक बन सकता है।

Shri Nathuram Ahirwar (Tikamgarh) : Sir, it has been seen that Management misuse their position and harass the employees. By their actions they create such circumstances under which employees are compelled to resort to agitation and stop work. In this way, they are in a position to deprive the employees of their gratuity. So provision should be made that unless the controlling Authority gives its decision the gratuity should not be touched.

Under the provision laid down, this Bill is applicable on those factories where the number of employees is more than ten. To avoid the implementation of the Bill, the employer divide the factory into any number to show the number of employees less than ten. The company or the factory is one but such thing is done to escape the provision of the Bill. I want to know what action is being taken in this regard.

Under the Government rule, an employee is declared quasi-permanent after putting in 9 months of service. Now what the employer is doing. He engages these employees for a period of 6 to 8 months and then turns them out. After some interval they are again taken into service. Under this process their services are not regarded as continuous services and they cannot get their due amenities. In such cases their break in services should not be taken into consideration and it should be regarded as continuous service so that they may get their due gratuity.There are factories which work on seasonal basis such as sugar factories etc. Fifteen days' wages in a year as gratuity in their case is too less. It should be increased to one months' wages.

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मुझे प्रसन्नता है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन और विधेयक को यहां समर्थन प्राप्त हुआ है, जैसा कि मैंने कहा है कि यह विधेयक सेवानिवृत्ति के लाभ तथा भविष्य निधि के बारे में है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम देश में श्रमजीवी वर्ग के बारे में बात करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण कारखाना अथवा

प्रतिष्ठान में काम करने वालों तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमें भारतीय स्थिति को अपने ध्यान में रखना चाहिए । ऐसे भी हजारों कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है । आपको इनका भी ध्यान रखना चाहिए । हमारे पर उन लोगों का भी दायित्व है जिनको बहुत कम मजूरी मिलती है ।

कतिपय अन्य श्रमजीवी वर्गों को इस विधान के अन्तर्गत लाने की बात कही गई है । इसमें एक प्रारम्भिक धारा है जिसके अनुसार इस विधान को अन्य वर्गों पर भी लागू किया जा सकता है । यह बात समझ लेनी चाहिए कि हमने अन्य वर्गों को इस विधान के बाहर क्यों रखा है । उदाहरण के लिए परिवहन कर्मचारियों को इसकी परिधि से बाहर रखा गया है । यह राज्यों का अपना विषय है । अतः राज्यों तथा स्थानीय निकायों से परामर्श किये बिना हम उन पर अतिरिक्त भार डालना उचित नहीं समझते हैं । ऐसे अन्य श्रमजीवी वर्ग हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । भवन निर्माण करने वाले कर्मचारी भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । यह योजना की शुरुआत है और यदि इसमें दोष पाए गए तो उनका निराकरण किया जायेगा । यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उपदान किसी व्यक्ति को उसकी सेवा की समाप्ति के उपरान्त दिया जाता है जबकि सेवानिवृत्ति मुआवजा प्रत्येक परिस्थिति में नहीं दिया जाता है । मेरे लिए विधेयक का क्षेत्राधिकार बढ़ाना संभव नहीं है । नमक पैन कर्मचारियों के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं, उनको अवश्य ध्यान में रखा जायेगा ।

कई सदस्यों ने मजूरी की परिभाषा में मकान किराया भत्ता, बोनस आदि को शामिल किये जाने की मांग की है । आप सब वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बात को विचारें कि क्या इस प्रकार अतिरिक्त भार डालना उचित है या नहीं ।

कर्मचारियों द्वारा मुकदमा दायर करने के अधिकार के बारे में प्रवर समिति में बहुत गंभीरता से विचार किया गया है और विधि विशेषज्ञों के साथ मन्त्रणा करने के उपरान्त खंड तैयार किया गया है । यद्यपि कर्मचारी को बिना सरकार की अनुमति से मुकदमा चलाने का अधिकार देना वांछनीय नहीं समझा गया है परन्तु फिर भी विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि उपदान का भुगतान न करने की स्थिति में सरकार नियंत्रण अधिकरण को मुकदमा दायर करने को कह सकती है । इस मामले में कर्मचारियों को यह संरक्षण दिया गया है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्न्टाई) : आखिर कर्मचारी को मुकदमा दायर करना पड़ेगा । क्योंकि सरकार को विवश करने का यही एक मार्ग है !

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि माननीय सदस्य विधेयक को देखें तो यह पायेंगे कि कर्मचारी को नियोक्ता की दया पर नहीं छोड़ा गया है, इसमें कहीं भी इस प्रकार का दोष विद्यमान नहीं है ।

अवैध हड़ताल के बारे में यह बात उठाई गई थी कि क्या इसमें अनुशासनहीनता, उपद्रव तथा हिंसायुक्त आचरण को शामिल किया जाना चाहिए अथवा नहीं । क्या कोई बता सकता है कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता तथा सम्पत्ति की तोड़-फोड़ नहीं हुई थी ? अब कारखानों के उपद्रव रोजमर्रा की बात हो गई है । ऐसी बातें कार्मिक संघ आंदोलन की दुर्बलता तथा प्रत्येक

एकक तथा उद्योग में कार्मिक संघों के होने से होती हैं। कार्मिक संघ की एकता तथा प्रत्येक एकक और कारखाने में कार्मिक संघ का एक प्रतिनिधि होने से इस प्रकार की बातों को दूर किया सकता है। क्या हमें विधेयक में इस प्रकार के प्रावधान नहीं लाने चाहिएं जिनसे अनुशासनहीनता को दूर किया जा सके ?

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : मंत्री महोदय का कहना है कि इस प्रकार की बातें कार्मिक संघों की बहुलता से होती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं एक उद्योग में एक कार्मिक संघ की व्यवस्था करने के लिए अभी तक कानून लाया गया ? किसी कर्मचारी को कारखाने की संपत्ति को क्षति पहुंचाने के कारण बरखास्त किया जा सकता है, परन्तु उसको उपदान न देने का क्या कारण है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : कार्मिक संघ आंदोलन में अनुशासन लाने तथा उसका स्वस्थ विकास करने के लिए एक विस्तृत विधेयक लाया जा रहा है। वस्तुतः एक प्रकार की राष्ट्रीय कार्मिक संघ परिषद् की स्थापना का विचार है।

यदि कोई कर्मचारी हिंसायुक्त आचरण करता है तो उसका मामला न्यायाधिकरण द्वारा देखा जायेगा। वही उसका दण्ड निर्धारित करेगा। नियोक्ता को उसका अपराध सिद्ध करना पड़ेगा।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मंत्री महोदय का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में असंगति है।

श्री आर० के० खाडिलकर : उच्चतम न्यायालय इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न दृष्टिकोण लेता रहा है। यह सामाजिक समस्याओं के प्रति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ऐसी बात दुर्भाग्यपूर्ण है। यह (निर्णय करना) नियंत्रण अधिकरण पर होगा कि क्या अपराध इतना गंभीर है जिससे पूरा मुआवजा लेने का औचित्य बनता है। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि नियोक्ता को मनमानी करने का कभी भी अधिकार नहीं दिया जायेगा।

मैं श्री सरजू पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार करता हूं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अधिक समय न लेते हुए श्री सरजू पांडे को संशोधन प्रस्तुत करने को कहें। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस योजना की क्रियान्विति में अपना योगदान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कम्पनियों, दुकानों, अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड-वार चर्चा करेंगे। खंड 2. इस संबंध में अनेक संशोधन हैं।

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 22 में

"Which is not illegal" ("जो अवैध नहीं है") शब्दों को निकाल दिया जाये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

पृष्ठ 2, पंक्ति 22 में

"Which is not illegal" (जो अवैध नहीं है) शब्दों को निकाल दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 25 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended was added to the Bill

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खंड 4

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (कैथल) : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन संख्या 26, 27, 28, 29, 30 और 31 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 16, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill.

खंड 9

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन संख्या 32, 33 और 34 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 32, 33 और 34 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10 was added to the Bill.

खंड 11

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 35 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 35 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11 was added to the Bill.

खंड 12 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 12 to 15 were added to the Bill.

खंड 1

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री सरजू पांडे : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11,12 और 23 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendment Nos. 11, 12 and 23 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"खंड 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।
The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्रम मंत्री महोदय ने कहा है कि इस अधिनियम को उन मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता जो किसी राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है । वह कम से कम सरकारी-क्षेत्र के परिवहन तथा निर्माण श्रमिकों को तो इसमें शामिल कर सकते थे ।

उपदान के मामले में श्रमिकों को नियोक्ताओं तथा नियंत्रण प्राधिकारी की दया पर छोड़ दिया गया है । व्यतिक्रमी नियोक्ताओं के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही नहीं की गई है । यदि नियोक्ता उपदान की अदायगी नहीं करता है तो कर्मचारी न्यायालय में भी नहीं जा सकता । इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि वह मजिस्ट्रेट, जिसके न्यायालय में मुकद्दमा चल रहा है, उसे सिद्धदोष ठहरा सकता है तथा तीन महीने के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दे सकता है । व्यवहार में कारावास नहीं दिया जायेगा तथा नियोक्ता जुर्माने की परवाह नहीं करते हैं ।

बर्खास्तगी तथा छंटनी के मामले में भी कर्मचारी को उसका उपदान मिलना चाहिये । यदि इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया तो नियोक्ता उसे उपदान की अदायगी से इन्कार कर सकता है ।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : I am thankful to the hon. Minister who has accepted my amendment No. 13. The Hospital workers, Municipal workers etc. should also be covered.

Almost all the Members including the Members of the Ruling Party have demanded that the provision regarding the forfeiture of security violates the constitution. The employers can fabricate cases and deny payment of gratuity to the employee, which will be a great injustice. I am sure that the hon. Minister will accept my Amedment No. 15.

With these words, I support this Bill.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने दंड के बारे में उल्लेख किया है। मैं उनका ध्यान खंड 9 (2) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि उपदान की अदायगी न करने पर न्यूनतम कारावास तीन महीने का है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक—जारी
Coking Coal Mines (Nationalisation) Bill—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं आये, अतः प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खंड 4 और 5 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 तथा 5 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 4 तथा 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

खंड 6, 7 तथा 8 विधेयक में जोड़ दिये गए ।
Clauses 6, 7 and 8 were added to the Bill.

खंड 9

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपने संशोधन संख्या 3 तथा 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री आर० वी० बड़े (खारगोन) : मैं अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri R. V. Bade : I have moved my amendment to clause 9 because it relates to liabilities. If the owners of a Company or Coking Coal Mines do not pay the amount to the workers which they owe to workers, it is the responsibility of the Government to deduct the amount equal to the workers' Provident Fund and Bonus from the compensation which the Government have to give to the Owners.

श्री सोमनाथ चटर्जी : कल मंत्री महोदय ने कहा था कि कर्मचारियों को साधारण ऋण-दाताओं के समान समझा जाना चाहिये । हमारा निवेदन है कि उन कर्मचारियों तथा श्रमिकों को, जिनकी मजूरी अथवा बोनस, भविष्य निधि अथवा पेंशन अथवा उपदान की राशि बकाया है, उन साधारण ऋणदाताओं की अपेक्षा पृथक् रखा जाना चाहिये था जिन्होंने माल सप्लाई किया हो अथवा उनको धन उधार दिया हो ।

जिन श्रमिकों को सरकार की सेवा में जाना पड़ेगा उन्हें अपने पुराने नियोक्ताओं के पीछे क्यों पड़े रहना चाहिये । सरकार अपने पर यह उत्तरदायित्व क्यों नहीं ले लेती है कि जो राशि श्रमिकों को अदा की जाती है उसे वसूल करे । इस सम्बन्ध में इस विधेयक में जो प्रक्रिया रखी गई है उससे तो श्रमिकों को अपनी बकाया राशि लेने में काफी लम्बा समय लग जायेगा अतः हमने खंड 9 के कुछ शब्दों को हटाने का सुझाव दिया है ।

मान लीजिए कि श्रमिकों को कुल 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करना है और सरकार के पास वितरण के लिए केवल 20,000 रुपये हैं तो इससे श्रमिकों को हानि होगी । सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रही है । सरकार को चाहिये कि कमी को पूरा करने के लिए वह जो उपाय करना चाहे करे परन्तु श्रमिक हानि क्यों उठायें ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : सरकार श्रमिकों को देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकती । श्रमिकों को इस देय राशि का भुगतान वास्तव में नियोक्ताओं द्वारा ही किया जाना है । श्रमिकों की ओर जो भी राशि बकाया है उसकी वसूली नियोक्ताओं को ही करनी है । श्रमिकों की स्थिति का संरक्षण करने की दृष्टि से खंड 23 पर्याप्त है ।

माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि इसमें बहुत अधिक समय लगेगा । यदि सरकार ने उत्तरदायित्व लिया भी तो भी इस बात की जांच करने में समय तो लगेगा ही कि दावा उचित है अथवा नहीं । भुगतान आयुक्त यही करेगा । उसका कर्त्तव्य यही पता लगाना होगा कि दावा उचित है अथवा नहीं । उसके बाद इस विधेयक में उल्लिखित प्राथमिकता के अनुसार भुगतान किया जायेगा ।

किसी श्रमिक अथवा किसी अन्य उपदान से सम्बद्ध जो कुछ भी देयता होगी उसका भुगतान पहले भुगतान आयुक्त के निष्कर्ष के अनुसार किया जायेगा और जो कुछ शेष रहेगा उसका मुआवजे के रूप में भुगतान किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 4 और 18 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 3, 4 and 18 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खंड 9-क

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 5 was put and negatived.

खंड 10 से 12

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 10 से 12 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 से 12 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 10 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

Clauses 10 to 12 were added to the Bill.

खंड 13

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 9 के बाद

"(3) If no account is rendered by the owner of a Coking Coal Mine or Coke Oven Plant within the period referred to in sub-section (1) or if the Central Government or the Government Company has any reason to believe that the account rendered by such owner is incorrect or false in material particulars, the Central Government or the Government Company may refer the matter to the Commissioner and thereupon the Commissioner shall determine the income derived by the owner from the Coking Coal Mine or Coke Oven Plant

during the period referred to in sub-section (1) and set off such income against the amount specified in the First Schedule or the Second Schedule, as the case may be, against the name of such owner and the balance to such owner. **(Shri Shahnawaz Khan)**

(3) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर किसी भी कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के स्वामी द्वारा कोई लेखा नहीं दिया जाता है या सरकारी कम्पनी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्वामी द्वारा दिया गया लेखा, महत्वपूर्ण विशिष्टियां गलत या मिथ्या हैं, तो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी मामले को आयुक्त को निर्दिष्ट कर सकती है और तदुपरि आयुक्त उस कोककारी कोयला खान या कोक भट्ठी संयंत्र से उपधारा (1) में निर्दिष्ट कालावधि के दौरान उद्भूत आय अवधारित करेगा, और ऐसी आय का, यथास्थिति, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में स्वामी के नाम के सामने विनिर्दिष्ट रकम से मुजरा करेगा और ऐसे स्वामी को अतिशेष का संदाय करेगा, जोड़ दिया जाये।"

(संशोधन संख्या 6)

(श्री शाहनवाज खाँ)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 13, as amended, was added to the Bill.

खंड 14 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गए।
Clauses 14 to 16 were added to the Bill.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 19 तथा 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : खंड 17 में इस संशोधन संख्या 19 के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक के खंड 17 में कहा गया है कि कोकिंग कोयला खानों तथा कोक ओक संयंत्रों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कलकत्ता में विभिन्न कम्पनियों के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से नियुक्ति-पत्र भेजे गये हैं और उन पत्रों में बताया गया है कि वे एक वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि की समाप्ति पर तथा अच्छे आचरण एवं कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें आगे की अवधि के लिए कार्यालय में रखने पर विचार किया जाये। उनमें से बहुत से कर्मचारियों की सेवा 10, 15 अथवा 20 वर्ष की हो चुकी है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये कि उन्हें सदा परिवीक्षाधीन नहीं माना जायेगा।

इस प्रकार एक दूसरा पत्र है जो इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा भेजा गया है। उससे भी प्रतीत होता है कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि वही नहीं होंगे।

कर्मचारियों के मन में यह शंका है कि उनके वेतन-भत्तों आदि को संरक्षण मिलेगा अथवा नहीं। मंत्री महोदय इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब चार बजने वाले हैं, अतः यह चर्चा कल जारी रहेगी।

सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा

Discussion Re : Drought Situation

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : देश को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। सूखा, अभूतपूर्व अकाल तथा बेरोजगारी से 12 राज्य तथा 750 लाख लोग प्रभावित हैं।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

छह राज्य लगभग अकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में केवल एक जिले मालदा में ही भुखमरी से 50 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। मैं इन 50 व्यक्तियों में से केवल 30 व्यक्तियों की सूची सभा-पटल पर रख सकता हूं।

सभापति महोदय : मैं इसे अध्यक्ष महोदय के पास भेज दूंगा तथा वही निर्णय देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने उचित नियमानुसार इसकी सूचना दी है।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सूची की क्या प्रामाणिकता है?

सभापति महोदय : यह महत्त्वपूर्ण विषय है और इसके लिये दो घंटे का समय दिया गया है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : समय अर्द्ध-रात्रि तक बढ़ा दिया जाये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : समय बढ़ाया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : समय चार से पांच घंटे तक बढ़ाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : सभा की क्या राय है?

अनेक माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं सभा की राय का सम्मान करते हुए समय एक घंटा बढ़ा रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केवल बंगाल ही प्रभावित नहीं हुआ है। मैंने बहुत से दूसरे राज्यों का उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश के लगभग 29,000 गांव अभावग्रस्त हैं। बिहार में 560 लाख लोगों में से 150 लाख लोग घोर संकट में हैं तथा यहां फसल को लगभग 26 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

आन्ध्र प्रदेश में 26,200 गांवों में से 17,400 गांवों पर कुप्रभाव पड़ा है। वहां फसलों की क्षति लगभग 100 करोड़ रुपये की हुई है। त्रिपुरा में 50 व्यक्ति भुखमरी से मरे हैं जिसकी सूची को विधान-सभा के सभा-पटल पर स्वीकार किया गया है।

राजस्थान में 3,500 गांवों पर प्रभाव पड़ा है ।

बंगाल में राहत कार्यों के लिये बहुत कम काम किया गया है । वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है । जिला तथा सब-डिवीजन समितियों में संसद्-सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि यदि वे ऐसा करेंगे तो अन्य दलों के सदस्यों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा ।

अब हम यह देखें कि सूखे से इस बात का पता चलता है कि हम किस प्रकार प्रकृति पर निर्भर हैं । खेती के लिये पानी तथा पेय जल के स्रोत सूख गये हैं । यही अनुभव हमने 1965-66 में भी किया था ।

एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण समाचार-पत्र के सम्पादकीय में लिखा है कि 30 जून को समाप्त होने वाले गत फसल-वर्ष के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बन्ध में काफी हद तक देश को अनुचित आलस्य बरतने के लिये प्रेरित करने का उत्तरदायित्व सरकार को स्वीकार करना चाहिये । सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने में सरकार ने कोई प्रगति नहीं की । खाद्यान्न के उत्पादन में 20 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई है ।

बड़ी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाओं के माध्यम से भूमि के ऊपर, भूमि के अन्दर तथा वर्षा के पानी का प्रयोग करने में सरकार बुरी तरह से असफल रही है ।

अब हमें यह देखना है कि कुल जितनी भूमि में खेती की गई उसमें से कुल कितनी भूमि में सिंचाई की गई । 1951 में इसकी प्रतिशतता 17.5 थी तथा 1970 में वह 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भूमि पर उपलब्ध पानी के एक-तिहाई संसाधनों का उपयोग किया गया । देश में भूमि पर उपलब्ध पानी का प्रति वर्ष का औसत 16.8 करोड़ हेक्टर मीटर होता है जिसमें से सिंचाई के लिये केवल 5.6 करोड़ हेक्टर मीटर का उपयोग किया जाता है ।

कुछ समाचार-पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 151,000 गांवों में जल-सप्लाई की आवश्यकता है । सूखे का अर्थ है खेती तथा पीने के लिये पानी का न होना । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आयोजकों के हाथों जल सप्लाई की उपेक्षा की गई है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भी हजारों गांवों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है । इस दिशा में सरकार पूरी तरह से असफल रही है । एक मंत्री के लिए एयर-कन्डीशनर खरीदते समय सरकार तुरन्त पैसा दे देती है परन्तु गांव में पानी के लिए एक कुआँ खोदने के लिए पैसा नहीं होता ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सूखे के कारण देश भर में स्थिति चिन्ताजनक है । उसके सम्बन्ध में तथ्यों को मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वे अन्धे को भी दिखलाई देते हैं और आशा है सरकार भी इससे अवगत है । पर प्रश्न यह है कि किया क्या जाये ? हम यह जानते हैं

कि वर्षा ऋतु और प्रकृति के प्रकोप को इस देश में प्रारम्भ से ही नियन्त्रण में नहीं किया जा सका है, अन्य क्षेत्र में चाहे कितनी ही उन्नति क्यों न हो गई हो।

अकाल, सूखा को रोकने के लिए अनेकों प्रयोग किए गए हैं। पर उसका क्या परिणाम निकला ? एक या दो अधिक उपज वाले बीजों से हरित क्रान्ति नहीं आई। यह आई है प्रकृति की, इन्द्र देवता की, कृपा से। इसलिए हमें सबसे पहले सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहिए। यही सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है अकाल को रोकने का।

सूखा हमारे देश की एक स्थायी समस्या है और कुछ समय के उपरान्त यह पड़ता रहता है। किसी भाग में 3 साल के बाद और कहीं $2\frac{1}{2}$ साल के बाद। इस समस्या का एक-मात्र समाधान सिंचाई की व्यवस्था करना है। यदि यह व्यवस्था हो जाये तो किसान उन्हीं पुराने औजारों और बीजों से हमें अच्छी फसल दे सकता है। इसके लिए हर उपलब्ध साधन का उपयोग किया जाना चाहिए।

अनाज का बड़ा भण्डार होने पर भी कीमतें बढ़ी हैं इसका कारण यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था व्यापारी और उत्पादक-प्रधान है, न कि उपभोक्ता-प्रधान। अतः हमें बड़ी संख्या में उचित दर दुकानें खोलनी चाहिएं। इतने ही से काम नहीं चलेगा। सरकार को उपभोक्ता उद्योगों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

इसके अतिरिक्त सरकार को काले धन पर कुठाराघात करना चाहिए। यदि यह सब हो जाता है तो कीमतें गिर जायेंगी और लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी।

अतः सरकार को इस समस्या का दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह से समाधान करना चाहिए। इसके लिए भूमि सुधार और सिंचाई की व्यवस्था तथा समानान्तर वित्त बाजार पर आक्रमण किया जाना चाहिए और उपभोक्ता उद्योगों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : अब जबकि हम बड़ी शानशौकत से स्वतंत्रता की रजत जयंती मनाने की योजना बना रहे हैं ऐसे समय में हम सूखा, अकाल, बढ़ती हुई कीमतों पर और सिंचाई और पीने के पानी की कमी पर चर्चा कर रहे हैं। देश भर से सूखा के समाचार आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि हमने ठोस कदम नहीं उठाए तो हम यहां नहीं आ सकते, मंत्री मंत्री नहीं रह सकते, चारों ओर लूट-पाट का साम्राज्य हो जायेगा।

सरकार को इस बात की जांच बड़ी गम्भीरता से करनी चाहिए कि यह सब अचानक कैसे हो गया कि वे इसके लिए तैयार भी नहीं हो पाये।

इस सूखे के परिणामस्वरूप गांवों में पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है। बिजली बोर्ड पता नहीं क्या करते हैं। हजारों नलकूप बेकार पड़े हैं, उन्हें बिजली नहीं मिलती।

यह बात निजी नलकूपों के सम्बन्ध में ही नहीं है वरन् सरकारी नलकूपों के साथ भी यही स्थिति है।

सरकार को इस स्थिति का सामना करने के लिए अनाज का सभी भण्डार अपने हाथ में ले लेना चाहिए और जरूरतमन्द क्षेत्रों तथा लोगों में इसके उचित वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए।

गेहूं, चावल और दालों के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं। पर तमिलनाडु में रुई के भाव गिर रहे हैं, जबकि उसका उत्पादन कम हुआ था। उत्पादक के लिए भाव कम होते हैं परन्तु वास्तविक उपभोक्ता के लिए भाव बढ़ जाते हैं। यह क्या रहस्य है ?

सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उचित वितरण और किसानों को उनके उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने में दृढ़ता बरतनी चाहिए।

इस समय उचित दर की दुकानों का कार्यकरण बहुत ही असंतोषजनक है। इसके लिए जन समितियां बनाई जानी चाहिएं जो इनके उचित कार्यकरण पर नजर रखें और जमाखोरी तथा काले बाजार की गतिविधियों को रोकें।

सरकार ने तमिलनाडु की सूखे की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। वहां स्थिति अत्यधिक खराब है। क्या पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, और अन्य राज्यों ने जहां अत्यधिक सूखा पड़ रहा है, सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजे हैं ? तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

Shri Anadi Charan Das (Jaipur) : The situation of Orissa is worst. First there was a cyclone, then drought, and again there was flood etc. With the result nothing has been left in the fields.

Most part of Orissa is hilly and there is no irrigation facility. Not a single paisa has been spent on minor irrigation. The inhabitants of that area do not have anything to eat during most part of the year. They live on the seeds of mangoes and tamarind and leaves etc.

Now we should think about the steps to be taken by Government for facing this situation. They should make prior arrangements for food. Minor irrigation works can be started in hilly areas. The widows who do not have any means of livelihood should be siven subsidy. Arrangement of free kitchen between two or three villages should be made for them. Farmers should be given seeds on subsidised rates.

***श्री जे० माता गौंडर** (नीलगिरि) : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 25 वर्ष के दौरान हमें कई बार सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा है। पिछले दो वर्षों में पश्चिमी बंगाल और बिहार में

*तामिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

सूखा के कारण भूख से अनेकों मौतें हुईं। यदि स्वतंत्रता की रजत जयन्ती में भी यही सब होता है तो मैं कहूंगा कि यह सब हमारी गलत योजना का परिणाम है। अपनी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी समुचित सावधानी नहीं बरती है और सिंचाई की क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हुआ है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 3,000 करोड़ रुपया खर्च करने पर भी केवल 28 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकी है, और उस सब भूमि पर भी खेती नहीं की जा सकी है क्योंकि छोटी नहरों के अभाव में समस्त भूमि में पानी नहीं पहुंचाया जा सका। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि सरकार ने इस समस्या की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।

चम्बल परियोजना को पूरा हुए दस वर्ष हो गये हैं, पर अभी तक लोग उससे कोई लाभ नहीं उठा सके हैं। यह ऐसा अकेला उदाहरण नहीं है। अधिकतर परियोजनाओं से किसान कोई लाभ नहीं उठा सके हैं।

विश्व बैंक के एक दल ने माहे-कडना परियोजना का दौरा किया था। यह परियोजना 1969 में पूरी हुई थी और इसकी 1,43,000 एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता थी पर अभी तक केवल 40,000 एकड़ भूमि में पानी पहुंचाया गया है। इस पर विश्व बैंक के दल ने सरकार की लापरवाही पर अत्यन्त आश्चर्य प्रकट किया है। क्या सरकार अपनी इस लापरवाही को वर्षा ऋतु में वर्षा न होना कहकर बच सकती है? यदि वर्षा पर ही किसान का कार्य आधारित है तो उसके लिए केन्द्र में मंत्रियों की क्या आवश्यकता है, योजना आयोग की क्या आवश्यकता है?

कृषि मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने 31 जुलाई, 1972 के समाचार पत्र 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक हास्यास्पद वक्तव्य दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये बांध सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं हैं। इनका निर्माण बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने हेतु किया गया था। इस सम्बन्ध में सरकार को समझ लेना चाहिए कि प्रश्न रोजगार देने का नहीं है अपितु राष्ट्र को जिन्दा रखने का है। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार इन परियोजनाओं में भारी राशि लगाने के उपरान्त किसानों को इनसे मिलने वाले लाभ का मूल्यांकन करने का विचार कर रही है।

तमिलनाडु ने कठिनाइयों के बावजूद भी खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त की है। यह सब उसके अथक प्रयासों के कारण संभव हुआ है। माननीय सदस्य कल्याणसुन्दरम ने कृषि पदार्थों के ऊंचे मूल्यों की बात कही है। यह सब केन्द्रीय सरकार की कराधान नीतियों का परिणाम है। उर्वरकों, बीज आदि पर भारी कर लगाए गए हैं। आज तमिलनाडु का कुशल प्रशासन कई दलों की आंखों में चुभ रहा है। माननीय सदस्य ने बताया है कि तमिलनाडु का दो-तिहाई भाग सूखा की चपेट में है। मैं उनसे जानना चाहता हूं, कि उनको यह समाचार कहां से प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु में सूखे ने भयानक रूप धारण नहीं किया है क्योंकि वहाँ की सरकार ने उपलब्ध जल-साधनों का उपयोग किया है। यदि अन्य राज्य सरकारें उसका अनुकरण करतीं तो वहां स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती।

यदि आज स्वतंत्रता की रजत जयंती के अवसर पर भुखमरी से मौतें होती हैं तो अंग्रेज

हमारी स्वतंत्र सरकार के बारे में क्या सोचेंगे ? सरकार को भुखमरी से होने वाली मौतों की जांच करनी चाहिए तथा सिंचाई के साधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि सूखा की स्थिति पुनः पैदा न हो ।

Shri Dinesh Singh (Pratap Garh) : Sir, there is no doubt that Uttar Pradesh and the whole of northern India are in the grip of drought. Now the fear of famine is hovering on us. The coming famine will be the biggest in this centuary. But it is regretted that the time allotted for discussion on this important subject is too less. The Hon. Minister had placed a statement envisaging the steps to be taken to mitigate the drought. But there is nothing new in this and simply there is repetition of Past statements made in the House in this connection on such conditions. When Bihar experienced drought four or five years ago, it was said that money, milk powder would be distributed. The same thing has been said now. These tamashas will not pay. We will have to find out positive measures to combat such situations.

It has been propagated in and out of the Parliament that the farmer of today has become rich. But now who is going to finance him in such drought condition ? Why not the Government introduce crop insurance ? It has been stated in the newspaper that 85 per cent of the crops has damaged due to drought in my constituency Pratapgarh. This is the statement made of the D. M. of Pratapgarh himself.

The Hon. Minister had once visited our district and assured for installation of tubewells. Now there are 34 tubewells but only 12 have got power. Are the rest tubewells for show only ? Canals were dug but they have no utility. Under the present condition nothing will grow and the farm labourers would have to face starvation. The same thing will happen again. They will be asked to dug wells and construct roads. But such measures will not solve the problem. Why we do not get rigs to instal tubewells ? So far the power is concerned, it is not difficult to supply it. The Hon. Minister should categorically state the measure to be taken and take its responsibility. The old method of making such statement should be given up. We want the remedies in clear terms so that we may convey it to our people.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Many States will have to face grim situation if there is no rains in coming days. The Government should not underestimate the seriousness of the situation. Rather then they should chalk out measures to combat it. But the statement of the Hon. Minister does not prove effective in this regard. By underestimating the situation, we would not be able to accelerate the Government machinery to face the crisis. Reports of discontentment among people are arriving. It is good that the Government have stocks of foodgrains. But what is its use when the people are dying of starvation. So the Government should take up the work of distribution of foodgrains to deficit areas. If the people have no purchasing power then they should be given construction works of canals for permanent irrigation facilities. It is to be ensured that the relief work should be utilized for the construction of canals. Secondly in the House the quantum of relief being demanded by the states should also be stated and this is also stated that what is being given by the centre. The centre should see how the assistance given by them is utilized.

I support the contention of crop insurance. Such arrangement should be made so that the farmer does not loose faith. We should also make arrangements of fodder for the cattle. Its distribution task should be set right. The condition of landless labourers is very pitiable. Due to drought they will march towards cities and this will aggregate the situation. I do not subscribe to the idea of looting foodgrains stocks by them. It is my

submission that the Hon. Minister should call Members of Parliament of different states for consultation, A watch-dog machinery should be set up for taking action on information received from Government and non Government sources. Problems of different states should be taken on different levels. This problem is to be tackled on war footing. Political consideration should not be attached. The Hon. Minister should give up complacency and tackle the problem effectively.

श्री शंकर राव सावन्त (कोलाबा) : यह विडंबना की बात है कि स्वतंत्रता की रजत जयंती के अवसर पर हमें भारी अकाल का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र के जिलों में यही स्थिति पैदा हो गई है।

कोंकण में वर्षा बहुत कम हुई है, पौधों के रोपण का कार्य रुक गया है। पश्चिम महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना राज्य की स्थिति बिगड़ जायेगी। महाराष्ट्र में मुश्किल से 8 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था विद्यमान है, यदि वर्तमान सूखा शीघ्र समाप्त न हुआ तो हमें भारी अकाल का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर भारत में हर मौसम में काम देने वाली नहरें और गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियों का जाल बिछा हुआ है। दक्षिण के राज्यों में ऐसी सुविधा नहीं है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था एक फसल पर आधारित है जिसके नष्ट होने पर वहां की जनता के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार को बड़े पैमाने पर राज्य की सहायता करनी चाहिए।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

महाराष्ट्र ने प्रारम्भिक सहायता के लिए केन्द्र से 15 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है जो कि अविलम्ब दी जानी चाहिए। हमने यहां नदियों के जल का उपयोग सिंचाई कार्यों के लिए नहीं किया है। इसकी अपेक्षा हम अंतर्राज्यीय विवादों में अन्तर्ग्रस्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि किसानों को पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध हो सके। यह मेरा दीर्घकालीन सुझाव है।

मेरा दूसरा दीर्घकालीन सुझाव मूल्यों में वृद्धि को रोकना है। उत्पादन की वृद्धि में आने वाली रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए, सूखा और अकाल का सामना करने हेतु हमें न केवल सिंचाई पर निर्भर होना चाहिये अपितु मूल्यों में वृद्धि को भी रोकना चाहिये।

राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता केन्द्र को उदारता से पूरी करनी चाहिए, नहीं तो राज्य इस वर्तमान स्थिति का सामना नहीं कर पायेंगे, महाराष्ट्र में तीसरे वर्ष लगातार अकाल पड़ रहा है। इससे वहां की जनता की दयनीय स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस बार अकाल महाराष्ट्र में व्यापक रूप से पड़ेगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार की अविलम्ब सहायता करे।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : कृषि और खाद्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में वर्तमान सूखा

की स्थिति के लिए भाग्य पर दोषारोपण किया है। उनका वक्तव्य अवास्तविक और अदूरदर्शितापूर्ण है। सरकार को भाग्य की दुहाई देना अथवा इसे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताकर स्वयं जिम्मेदारी से बचना ठीक नहीं है। सरकार का यह वक्तव्य नीरस है तथा इसमें इस गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

उड़ीसा और आंध्र प्रदेश अधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्य हैं। उड़ीसा सूखे से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। यद्यपि वहां स्थिति अत्यन्त विकट है, धान के पौदे सूख रहे हैं, जमीन कड़ी हो गई है परन्तु वहां कोई राहत कार्य नहीं किया गया है।

जहां तक तकावी ऋण का सम्बन्ध है, मेरे जिले को केवल 2 लाख रुपया दिया गया है, जो कि आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है। हमारे लिये निःशुल्क राहत कार्य की भी व्यवस्था नहीं की गई है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सरकार के हाथों में आने से बिगड़ गई है। भारतीय खाद्य निगम ने संपूर्ण वसूली तथा वितरण व्यवस्था को अपने हाथ में ले रखा है। परन्तु उसका कार्य नितांत असंतोषजनक रहा है। विभिन्न राशन की दुकानों में जो चावल मिल रहा है वह मानवीय उपभोग के लिए नहीं है।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उड़ीसा की सरकार ने स्थिति की गंभीरता को नहीं पहचाना है। किसी भी मन्त्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। वे अपने राजनीतिक दांव-पेच में अन्तर्ग्रस्त हैं। किसानों को ऊँचे मूल्यों पर बीज बेचा जा रहा है। निर्धन होने के कारण वे इसे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं।

मेरे जिले में भयंकर सूखा पड़ा है।

जब प्रधान मंत्री वहां गई थीं तब हमने इन्द्रावती परियोजना को आरम्भ करने का सुझाव दिया था क्योंकि इससे पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्र की दो लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी और 600 मेगावाट विद्युत् जनन होगा। वहां भूमिगत जल विद्यमान है; उसे ऊपर लाकर सिंचाई कार्यों के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिए। उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को बहुत सी योजनाएं भेजी हैं परन्तु अभी तक उनमें से किसी भी योजना को स्वीकार नहीं किया गया है।

इस प्रतिवेदन में पहले के प्रतिवेदनों की बातों को ही दोहराया गया है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब और हरियाणा के अतिरिक्त अन्य कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें सूखे से क्षति की आशंका व्यक्त न की गई हो।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार को व्यवहार्य तथा शीघ्र कदम उठाने चाहिएं।

सभापति महोदय : अभी 30 सदस्यों के नाम शेष हैं जिनको बोलना है और दो मंत्रियों को भी वाद-विवाद में भाग लेना है अतएव कोई सदस्य 2-3 मिनट से अधिक समय न ले।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : आप समय एक घण्टा और बढ़ा दें।

श्री के० सूर्य नरायण (एलूरु) : आपसे पहले बैठे सभापति ने बताया था कि सूची में 20

सदस्य शेष हैं परन्तु अब इनकी संख्या 30 हो गई है। यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। आप अधिक समय दें।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : बहुत से सदस्य इस मामले पर बोलने को उत्सुक हैं। मैं सुझाव देता हूं कि समय बढ़ाकर सदस्यों को कम से कम 5 मिनट दिये जायें।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर): हम आठ बजे तक बैठकर इसे समाप्त करें।

सभापति महोदय : मैं समय एक घण्टा और बढ़ाता हूं। कोई भी सदस्य 3-4 मिनट से अधिक समय न ले।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): There can be only one complaint against the Government i.e. that it did not foresee that there can be floods and droughts this year in the country. The Government should have anticipated and prepared for it. But that was not done.

Unluckily Bihar has been facing floods and droughts for the last 5-6 years. The average per capita income of this state is one third of the average income for the country. Apart from that the people of Bihar have very little tolerance. They want that their work must be done first. Their purchasing power is too little. The seeds sowed by them have gone waste due to drought and they do not have any more seeds neither they have money to purchase seed. Where lands need water there is drought and where it is not needed there is flood. If you provide pumping sets people can make use of the flood water.

The remedies for floods and droughts are of temporary nature. Long range programmes should be introduced in place of short ranged ones. Gandak project is pending for 10 years. Efforts should be made to complete this project early.

You may open as many fair price shops as possible. It may also be seen that corrupt employees are not posted in these shops.

The people at large have no money to purchase their rations. The corruption should be uprooted from the states. The central team going to visit the state to examine the conditions should be asked to give its report early. This job may be undertaken on war footings and if necessary the session of Parliament may be adjourned and M. Ps sent in different affected areas to see themselves the havoc caused by floods and drought.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : दो तीन मिनट का समय देकर आप प्रजातंत्र का हनन करेंगे। मेरा नाम आप सूची से निकाल दें। दो तीन मिनट भी अपनी बात कहना बड़ा कठिन कार्य है।

सभापति महोदय : मैं सदस्यों को 4-5 मिनट से अधिक का समय न लेने को कहता रहा हूं परन्तु किसी ने भी 10 मिनट से कम समय नहीं लिया है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : सत्तारूढ़ दल के दो और विरोधी पक्ष के एक सदस्य को बुलाने की परम्परा का पालन किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : नहीं । यदि विरोधी पक्ष के दो सदस्यों पर मेरी नजर पहले पड़ती है तो उन्हें पहले बुलाया जायेगा ।

श्री राजबहादुर : हम 9-10 बजे तक बैठने को तैयार हैं परन्तु पहले सदस्यों द्वारा कही जा चुकी बातों को दोहराया न जाय । इस प्राकृतिक आपदा का मिलकर सामना किया जाना चाहिये ।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : इस मामले को सभा में कल क्यों नहीं लिया जा सकता ।

सभापति महोदय : वाद-विवाद आज ही समाप्त किया जायेगा । आप जब तक चाहें समय बढ़ा दिया जाये ।

Shri K. D. Malavia (डुमरियागंज) : I propose that we may sit till 9 0' clock today.

Mr. Chairman : Is it the opinion of the House ?

Some Hon. Members : yes, Yes.

Mr. Chairman : The House will sit till 90' clock.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The drought conditions in our country have created scarcity of foodgrains and hoarders have starting hoarding. The government should see that entire foodgrains reach at the distribution point. The representatives of the people should be associated with the distribution system.

Please provide Ganga water to drought affected area of Rajasthan to mitigate their drought difficulty.

Rajasthan canal project is a vital scheme. The state Government with the resources at its disposal could not do justice to it.

The Central Government should see that this project is completed immediately.

There is problem of fodder as well. In order to save the cattles fodder should be sent to Jaiselmer and Barhmer areas.

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : हमें 1972 में राष्ट्रीय स्तर पर इस प्राकृतिक विपत्ति का सामना करना चाहिए । एक हरी क्रान्ति से कुछ नहीं बनेगा । सभी प्रयत्न जुटा कर भी हम अपनी पूरी भूमि में सिंचाई नहीं कर सकते हैं । यह हमारे वैज्ञानिकों का कार्य है कि वे ऐसी फसलों का आविष्कार करें जो इस प्रकार के सूखे का भी सामना कर सकें ।

हमारे क्षेत्र में 50 से अधिक गांव सूखे से बच सकते थे यदि जिन क्षेत्रों में जहां बिजली की लाइनें बिछा दी गई हैं, उनके लिये ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था कर दी जाय । मंत्री महोदय को तुरन्त इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने धनाभाव के कारण विद्युतीकरण के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है । दूसरी ओर सिंचाई विभाग ने 10 करोड़ रुपया अप्रयुक्त छोड़ दिया है । सीधी जिले को

विश्व बैंक से हाल ही में 4 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। सरकार को शीघ्र इस परियोजना को स्वीकृति देनी चाहिए।

हमारे क्षेत्र में 100 गांवों में पीने का पानी नहीं है। वहां पर खुदाई की रिग शीघ्र लगाई जानी चाहिए। वहां पर नमक का मूल्य भी अत्यधिक बढ़ गया है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तुरन्त अध्ययन दल भेजे जाने चाहियें।

Shri Shamnandan Mishra (Begusari) : This condition is not only God made but also man made. Bihar has to face drought and flood.

The floods of last year were a havoc. The famine that spread 5-6 years ago were very grave.

Last year Rabi crop in most parts of Bihar was destroyed. After the unprecedented floods there spread serious cattle epidemics. This should also be looked into.

It is said that $1\frac{1}{2}$ crore persons are affected by drought. But I believe that there is hardly any person in Bihar who is not affected by drought.

During the past many years there was hardly any year when there was good crop in Bihar. But it was being said that there has been green revolution. People now say that green revolution would now change in bloody red revolution. We have stopped importing foodgrains under PL. 480 whatever increase has taken place in food production it was due to rains. But the government claims credit for that increase.

So far as temporary measures are concerned one Central Minister may take charge himself. No party can say that in the event of rains coming, the situation would change. It can alter the situation to the extent of 10 to 15 per cent only. So an all party committee at central level may be constituted to look into this.

Foodgrains and fodder can be sent to the places where it is needed only by expanding the capacity of railways.

In the present situation lavish expenditure should not be incurred on silver jubilee celebrations. We need not celebrate it throughout the year as it would strengthen the interests of the ruling party.

The situation of Bihar is very critical. There is no other state, 85 per cent of whose population depend on agriculture. Secondly per capita income of this state is very low. The state thus deserves special grants.

श्री राजबहादुर : जहां तक वर्ष भर स्वतंत्रता की रजत जयंती मनाने का प्रश्न है उसमें कोई फजूलखर्ची नहीं की जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, छोटी सिंचाई योजनाएं आदि सम्मिलित हैं।

इसके अलावा हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देनी है।

सदस्यों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि यह कार्यक्रम दलीय उद्देश्यों से नहीं किया जा रहा है।

{ श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए।
Shri. N. K. P. Salve in the Chair }

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि रजत जयन्ती पूरे वर्ष मनायी जाती है तो विरोधी पक्ष इसके साथ सम्बद्ध नहीं हो सकता।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मनीपुर का भूगोल विचित्र है। यहां पर रेलें नहीं हैं। जब जहां वर्षा होती है तब मिनटों में बाढ़ आ जाती है। और शीघ्र नदियां सूख जाती हैं। इस वर्ष जिन महीनों में बाढ़ें आती थीं उन्हीं में सूखा पड़ा हुआ है। पता चला है कि मनीपुर सरकार ने पम्पिग सेट खरीदने के लिये केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुदान की मांग की है।

इस स्थिति का सामना करने के लिये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय किये जाने चाहिए। राज्य की दो तिहाई जनसंख्या 700 वर्गमील की घाटी में रहती है, जिस पर पेय जल, सिंचाई के लिये जल के अभाव का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जहां पर केवल एक ही सड़क इम्फाल डीमापुर है और वह भी अधिकांश समय बुरी स्थिति में टूटी-फूटी रहती है।

मैं मंत्री महोदय को राज्य सरकार की मांगों की ओर विशेष ध्यान देने का आग्रह करता हूं। आज जो कार्य लाखों से हो सकता है बाद में वही कार्य करोड़ों से हो सकेगा।

Shri M. C. Daga (Pali) : Sir, orders should be issued to all the State Governments that there should be no feasts for more than 25 persons at one time. Secondly recovery of land revenue from agriculturists should also be stopped. All the civil cases of litigation should be settled. In Rajasthan Government has spent 200 crores rupees on famine control and on digging of wells. But it has been of little success. Government should take over all the wells containing drinking water in Rajasthan because the owners of these wells earn money from the people during scarcity of drinking water in some parts of the State. By taking over these wells drinking water can be made available to the people.

Famine Code in the States in force at present should be amended. Power should be supplied where there are deep wells. This work should be taken in hand on war footing.

In Rajasthan tributories of Rajasthan canal can be constructed in an area of 40,000 miles. This work should be taken in hand immediately. Expenditure on this work can be met by stopping other construction work such as construction of border roads etc.

In the end I therefore, request that all these steps on warfooting should be taken so that the agriculturist may be relieved of these difficulties.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Sir, 12 States are facing drought condition these days. It is not correct to say that the present drought situation in Bihar State is mainly due to natural calamity, but Bihar Government is responsible for playing with the lives of the people of the State. There are other factors which are responsible for the present situation. Mockery has been played with the Canal Schemes of Ganga, Gandak, Kosi and Baghmati for the last 25 years, with which 60 lakhs acres of land can be irrigated. Inspite of heavy expenditure incurred, these schemes have not been implemented uptil now. This is due to lack of interest on these schemes. The present drought situation in Bihar is more serious as compared to that of 1966. I request the Government that an amount of 38 crores of rupees should be sanctioned as demanded by the Chief Minister of the State to cope with the situation and for relief measures.

Hoarders and black marketeers are responsible for steep rise in prices and I request the Government that stringent measures should immediately be taken against such elements. Committees should be set up for proper distribution of relief fund. Purchasing Power of the peasant is going to have adverse effect because of drought situation in the State. Therefore, in view of this some machinery should be set up to give loans to these small, landless farmers. Administration of State should be streamlined so that misuse of central assistance being given to Bihar should be checked. Long term irrigation schemes should be expeditiously implemented. Similarly short term irrigation schemes and power supply arrangements may also be expeditiously implemented.

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : Apart from drought situation, people are dying from heat and dysentry in Bihar. Mobile hospitals should be opened in order to save the life of the people dying of this seasonal epidemic. We can deal with the present situation only when we are united and with the cooperation of State and Central Government, M. Ps. and M. L. As. Government should open fair price shops in every district of the State and all should cooperate with the Government in this matter. Government employees should be more vigilent and see that there is no bungling in foodgrains and hoarder can be taken to task.

Chittisgarh district of Madhya Pradesh is facing serious drought situation for the last two years. Tribal people are dying of hunger there.

Irrigation facilities, in Madhya Pradesh, are available from the only river Narmada. Vita Dam is useless because of shortage of adequate water. There are small rivers such as Simar, Vyarbha, Benru, in the State. Dams should be constructed on these rivers so that people may get relief from water crisis in the State.

Adequate arrangements for supply of drinking water should be made where train services are not available trucks should be used for the supply of drinking water at such places. Lives of cattle should also be essentially saved. There fodder should be arranged for cattle, because they are essential for cultivation and agriculture.

All should fight this crisis with united hands without any prejudice whatsoever. An all party committee should be appointed to find out ways and measure to tackle the present crisis.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : श्रीमन, कुछ राज्यों की आवश्यकताओं के बारे में अभी तक कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है । केवल इस तथ्य से कि अभी मैसूर अथवा कर्नाटक राज्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कृषि मंत्रालय को इस बात का महत्त्व कम नहीं करना चाहिये कि उन राज्यों में भी स्थिति बड़ी खराब है ।

विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उनकी वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण वहां की पारिस्थितिक, वर्षा आदि की परिस्थितियों से किया जाता है न कि इस आधार पर कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की मांग इस सदन में कितने जोरदार तरीके से की जाती है ।

प्रकृति की उच्छृंखलता के लिए मैं कृषि मंत्रालय को जिम्मेदार नहीं ठहराता । किन्तु नहरों, पुलों, सड़कों आदि के निर्माण के लिए नियत करोड़ों रुपयों का जो गोलमाल हुआ है उसके लिए मैं सरकार को अवश्य दोषी ठहराऊंगा । किन्तु क्या हमारे देश की पारिस्थितिक एवं वर्षा की परिस्थितियां विपरीत हैं या हमारे देश का आर्थिक तथा सामाजिक ढांचा दोषपूर्ण है ? प्रकृति को सीमा के भीतर ही नियंत्रण में रखा जा सकता है । हमें कुछ ऐसी प्रणाली अथवा तंत्र बनाना होगा जिससे कि हम इस प्रकार की आपात स्थितियों का सामना दृढ़ता से कर सकेंगे ।

त्रिपुरा में बनों के सघन विनाश के कारण ही अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है । मैसूर में मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में भी यही स्थिति है । यहां सूखा की स्थिति मानव निर्मित है । कैजुआरीना बागानों में जिन्हें अन्य बागानों के लिए परिवर्तित किया जा रहा है, क्या भूमिगत जल सूखने लगा है । इस मामले पर कृषि मंत्रालय को तुरन्त ध्यान देना चाहिये ।

बीजापुर जिले की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि वहां हिंसात्मक स्थिति होने की पर्याप्त सम्भावना है । इस स्थिति पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Sir, seventyfive per cent of the crop has been damaged till now on account of drought in the country. In view of this relief measures should be undertaken as long term basis while implementing the relief measures for the problems being faced by the farmers. Taking intensive relief measures during drought is in fact war aganist the calamities of nature, and therefore action in this regard should be taken on war footing, mobilising all the available resources. Even the services of the military should be utilised in this regard, if possible. In some places tubewells are there but they are useless without power. Therefore power should be supplied so that tubewells may start operating, and for this purpose power supply for other purposes should be reasonably curtailed.

Same is the case with rivers. Whenever water for irrigation purposes is required one can find these rivers dry. Therefore arrangements for mobile squads should be made to find out as to where water is required for irrigation and that water is supplied to those areas according to their requirements.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : श्रीमन, इस वर्ष गुजरात में अधिकांश फसल नष्ट हो गई है। किसानों को भारी हानि की सम्भावना हो रही है। पंजाब में हम 70 से 80 प्रतिशत तक सिंचाई करते हैं। आंध्रप्रदेश में 40 प्रतिशत और तमिलनाडु में 45 प्रतिशत भूमि में सिंचाई की जाती है। किन्तु देश के अन्य भागों में यह प्रतिशतता बहुत कम है। अब गंगा कावेरी नहर के बारे में चिन्ता व्यक्त की जा रही है। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि इस नहर का क्या होगा। इस बात का भी कोई पता नहीं है कि नर्मदा का शत-प्रतिशत जल नर्मदा घाटी द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा अथवा नहीं और क्या यह जल राजस्थान में भेजा जाएगा। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि गुजरात और राजस्थान के बाढ़ वाले क्षेत्रों में सिंचाई कार्य सुगम हो जायेगा।

ब्रिटिश राज्य में गुजरात को ऐसा क्षेत्र माना जाता था जहां सिंचाई की सम्भावना कम थी किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त यह धारणा बिलकुल गलत सिद्ध हो गई है।

गंगा-कावेरी नहर वास्तव में सिचाई का आधार बन सकती है ताकि शीर्ष और इसका कम से कम 50 प्रतिशत जल देश के पश्चिमी भाग, तथा सूखे मरुस्थल में ले जाया जा सकता है। हमने कम पानी वाले क्षेत्रों की ओर इतना ध्यान नहीं दिया है जितना अधिक पानी वाले क्षेत्रों की ओर दिया है। अतः वास्तव में बिहार और उत्तरप्रदेश में पानी की कठिनाई अथवा सूखा नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर्याप्त पानी है। इस सम्बन्ध में हमारी प्राथमिकताएं विफल रही हैं और इन पर पुर्नविलोकन किया जाना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि रामगढ़ और पटना नर्मदा से जुड़े हुए हैं और नहर के अन्तर्गत आने वाली कुल भूमि वर्तमान अनुमान से काफी कम है। वर्तमान अनुमान 50, 000 क्यूसेक पानी का है। जब स्थिति ऐसी है तो इसका आधा-आधा बंटवारा हो जाना चाहिए और या इसका अधिक भाग देश के सूखे और मरुस्थली क्षेत्र के लिए होना चाहिए।

Shri C. D. Gautam (Balaghat) : Sir, though rains are expected within two or three days, but more than 50 per cent crops will be damaged, because the crops have dried up. The famine situation, particularly amongst small farmers, labourers, prevailing in the country may lead to looting of the warehouses and food stocks. Government should be more careful and vigilant in this regard so that such serious incident may not happen.

There is acute shortage of water in the country. Rivers and Dams and wells have gone dried. Therefore, recovery of land revenue, and execution of money decrees from the farmers should be stopped. Prices of land have gone down beyond expectation. Government should look into this matter and all the relief measures should be taken in hand to deal with the situation.

Shri Natwarlal Patel (Mehsana) : Sir, this year famine situation is more serious in the country as compared to previous years. Gujarat is one of the states which is seriously affected with drought. Though Gujarat Government have already alerted its authorities about it and every possible arrangements have been made to give irrigation facilities to the farmers, but it will not serve any purpose to accuse Government, because this, all the more,

is a natural calamity and no body should be blamed for this. In order to face such calamities we should undertake work together on war-footing.

More fair price shops should be opened in the rural areas and foodgrains should be supplied to the poor farmers and agricultural labourers.

I request the Central Government to give due response to the problems of Gujarat and the demand of Gujarat to deal with the famine situation should be fulfilled.

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : Bihar is facing most serious drought situation in the country. Gaya district of that state has been facing drought situation for the last 15-20 years. Since Bihar is the most backward state in the country the economic condition of the state has become serious while facing the drought condition every year. I, therefore, urge upon the Central Government to give literal financial assistance to the Bihar Government to face the existing serious situation. The amount given as aid or grant should not be treated as loan to the state so that the development schemes may be continued and the State Government may face the drought situation boldly.

There is acute shortage of drinking water in the hilly areas of Gaya district. People have to go for 3-4 miles daily for taking water. Therefore, provision of rigs should be made in these hilly areas at the earliest possible to meet the demand of drinking water. There are 900 panchayats and most of them face the drought condition. Arrangements may be made to allot tube-wells to these panchayats as early as possible to meet the present drought situation.

Arrangements should be made to provide employment to the small farmers and agricultural labourers rendered unemployed because of this drought conditions. Ration and some relief should be provided to them.

Land in this area is very fertile, but there are no sources of irrigation. Some schemes should be formulated to provide water for irrigation purposes there.

Paddy crop there has been destroyed because of failure of power supply. I, therefore, request the hon. Minister that arrangements should be made so that all the electric pumps should be started there to save the remaining paddy crop from destruction.

The administrative machinery in Bihar is quite inefficient, and it has become so corrupt that instead of giving relief to the people they are harassed by the officials. If the corruption is allowed to continue then these relief measures will not prove successful and effective.

Shri Vasant Sathe (Akola) : In this crisis being faced by the country we should not create an atmosphere of panic. We should rather create self-confidence in the people. This is a national problem and we all should view this as such.

We have to seek cooperation of our youths to fight drought as we did during the last war. We should utilise the energy of our youths to implement schemes for digging wells to explore the possibilities of water for various purposes, since water is not only essential for irrigation it is also essential for cattle and for drinking purposes. Youth organisations should be entrusted with the work of distribution of foodgrains.

I am also of the view that General Insurance Companies and nationalised banks should insure the crops, cattle and other resources. (*Interruptions*)

Summary trial courts should be set up at various places in the country which may decide summarily the cases against black marketeers and hoarders and award most stringent punishment to the offenders. Such short term and long term schemes shall be beneficial for the country and these will create good effect and feeling of awakening and relief in the country.

***श्री के० सूर्यनारायण** (एलूरू) : सूखे के कारण हुई इस वर्तमान स्थिति का दोष सरकार पर नहीं डाला जा सकता क्योंकि यह दैवी विपत्ति है तथा प्राकृतिक प्रकोप है। इस सम्बन्ध में मैं श्री वाजपेयी जी के विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि हमें इसे राष्ट्रीय संकट के रूप में मानना चाहिए और इसी प्रकार दलगत विचार किए बिना हमें एक होकर इस संकट का सामना करना चाहिए। दक्षिण में गंगा-कावेरी योजना तात्कालिक योजना नहीं है। इसके पूरा होने में 20 30 वर्ष लगेंगे और भारी परिव्यय होगा।

एक शती पुरानी परियोजना अधूरी पड़ी है। अतः विभिन्न विषयों को निपटाने वाली मंत्रि-मण्डलीय उच्च शक्ति प्राप्त समितियां बनी हुई हैं। अतः वर्तमान सूखा और अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त एक विशेषज्ञ समिति बनाई जानी चाहिए।

केवल योजना बनाने मात्र से कुछ नहीं होता। उसको कठोरता से क्रियान्वित भी किया जाना चाहिए जिससे कि हमारे लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों पर बने बांधों के अतिरिक्त नागार्जुन सागर, पोचमपाद आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएं हैं। चूंकि इन नदियों में वर्षा का ही पानी होता है इसलिए डेल्टा क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वहां सम्भरक नहरों के समाप्त होने पर पर्याप्त जल नहीं रहता है। अतः उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों की, जहां-जहां सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, स्थिति की तो कल्पना ही की जा सकती है। इन स्थितियों के फलस्वरूप वहां खाद्यान्नों के मूल्य भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय खाद्य निगम के हस्तक्षेप के बावजूद भी जो चावल मेरे गांव में 90 रुपये प्रति बोरी की दर से बेचा जाता है वही चावल अन्य स्थानों पर 110 रुपये की दर

*मूल तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

से दुबारा बेचा जा रहा है। इतना अन्तर इसलिए है कि आंध्र प्रदेश के चार तटीय जिलों में 75 प्रतिशत क्षेत्र उच्च भूमि है और केवल 25 प्रतिशत क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र है।

सभापति महोदय : अभी अन्य वक्ता भी हैं। आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री के० सूर्यनारायण : आंध्र प्रदेश में भूमि बन्धक बैंक किसानों की सहायता करने की बजाए ऋण की वसूली करने के लिए किसानों के पम्प सैटों तथा अन्य कृषि सम्बन्धी मशीनों-उपकरणों को जब्त कर रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए। हमारे यहां सामान्य से आधी वर्षा भी नहीं हुई है। इसीलिए बैंकों द्वारा पम्पसेटों के जब्त किए जाने के कारण किसान अपनी पौद पर पानी भी नहीं छिड़क सकता है।

अत: अब समय आ गया है कि हम सबको एक होकर इस संकट का सामना करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास करने चाहिए।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : Many hon. members pointed out the problems of their State and Districts in respect of the issue under discussion. However, there are some basic shortcomings as a result of which we have to face this situation of drought every year. A high powered commission should be set up to enquire into the cause why the Kosi project on which crores of rupees were spent could not be effective in providing irrigation facilities and stopping floods and where the money has gone. In order to face the prevailing serious situation in Bihar, I would like to suggest that permanent wells should be constructed in every village so that agriculturists could use the water for their farms. Roads should be constructed in villages with a view to provide employment to labourers so that they might be able to purchase foodgrains from shops. Mere opening of fair price shops will not help much unless the people have the purchasing capacity. In addition to this, arrangements for the supply of drinking water should also be made. The cattle and crops should also be insured. It is also very essential to review the Famine Code.

There are no industries in my area and no scheme is under the consideration of the Government to increase the jute crop which could earn a lot of foreign exchange.

Shri N. K. Sanghi (Jalore) : Rajasthan has been facing the drought situation every two or three years during the last quarter of a century. The people of Rajasthan have experienced the real famine and the hardships and troubles it brings. In the previous years, the famine-effected people of Rajasthan used to migrate to Haryana, U. P. and other neighbouring States and return when the drought was over. But now, those states themselves are faced with scarcity conditions and so the people of Rajasthan are today finding themselves in a great dilemma. The Government will have to consider this aspect of the problem.

An amount of Rs. 120 crores has been spent by the State Government from 1952 to 1970 for meeting the drought situation in Rajasthan. But there are also some financial limitations of Rajasthan. During this year alone, nearly Rs. 125 crores would have to be spent to meet the famine situation. Much of its share of income tax etc. has been adjusted against the state's over-draft of Rs. 68 crores. Since it is a question pertaining to human beings, the Government should see whether Rajasthan will be able to cope with the situation with the help of the loans which the Centre propose to give to them. Considering the present conditions some other way must be found. The Centre should give the loans and other credit to Rajasthan in the form of grants.

The work on Rajasthan canal has been going on for a number of years. Difficulties are being faced by Rajasthan in the form of food production and fodder would have been solved if it was completed earlier. The completion work of Rajasthan canal should be given top priority.

Rajasthan is a backward and poor State. Very little industrialisation has taken place there. A National Calamity Fund should be created to meet the situation like the one we are facing today.

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : त्रिपुरा में कोई रेलवे लाइन नहीं है। 3 लाख आदिवासी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। राज्य विधान सभा में अब तक 100 मौतों का समाचार दिया जा चुका है जिनमें से 50 की मौतें भूख के कारण हुई हैं।

{ **श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
Shri K. N. Tiwary in the Chair }

सरकार को त्रिपुरा की स्थिति का पूरा ध्यान रखना चाहिये अन्यथा यह और गम्भीर हो जायेगी। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री यहां आये थे तथा कुछ मांगें रखी थीं।

दो योजनायें स्वीकृत होने पर भी त्रिपुरा में कोई भी सिंचाई सुविधाएं प्रदान नहीं की गयीं। 1969 में 11 नलकूपों के लिए 26 लाख रुपये स्वीकृत किए गये थे परन्तु एक भी कुआं नहीं खोदा गया।

त्रिपुरा में सूखा और दुर्भिक्ष हर वर्ष आता है। इस वर्ष यदि सूखे का सामना करने के लिये उचित कदम न उठाये गये तो लाखों आदमी भूख से मर जायेंगे। बाढ़ के कारण केन्द्र द्वारा भेजा गया अनाज भी वहां नहीं ले जाया जा सकता।

बंगलादेश के शरणार्थियों के लिये पहाड़ी क्षेत्रों में भी नलकूप खोदे गये। अब शरणार्थी तो चले गये लेकिन मूलनिवासी त्रिपुरा में मर रहे हैं। हमें खेद है कि इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। भुखमरी रोकने के लिए शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिए।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): A major part of the country is facing a situation of drought and famine. As a matter of fact, the nation is passing through a crisis. We

have full faith and confidence in our people and we are sure that we will overcome this crisis. U.P., which is the biggest State in the country, has the largest density of population. Three or four regions of the State are economically very backward. Like last year, the State is confronted with the conditions of drought, this year also. Keeping in view the size, population and problems of U. P. the Centre must come forward with adequate and generous assistance to the State.

The suggestion regarding setting up of a National Fund to meet natural calamities is worth considering. Crop insurance is also necessary.

The economic condition of the people living in the eastern districts adjoining Bihar is very pitiable. Some works need to the undertaken there so that people could improve their purchasing power. Three or four irrigation schemes were sanctioned for Ballia, but they have not so far been taken up. The irrigation charges and rate of electricity should be reduced. Recovery of arrears of land revenue should be stopped and other necessary facilities should be provided to the effected people.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : We are facing a situation of drought the impact of which will be felt in January-February, 1973. But a scare should not be created now by raising a hue and cry about the scarcity of foodgrains. Why should there be scarcity of foodgrain now when only sometime back we were complaining of over-stocks and falling prices ? There is in fact no shortage of foodgrains in the country. It appears that foodgrains are being hoarded. The Government should take stringent measures to bring out the hoarded foodgrains. There will be no food shortage if the hoarded foodgrains are brought out.

Andhra Pradesh faced drought conditions last year. This year, there is shortage of fodder for the cattles. Land reforms should be introduced without delay and the surplus land should be distributed to the deserving farmers before December, 1972 so that the land declared surplus could be brought under cultivation. There is uncertainty in the minds of the farmers in view of the impending decision about land ceiling, which is adversely affecting the agricultural operations. The Government should end this state of uncertainty as soon as possible.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : Ours is a big country. Drought and floods are not yearly occurrance in one part or the other. However, this year the situation is particularly grim and shall have to be tackled on a war-footing. Members from all sides have promised all-out cooperation in tackling this problem and they have also stated the peculiar problems faced by their respective areas.

I would like to draw the attention of Government towards the situation prevailing in Bihar. North Bihar, which is entirely dependent on agriculture, could not produce anything last year due to flood and now it cannot produce anything due to drought. Therefore, the situation there needs urgent attention. Today, three-fourths of Bihar is in the grip of famine-condition and two crores of people are affected. Rs. 10 crores demanded by Bihar Government are not adequate. Immediate steps should be taken so that starvation may not set in. Work on Gandak and Kosi Projects has been going on for a considerable time and yet these projects are incomplete. As a result, North Bihar can be made fertile. I, therefore, urge their speedy completion.

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं तीन बातें सभा को बताना चाहता हूं। जिन्होंने इस मामले को राजनीतिक रंग दिया है, उन्हें समझना चाहिये कि यह दैवी प्रकोप है। दूसरे, महाराष्ट्र में ऐसा क्षेत्र है जहां सदियों से अकाल पड़ता रहा है, परन्तु इस बार तो पूरे महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार से मेरी अपील है कि केन्द्रीय दल भेजने की प्रक्रिया बन्द की जाय, चाहे केन्द्रीय खाद्य मंत्री आदि हेलीकाप्टर द्वारा पूरे देश का दौरा करके स्थिति का अध्ययन करें। अकाल संहिता भी रद्द कर दी जानी चाहिये। सरकार को चाहिये कि वहां के लोगों को कोई काम दे। उचित दर की दुकानें खोलने से काम नहीं चलेगा क्योंकि लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहियें। आपको जो कुछ भी करना हो तत्काल करें।

Shri Satpal Kapur (Patiala): The situation is so serious that it might become precarious if not tackled properly. I feel that the Central Ministry of Irrigation and Power has not provided any guidelines as to the preparation of minor irrigation schemes in various states. All such projects should be the concern of the Centre. Attention should also be paid to lift irrigation. Today, we are facing dual problems of drought and floods, hence the importance of lift irrigation. The Minister of Agriculture and Irrigation and Power and the Planning Commission should join their hands to solve the irrigation problems of the country.

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : आज सूखे की स्थिति से देश में वैसे ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं जो तीसरी योजना के अन्तिम वर्षों में थे, और 80 लाख टन के रक्षित भंडार भी काफी नहीं होंगे।

उड़ीसा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वहां स्थिति बहुत ही गंभीर है। एक ओर तटवर्ती जिलों में तूफान और बाढ़ आई है और दूसरी ओर शेष राज्य में सूखे की स्थिति है। मैं चाहता हूं कि सहायता के लिए उड़ीसा सरकार की मांग को पूरी तरह मान लिया जाये क्योंकि राज्य सरकार के पास वित्तीय साधन नहीं हैं। सहायता की राशि में 25 प्रतिशत की कटौती न की जाय।

चूंकि यह स्वतंत्रता की रजत जयंती का वर्ष है, अतः सरकार और जनता संकल्प ले कि इस दशक के अन्त तक देश के चप्पे-चप्पे में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाएंगी।

उड़ीसा में डेल्टा सिंचाई परियोजना 1958 से निर्माणाधीन है परन्तु कोई नहीं जानता कि यह कब पूरी होगी। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह प्रत्येक राज्य से रक्षित भण्डार की आवश्यकता मालूम करके वहां भण्डार बनाये। दूसरे, देश भर में उचित दर की काफी दुकानें खोली जायें जिन्हें केन्द्रीय सरकार राज-सहायता प्रदान करे।

Shri K. Ramakrishna Reddy (Nalgonda): The report of the Minister of Agriculture about drought conditions is very vague. Andhra has been suffering from drought for the last three years. Drinking water is scarce not only in the rural areas but in the major cities as well. There is a danger of the cattle dying due to fodder shortage. If we do not care to grip with these problems right now, a crisis will overtake us. Fair-price shops should be opened immediately.

Maximum irrigation needs should be provided for through high-level canals network from Nagarjuna Sagar Project.

Special attention should be paid to providing relief through more work and granting of Taccavi Loans. Committees should be set up to supervise ration-shops at Block and district levels.

श्री पी० के० देव : मैं आपकी अनुमति से एक बहुत जरूरी तार······*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। अभी मेरे पास 10 नाम और हैं और तय हुआ था कि मंत्री महोदय 8.30 बजे अपना भाषण आरंभ करेंगे। सभी सदस्य यदि अपनी बात दो-दो मिनट में समाप्त कर लें, तभी उन्हें अवसर दिया जा सकता है। श्री आर० पी० यादव।

Shri R. P. Yadav (Madhepura) : I will offer a few suggestions towards the solution of this grave problem faced by Bihar. First, H. M. L. Scheme for labour should be introduced in rural areas to provide employment. At the same time, Taccavi loans should be granted and recovery of all loans should be stopped. The Central Government should condone the recovery of loans given by it to the state. The existing Famine Code should be amended so as to cover small famers also.

Shri Bishwanath Roy (Devria) : Sir, the crisis has already overtaken us. I suggest that all idle pumps should be activised after repairs by sending government engineers. Secondly, land revenue should be remitted. The state government should be instructed to remit irrigation levy.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Although the entire country faces famine conditions today, but its spectre is more grim in Bihar and U. P. I would therefore expect from the Team which would be visiting those States to ensure proper investigation and proper utilisation of funds given by the Centre to these States.

I have two suggestions to make, first is drastic action against those traders who indulge in blackmarketing etc. as also against the erring and corrupt officials. Hard Manual should be introduced and we should take a pledge not to import food from USA comewhat may. Lastly I would request the Centre to provide whatever financial help is asked for from these States pending Report of the Study Team.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Scarcity conditions prevail throughout the country. The Government should issue immediate instructions to State Governments to render all financial help wherever needed. As many fair-price shops as possible should be opened. Lift irrigation schemes should be taken up in respect of perennial rivers. Drastic steps should be taken against those who indulge in profiteering and black-marketing.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : I want to draw pointed attention towards the flight of north Bihar, which suffered from floods last year and is suffering from drought this year.

---

*सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

I want that Adhwara Scheme, which is ready on paper, be implemented immediately. I want the work on Bagmati Project geered up to provide irrigation of 2½ lakh acres of land.

Adequate power and power connections are not available to State tubewells. Arrangements should be made to extend power-lines to energise such tube-wells.

Prof. S. L. Saxena (Maharajganj) : Although irrigation is vital to our country, yet the Minister of Irrigation does not hold a Cabinet rank and thus he cannot assert in the Cabinet what he needs. I want him to be promoted to the Cabinet rank so as to make his Ministry's work more efficient.

Crops in Lucknow and Deoria districts have withered away. Immediate relief measures shall be provided by starting test works and extending taccavi Loans etc.

Shri Ambesh (Ferozabad) : The Ministry should not issue any statement, which may spread panic among the people.

Secondly, relief works should be a little more lasting. Kachha wells dug only last year have become unuseable this year, not to speak of their use next year.

The distribution of money should be free from malpractices. Government should be vigilant in this regard. Similarly, the business community should also be dealt with a firm hand.

The fodder problem is also serious. If the number of cattle in the country goes on declining at the present rate, we may face another serious problem.

Shri Ram Kumar (Tonk) : Power should be supplied to farmers by scrapping all sorts of bans so as to smoothen the provision of irrigation facilities in Rajasthan.

All irrigation projects in Rajasthan should be completed immediately ; otherwise exodus will start to other states, posing problems for them also. The Harijan problem had been solved to some extent in Rajasthan by providing land to them during the last 10 or 15 years. I appeal for all assistance to them to obviate their migration.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr) : The current drought is unprecedented and hence great responsibility devolves on the Central and State Governments.

I feel that adequate stock will not make us feel shortage of foodgrains ; but fodder shortage is posing a big problem. Government should arrange adequate supplies of fodder along with foodgrains wherever necessary.

Epidemic diseases like small-pox and cholera are spreading in drought-hit areas. They should be controlled right now.

For providing irrigation facilities, idle tube-wells should be energised at once lift irrigation etc. should put to the maximum use.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : यह सच है कि देश को गम्भीर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष भी सूखे और बाढ़ के परिणामस्वरूप उत्पादन में कुछ कमी आई थी। महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश में सूखा जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मनीपुर में सूखा इसी वर्ष हुआ है। देश के अन्य भागों पर बाढ़ों का प्रकोप रहा है। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार सभी आंकड़ों का संकलन करने और संकट का सामना करने के लिये सभी प्रयत्न कर रही है।

इस बारे में श्री वाजपेयी ने अत्यन्त रचनात्मक भाषण और उपयोगी सुझाव दिये हैं। उसके अनुसार मैं सभी दलों के सदस्यों से राज्यवार मिलना पसन्द करूंगा।

अभी-अभी मेरे सचिव बिहार की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये बिहार गये थे। मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं। मैं व्यवस्था कर रहा हूं कि देश के सभी भागों में, मैं, मेरे सहयोगी अथवा सचिव जायें ताकि हम स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकें। हमने इस समस्या से युद्ध-स्तर पर निपटने का निश्चय किया है। कुछ उपाय सुझाये गये हैं।

इन उपायों में हमारा दोहरा उद्देश्य है। एक तो क्षति को कम करना और दूसरा खरीफ की कमी को रबी की फसल से पूरा करना। जब भी ऐसी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तब सहायता की कुछ प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। सभा को सरकार पर ही नहीं इस देश की जनता पर भी भरोसा रखना चाहिए। इस कठिनाई का सामना करने के लिये हमारे पास पर्याप्त शक्ति एवं क्षमता है। सदस्यों के सहयोग से और जनता के सामूहिक प्रयत्नों से हम अपने अभियान में सफल होंगे। स्थानीय स्रोतों से पानी का उपयोग लेने के लिये हमारा पानी के बिजली और डीजल के पम्पों का बृहत्त कार्यक्रम है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के कुछ भागों में हमारी कुछ ग्राम रोजगार योजनाएं हैं। शेष राज्यों में बिजली में कटौतियां की गई हैं और उन्हें और भी बढ़ाया जायेगा। जहां भी संभव है, नलकूपों का सिंचाई कार्यों के लिये निर्माण किया जायेगा। इस उद्देश्य से सीमेंट, पाईप तथा इस्पात का आवंटन किया जायेगा। नहरों से सिंचाई के लिये अधिक भूमि को पानी दिया जायेगा।

पंजाब के सिंचाई मंत्री के सुझाव पर उर्वरकों के लिये दी जाने वाली बिजली कुछ दिनों के लिये सिंचाई के लिये उपलब्ध की जायेगी। अन्य राज्यों में भी ऐसी ही कार्यवाही की जायेगी। विभिन्न राज्यों में किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी। मुझे आशा है कि राज्य हमें अपेक्षित सहयोग देंगे।

उत्तर प्रदेश से 18 लाख टन गेहूं उपलब्ध किये जाने की संभावना थी, परन्तु चिन्ता का विषय है कि वास्तविक उपलब्धि 8 लाख टन ही हो पाई। इसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : पिछले वर्ष संसद में शिकायत की गई थी कि गेहूं की मंडियों में बिक्री नहीं की गई। क्या जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुख्य मंत्रियों से परामर्श के बाद जो भी कार्यवाही उचित होगी, की जायेगी।

कुछ सदस्यों ने पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई के समुचित प्रबन्ध न करने के लिये सरकार की निन्दा की है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वर्ष 1965-66 में सिंचित क्षेत्र 3.08 करोड़ हैक्टेयर था जो वर्ष 1971-72 में 4.22 करोड़ हैक्टेयर हो गया। इसी अवधि में बिजली के पम्पों की संख्या 5.13 लाख से बढ़कर 19 लाख हो गयी। डीजल पंपिंग सेटों की संख्या बढ़कर 4.7 लाख से 8.3 लाख हो गई। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि अभी बहुत कुछ करने को शेष है। हम उसे यथा-शीघ्र करने की चेष्टा करेंगे।

सूखे से अधिक प्रभावित होने वाले 54 जिलों में कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और अगली पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखे से प्रभावित सभी जिलों को लिया जायेगा।

श्री बसु ने भुखमरी से व्यक्तियों के मरने का उल्लेख किया। राज्य सरकारों से हमारे पास रिपोर्टें आई हैं कि ये मौतें भुखमरी से नहीं, अन्य कारणों से हुई हैं।

ऐसा नियम पहले से ही विद्यमान है जिसके अंतर्गत 100 से अधिक लोगों, अतिथियों की पार्टी नहीं की जा सकती। इसका और दृढ़ता से पालन किया जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चारे की समस्या के बारे में क्या किया गया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस समस्या के दो पहलू हैं। एक तो चारा उपलब्ध कराना और दूसरे उसे आवश्यक स्थान पर ले जाना। इस बारे में मैं रेलवे मंत्री से बात करूंगा।

खाद्यान्नों का हमारे पास पर्याप्त भण्डार है। समस्या उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की है। इसके लिए मैं रेलवे अधिकारियों से बात करूंगा।

परिस्थिति उतनी विकट नहीं है जितनी कि कुछ सदस्यों ने आंकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि वर्षा न भी हुई, तो भी हम इस कठिनाई का सामना कर पाएंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा, शुक्रवार, 4 अगस्त, 1972 / 13 श्रावण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 4, 1972/Sravana 13, 1894 (Saka).

Printed at : Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara, Delhi-32. 3.?.72—490